CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

PAPER-IV(A)

LAXMI®

Exam Notes

पाठ्यक्रम के तहत भाषा

(LANGUAGE ACROSS CURRICULUM)

B.Ed.-2nd Year

डॉ. राजेश कुमार वशिष्ठ

Ch. Ranbir Singh University, Jind,
Maharshi Dayanand University, Rohtak,
Indira Gandhi University, Meerpur,
Guru Jambheshwar University, Hisar

According to the New Syllabus Maharshi Dayanand University, Rohtak; Ch. Bansi Lal University, Bhiwani; Ch. Ranbir Singh University, Jind; Indira Gandhi University, Meerpur and Guru Jambheshwar University, Hissar

LAXMI®

EXAM NOTES

पाठ्यक्रम के तहत भाषा

[LANGUAGE ACROSS THE CURRICULUM]

[Paper–IV(A)]

CIMETRIX
SKILLED INDIANS - SKILLED INDIA

For :
B.Ed.–2nd year

लेखक :
डॉ. राजेश कुमार वशिष्ठ
एम.ए. एम.एड.,
एम.फिल्. (अंग्रेजी) पी.एच.डी.

Ph. : 7206043575

–: प्रकाशक :–

LAXMI BOOK DEPOT LBD Hansi Gate, Bhiwani ™

लक्ष्मी बुक डिपो

(उच्च कोटि की लक्ष्मी पुस्तकों के प्रकाशक)
हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

New Edition **Price : Rs. 150/-**

Published by :
LAXMI Book Depot
Hansi Gate, Bhiwani
Haryana
Ph. : 8295643575, 7206043575

Sales Executives :
BRIJ LAL & SONS
Railway Road, Rohtak, Haryana
Phone : 09355911047, 09355911077

Sales Executives :
HARYANA Educational Store
Model Town, Rohtak-124001
Phone : 01262-282142 (Shop)
Mo(b) : 09812221923

Sales Executives :
KALA MANDIR
1687, Nai Sarak, Delhi-110006
Phone : 011-43068496, 9999369804
011-23278828, 09999369805

Registered Trade Mark No. 832158, 831949

"This book is meant for educational and learning purposes. The author(s) of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the event the author(s) has/have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action..."

Every effort has been made to avoid errors or omissions in this publication. In spite of this, some errors might have crept in. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to our notice which shall be taken care of in the next edition. It is notified that neither the publisher nor the authors or seller will be responsible for any damage or loss of action to any one, of any kind, in any manner, therefrom.

© Laxmi Book Depot
No part of this book may be reproduced or copied in any form or by any means [graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information retrieval system] or reproduced on any disc, type perforated media or other information storage device, etc., without the written permission of the publishers. Breach of this condition is liable for legal action.

Design by :
Daksh Graphics
New Delhi

Printed by :
Novelty Printing Press
Delhi-110053

SYLLABUS

MAHARISHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK & CH. RANBIR SINGH UNIVERSITY, JIND

LANGUAGE ACROSS THE CURRICULUM [Paper–IV (A)]

Time1:30 Hours — ***Max. Marks: 50***
(Theory: 40, Internal: 10)

NOTE FOR PAPER SETTER

(i) Paper setters will set 5 questions in all, out of which students will be required to attempt 3 questions.
(ii) Q. No. 1 will be compulsory and will carry 16 marks. There will be 2 short-answer type questions of 4 marks each to be selected from the entire syllabus.
(iii) Two long answer type questions will be set from each of the two units, out of which the students will be required to attempt one question from each unit. Long-answer type questions will carry 16 marks each.
(iv) All questions will carry equal marks.

OBJECTIVES

After completion of the course, student teachers will be able to:

- enhance knowledge acquisition through LAC Approach
- understand the different roles of language
- use language in all domains , in each learning activity in school
- create a link among different subjects through language learning
- use multilingualism as a strategy in the classroom situation
- study authentic literary and non- literary texts
- appreciate different dialects & registers of language
- develop an insight into the symbolic relationship between curriculum, syllabus and textbooks
- understand different language skills & ways to develop these
- develop creativity among learners

COURSE CONTENT

UNIT-I

1. Introduction to Language across the Curriculum Approach
- Meaning, need and benefits of LAC Approach
- Respective roles of Content Subject Teachers and Language Teachers in LAC Approach

- Language learning & Learning through Language General Classroom Language
- Functions of Language in Classroom Learning

2. Language Acquisition and Language Learning
- Nature of Multilingualism : Differential Status of Indian Language Classroom
- Multi -Cultural Awareness & Language Diversity
- Relationship between Language and society: Identity, Power and Discrimination
- Multilingualism as a Resource & a Strategy

3. Language Discourse in the Classroom
- General Classroom Language
- Classroom Instructions and Language Learning
- Use of Literature across the curriculum
- Role of Questioning & Discussions in the classroom

UNIT-II

4. Listening and Speaking as Essential Communicative Skills
- Processing and Enquiring Information
- Listening and Speaking to Interact: dialogue, storytelling, poem,
- Recitation, Short play
- Respond to Style, Tone and Registers of language

5. Reading to Learn and Understand
- Scanning, Skimming and Extracting relevant information from the books
- Understand the meaning in reference to context
- Schema Theory; Text structures, & reading in content areas

6. Writing to Learn and Understand
- Linkages between reading & Writing
- Learn to write reports, reviews, essays, notices, letters and creative writings
- Presentations of selected papers, questions and answers

Tasks & Assignments: Any one of the following (5 marks)
- Prepare a report on any one of the following-
- Write a Book review considering the following points-
- Use of different registers of Language
- Technical aspects of Language
- Meaning conveyed in the Text
- Design a Newsletter on the Basis of Academic & Co-curricular Activities held in your College.
- Any other project given by the institution

विषय-सूची

UNIT–I

1. पाठ्यक्रम के तहत भाषा उपागम का परिचय
[Introduction to Language Across Curriculum Approach] 3

1. पाठ्यक्रम के तहत भाषा का अर्थ, आवश्यकता तथा लाभ का वर्णन कीजिए। (Describe the meaning, need and benefits of language across curriculum.) 3
2. पाठ्यक्रम के तहत भाषा उपागम में विषय अध्यापक तथा भाषा अध्यापक की विशेष भूमिका का वर्णन कीजिए। (Describe the respective role of content subject teachers and language teachers in LAC approach.) 5
3. भाषा किस प्रकार सीखने का एक माध्यम है? (How is learning a mediam of learning?)
अथवा
भाषा को सीखना और भाषा के माध्यम से सीखने में क्या संबंध है? (What is the relationship between learning language and learning through language?) 9
4. कक्षा-कक्ष अधिगम में भाषा के कार्यों का वर्णन कीजिए। (Describe the functions of language in classroom learning.) 11

2. भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम
[Language Acquisition and Language Learning]..........16

1. भाषा किस प्रकार अर्जित की जाती है? विस्तार से वर्णन कीजिए। (How language acquisition takes place? Describe in detail.)
अथवा
बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार होता है? (How language is developed in children?)
अथवा
बच्चों में भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझाइए। (Explain the process of language acquisition in children.) 16
2. भाषा को सीखने की प्रक्रिया को समझाइए। दूसरी भाषा को बालक किस प्रकार सीखता है? (Explain the process of learning language. How does a child learn second language?) 18

3. बहुभाषिता का अर्थ समझाइए और भारत में बहुभाषिता की स्थिति पर प्रकाश डालिए। 19

4. बहु-सांस्कृतिक जागरुकता तथा भाषा विभिन्नता पर टिप्पणी लिखिए।
(Write a note on multicultural awareness and language diversity.)
अथवा
भाषा में सामाजिक-सांस्कृतिक भिन्नताओं से क्या अभिप्राय है? वर्णन करें।
(What do you mean by Socio-Cultural diversity in language? Discuss in detail.) 21

5. भाषा और समाज के संबंधों की विवेचना कीजिए।
(Discuss the relationship of language and society.)
अथवा
भाषा किस प्रकार व्यक्ति और समुदाय की पहचान विकसित करती है?
(How does language develop the identity of a person and community?) 25

6. भाषा और शक्ति के संबंधों का वर्णन कीजिए।
(Describe the relationship between language and power.)
अथवा
भाषा और शक्ति का क्या संबंध है?
(What is the relationship between language and power?)
अथवा
कोई भाषा किस प्रकार शक्ति का एक प्रतीक बन जाती है?
(How does a language become the symbol of power?)
अथवा
भाषा पर आधारित भेदभाव किस प्रकार पनपता है?
(How does discrimination based on language develop?) ...27

7. एक संसाधन तथा व्यूह रचना के रूप में बहुभाषावाद का वर्णन कीजिए।
(Describe multilingualism as a resource and a strategy.)
अथवा
द्विभाषी या बहुभाषी बच्चों के बारे में आप क्या समझते हैं? बहुभाषी कक्ष तथा अध्यापक लिए इसके महत्त्व का वर्णन कीजिए।
(What do you know about bilingual or multilingual children? Describe multilingual classroom and its implications for teachers.)
अथवा
बहुभाषी कक्षा से आपका क्या तात्पर्य है? एक अध्यापक के लिए बहुभाषी कक्षा के कौन-से शैक्षिक निहितार्थ (महत्त्व) हैं?
(What do you mean by multilingual classroom? What are the educational implications of multilingual classroom for a teacher?) 29

3. कक्षाकक्ष में भाषा संवाद
[Language Discourse in the Classroom] 33

1. सामान्य कक्षाकक्ष भाषा का वर्णन कीजिए।
(Describe general classroom language.) 33

2. कक्षाकक्ष अनुदेशन तथा भाषा अधिगम का वर्णन कीजिए।
(Describe classroom instruction and language learning.) 35

3. साहित्य क्या है? इसका प्रयोग भाषा के शिक्षण में क्यों आवश्यक है?
(What is literature? Why is its use necessary in teaching a language?)
अथवा
साहित्य क्या है? साहित्य को कक्षा में प्रयोग करने के विभिन्न प्रतिमान कौनसे हैं?
(What is literature? What are the different models of using it in the classroom?) 43

4. बच्चों के साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल करने के क्या लाभ हैं?
(What are the benefits of using children's literature in curriculum?)
अथवा
बच्चों के साहित्य के माध्यम से दूसरे विषय पढाने का क्या महत्व है?
(What is the importance of teaching other subjects through children's literature?) 44

5. प्रश्न कौशल से आप क्या समझते हैं? कक्षाकक्ष में प्रश्न कौशल के महत्त्व, उद्देश्य तथा सोपानों का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by questioning skill? Describe the importance, objectives and steps of questioning skill.)
अथवा
सूक्ष्म-शिक्षण द्वारा प्रश्न-कौशल का सोपानों सहित वर्णन कीजिए। 45

6. विचार-विमर्श विधि से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी प्रक्रिया, विशेषताओं एवं प्रकृति, गुणों तथा अवगुणों की विवेचना कीजिए।
अथवा
विचार-विमर्श विधि का क्या अर्थ है? इस विधि की प्रक्रिया विशेषताओं, गुणों एवं दोषों को स्पष्ट करते हुए इसके प्रभावशाली प्रयोग हेतु मुख्य सुझावों पर प्रकाश डालिए। 48

UNIT-II

4. आवश्यक सम्प्रेषण कौशल के रूप में श्रवण तथा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल
[Listening and Speaking Skills as Essential Communicative Skills] 59

1. श्रवण कौशल से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकार बताइए।
(What do you understand by listening skill? Mention its types.)
अथवा
श्रवण कौशल से आप क्या समझते हैं? श्रवण कौशल के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए।
(What do you understand by listening skill? Mention its types.) 59

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

2. श्रवण कौशल का क्या महत्व है? श्रवण कौशल के विभिन्न तत्व कौन से हैं?
(What is the importance of listening skill? What are various elements of listening?)

अथवा

श्रवण कौशल का महत्व बताइए। श्रवण कौशल के विकसित करने के क्या आधार हैं?
(Describe the importance of listening skill. What is foundation of developing listening skill?)

अथवा

श्रवण कौशल को विकसित करने के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।
(Describe the steps involved in the development of listening skill.) 62

3. मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास की आवश्यकता और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
(Describe the need and objectives of developing speaking skill.)

अथवा

मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास के उद्देश्यों का वर्णन करो।
(What do you understand by speaking skill? Describe the objectives of developing listening skill.)

अथवा

मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या है? बच्चों में इसका विकास क्यों आवश्यक है?
(What is speaking skill? Why is the need of developing speaking skill in children?) 67

4. मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व बताइए।
(Describe the importance of speaking skill.) 69

5. मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने की विधियों का वर्णन कीजिए।
(Describe the techniques of teaching speaking skills.)

अथवा

कक्षा में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने के लिए कौन-सी गतिविधियों को अपनाया जा सकता है? वर्णन कीजिए।
(What techniques can be adopted to facilitate the development of speaking skill in the classroom? Discuss.) 71

6. सूचना से आप क्या समझते हैं? भाषा शिक्षण में सूचना तकनीकी की उपयोगिता का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by information? Describe the utility of information technology in teaching of language.) 73

7. संवाद की परिभाषा देते हुए सोदाहरण उसकी विशेषताएं लिखिए। 78

8. कहानी की परिभाषा देते हुए कहानी शिक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।

अथवा

कहानी किसे कहते हैं? एक सफल कहानी के गुण क्या हैं? स्पष्ट करें। 79

9. कविता क्या है? कविता शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। कविता शिक्षण का क्या महत्व है?
(What is Poetry? Describe the objectives of teaching of poetry. What is importance of teaching of poetry.) 85

10. नाटक या ड्रामा का क्या अर्थ है? शिक्षा के क्षेत्र में नाटकों का क्या महत्त्व है? नाटक का संगठन करते समय किन-किन आवश्यक बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

अथवा

नाटक या नाटकीय कला के महत्त्व पर एक नोट लिखें।

अथवा

नाटक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

अथवा

नाटक या नाटकीय कला से आपका क्या अभिप्राय है? विद्यार्थियों के लिए इनका क्या महत्त्व है तथा एक अध्यापक होने के नाते नाटक के सफल संगठन हेतु आप क्या सुझाव देंगे। 92

11. लघुनाटक के क्या उद्देश्य है? नाटक की शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए।
(What are the objectives of short play? Describe teaching methods of short play.) 94

12. भाषा शैली स्वराघात तथा भाषा पंजिका के प्रति अनुक्रिया का वर्णन कीजिए।
(Describe the respond to style, tone and register of language.) 96

5. सीखने तथा समझने के लिए पठन
[Reading to Learn and Understand] 99

1. पाठ्य-पुस्तकों के मुख्य भाव जानने के लिए पढ़ने, पाठ्य-पुस्तक की सामग्री को जाँचने तथा उससे प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने पर एक टिप्पणी लिखिए।
(Write a note on scanning, skimming and extracting, relevant information from textbooks.) 99

2. प्रसंग से आप क्या समझते हैं? प्रसंग के प्रति अनुक्रिया का वर्णन कीजिए। 101
(What do you understand by context? Describe the responding to the context.)

3. स्कीमा से आप क्या समझते हैं? पठन की तत्परता का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by schema? Describe the reading readiness.) 103

4. पढ़ने की विभिन्न विधियों और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
(Describe various methods of reading and process of reading.) 104

5. पठन कौशल के विकास के लिए एक शिक्षक को किस प्रकार की गतिविधियाँ करवानी चाहिए?
(What type of activities should a teacher perform to develop the reading skill of children?)

अथवा

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप बच्चों के पठन कौशल का विकास किस प्रकार करेंगे?
(How will you, as a primary teacher, develop the reading skill of children?)

अथवा

भाषा के पठन कौशल का विकास करने वाली गतिविधियाँ कौन सी हैं?
(What are the activities for developing reading skill?)...106

6. पठन के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए।
(Describe various states of reading.)..............................107

7. वाचन-शिक्षण की विधियों पर प्रकाश डालिए।

अथवा

स्वतन्त्र पठन-शिक्षण की कौन-कौन सी विधियाँ हैं? संक्षेप में समीक्षा कीजिए।
....109

8. पठन-कौशल क्या है? पठन या वाचक कौशल विकसित करने का क्या महत्व है?
(What is reading skill? What is importance of developing reading skill.)..113

6. **सीखने तथा समझने के लिए लेखन**
[Writing to Learn and Understand]..116

1. पठन तथा लेखन के बारे में आप क्या जानते हैं? पठन तथा लेखन के बीच लगाव का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by reading and writing? Describe the linkage between reading and writing.)

अथवा

लेखन तथा पठन के बारे में आप क्या जानते हैं? आलोचनात्मक पठन की लेखन कौशल बढ़ाने में क्या भूमिका है?
(What do you mean by writing and reading? What is the role of critical reading in enhancing writing skill.) 116

2. लेखन कौशलों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो।
(Describe various types of writing skills.)

अथवा

लिखित रचना के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
(Describe various types of script writing.)........................121

3. रिपोर्ताज को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं और विकास क्रम पर समुचित प्रकाश डालिए।..123

4. रिपोर्ट लेखन की आवश्यक शर्तों, उद्देश्य तथा आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए।

5. निबंध लेखन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए।
(Write a detailed note on essay writing.)..........................126

6. सूचना लेखन के बारे में आप क्या जानते हैं? सूचना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
(What do you know about notice writing? Describe the salient features of notice writing.) 132

7. पत्र के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए उसके भेदों का विवेचन कीजिए।...........133

8. चुने हुए पेपर, प्रश्न तथा उत्तरों के प्रस्तुतीकरण पर टिप्पणी लिखिए।
(Write a note on presentation of selected papers, question and answers.)

अथवा

प्रश्न पूछने का क्या महत्त्व है? प्रश्नों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अच्छे प्रश्नों की विशेषताओं की वर्णन कीजिए।
(What is the importance of questioning? Describe the types of questions. Describe the characteristics of good questions.)

अथवा

प्रश्न पूछने का क्या महत्त्व है? प्रश्न के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।...........135

CIMETRIX
SKILLED INDIANS - SKILLED INDIA

LAXMI®

EXAM NOTES

पाठ्यक्रम के तहत भाषा

[LANGUAGE ACROSS THE CURRICULUM]

[Paper–IV(A)]

UNIT–I

1. ***Introduction to Language across the Curriculum Approach***
   - *Meaning, need and benefits of LAC Approach*
   - *Respective roles of Content Subject Teachers and Language Teachers in LAC Approach*
   - *Language learning & Learning through Language General Classroom Language*
   - *Functions of Language in Classroom Learning*
2. ***Language Acquisition and Language Learning***
   - *Nature of Multilingualism : Differential Status of Indian Language Classroom*
   - *Multi -Cultural Awareness & Language Diversity*
   - *Relationship between Language and society: Identity, Power and Discrimination*
   - *Multilingualism as a Resource & a Strategy*
3. ***Language Discourse in the Classroom***
   - *General Classroom Language*
   - *Classroom Instructions and Language Learning*
   - *Use of Literature across the curriculum*
   - *Role of Questioning & Discussions in the classroom*

–: प्रकाशक :–

LAXMI BOOK DEPOT ™ Hansi Gate, Bhiwani

लक्ष्मी बुक डिपो

हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

1

पाठ्यक्रम के तहत भाषा उपागम का परिचय

[Introduction to Language Across Curriculum Approach]

1.1 पाठ्यक्रम के तहत भाषा का अर्थ, आवश्यकता तथा लाभ
(Meaning, Need and Benefits of Language Across Curriculum)

1. पाठ्यक्रम के तहत भाषा का अर्थ, आवश्यकता तथा लाभ का वर्णन कीजिए।
(Describe the meaning, need and benefits of language across curriculum.) (June 2018)

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

उत्तर–पाठ्यक्रम में भाषा की अवधारणा (Concept of Language across Curriculum)– पाठ्यक्रम के तहत भाषा की अवधारणा से अभिप्राय है स्कूल के सभी विषयों को भाषा के विषय के रूप में पढ़ाना। पाठ्यक्रम के तहत भाषा एक प्रकार का पाठ्यक्रम उपागम है, जो सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के माध्यम से भाषा के विकास पर बल देता है। इसके अंतर्गत भाषा का विकास केवल भाषा शिक्षक का ही कार्य नहीं है, बल्कि सभी विषयों के शिक्षकों का कार्य है, क्योंकि भाषा ही सभी विषयों के ज्ञान का माध्यम है। भाषा का अधिगम में अहम स्थान है। प्राथमिक स्तर पर विषय चाहे, जो भी हो, उसके सम्प्रत्ययों का निर्माण भाषा के माध्यम से ही होता है। भाषा के माध्यम से ही वे नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ पाते हैं। बोलने और लिखने के माध्यम से भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ जाती है। इस प्रकार विभिन्न विषयों जैसे सामाजिक, गणित या विज्ञान आदि विषयों में जो भी कुछ नया सीखा जाता है वह भाषा के माध्यम से ही सीखा जाता है। विभिन्न सम्प्रत्ययों को बालक जिस प्रकार से समझते हैं यह उन विषयों में प्रयोग की गई भाषा पर निर्भर है।

पाठ्यक्रम के तहत भाषा की अवधारणा मुख्य रूप से तीन सिद्धांतों पर आधारित है–

1. भाषा का विकास व इसके उद्देश्य पूर्ण प्रयोग से संभव हैं।
2. अधिगम भाषा के माध्यम से बोलकर या लिखकर होता है।
3. भाषा संज्ञानात्मक विकास में अहम है।

इसलिए स्कूल को बच्चों के लिए इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें वे भाषा का प्रयोग करते हुए अवधारणाओं का निर्माण कर सकें, समस्याओं का समाधान कर सकें, सूचना को नियोजित कर सकें, उपकल्पनाओं का निर्माण कर सकें और व्यक्तिगत विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। इसके अलावा उन्हें भाषा के माध्यम से विभिन्न अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए। उनको अधिक से अधिक प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए।

स्कूल मुखियाओं को चाहिए कि सभी शिक्षकों को स्कूल की एक भाषा नीति बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को विभिन्न विषयों के बारे में चर्चा करने के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इससे शिक्षक विभिन्न विषयों में बच्चों के सामने अगने वाली समस्याओं के बारे में समझ सकते हैं और उनकी कठिनाइयों को दूर सकते हैं। इस प्रकार रटने की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। लेकिन स्कूल की भाषा नीति बनाने में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि पाठ्यक्रम के सभी विषयों में एक सामान्य भाषा नीति बनाने के लिए सभी शिक्षक समान रूप से सहमत नहीं होते। सबसे पहले शिक्षकों के दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है।

सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा के प्रयोग में आने वाली समस्याएँ (Problems in language across curriculum)–पाठ्यक्रम भर में भाषा के रास्ते में आने वाली दो मुख्य समस्याएँ निम्नलिखित हैं-

1. शिक्षकों का नकारात्मक दृष्टिकोण (Negative attitude of teachers)–"पाठ्यक्रम के तहत भाषा" में आने वाली समस्याओं को इसके सम्प्रत्य को समझ कर दूर किया जा सकता है। पहले तो यह समझना आवश्यक है कि पूरे पाठ्यक्रम के अंतर्गत मातृभाषा या अन्य किसी भाषा को लागू करने का दायित्व केवल भाषा शिक्षक का ही नहीं है। यह सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सभी विषयों में भाषा की आवश्यकता होती है। सामाजिक एक विषय के अलावा भाषा का एक विषय भी है। इसी प्रकार गणित और विज्ञान में भी भाषा का प्रयोग होता है। इस तरह विषय चाहे, जो भी हो उसमें भाषा का प्रयोग अवश्य होता है। इसलिए यदि कोई शिक्षक अपने विषय का शिक्षण करता है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह ध्यान दे कि बच्चे उस विषय की भाषा को समझ रहे हैं या नहीं। यदि वे उस विषय की भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं तो शिक्षक के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं।

2. भाषा को एक माध्यम भर समझना (Considering language merely a medium) -दूसरी समस्या यह है कि पाठ्यक्रम भर में भाषा को एक उत्पाद के रूप में नहीं समझा जाता है। अर्थात इसमें भाषा को विषय का एक माध्यम माना जाता है। उदाहरण के लिए, जब एक बालक सामाजिक अध्ययन में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा की व्याख्या करता है तो उसकी भाषा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। सामाजिक अध्ययन का शिक्षक उसकी लिखाई, उसकी गलतियों और भाषा के प्रयोग पर कम ध्यान देता है। इसी प्रकार से गणित और विज्ञान में होता है। जबकि उन्हें बच्चों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा पर भी बराबर रूप से ध्यान देना चाहिए। वे भाषा को अन्य विषयों की ही तरह अलग विषय समझते हैं, जबकि भाषा में सभी विषयों का संयुक्तिकरण होना चाहिए।

बच्चों के चिंतन कौशल का विकास भाषा पर आधारित है, क्योंकि भाषा चिंतन का एक टूल है। यद्यपि भाषा और विचार दोनों अलग हैं, लेकिन वे एक साथ विकसित होते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का उद्देश्य बच्चों की सम्प्रेषण करने की योग्यता का विकास करना होना चाहिए। यदि बच्चों के सम्प्रेषण कौशल का विकास हो जाता है तो वे उच्च शैक्षिक योग्यताओं को प्राप्त कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से सोचने की योग्यता आंतरिक नहीं होती। इस योग्यता को प्रशिक्षण से प्राप्त किया जाता है। इस प्रशिक्षण के लिए भाषा एक आवश्यक माध्यम है, क्योंकि किसी भी चीज की आलोचना करना भाषा के माध्यम से ही संभव है।

◆◆◆

1.2 पाठ्यक्रम के तहत भाषा उपागम में विषय अध्यापक तथा भाषा अध्यापक की विशेष भूमिका
(Respective Role of Content Subject Teachers and Language Teacher in LAC Approach)

2. पाठ्यक्रम के तहत भाषा उपागम में विषय अध्यापक तथा भाषा अध्यापक की विशेष भूमिका का वर्णन कीजिए।
(Describe the respective role of content subject teachers and language teachers in LAC approach.)

उत्तर–हम सभी भाषा को सम्प्रेषण का एक माध्यम मानते हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि भाषा चिंतन करने, महसूस करने और वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने का माध्यम भी है। जो व्यक्ति छोटे बच्चों को भाषा सिखाता है उसके लिए यह जानना आवश्यक है कि भाषा के प्रयोग व्यापक हैं क्योंकि भाषा का बालक के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। बच्चे के व्यक्तित्व व उसकी योग्यताओं का विकास भाषा के माध्यम से ही होता है। भाषा एक ऐसी शक्ति के रूप में कार्य करती है तो कि बालक में संसार की समझ उत्पन्न करती है। भाषा के माध्यम से ही बालक में रूचियों, योग्यताओं, मूल्यों और दृष्टिकोणों का विकास होता है। पाठ्यक्रम के तहत भाषा उपागम में विषय अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

1. भाषा और गतिविधि (Language and Activity)–बच्चों की भाषा का गहरा संबंध उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों व गतिविधियों से है। बचपन में भाषा और गतिविधियाँ साथ-साथ चलती हैं। अनुभव और गतिविधियाँ शब्दों की आवश्यकता पैदा करती हैं। जब कोई अनुभव समाप्त होता है तो शब्द ही उस अनुभव को दोबारा दोहराने के लिए काम आते हैं। शब्दों के माध्यम से बच्चे वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करते हैं। दूसरी ओर शब्दों के बिना कार्य और वस्तुओं के साथ संबंध खाली और निर्जीव रहते हैं। उदाहरण के लिए, बालक के लिए नदी, बिल्ली, झरना, नीला, खुरदरा आदि शब्दों का कोई महत्व नहीं है यदि वह बालक इन शब्दों से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है। इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने से सीखे गए शब्द ही उसके लिए भविष्य में अर्थपूर्ण साबित होते हैं।

शब्दों और गतिविधियों का यह संबंध शिक्षकों पर एक विशेष जिम्मेदारी डालता है। एक शिक्षक सोचता है कि स्कूल में आने से पहले बच्चे के के माता पिता ने उसको बहुत से अनुभव प्रदान कर दिए हैं। लेकिन बहुत से माता पिता के मामले में यह सत्य नहीं है। बहुत से माता पिता के पास या तो ऐसा करने का समय नहीं होता या उनमें इस प्रकार का आत्मविश्वास नहीं होता। जब कोई बालक नल खोलकर अपने हाथ भिगोता है या बर्तन फर्श पर पटक देता है तो यह माता-पिता के लिए परेशानी का सबब होता है। इसी प्रकार बच्चे की अनेकों गतिविधियाँ माता पिता के लिए समस्यात्मक होती हैं।

एक शिक्षक का कार्य है कि वह बच्चों के लिए स्कूल में इस प्रकार का वातावरण तैयार करे जिसमें वह भाषा को वास्तविक जीवन के अनुभवों और वस्तुओं के साथ जोड़ सके। इसके लिए निम्न बातें आवश्यक हैं-

(क) बच्चों को विभिन्न वस्तुएँ देनी चाहिए जैसे पत्ते, पत्थर के टुकड़े, पंख, टहनियाँ, या टूटी हुई वस्तुएँ आदि। शिक्षक को उनके बारे में बातचीत करनी चाहिए।

(ख) बच्चों से उन अनुभवों के बारे में बातें करनी चाहिए जो उसे स्कूल से बाहर होते हैं।

(ग) बच्चों को स्कूल से बाहर का संसार दिखाने के लिए ले जाया जाना चाहिए ताकि वे सामान्य वस्तुओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर सकें, जैसे टूटा हुआ पुल, गंदा तालाब, मरा हुआ पशु, पक्षियों का घोंसला आदि और उनसे इन वस्तुओं के बारे में बातें करनी चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों की भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

भाषा की शिक्षा न केवल एक विशेष विषय में होती है, बल्कि भाषा का शिक्षण स्कूल के प्रत्येक विषय में और पाठ्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि में होता है। अर्थात भाषा का शिक्षण स्कूल के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के माध्यम से होता है। परिणामस्वरूप हमें स्कूल में भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम के बारे में व्यापक ज्ञान होना चाहिए जो सभी विषयों में होता है। संक्षिप्त शब्दों में पाठ्यक्रम में भाषा की अवधारणा में इस बात पर बल दिया जाता है कि भाषा का शिक्षण और अधिगम केवल उस भाषा के विषय तक सीमित नहीं है। इसका संबंध स्कूल के सभी विषयों से है। क्योंकि भाषा अन्य विषयों के सीखने के माध्यम के रूप में भी कार्य करती है। उदाहरण के लिए, यदि अंग्रेजी भाषा को स्कूल में एक विषय के रूप में पढाया जाता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान भी यदि अंग्रेजी माध्यम में हो तो, वह भी अंग्रेजी भाषा की पाठ्यपुस्तक के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार गणित, विज्ञान आदि विषयों के माध्यम से भी भाषा का शिक्षण होता है। यही कारण होता है कि जो बच्चे अंग्रेजी भाषा को एक माध्यम के रूप में चुनते हैं उनकी अंग्रेजी भाषा उन बच्चों की अपेक्षा अधिक अच्छी होती है, जिनका माध्यम हिन्दी होता है।

गणित के माध्यम से भाषा शिक्षण (Teaching Language through Mathematics)– गणित के शिक्षण में बच्चों के साहित्य का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। विलियम जेम्स के अनुसार एक कवि और गणितज्ञ का गहरा संबंध होता है, क्योंकि दोनों में ही शुद्धता का संवेग होता है। कई महान शिक्षकों ने माना है कि गणित और साहित्य में गहरा संबंध होता है। इस संबंध का प्रयोग बच्चों की भाषा और गणित को एक साथ संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किया जा सकता है। पिछले दो दशकों से सहित्य को अन्य विषयों के साथ संयुक्त करके पढाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके परिणाम काफी संतुष्टिजनक होते हैं। भारत में भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने ऐसी ही गणित की पुस्तकों को तैयार किया है, जिनमें साहित्य की विभिन्न कलाओं जैसे कविताओं व कहानियों का प्रयोग गणित की अवधारणाओं को समझाने के लिए किया गया है।

अनुसंधानों से यह पता चलता है कि यदि बच्चों के सामने गणित की विषयवस्तु को अर्थपूर्ण तरीके से किसी संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है तो वे गणित की अवधारणाओं को बहुत ही तेजी से समझते हैं। प्रत्येक पुस्तक गणित के शिक्षण में सहायक नहीं होती। शिक्षक को ऐसी पुस्तकें ध्यान से चुननी पड़ती हैं। पुस्तक इस प्रकार से बनी होनी चाहिए जिससे कि गणित की अवधारणाओं और कहानी या कविताओं में प्राकृतिक संबंध हो न कि औपचारिक। गणित के लिए साहित्य की सामग्री वास्तविक और संदर्भ के अनुसार होनी चाहिए। उनमें बच्चों के जीवन से संबंधित सामग्री होनी चाहिए ताकि वे उन्हें अपने जीवन के साथ जोड़कर देख सकें। उदाहरण के लिए, गणित में ''एक से अधिक'' की अवधारणा को समझाने के लिए प्रथम कक्षा की पुस्तक की यह कविता देखिए–

एक हरा तोता,
नाच रहा था वो,
एक और आ गया,
हो गए अब दो।

दो छोटे तोते,
दाना रहे थे बीन,
एक और आ गया,
हो गए अब तीन।

तीन छोटे तोते,
उड़ने को तैयार,
एक और आ गया,
हो गए अब चार।

चार छोटे तोते,
दिखा रहे थे नाच,
एक और आ गया,
हो गए अब पाँच।

(गणित का जादू, कक्षा 1, एन सी ई आर टी)

संख्याओं को समझाने के लिए कहानी का प्रयोग–

बनी के परिवार में शादी
बनी के परिवार में शादी हो रही थी। यह खरगोशों का
एक परिवार था। हिरणों, बंदरों, हाथियों, बिल्लियों,
चूहों, कुत्तों, लोमड़ियों, ऊँटों, नेवलों जैसे कई मेहमान
बुलाए गए। सभी को एक खास शरबत पिलाया जा
रहा था। सबके लिए एक गिलास। सबको लग
रहा था कि शरबत काफी स्वादिष्ट है, लेकिन
कुछ छोटे मेहमानों जैसे चूहे से
एक पूरा गिलास भी समाप्त नहीं हुआ। लेकिन लोमड़ी
ने अपना पूरा गिलास खत्म
कर लिया। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने एक से ज़्यादा गिलास माँगे जैसे गधा।
मुश्किल अब शुरू हुई !!!
वहाँ कुछ बड़े मेहमान भी थे जो गिलास-पे-गिलास उड़ेले जा रहे थे।
बनी अंदाजा लगाना चाहता है कि किसने कितने गिलास पिए।

(गणित का जादू, कक्षा 3, एन सी ई आर टी)

बहुत-सी बच्चों की पुस्तकों में ऐसी विषयवस्तु विद्यमान होती है, जिनमें समस्या समाधान, समय और संख्याओं की अवधारणाएँ होती हैं। इन कहानियों का प्रयोग कक्षा में चर्चा के लिए किया जा सकता है।

METRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

कहानियों का प्रयोग (*Use of stories*)

कहानियाँ कई प्रकार की होती हैं- रोमांच, दुखांत, सुखांत, कल्पनात्मक आदि। वे कई विषयों पर हो सकती हैं, जैसे लोगों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, पशुओं के बारे में, देवताओं के बारे में और वास्तविक घटनाओं के बारे में। शिक्षक को ऐसी कहानी का प्रयोग कक्षा में करना चाहिए जो बच्चो में रूचि पैदा करे, बच्चों के जीवन में गणितीय संदर्भों को उजागर करे और जो कहानियाँ बच्चों में ऐसी कल्पना का विकास करें जिससे कि वे कहानी के मुख्य पात्रें के स्थान पर स्वयं को रखकर देख सकें और गणितीय समस्याओं का समाधान कर सकें। बहुत से शिक्षक सोचते हैं कि काल्पनिक कहानियों के माध्यम से गणितीय अवधारणाओं को नहीं समझाया जा सकता। वर्तमान में स्कूलों में पढाया जाना वाला गणित इतना नीरस है कि बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। ऐसी शिक्षण विधियाँ प्रयोग की जाती हैं जो कि कल्पनाओं, संवेगों और गैर तर्कवादी बुद्धि से विहीन हैं। ये शिक्षण विधियाँ बच्चों में गणित के प्रति रूचि उत्पन्न नहीं कर पातीं। गणित के शिक्षण में मुख्य रूप से तीन प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है–

- समस्याओं का समाधान करने वाली गतिविधियाँ।
- समस्याओं के समाधान को जांचना व इसे दूसरों को बताना।
- प्रतिदिन के जीवन में गणितीय सिद्धांतों का प्रयोग करना।

समस्याओं के समाधान में तर्क की अपेक्षा आंतरिक सूझ बूझ की आवश्यकता होती है। इसके लिए भावनाओं, संवेगों, कल्पना और मांसपेशीय गतिविधियों की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में इसके लिए सृजनात्मक विचारों को मूर्त रूप देने की आवश्यकता होती है। आंतरिक सूझ बूझ उस समय पैदा होती है जब बच्चे के मन में कल्पनाएँ और बुद्धि का मिलन होता है। काल्पनिक कहानियाँ ही बच्चों में यह योग्यता पैदा करती हैं।

सामाजिक विज्ञानों के माध्यम से भाषा का शिक्षण (Teaching language through Social Studies)–सामाजीकरण अधिगम की वह प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी उस संस्कृति की आवश्यकताओं को सीखता है, जिसमें वह रहता है। वह अपने सामाजिक वातावरण में रहने के लिए उसके कुछ मूल्यों और व्यवहारों को सीखता है। इस प्रक्रिया में माता-पिता, मित्र मंडली और आस पड़ोस के लोग उसको दिशा निर्देश देते हैं।

सामाजीकरण के अभिकरण (Agencies of Social Development)–निम्नलिखित अभिकरण सामाजिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनमें भाषा मूल रूप से महत्वपूर्ण है–

(क) **परिवार**–परिवार बालक में धर्म और संस्कृति के प्रति दृष्टिकोण को विकसित करने और अपने जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(ख) **शिक्षा**–शिक्षा युवाओं में विभिन्न सामाजिक कौशलों और मूल्यों के निर्माण में सहायक है।

(ग) **धर्म**–धर्म सामाजिक विकास का महत्त्वपूर्ण कारक है।

(घ) **मित्र-मंडली**–बालक एक निश्चित आयु में मित्र बनाने शुरू कर देता है। उसके मित्र उसके मूल्यों और आदतों को प्रभावित करते हैं।

(ड़) **जन संचार**–जन संचार के साधन सामाजिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारतीय स्कूलों में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के लिए सामाजिक अध्ययन का सबसे अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। सामाजिक अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का समूह होता है, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि। भूतकाल की घटनाओं का वर्णन करने के लिए इतिहास को लिया जा सकता है। यदि एक शिक्षक क्रिया के भूतकाल रूप का प्रयोग करना सिखाना चाहता है तो वह ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन उदाहरण के लिए, कर सकता है। इतिहास एक प्रकार से एक कहानी होती है, जिसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा का विकास करने के लिए किया जा सकता है।

डाकघर, रेलवे स्टेशन, बाजार ये सभी नागरिक शास्त्र के विषय हैं। सामाजिक अध्ययनों में छात्रों को परिवेश से परिचित कराने के लिए किया जाता है। भाषा में भी इन पर निबंध लिखे जा सकते हैं। यदि सामाजिक अध्ययन का शिक्षक इन विषयों पर निबंध लिखवाता है तो इससे सामाजिक अध्ययन के साथ साथ भाषा का भी शिक्षण होता है।

कला के माध्यम से भाषा शिक्षण (Development of language through Art)–कला बच्चों में लिखने के क्रौशल का विकास करती है। लिखने के कौशल का विकास और कला की गतिविधियां एक साथ चलनी चाहिए।

अतः पूरे पाठ्यक्रम के अन्तर्गत भाषा को लागु करने का दायित्व केवल भाषा अध्यापक का ही नहीं है, बल्कि यह सभी विषयों के अध्यापकों की जिम्मेदारी होती है क्योंकि भाषा की आवश्यकता सभी विषयों में होती है। अतः विषय अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे उस विषय की भाषा समझ रहे हैं या नहीं। भाषा प्रत्येक विषय के अध्ययन का माध्यम होता है। अतः विषय की भाषा के विकास में विषय अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

पाठ्यक्रम के तहत भाषा उपागम में भाषा अध्यापक की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। भाषा अध्यापक को एक सामान्य अध्यापक से अधिक आदर्श होना चाहिए। भाषा अध्यापक अपने शिष्यों का अधिकाधिक हित-साधन करें। वह भाषा अध्यापन कार्य को पूर्ण निष्ठा से करे तथा अपने अध्यापन कार्य को भी रुचिकर बनाए।

पाठ्यक्रम के तहत भाषा उपागम में भाषा अध्यापक की भूमिका निम्नलिखित हैं–

1. वर्ष में किए जाने वाले सम्पूर्ण अध्यापक कार्य को इकाईयों में विभक्त कर लेना चहिए ताकि अध्यापक कार्य में सरलता हो सके। इस प्रकार अध्यापक कार्य सुस्पष्ट तथा सुनिश्चित भी हो जाएगा।
2. भाषा अध्यापक छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण का भी करे।

3. वह छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों के निराकरण में भी रुचि दिखाये।
4. अध्यापक भाषा पाठ्य-सामग्री का इस ढंग से प्रस्तुतीकरण करे कि वह छात्रों के लिए सुबोध हो सके।
5. भाषा अध्यापक छात्रों के ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु कक्षा कार्य अवश्य कराये तथा उन्हें गृहकार्य भी अवश्य दे।
6. अध्यापक को पाठ के लिए उपयुक्त सहायक सामग्री की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए ताकि अध्यापक रुचिकर तथा सरल हो सके।
7. भाषा अध्यापक पाठों को उपयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार सोपानों में क्रमबद्ध अवश्य करे।
8. भाषा अध्यापक को छात्रों का साहित्यिक आयोजनों के लिए पथ-प्रदर्शन करना चाहिए।
9. भाषा अध्यापक का कर्त्तव्य है कि वह अपने छात्रों को पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करे।
10. भाषा अध्यापक छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन समय-समय पर अवश्य करें।
11. अध्यापक अपने शिष्यों की प्रगति का अभिलेख रखे, जिससे उन्हें उचित निर्देश दिए जा सकें।

◆◆◆

1.3 भाषा सीखना व भाषा के माध्यम से सीखना
(Learning Language and Learning through Langauge)

3. भाषा किस प्रकार सीखने का एक माध्यम है?
(How is learning a mediam of learning?)

अथवा

भाषा को सीखना और भाषा के माध्यम से सीखने में क्या संबंध है?
(What is the relationship between learning language and learning through language?)

उत्तर–जब भाषा और शिक्षा की चर्चा की जाती है तो भाषा को शाब्दिक संकेतों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल आदि। परंतु भाषा को सामान्य, सम्प्रेषणीय घटना के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे के साथ सम्प्रेषण करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। कक्षा में भाषा का प्रयोग कार्य देने, अधिगम प्रक्रिया को शुरू करने, शैक्षिक विषयवस्तु प्रस्तुत करने, अधिग को जांचने, ज्ञान और कौशलों को प्रदर्शित करने और कक्षा का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कक्षा में सबसे अधिक भाषा को ही सीखते हैं। वे पढना और लिखना सीखते हैं, जिसे शैक्षणिक लिखित भाषा कहते हैं। वे विभिन्न शैक्षणिक विषयों के बारे में प्रवचन करते हैं जिसे शैक्षणिक भाषा और साक्षरता कहते हैं। ऊपर दी गई दोनों ही परिभाषाएँ भाषा और शिक्षा के संबंधों को समझने के लिए आवश्यक हैं।

जैसा कि माइकल हैलीडे ने सुझाव दिया है, भाषा और शिक्षा के संबंधों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है–

1. भाषा को सीखना (Learning Language)
2. भाषा के माध्यम से सीखना (Learning through Language)

1. भाषा को सीखना (Learning Language)–प्रारंभिक वर्षों में बच्चे भाषा को बोलना और लिखना दोनों सीखते हैं। वे कठिन भाषायी नियमों और शब्द भण्डार का निर्माण कर लेते हैं। उनमें सम्प्रेषण की योग्यता का विकास हो जाता है। वे विभिन्न परिस्थितियों में सम्प्रेषण करना सीख लेते हैं। उन्हें अपने आप की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग करना आ जाता है। वे लिखित और मौखिक दोनों ही प्रकार की भाषा को समझ सकते हैं।

CIMETRIX

छोटे बच्चों के शैक्षिक पाठ्यक्रम में भाषा को सीखने पर बल दिया जाता है। बोलने का कौशल विकसित करने के लिए अनुदेशों के माध्यम से बच्चों को ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं जिनमें वे भाषा के विभिन्न अभिव्यक्ति माध्यमों का प्रयोग करना सीख पाते हैं। लिखने का कौशल सिखाने के लिए उन्हें इस प्रकार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं जिनमें वे अक्षरों के प्रतीकों और उन प्रतीकों से संबंधित ध्वनि की पहचान करते हैं। वे भाषा के प्रतीकों को देखकर उन्हें पढ़ने का अभ्यास भी करते हैं, जिससे उनमें पढ़ने का कौशल विकसित होता है। उनमें इस प्रकार भाषायी कौशलों का विकास हो जाता है, जिससे वे कहानी को समझ सकते हैं, अपने अनुभवों को मौखिक या लिखित रूप में सुना सकते हैं तथा किसी लिखी गई कहानी को पढ कर समझ सकते हैं। इन सभी योग्यताओं को मिलाकर साक्षरता कहा जाता है।

यह प्रायः चर्चा का विषय है कि बच्चे को भाषा सिखाने के लिए किस प्रकार के अनुदेशों का प्रयोग किया जाए। कुछ का मानना है कि अनुदेशन सत्तावादी होने चाहिए अर्थात शिक्षक केंद्रित होने चाहिए। कुछ अन्य का मानना है कि विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन होने चाहिए। सत्तावादी अनुदेशनों का सुझाव देने वाले यह तर्क देते हैं कि जिन बच्चों की भाषा दूसरे बच्चों की तरह निपुण नहीं होती, उन्हें उनके बराबर पहुँचने के लिए सत्तावादी अनुदेशों की आवश्यकता होती है। उनका मानना है कि इन बच्चों को परिवार और समुदाय के वातावरण में इस प्रकार के अनुभव प्राप्त नहीं होते, जिनसे ये भाषा को सही प्रकार से प्रयोग करना सीख सकें। इसलिए कक्षा में उन्हें इस प्रकार के अनुदेश दिए जाएं जिससे वे भाषा का प्रयोग सीख सकें। उन्हें विभिन्न व्याकरणीय नियम, शब्द और उच्चारण सिखाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार के अनुदेशों का सुझाव लिखित भाषा के कौशल के विकास के लिए भी दिया जाता है। यह माना जाता है कि लिखित भाषा बोली जाने वाली भाषा से भिन्न है, इसलिए स्पष्ट अनुदेशनों की आवश्यकता होती है।

वैकल्पिक तर्क यह है कि बच्चे भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखते हैं। उन्हें भाषा सीखने के लिए उचित भाषायी वातावरण की आवश्यकता होती है। शिक्षक का कार्य अनुदेशन देना है, लेकिन ये अनुदेशन बच्चों की आवश्यकताओं और रूचियों के अनुसार होने चाहिए न कि पूर्वनिर्धारित रूप में। भाषा सीखना जटिल प्रक्रिया है। इसके सभी कौशल आपस में संबंधित हैं, न कि भिन्न भिन्न। यदि इन सभी को अलग अलग पढाया जाया तो भाषा सीखना और भी अधिक कठिन कार्य हो जाता है।

2. भाषा के माध्यम से सीखना (Learning through language)–किसी भी कक्षा में अधिगम भाषा के माध्यम से ही होता है। शिक्षक व्याख्यान देता है, प्रश्न पूछता है, चर्चा करता है और पढ़ने और लिखने का कार्य देता है। बच्चे शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, उसके व्याख्यान को सुनते हैं, पढाई गई विषय-वस्तु को याद करते हैं। 1970 के बाद अनेकों अनुसंधान ऐसे हुए हैं जिनमें कक्षा में अधिगम में भाषा की भूमिका के महत्व पर बल दिया गया है। विभिन्न अनुसंधानों के परिणामस्वरूप कक्षा में भाषा संबंधी प्रयोग में "मचान बनाना" (Scaffolding) नामक योजना का निर्माण किया गया है। यह एक ऐसी तकनीक है, जिसके माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी आपस में अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे के कथनों के आधार पर कथनों का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी शैक्षिक क्षेत्र में खोज करते हैं। यह प्रक्रिया शिक्षक और छात्रों व छात्रों व छात्रों के बीच चल सकती है।

एक अन्य कक्षा में चलने वाली भाषा की प्रक्रिया है, शिक्षक की पहल-विद्यार्थियों की अनुक्रिया-शिक्षक की प्रतिपुष्टि। यह क्रम समान रूप से कक्षा में चलता है। इससे अभिप्राय है विद्यार्थियों की सूचना के आधार पर प्रश्न पूछना, उनके उत्तरों को सुनना और विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के अवसर उपलब्ध कराना।

भाषा ही एकमात्र ऐसा विषय है, जो स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में विद्यमान रहता है। किसी भी विद्यार्थी की किसी भी विषय में मास्टरी चाहे वह गणित हो, विज्ञान हो, या सामाजिक हो, भाषा पर ही निर्भर है। जो विद्यार्थी भाषा में निपुण होते हैं वही दूसरे विषयों में भी निपुण पाए जाते हैं। भाषा की भूमिका तीन प्रकार के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है-

1. भाषा विशेषज्ञों के लिए अर्थात भाषाविदों के लिए।
2. विद्यार्थियों के लिए जिनके लिए भाषा विचारों और अधिगम का माध्यम होती है।
3. शिक्षकों के लिए जिनके लिए भाषा कक्षा सम्प्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

शिक्षा में भाषा का प्रयोग एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ सम्प्रेषण के लिए करता है। भूतकाल में भाषा को एक अलग विषय के रूप में पढा जाता था। भाषा की संरचना, नियम, प्रणाली और विभिन्न कार्य भाषा की शिक्षा देने के लिए पढाए जाते थे। भाषा के प्रयोग पर कोई ध्यान नहीं था। शिक्षक व्याकरण और उसके नियमों पर अधिक ध्यान देते थे न कि प्रयोग पर। यह माना जाता था कि भाषा की निपुणता ही सम्प्रेषण के लिए पर्याप्त थी। लेकिन इसमें सफलता हासिल नहीं होती थी, क्योंकि विद्यार्थी भाषा में निपुण होते थे लेकिन वे सम्प्रेषण नहीं कर पाते थे। भाषा के बारे में ज्ञान होना और भाषा का प्रयोग करना दो भिन्न बातें हैं। इसी प्रकार भाषा का शिक्षण करना और भाषा का प्रयोग करना सिखाना दो भिन्न भिन्न शिक्षाशास्त्रीय मुद्दे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में यह स्पष्ट है कि भाषा से अधिक उसके माध्यम से सम्प्रेषण अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा का आधार सम्प्रेषण है, क्योंकि सम्प्रेषण के माध्यम से ही भाषा का निर्माण होता है। भाषा के विकास का आधार सम्प्रेषण की आवश्यकता है। भाषा खाली स्थान में काम नहीं कर सकती। भाषा का अध्ययन एक स्वतंत्र संरचना के रूप में नहीं किया जाता, बल्कि विभिन्न सम्प्रेषणीय परिस्थितियों के उत्पाद के रूप में किया जाता है। (Language is studied not as a fixed monolithic structure but as a cumulative product of the various communication situations.) आधुनिक भाषा विज्ञान मानता है कि भाषा प्रणाली सम्प्रेषणीय परिस्थितियों से दूर रहकर कोई अस्तित्व नहीं रखती। भाषा का विज्ञान, व्यवहार, समाज, संस्कृति और शिक्षा के साथ जटिल संबंध है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

1.4 कक्षा-कक्ष अधिगम में भाषा के कार्य (Functions of Language in Classroom)

4. कक्षा-कक्ष अधिगम में भाषा के कार्यों का वर्णन कीजिए।
(Describe the functions of language in classroom learning.)

उत्तर–प्रकृति ने केवल मानव को ही भाषा का वरदान दिया है। पशु-पक्षी आदि प्राणी अपनी बात को उतनी आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। हम शारीरिक अथवा ध्वनिगत चेष्टाओं से ही उनकी इच्छाओं का अनुमान करते हैं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनके मनोभावों को हम पूरी तरह समझ पाए हैं। प्रकृति ने मनुष्य को भाषा का वरदान देकर उसे अपनी बात, अपने विचार एवं अपने मनोभाव पूरी तरह व्यक्त करने का सामर्थ्य प्रदान किया है। आइए हम देखते हैं कि भाषा रूपी यह वरदान मनुष्य के लिए किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है। हम इनको भाषा के प्रकार्य कहते हैं।

भाषा के विभिन्न प्रकार्य निम्न हैं–

1. अभिव्यक्ति (Expression)–भाषा मनुष्यों के संवेगों, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। मनुष्य के मन में संवेग, भाव एवं विचार बाह्य जगत के साथ अन्तःक्रिया करने पर अपने आप स्फुरित और व्यक्त होते रहते हैं। आत्माभिव्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही मनुष्य को भाषा सीखने के लिए उत्प्रेरित करती है। नवजात शिशु अपने मस्तिष्क में ध्वनि इकाइयों का संग्रह करता रहता है, जिनके सहारे वह नई शब्दावली सीखता और जोड़ता है। ये इकाइयाँ उच्चारण तथा अर्थ बोध संबंधी होती है, जो मस्तिष्क के स्नायु कोषों में अंकित हो जाती हैं। शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि के साथ-साथ इन इकाइयों में भी निरंतर वृद्धि होती चली जाती है और बालक को अपने संवेगों, भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। आइए संवेग, भाव और विचारजन्य अभिव्यक्तियों पर अलग-अलग विचार करें।

2. संवेगात्मक अभिव्यक्ति (Emotional Expression)–संवेगात्मक अभिव्यक्ति का महत्व समझने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि संवेग क्या होते हैं और भाषा इनके विकास और नियन्त्रण में कैसे सहायक होती है। सभी बालक जन्म से कुछ मूल प्रवृत्तियाँ लेकर आते हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों के फलस्वरूप वे बाह्य परिस्थितियों के प्रति अपनी कोई-न-कोई प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। बालक अपनी रुचि और परिचय की वस्तुओं के साथ एक निश्चित संवेग धारण कर लेते हैं। जैसे कोई चीज़ न मिलने पर रोना, चिल्लाना। इसी प्रकार जब बालक आनन्द का अनुभव करता है तब वह अपने अनुभवों को किसी के साथ बांटना चाहता है। क्रोध भी बालक के व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक बाधक है। पर इसी संवेग को भाषा में वीर रस की कविताओं के माध्यम से देश के शत्रुओं के प्रति परिवर्तित किया जा सकता है। बुराइयों को समाप्त करने में भी उसकी इस प्रवृत्ति को लगा सकते हैं। अध्यापक विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा अपने संवेगों पर नियंत्रण पाने में बालक की सहायता कर सकता है। विविध बाल प्रतियोगिताओं के द्वारा ईर्ष्या को स्पर्धा में परिवर्तित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों को विविध परियोजनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके भी आप उचित दिशा में उनका संवेगात्मक विकास कर सकते हैं। शिक्षार्थियों को ऐसे वीरों की कहानियाँ भी सुनाई जा सकती हैं, जिन्होंने संवेगों पर नियंत्रण प्राप्त करके यश प्राप्त किया।

संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए ''रेचन' नाम की प्रविधि सबसे सफल मानी गई है। रेचन का तात्पर्य यह है कि बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं कि वे अपने संवेगों को अभिव्यक्ति कर सकें। यही संवेग कल्पना के पंख लगाकर कहानियों का रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार संवेगों की भाषा द्वारा एक खास दिशा दिखाई जा सकती है। जब बालक को स्वस्थ संवेगात्मक अनुभूति होती है तभी ऐसे भावों का जन्म होता है, जो साहित्य, कला, संगीत आदि विषयों में रचनात्मक कार्य का आधार बनते हैं। अतः बालक के विकास में संवेगों का विशेष महत्व होता है और संवेगों की उचित अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही संभव है।

वैचारिक अभिव्यक्ति (Expression of Ideas)–पशु मूलप्रवृत्यात्मक प्रेरणा से, बिना परिणाम सोचे काम करते हैं, परन्तु मनुष्य कार्य का परिणाम सोचकर कार्य करता है। मनुष्य के लिए उसकी चिन्तन शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी शक्ति से वह अपने को वातावरण के अनुकूल व्यवस्थित करता है। बालक को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें उसकी वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करने चाहिये।

वस्तुतः चिन्तन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें पुराने अनुभवों के आधार पर सूक्ष्मतम विश्लेषण करते हुए भविष्य की चिन्ता की जाती है और किसी निश्चय पर पहुँचा जाता है। इस क्रिया को प्रत्ययात्मक चिन्तन कहते हैं। प्रत्ययों का निर्माण संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण के आधार पर होता है। बच्चा घोड़े को देखकर अनुकरण में घोड़ा कहता है, पर अभी यह घोड़े और गधे में अन्तर नहीं कर सकता। प्रत्यय ज्ञान के बाद बच्चा पदार्थ के गुणों का विश्लेषण करने लगता है। इसे प्रत्यय ज्ञान की दूसरी सीढ़ी माना गया है। पूर्णतः विश्लेषण करने के बाद बच्चा घोड़े के विषय में अपने ज्ञान का संश्लेषण करता है। विविध रंगों के होने के बाद भी सभी घोड़ों में एक समानता है। वे सभी एक से आकार के होते हैं। प्रायः एक जैसी सवारी का काम उनसे लिया जाता है, इसके बाद वह घोड़े, गधे, ऊँट आदि में अन्तर समझने लगता है और उसका वर्गीकरण करने लगता है। प्रत्यय ज्ञान की अंतिम सीढ़ी है नामकरण, जब वह देखता है कि कुछ विशिष्ट गुणों के कारण एक पशु घोड़ा कहा जाता है, दूसरा बैल, तीसरा ऊँट आदि। इस प्रकार पशु विशेष का नाम लेने पर उसके न होने पर भी बालक उसका बोध भली प्रकार कर सकता है। इसलिए इस अवस्था में बालक को विभिन्न वस्तुओं को दिखाकर भाषा ज्ञान विकसित करना चाहिए। मॉंटेसरी विधि में भाषा शिक्षण के लिए इस प्रविधि का भरपूर उपयोग किया जाता है। तीन से चार वर्ष की आयु में बालक सरल वाक्यों का प्रयोग करने लगता है वह देश और काल से भी परिचित होने लगता है। चार वर्ष की आयु के पश्चात् बच्चा केवल घटनाओं का दर्शक ही नहीं बना रहता, बल्कि वह उनका कारण भी जानना चाहता है। वह लंबे वाक्य बोलने लगता है, वह बड़े शब्दों को गढ़ना भी शुरू कर देता है, जैसे दूधवाला,

सब्जीवाला। बालक धीरे-धीरे बहुत से शब्दों को समझने लगता है परन्तु प्रयोग नहीं कर पाता। इसके लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। बालक के मानसिक विकास का उसके भाषा विकास के साथ बहुत गहरा संबंध है। भाषा के अच्छे ज्ञान से वह अन्य विषयों का ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। कहानियाँ सुनाकर, चित्रा दिखाकर उनका वर्णन करवाना, साधारण परन्तु उपयोगी वस्तुओं का वर्णन करने का अवसर प्रदान करना, शुद्ध उच्चारण सुनवाना तथा परस्पर बातचीत के अवसर सुलभ करवाना आदि गतिविधियों से बच्चों का मानसिक विकास होता है और वैचारिक अभिव्यक्ति भी सशक्त होती चली जाती है। बालक को मूर्त से अमूर्त का ज्ञान और निर्णय करने की क्षमता भाषा शिक्षण द्वारा ही संभव है।

2. सामाजिक अंतःक्रिया (Social Interaction)–भाषा हमारी संस्कृति का अंग होती है। निःसंदेह भाषा और संस्कृति में प्रगाढ़ संबंध है। भाषा को एक सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है, परन्तु भाषा संस्कृति का तत्व मात्रा ही नहीं, बल्कि समस्त सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आधार है और इस कारण किसी भी समाज की विशेषताओं के अध्ययन के लिए उस समाज की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। लियोनार्ड ब्लूमफील्ड के शब्दों में, ''भाषा की क्रिया ही प्रत्येक समुदाय के निर्माण का आधार है। भाषा सामाजिक क्रियाकलापों को समझने में सर्वाधिक प्रत्यक्ष अन्तर्दृष्टि प्रदान करती है और उनको संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योग भी देती है। किसी भी मानव समुदाय को भली-भाँति परखने के लिए हमें उसकी भाषा को समझना चाहिए। यदि हम किसी समुदाय की जीवन पद्धति और उसके ऐतिहासिक उद्गम का गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें उसकी भाषा का व्यवस्थित विवरण प्राप्त करना होगा।''

3. सामाजिक और वैचारिक नियमन (Social and ideological regulations)–भाषा का कार्य केवल विचारों का आदान-प्रदान ही नहीं है, बल्कि भाषा सामाजिक एवं वैचारिक नियमन का एक साधन है। हम भाषा का प्रयोग दूसरों के व्यवहार को नियन्त्रित करने अथवा प्रभावित करने के लिए भी करते हैं। बर्नस्टीन व उसके साथियों ने बच्चे के सामाजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में माता-पिता के विभिन्न प्रकार के नियामक व्यवहार का अध्ययन किया है और उन्होंने बड़े रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उसका एक उदाहरण है कि यदि कोई माता यह देखती है कि उसके बच्चे ने किसी दुकान से चुपके से कोई चीज़ उठा ली है तो वह भाषा की शक्ति का विभिन्न रूपों में उपयोग कर सकती है और बच्चे के मन में उनमें से प्रत्येक का भाषा की शक्ति के बारे में अलग-अलग प्रभाव होगा। उदाहरणतः वह कह सकती है–''तुम्हें उस चीज़ को नहीं उठाना चाहिए जो तुम्हारी नहीं हैं।'' (वस्तुओं के स्वामित्व के आधार पर निषेध के माध्यम से नियमन), ''तुम्हारे इस व्यवहार से तुम्हारी माँ को बड़ा दुःख पहुँचा है'' (संवेगात्मक दबाव के माध्यम से नियमन) ''यह उचित नहीं है'' (नैतिकता के बोध द्वारा नियमन)। इस प्रकार की अकेली घटना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु पुनरावृत्ति प्रबलन के माध्यम से नियामक व्यवहार के ये रूप बच्चे को व्यवहार नियंत्रक के रूप में भाषा की भूमिका का बोध कराते हैं। आगे चलकर बच्चा भी भाषा की इस भूमिका के बोध के प्रयोग अपने सम समूह और भाई-बहनों के व्यवहार का नियमन करने में करता है।

भाषा के नियामक प्रकार्य से ही जुड़ा भाषा का एक अन्य प्रकार्य है–उसका सामाजिक अंतःक्रियात्मक प्रकार्य। इससे आशय है कि स्वयं तथा दूसरों के बीच अंतःक्रिया में भाषा का प्रयोग। व्यक्ति का सस्त सामाजिक सम्पर्क, भाषा के माध्यम से ही होता है। भाषा के द्वारा ही वह समाज से संबंध स्थापित करता है, अपने सुख-दुख, हर्ष-उल्लास में दूसरों को भागीदार बनाता है और दूसरों के सुख-दुख, हर्ष-उल्लास में अपनी भावनाओं को मूर्त रूप देता है।

व्यवहार की दृष्टि से भाषा के दो रूप हैं–उच्चरित रूप, लिखित रूप। भाषा के उच्चरित रूप के विषय में जानकारी पूर्व-पृष्ठों में दी जा चुकी है। लिखित रूप में भाषा का जो व्यवहार होता है, उसके भी दो पक्ष हैं–ग्रहण और अभिव्यक्ति अर्थात् पढ़ना और लिखना। भाषा एवं साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने की दृष्टि से लिखित भाषा का महत्व है। सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए औपचारिक पत्र-व्यवहारों की

CIMETRIX
SKILLED INDIA

आवश्यकता पड़ती है। वाणिज्य एवं व्यावसायिक कार्यों की सम्पन्नता के लिए भी हम पत्र-व्यवहार पर ही निर्भर करते हैं। सभा सम्मेलनों, समितियों, आयोगों आदि के प्रतिवेदन लिखित रूप में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी भी कार्य के विवरण को स्थायी रखने के लिए हमें लिखित रूप का सहारा लेना पड़ता है। राष्ट्र का संविधान लिखित रूप में ही है। राष्ट्र के समस्त संसदीय, शासकीय न्यायिक, सैनिक आदि सभी कार्यों का संवहन लिखित संदेशों के द्वारा ही होता है। लिखित रूप को ही प्रामाणिक माना जाता है।

4. सृजनात्मकता (Creativity)–प्रत्येक व्यक्ति में सृजनात्मकता के तत्व निहित होते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सृजनात्मकता के साथ उच्चकोटि की बौद्धिक क्षमता आवश्यक नहीं है। कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में सृजनात्मकता दिखा सकता है। जो बालक प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर कुछ आगे की ओर चिंतन करता है वह अपने कार्य तथा कार्य शैली में सृजनात्मकता दिखाता है। सृजनात्मकता की योग्यता वाले बच्चे अपने विचारों से दूसरों को सरलता से प्रभावित कर लेते हैं। अतः प्रत्येक बच्चे की सृजनात्मकता के विकास हेतु समुचित अवसर मिलना चाहिए। इस अवसर के मिलने पर वे बहुत-सी असफलताओं और कुण्ठाओं को सरलता से भूलकर मौलिकता की परिधि को विस्तृत कर सकते हैं। मानव जाति का इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक व्यक्ति अपनी कुण्ठाओं से ऊपर उठकर साहित्य, कला, विज्ञान, चित्रकला तथा संगीत आदि क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान कर सकते हैं। यदि कोई बालक किसी एक क्षेत्र में असफल होता है तो उसे दूसरे क्षेत्र में अपनी रचनाओं में सृजनात्मकता दिखाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

सृजनात्मक लेखन से अभिप्राय है बच्चे में चिन्तन शक्ति और सृजनात्मक कल्पना का कवि बनाना नहीं है। भाषा शिक्षण में सृजनात्मक लेखन से अभिप्राय बच्चे में चिन्तन शक्ति और सृजनात्मक कल्पना का विकास और उसके संवेगों और भावों को एक स्वस्थ समाजोपयोगी दिशा में परिवर्तित करके आत्म सन्तोष और गौरव की अनुभूति कराना।

कक्षा में भाषा के कार्य *(Functions of Language in Classroom)*

भाषा कर्यात्मक होती है। यह लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह संबंधों को बनाने और उन्हे कायम रखने में सहायक होती है। यह दूसरों पर प्रभाव डालने, कहानियाँ सुनाने, प्रश्न पूछने और सूचना देने में काम आती है। भाषा का मुख्य कार्य सम्प्रेषण करना है, लेकिन यह चिंतन करने, समस्या समाधान करने और सीखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। हैलीडे (Halliday) ने स्कूल में भाषा के निम्न कार्य बताए हैं, यद्यपि स्कूल में दाखिल होने से पहले भी भाषा का प्रयोग बच्चे इन कार्यों के लिए करते हैं।

1. सहायक कार्य (Instrumental Function)–माईकल हैलीडे के अनुसार भाषा एक सहायक के रूप में कार्य करती है। इसे उन्होंने "मुझे चाहिए" (I want.) कार्य कहा है। इसके माध्यम से बालक अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है और अपनी जरूरतों को पूरा करता है। जब बच्चे को भूख लगती है या प्यास लगती है तो वह बोलकर बताता है कि उसे पानी चाहिए या भोजन चाहिए। इसके अलावा जब उसे खेलने की इच्छा होती है तो वह बोलकर बताता है कि उसे खिलौना चाहिए।

2. रेगुलेटरी कार्य (Regulatory Function)–हैलीडे ने इसे Do as I tell you function. कहा है। इसके माध्यम से बालक दूसरों पर अपना नियत्रंण करता है। वह दूसरों को बताता है कि क्या करना है। उदाहरण के लिए, वह अपने माता पिता को कपड़े या जूते पहनाने के लिए कहता है। कभी-कभी वह स्कूल में अपने साथियों को भी आदेश देता है।

3. अंतःक्रियात्मक कार्य (Interactional Function)–इसे 'you and me" function कहा गया है। इसके अंतर्गत बालक सामाजिक अंतःक्रिया करता है और सामाजिक संबंधों को स्थापित करता है। वह अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ बातचीत करता है।

4. व्यक्तिगत कार्य (Personel Function)–भाषा के इस प्रयोग के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करता है। वह अपने संवेगों और अपनी व्यक्तिगत स्थिति को स्पष्ट करता है। भाषा के इन चारों प्रयोगों के माध्यम से बालक अपनी शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। भाषा के अगले दो प्रयोगों का संबंध बालक के वातावरण से है।

5. ह्यूरिस्टिक कार्य (Heuristic Function)–भाषा का पाँचवें कार्य का संबंध बालक के वातावरण से है। इस प्रयोग के माध्यम से बालक अपने वातावरण की खोज करता है। इसी के माध्यम से बालक वास्तविकता को पहचान पाता है। वह जब क्यों वाले प्रश्न पूछना शुरू कर देता है तो यह भाषा का ह्युरिस्टक प्रयोग है।

6. कल्पनात्मक प्रयोग (Imaginative Function)–भाषा के इस प्रयोग के माध्यम से बालक अपने वातावरण का काल्पनिक चित्रण कर पाता है। भाषा के इस प्रयोग में वह काल्पनिक स्थितियों का निर्माण करने करता है। जैसे कहानी सुनना व सुनाना, किसी पहेली को हल करना या अभिनय करना।

7. सम्प्रेषणात्मक प्रयोग (Informational Function)–यह भाषा का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। इस प्रयोग में बालक अपनी सूचना को दूसरों के साथ बांटता है और नई सूचनाओं को ग्रहण करता है। भाषा का यह प्रयोग बालक बाद के स्तरों पर सीखता है।

◆◆◆

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

2

भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम

[Language Acquisition and Language Learning]

1. भाषा किस प्रकार अर्जित की जाती है? विस्तार से वर्णन कीजिए।
(How language acquisition takes place? Describe in detail.)

अथवा

बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार होता है?
(How language is developed in children?)

अथवा

बच्चों में भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझाइए।
(Explain the process of language acquisition in children.)

उत्तर–भाषा अर्जन वह प्रक्रिया है, जिसमें मानव सम्प्रेषण करने के लिए शब्दों को समझने, निर्माण करने और उनका प्रयोग करने की क्षमता अर्जित करता है। *(Language acquisition is the process by which humans acquire the capacity to perceive, produce and use words to understand and communicate.)* इस क्षमता में कुछ उपक्षमताएँ शामिल हैं, जैसे वाक्य की संरचना करना, उच्चारण करना और शब्द भंडार का निर्माण करना। यह भाषा मुंह से भी बोली जा सकती है और हाथ सम चिह्नों के माध्यम से लिखी भी जा सकती है।

भाषा अर्जन से सामान्य तौर पर अभिप्राय है बच्चे द्वारा जन्म के बाद पहली बार भाषा सीखना। इसे पहली भाषा अर्जित करना (First Language Acquisition) कहते हैं। उसके बाद वह स्कूल में अन्य भाषाएँ भी सीखता है, जिन्हें दूसरी भाषा अर्जित करना (Second Language Acquisition) कहते हैं। उदाहरण के लिए, हिन्दी भाषी माता पिता के बच्चे की पहली अर्जित भाषा हिन्दी होती है और अंग्रेजी उसकी दूसरी अर्जित भाषा होती है। जैसे–विचार, संवेदना, भावना, व्यवहार आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन यह सिद्धांत स्किनर के सक्रिय अनुबंधन से भिन्न है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे भाषा को एक जन्मजात पुनर्बलन की एक प्रणाली के माध्यम से सीखते हैं।

भाषा का विकास *(Language Development)*

जन्म के समय बच्चा अपनी जरूरतों के लिये रोता है। धीरे धीरे उसका रोना कुछ अलग-सा हो जाता है और माँ उसकी भूख, परेशानी और दर्द के रोने में भेद कर सकती है। 3 माह तक वह किलकारी भरने लगता है अर्थात जब भी वह प्रसन्न होता है या गोदी में उठाया जाता है तब वह किलकारी भरता है। 6 से 7 महीने में किलकारी बबलाने में बदल जाती है, जैसे मा-मा, बा-बा आदि शब्दों को दोहराना। 9वें महीने तक बच्चा कुछ-कुछ शब्द बोल पाता है। एक ही शब्द पूरे वाक्य के लिये पर्याप्त होता है,जैसे 'गुड़िया'-

जिसका अर्थ है 'मुझे गुड़िया चाहिये'। 1 साल का होते होते दो शब्दों को जोड़ सकता है। दो वर्ष में वह 2 या 3 शब्दों के वाक्य प्रयोग कर सकता है। 5 साल की आयु तक एक बच्चे की शब्दावली लगभग 5000 शब्दों की होती है। यह शब्दकोष फिर तीव्रता से बढ़ता है।

6 से 11 साल के बच्चे बेहतर वाक्य बनाना सीख जाते हैं। वे न केवल यह जानते हैं कि एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, बल्कि वे यह भी जानते हैं कि एक ही उच्चारण वाले भिन्न शब्दों को लिखने का तरीका भी भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिये, अंग्रेजी में कॉर्न (Corn) का अर्थ भुट्टा भी हो सकता है, त्वचा की दर्दनाक बीमारी भी हो सकती है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में Here और Heir या Whole और Hole शब्दों के उच्चारण तो एक समान हैं, लेकिन अर्थ व लिखने का तरीका भिन्न-भिन्न हैं। वे भाषा को विभिन्न रूपों (लोकोक्ति और रूपक) का प्रयोग कर उसका आनंद उठा सकते हैं।

भाषा अर्जन की प्रक्रिया *(Process of Language Acquisition)*

भाषा को सीखने के लिए एक बालक लोगों को बोलते हुए सुनता है और उनके द्वारा बोली गई ध्वनियों की पहचान करता है। ध्वनियों को सुनकर वह उनकी नकल करना सीखता है। एक बालक सबसे पहले प और ब ध्वनियाँ निकालता है। धीरे धीरे वह ध्वनियों को आपस में मिलाकर शब्द बनाना सीख लेता है। जैसे पा और पा को मिलाकर पापा कहना सीख लेता है।

1. ध्वनियों में भेद करना (Discriminating between sounds)–एक नवजात शिशु आस पास बोली जा रही ध्वनियों को सुनता है और इन ध्वनियों के स्रोतों को पहचानता है। वह यह पहचान पाता है कि आवाज किस दिशा से आ रही है। उसकी सुनने की योग्यता और उसे समझने की योग्यता समय के अनुसार बढ़ती जाती है। एक सप्ताह का नवजात शिशु अपनी माँ की आवाज को दूसरी आवाजों से अलग पहचानता है। शिशुओं में आवाज को पहचानने की योग्यता कमाल की होती है। हम जानते हैं कि तीन महीने की आयु के बच्चे में यह योग्यता आ जाती है कि समझने लगता है कि जो ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं उनका संबंध बोलने वाले के होठों से है। एक 6 महीने के बालक से जब यह पूछा जाता है कि गेंद कहां है, वह उत्तर दे देता है। इससे यह पता लगता है कि एक बालक भाषा की योग्यता जन्म से ही लेकर पैदा होता है।

2. बोलने की शुरूआत करना (Beginning of Speech)–एक बालक जन्म से ही ध्वनियों को समझना शुरू कर देता है, लेकिन वह बोलना काफी समय बाद शुरू करता है। सभी बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है। इससे अभिप्राय है कि भाषा को सीखने का क्रम सभी बच्चों में यूनिवर्सल होता है। इससे अभिप्राय है कि सभी बच्चे भाषा को बोलना एक विशिष्ट आयु में आरम्भ करते हैं चाहे भाषा कोई भी हो। अर्थात जो प्रक्रिया हिन्दी को सीखने की है, वही प्रक्रिया अंग्रेजी को सीखने की है। बच्चों में बोलने की शुरूआत निम्न चरणों में होती है:

(क) **रोना (Crying)**–बालक के जन्म के समय रोना उसके सम्प्रेषण का माध्यम होता है। जब वह भूखा व प्यासा होता है तो रो कर समझा देता है। वह अपनी प्रत्येक परेशानी को रो कर व्यक्त करता है। सभी माताएँ समझ जाती हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है। जन्म से लेकर एक महीने तक बालक केवल इसी तरह से सम्प्रेषण करता है।

(ख) **चहचाहना (Cooing)**–एक महीने के बाद बच्चा रोने के अलावा चहचाना शुरू कर देता है। यह स्थिति 4 या 5 महीने तक रहती है। यह चहचाने की आवाज एक स्वर (vowel) की ध्वनि होती है, जैसे उउउउउउ.....। जब बच्चे खुश होते हैं या संतुष्ट होते हैं तब यह आवाज निकालते है। जब वह यह आवाज निकालता है तो माता पिता या आस पास के लोग उसकी आवाज को दोहराकर उसे जवाब देते हैं। इस तरह की अनुक्रिया बच्चे का संवेगात्मक विकास भी करती है, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता को अपना संरक्षक समझने लग जाता है। धीरे धीरे वह कुछ और ध्वनियाँ निकालने लग जाता है। उसकी ध्वनियों में उतार चढाव भी आ जाते हैं। वह धीमी आवाज निकालना और तेज आवाज निकालना सीख लेता है। वह इन ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाना सीख लेता है और इसी तरह ध्वनियों के साथ प्रयोग करना सीख लेता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

(ग) **बड़बडाना (Babbling)**–6 और 10 महीने के बीच की आयु का बालक बड़बड़ाना शुरू कर देता है। वह कुछ ध्वनियों जैसे मां, दा, की, ने आदि को दोहराने लगता है, जैसे दा दा दा दा आदि। नए शब्दों और ध्वनियों के साथ वह पहले की ही तरह प्रयोग करना जारी रखता है और उसका शब्द भण्डार बढता चला जाता है। वास्तव में बहुत से शब्द अर्थहीन ही होते हैं। बाद के स्तरों पर बड़बड़ाने की आवाजों को मिलाकर वह वाक्यों का निर्माण करना शुरू कर देता है।

(घ) **पहला शब्द (First Word)**–10 से 12 महीने के बीच की आयु में बच्चा पहला अर्थपूर्ण शब्द बोल पाता है। पहला शब्द वह "माँ" बोलता है। 12 महीने के बालक के पास तीन से दस शब्दों का भण्डार होता है। सबसे पहले बच्चा उन वस्तुओं से संबंधित शब्दों को सीखता है, जो उसके आसपास होते हैं। ये वे शब्द होते हैं जिनको आस पास के लोग प्रयोग करते हैं। उन गतिविधियों के नाम भी सीख लेता है, जो उसके चारों ओर होती हैं। इस स्तर पर बालक एक शब्द वाले वाक्य ही बोल पाता है। उदाहरण के लिए, जब उसे प्यास लगती है तो वह केवल पानी शब्द ही बोलता है, जिसका अर्थ माता पिता समझ जाते हैं। जब वह अपनी मां की साड़ी को देखकर "साड़ी" बोलता है तो इससे उसका अभिप्राय होता है "यह मां की साड़ी है।"

◆◆◆

2. भाषा को सीखने की प्रक्रिया को समझाइए। दूसरी भाषा को बालक किस प्रकार सीखता है? (Explain the process of learning language. How does a child learn second language?)

उत्तर–मातृभाषा को सीखना(Learning Mother Tongue)–भाषा को सीखना किसी खेल को सीखने के समान है। भाषा के अंतर्गत कुछ कौशलों को सीखा जाता है। मुख्य रूप से भाषा के कौशल चार होते हैं– बोलना, सुनना, लिखना और पढना। जब हम भाषा को सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि बच्चा भाषा को दूसरों से सुनकर सीखता है। बालक हजारों घण्टों तक विभिन्न ध्वनियों को सुनता है और उसके बाद वह स्वयं भी वैसी ध्वनियां निकालना शुरू कर देता है। उसके बाद वह शब्दों को बोलना शुरू करता है और उसके बाद वाक्यों को बोलना शुरू करता है।

एक वर्ष की आयु का बालक शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। 18 से 24 महीने का बालक दो या चार शब्दों वाले वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है। लेकिन चार वर्ष की आयु में बालक अपनी भाषा को बोलने में पूर्णतः निपुण हो जाता है। मातृभाषा को सीखने की योग्यता बालक में आंतरिक होती है। लेकिन यह योग्यता किसी अन्य भाषा को या दूसरी भाषा को सीखने में नहीं होती। बालक का परिवार और उसका समाज उसकी भाषा को निर्धारित करता है। यदि परिवार में एक भाषा बोली जाती है तो बालक एक ही भाषा को सीख लेता है। यदि परिवार में दो भाषाएँ बोली जाती हैं तो बालक दोनों ही भाषाओं में निपुण बन जाता है।

हमारे देश में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो किसी राष्ट्रीय भाषा को नहीं अपितु स्थानीय बोलियाँ बोलते हैं। उदाहरण के लिए, हरियाणा के बच्चे हरियाणवी बोली बोलते हैं। बोली और भाषा में अंतर होता है। ऐसे परिवारों के बालक हिन्दी बोलना नहीं जानते। हरियाणवी भाषा को किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। ऐसे में उन्हें दूसरी भाषा जैसे अंग्रेजी या हिन्दी को सीखना होता है। दूसरी भाषा को लिखना और उसे पढना बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन वे उसे बोलना नहीं सीख सकते। उदाहरण के जिन बच्चों की मातृभाषा हरियाणवी है वे हिन्दी को अच्छी तरह से पढ सकते हैं और लिख सकते हैं, लेकिन हिन्दी को लयबद्ध तरीके से बोलने में उन्हें समस्या आती है। उनकी हिन्दी में हरियाणवी लय शामिल हो जाती है। इसे मातृभाषा का दखल कहते हैं।

जब बच्चे स्कूल में जाने की आयु तक पहुंचते हैं तो वे अक्षरों को सीखते हैं और फिर शब्दों को बोलते हैं और उसके बाद वे वाक्यों का निर्माण करना शुरू करते हैं। यदि बच्चे घर में सीखी गई भाषा को ही लिखना सीखते हैं तो उनकी सीखने की गति तेज होती है। ऐसे में उसे व्याकरण को सीखने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह प्राकृतिक रूप से व्याकरण को भाषा के प्रयोग के माध्यम से सीख लेता हैं, लेकिन जब उसकी मातृभाषा स्कूल में सिखाई जा रही भाषा से भिन्न होती है तो वह भाषा सीखने में उसे वास्तव में ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

दूसरी भाषा को सीखना (Learning Second Language)–प्रत्येक समाज में विभिन्न भाषाएँ विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार बोली जाती हैं। घर में या परिवार में तथा दूसरे सामाजिक क्रियाकलापों में जैसे खेल के मैदान में, स्कूल में, कोर्ट में विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं। इन सभी परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग हो ऐसा संभव नहीं है। घर में मातृभाषा का प्रयोग होता है, लेकिन कोर्ट में किसी दूसरी भाषा का प्रयोग होता है। भारत में अंग्रेजी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में पढा जाता है। अंग्रेजी का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। भारत एक बहुभाषी देश है। यहां पर अंग्रेजी पढना अनिवार्य है, क्योंकि अंग्रेजी के अलावा कोई ऐसी एक भाषा नहीं है, जो पूरे देश के लोगों को आपस में जोड़ती हो। इसलिए अंग्रेजी को भारतीय स्कूलों में दूसरी भाषा के रूप में पढाया जाता है।

हमारे देश में अंग्रेजी को लिंक भाषा भी कहते हैं, क्योंकि यह दो भिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों के सम्प्रेषण में सहायक है। भारत में अंग्रेजी भाषा को सीखना एक कठिन कार्य है, क्योंकि हमे दो या अधिक भाषाएँ एक साथ सीखनी पड़ती हैं। यदि हमारे परिवार में अंग्रेजी बोली जाती है तो इसे स्कूल में सीखना बेहद आसान होता। हम अंग्रेजी को स्कूल में सीखते हैं। वहां हमारी एक विशिष्ट अंग्रेजी का ही विकास होता है, जो कि अकादमिक उद्देश्य के लिए ही पर्याप्त है। हम स्कूल में सीखी गई अंग्रेजी भाषा को सामाजिक संदर्भ में प्रयोग नहीं कर पाते।

◆◆◆

GIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

2.1 बहुभाषावाद की प्रकृति : भारतीय भाषा कक्षाओं की विभिन्न स्थिति
(Nature of Multilingualism : Differential Status of Indian Language Classroom)

3. बहुभाषिता का अर्थ समझाइए और भारत में बहुभाषिता की स्थिति पर प्रकाश डालिए।

उत्तर–बहुभाषिता का अर्थ (Meaning of Multilingualism)–प्रत्येक बालक में भाषा को प्राप्त करने की शक्ति जन्म से ही प्राप्त होती है। चोमस्की के अनुसार बालक में एक आंतरिक जीवक शक्ति होती है, जिसे उन्होंने 'सिद्धांत और मानक' कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है, जिसमें 'सिद्धांत' सामान्य गुण होते हैं जबकि 'मानक' वे चर हैं जिनका संबंध भाषा में पाई जाने वाली विविधता से हैं। व्याकरण विभिन्न विकल्पों का एक संग्रह है, जैसे हमें कर्ता + कर्म + क्रिया' या कर्ता + क्रिया + कर्म के बीच चुनाव करना होता है।

जब एक बालक के सामने ये मानक प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसकी आंतरिक शक्तियाँ गतिमान हो जाती हैं और जब वह उस भाषा का प्रयोग सम्प्रेषण के लिए करता है तो उसे उस भाषा के नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है। जब एक बालक के सामने एक से अधिक भाषाएँ प्रस्तुत की जाती हैं तो वह उन सभी भाषाओं को सीख लेता है और उस बालक को बहुभाषी कहते हैं।

बहुभाषिता के प्रकार *(Types of Multiligualism)*

1. उच्च वर्ग की भाषा (Language of Elite Class)–उच्च वर्ग की भाषा औपचारिक वातावरण में सीखी जाती है। इस प्रकार की भाषा स्कूलों में सिखाई जाती है।

2. आस-पड़ोस की भाषा (Language of Neighbourhood)–इस प्रकार की भाषा प्राकृतिक वातावरण में सीखी जाती है। आस-पड़ोस की भाषा आस-पास के लोगों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। उदाहरण के लिए, मुम्बई में बच्चों के सामने चार भाषाएँ प्रदर्शित होती हैं और वे उन सभी भाषाओं को आसानी से सीख लेते हैं। कभी-कभी इस प्रकार सीखी गई भाषा स्कूल में किसी दूसरी भाषा को सीखने में बाधा बन जाती है। स्कूल में मानक भाषा को सिखाया जाता है जबकि पड़ोस में सीखी गई भाषा स्थानीय बोली होती है, जो कि स्कूल के उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ है। यह समस्या और भी अधिक हो जाती है जब दो भाषाएँ एक ही परिवार की होती है। मुम्बई में हिन्दी, उर्दू, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी आदि भाषाएँ बोली जाती हैं। वहाँ के बच्चे इन्हीं भाषाओं के शब्दों को सुनते हुए बड़े होते हैं और एक मिक्स भाषा का विकास करते हैं। इस प्रकार वे किसी एक भाषा को भी अच्छी तरह नहीं सीख पाते।

बहुभाषिता की प्रकृति

बहुभाषिता और विभिन्नता मानव अस्तित्व का एक भाग हैं। भाषा को प्राप्त करने की शक्ति आंतरिक होती है। प्रत्येक बालक में यह शक्ति जन्म के समय से प्राप्त होती है। लेकिन जब वह अन्य लोगों के सम्पर्क में आता है और उनके साथ अंतःक्रिया करता है तो उसमें बहुभाषिता और भाषा की विभिन्नता के गुण विकसित हो जाते हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार पंजाबी लोगों के सम्पर्क में आने पर पंजाबी भाषा बोलने लग जाते हैं और राजस्थानी भाषा बोलने वाले लोगों के सम्पर्क में आने पर राजस्थानी भाषा बोलने लग जाते हैं।

लोग अपने भोजन, कपड़ों, विवाहों आदि के रिवाजों की अपनी पहचान के रूप में जीवित रखते हैं। इसी प्रकार वे अपनी बहुभाषिता को अपनी भाषायी पहचान के रूप में जीवित रखते हैं। जिस प्रकार जैव विभिन्नता किसी जंगल को उन्नत बनाती है, उसी प्रकार भाषीय विभिन्नता भी किसी व्यक्ति या समुदाय की बौद्धिक शक्तियों को बढ़ाती है। भाषायी पहचान बहुत ही आधारभूत पहचान होती है, क्योंकि अन्य पहचानें भाषायी पहचान के माध्यम से ही दिखाई देती हैं। बेनवेंसाइट (Benveniste) के अनुसार, "वास्तव में भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने को एक विषय (Subject) के रूप में स्थापित करता है, क्योंकि भाषा ही व्यक्ति के अहम् को वास्तविकता में प्रकट करती है।"

लेकिन नीति-निर्धारक हमेशा निहित स्वार्थों से प्रेरित होते हैं और किसी एक भाषा की तरफदारी करते हैं। भारत जैसे जटिल समाज में ऐसा करना उचित नहीं है। भारत में यह माना जाता है कि बच्चों को एक ही भाषा में शिक्षा दी जाए और प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया की भाषा भी एक ही भाषा में होनी चाहिए। इसी प्रकार मीडिया और संसद की भी एक विशिष्ट भाषा होनी चाहिए।

इसी के कारण उच्च वर्ग की भाषा (हिन्दी और अंग्रेजी) पर बल दिया जाता है और अल्पसंख्यकों की भाषा के साथ भेदभाव होता है। भारत के विभाजन से पहले हिन्दुस्तानी भाषा थी जो कि हिन्दू और मुस्लिम दोनों के द्वारा समझी और बोली जाती थी, समझी जाती थी और लिखी जाती थी। यह भाषा देवनागरी और अरबी-फारसी का मिश्रण थी। यही भाषा भविष्य के भारत की भाषा प्रतीत होती थी। लेकिन इस भाषा की जगह बाद में अंग्रेजी ने ले ली। भारत के विभाजन के बाद हिन्दी बोलने वालों ने हिन्दुस्तानी भाषा में कोई रूचि नहीं दिखाई और उसी तरह उर्दू बोलने वालों ने हिन्दी को नकार दिया। यही भाषा उनके देश का प्रतीक बन गया। दक्षिण भारतीयों को लिए हिन्दी भाषा आर्यों की भाषा लगी और यह उनको उनकी भाषा के लिए मुख्य खतरा नजर आने लगी। परिणामस्वरूप भारत के दक्षिण और उत्तर पूर्वी भागों में भाषीय संघर्ष दिखाई दिया। आज हिन्दी और अंग्रेजी भारत की केन्द्र सरकार की ऑफिसियल भाषाएँ हैं। दूसरी ओर उर्दू आज भी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। आजादी के पहले बोले जाने वाली हिन्दुस्तानी भाषा आज लगभग समाप्त हो चुकी है। आज यह भाषा मेरठ और इलाहाबाद के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रह गई है या कभी-कभी भारतीय बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देती है।

समकालीन भारत में अंग्रेजी *(English in Contemporary India)*

भारत में एक बहुत बड़ी बहुभाषी आबादी है। शहरों में रहने वाले लोगों का अंग्रेजी के प्रति बहुत अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण है। भारतीय अंग्रेजी की अपनी एक अलग पहचान है। इसका अपना एक साहित्य और बातचीत करने का ढंग है। हमारे देश में बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। आज भारत के प्रत्येक गाँव में अंग्रेजी भाषा का स्कूल खुल गया है।

ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी भाषा साम्राज्यवाद के शोषण का प्रतीक है और विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के लिए खतरा है। यदि हम भारत की अन्य भाषाओं पर ध्यान नहीं देते हैं तो स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों को नहीं बचा पाएंगे। भाषाओं का निर्माण और पुनरर्निर्माण सामाजिक आयाम में होता है। इन्हीं स्थानीय भाषा के माध्यम से परिवार और दोस्तों से रिश्ते जुड़े होते हैं और उनका संबंध सामाजिक शक्ति से भी होता है।

बहुभाषी भारत में आज अंग्रेजी उच्च वर्ग की भाषा है और इसके परिणामस्वरूप वही सबसे शक्तिशाली भाषा है और आज अंग्रेजी प्रशासन, न्यायिक प्रणाली और शिक्षा की मुख्य भाषा है। सभी प्रकार के अनुसंधान और उच्च शिक्षाएँ अंग्रेजी में ही पूरी होती हैं। उदारीकरण के युग में तो यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और उद्योगों व व्यापार की भी मुख्य भाषा है। आज रोजगार, सामाजिक बदलाव और शक्ति में हिस्सेदारी के दरवाजे उसी के लिए खुले रह गए हैं जो अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग करना जानते हैं।

यदि हिन्दुस्तानी जो कि देवनागरी और अरबी-पारसी दोनों ही लिपियों में लिखी जाती थी उसे भारत की प्रशासकीय भाषा के रूप में अपना लिया जाता या राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपना लिया जाता तो यह आज एक आधुनिक भाषा बन जाती। यही भाषा भारत की अन्य भाषाओं को भी उन्नत करती है और विज्ञान और तकनीकी की भाषा बनती। आज भारत में बोली जाने वाली हिन्दी और उर्दू भाषाएँ यह स्थान कभी प्राप्त नहीं कर पायी हैं। इस प्रकार भाषायी और सामाजिक हानि बहुत अधिक हो गई है। एक तरफ तो हिन्दू और मुस्लिमों के सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों में दूरियाँ बढ़ी हैं और दूसरी तरफ दोनों ही अंग्रेजी की वजह से अपनी-अपनी भाषाओं को विकसित नहीं कर पाए। यदि ईमानदारी से सोचा जाए तो भारत में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती हुई खाई का मुख्य कारण अंग्रेजी भाषा ही है।

◆◆◆

2.2 बहु-सांस्कृतिक जागरुकता तथा भाषा विभिन्नता
(Multicultural Awareness and Language Diversity)

4. बहु-सांस्कृतिक जागरुकता तथा भाषा विभिन्नता पर टिप्पणी लिखिए।
(Write a note on multicultural awareness and language diversity.)

अथवा

भाषा में सामाजिक-सांस्कृतिक भिन्नताओं से क्या अभिप्राय है? वर्णन करें।
(What do you mean by Socio-Cultural diversity in language? Discuss in detail.)

वैश्वीकरण या ग्लोबेलाइजेशन (Globalization) के इस दौर में इंटरनेट, अन्तःसांस्कृतिक सम्प्रेषण (Inter cultural communication) का महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया है। व्यक्तियों की एक देश से दूसरे देश तथा एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक यात्रा करने की संभावनाएं भी हर रोज बढ़ रही हैं। विद्यार्थियों की विदेशों में अपनी इन्टर्नशिप (Internship) करने के लिए सिफारिश (Recommended) की जाती

CIMETRIX

है तथा बड़े उद्योग तब तक जिन्दा नहीं रहेंगे जब तक वे अपने उत्पादनों को विदेशी बाजार में नहीं उतारते या विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग नहीं करते। ताकि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों की स्थापना की जा सके। इसलिए कम से कम एक विदेशी भाषा का ज्ञान किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक कौशल माना जा रहा है। लेकिन मातृ भाषा (Native Language) के किसी एक शब्द को भी विदेशी भाषा में भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वालों के लिए कर लेना समस्या-रहित वार्तालाप की गारन्टी नहीं हो सकता।

इस बात के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है कि दूसरी संस्कृति में भाषा का प्रयोग कैसे करना है तथा सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट सम्प्रेषण पद्धतियों (Patterns of Communication) को जानना भी आवश्यक है।

सफल और सहज वार्तालाप (Smooth Conversation) के लिए बोली जाने वाली और न बोली जाने भाषा की सही तरीके से व्याख्या करने की योग्यता और साथ में भाषा का अच्छा ज्ञान अति-आवश्यक होता है। अतः संस्कृतियों में वाणी में (Speech) उन अन्तरों को ढूंढना बहुत ही आवश्यक है जिनसे सम्प्रेषण में कोई दोष (Communicative Breakdown) आ जाता है। सांस्कृतिक अन्तरों को जानने के लिए 'संस्कृति' शब्द की परिभाषा को जानना या चुनना अति आवश्यक है, क्योंकि 'संस्कृति' की सैकड़ों परिभाषाएं हैं।

संस्कृति का अर्थ *(Meaning of Culture)*

मूल रूप से सभी मानवों की जैविकी विशेषताएं (Biological Characteristics) एक जैसी होती हैं। हर व्यक्ति में नींद (sleep), खाने (Eat), चलने (Move) आदि की योग्यता होती है। लेकिन समाजीकरण प्रक्रिया के दौरान हम चिन्तन करने, महसूस करने (Feeling) तथा वातावरण के साथ क्रिया करने के बारे में विभिन्न पद्धतियों (Patterns) को सीखते हैं। ऐसा हम अपने सम्बन्धियों, पड़ोसियों, मित्रों तथा स्कूल इत्यादि से सीखते हैं। विशेषकर अपने बाल्यकाल में हम इन पद्धतियों (Patterns) को अर्जित कर लेते हैं और हम जितने बड़े या प्रौढ़ होते जाते हैं उतनी ही ये पद्धतियां मजबूत होती जाती हैं। हाफस्टेड (Hofstede) ने इन पद्धतियों (Patterns) को 'मानसिक-कार्यक्रम' (Mental Programs) या 'मन का सॉफ्टवेयर' (Software of the Mind) कहा है। उसने मानव द्वारा इन पद्धतियों (Patterns) को अर्जित करने की तुलना कम्प्यूटर के कार्यक्रम से की है।

निःसन्देह एक ही संस्कृति के सभी सदस्य हमेशा ही एक ही प्रकार से क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं एक समान तरीके से नहीं करते और उनकी प्रतिक्रियाओं का उनकी वैयक्तिक व्यक्तित्वों के कारण, अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। परंतु उनकी सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि उन्हें समझाने में सहायता देती है और कुछ सीमा तक उनकी प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाने में सहायक होती हैं।

हॉल (Hall) ने संस्कृति को 'व्यवहार के लिए बंटित कार्यक्रम या अभिक्रम' (A Shared programme for behaviour) कहा है तथा इसकी तुलना उसने एक बहुत बड़े कम्प्यूटर के साथ की है। एक बार यह मालूम हो जाये कि यह प्रणाली कैसे कार्य करती है, तब व्यक्ति अपने वातावरण को कुछ सीमा तक नियंत्रित कर सकता है। अतः वातावरण या पर्यावरण के साथ अन्तर्क्रिया करना संभव होता है अर्थात् उन लोगों के साथ जिनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक जैसी होती हैं।

होफ्स्टेडिस (Hofstedes) ने संस्कृति-2 का सम्प्रत्यय दिया है। उसके अनुसार, "यह मन की संयुक्त योजना है जो एक समूह के या वर्ग के सदस्यों को दूसरे समूह या वर्ग के सदस्यों से भिन्न करती है।" ("It is the collective planning of the mind which distinguishes the members of one group on category of people from another."**–Hofstedes**)

संस्कृति का सम्प्रत्यय एक संस्कृति के सम्प्रत्यय-दो से भिन्न है। संस्कृति का सम्प्रत्यय-एक संस्कृति को मन के प्रशिक्षण या शुद्धिकरण के रूप में अर्थात् सभ्यता के रूप में मानता है। (It describes 'culture' as the training or refinement of the mind; civilisation.**–Culture one**)

सांस्कृतिक भिन्नता *(Cultural Diversity)*

दो संस्कृतियों में विभेदीकरण के लिए हमें शाब्दिक सम्प्रेषण शैली (Verbal Communication style) पर ध्यान देना होगा। लेकिन इससे पहले हमें सांस्कृतिक-भिन्नता के विभिन्न पक्षों को समझना पड़ेगा। ये पक्ष या विभाएं या आयाम (Dimensions) निम्नलिखित हैं जिनके आधार पर हम सांस्कृतिक-भिन्नताओं का अध्ययन कर सकते हैं–

1. वैयक्तिवाद बनाम संयुक्तवाद (Individualism Vs Collectivism) : यह सांस्कृतिक-भिन्नता का मुख्य पक्ष या आयाम है। संयुक्तवाद के अन्तर्गत व्यक्ति ऐसे समूह में रहता है जहां पर समूह की रुचियों व्यक्ति की रुचियों पर हावी होती है। लोग स्वयं को विशिष्ट समूह का हिस्सा समझते हैं। इसे 'हम' समूह या इन-समूह ('In' -Group) कहा गया है। इस समूह के सदस्य परिवार के प्रथम सदस्य (First Members) होते हैं लेकिन वैयक्तिक संस्कृति (Individualistic Culture) में 'I' प्रमुख होता है। वैयक्तिक लक्ष्य अधिक महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं जिसे प्राप्त करने के लिए In-Group से सम्बन्ध तोड़ा जाता है।

2. निम्न बनाम उच्च संदर्भ सम्प्रेषण (Low Vs High Context Communication) : उच्च संदर्भ के सम्प्रेषण वाली संस्कृतियों में सदस्य जो सन्देशा भेजते हैं वे संकेतीकृत (Coded) होते हैं। भेजने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। लेकिन निम्न-संदर्भीय सम्प्रेषण (Low Context Communication) साधारण होता है। जो कुछ कहा जाना चाहिए वह कहा जाता है। (What must be said, will be said.)

उच्च संदर्भीय सम्प्रेषण का प्रयोग संयुक्तवादी संस्कृतियों में होता है तथा वैयक्तिवादी संस्कृतियों में निम्न संदर्भीय सम्प्रेषण का प्रयोग होता है। (High-Context cummunication is used in collectivistic cultures, whereas members of individualistic cultures use low context communication.)

GIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

3. अनिश्चितता की अनदेखी (Uncertainity Avoidance) : इससे अभिप्राय है कि किसी संस्कृति के सदस्य किस सीमा तक अन्जान या अनिश्चित परिस्थितियों से खतरा महसूस करते हैं। (The extent to which the members of a culture feel threatened by uncertain or unknown situations.) इनके भी उच्च और निम्न पक्ष हैं। उच्च अनिश्चिता (High uncertainity Avoidance) वाले लोगों संवेगात्मक भावनाएं, उग्रवादिता (Aggressive Behaviour) तथा प्रतिस्पर्धा की भावना (Competition) अधिक होता है। इनमें आम-सहमति (Consensus) की भावना अधिक होती है।

दूसरी ओर, निम्न अनिश्चिता (Low Uncertainty Avoidance) वाले लोग अनिश्चितता को जीवन की एक सामान्य विशेषता के रूप में लेते हैं। इनमें चिन्ता के निम्न स्तर होते हैं, वे अस्पष्टता को स्वीकार करते हैं तथा प्रतिबल (Stress) का स्तर भी इनमें निम्न होता है।

4. शक्ति अन्तर या दूरी (Power Distance) : शक्ति अन्तर या दूरी वह सीमा है जहां तक किसी देश के भीतर की कम शक्तिशाली संस्थाओं का संगठन के सदस्य यह अपेक्षा करते हैं और स्वीकार करते हैं कि शक्ति का विभाजन असमान है। (Power distance in the extent to which less powerful members of institutions and organisations within a country expect and accept that power is distributed unequally.)

शक्ति-अन्तर या दूरी उस सीमा का वर्णन भी करती है जहां तक कर्मचारी यह स्वीकार करते हैं कि उनसे वरिष्ठ लोगों की शक्ति अधिक है। यह धारणा उच्च पदों वालों के लिए ठीक है। उच्च शक्ति-अन्तर वाले देशों के कर्मचारी अपने अफसरों से असहमति पर बहुत डरते हैं।

उपरोक्त पक्षों को विभिन्न शाब्दिक सम्प्रेषणशैलियों का वर्णन करते समय ध्यान में रखना अनिवार्य है।

शाब्दिक-सम्प्रेषण शैलियां *(Verbal Communication Styles)*

1. प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष शैली (Direct Vs Indirect Style) : प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष शैली का सम्बन्ध व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं आदि की अभिव्यक्ति से है। वैयक्तिवादी लोग (Individualistic Members) प्रत्यक्ष शैली का प्रयोग करते हैं। इसमें स्पष्ट और सीधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। संयुक्तवादी (Collectivistic) सदस्य अप्रत्यक्ष शाब्दिक शैली (Indirect Verbal Style) का प्रयोग करते हैं तथा वे अपने सन्देश को सम्प्रेषित करनें के लिए अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं।

2. विस्तृत बनाम उपयुक्तता बनाम सारगर्भित (Elaborate Vs Exacting Vs Succinct) : ये तीनों शैली-भिन्नताएं प्रतिदिन की वार्तालापों की मात्रा का वर्णन करती हैं। व्यापक या विस्तृत शैली (Elaborate Style) में संवृद्ध और अभिव्यक्तिपूर्ण भाषा (Rich & Expressive) का प्रयोग होता है जिसमें कई विशेषणों (Adjectives) का प्रयोग होता है जिसमें कई विशेषणों का उपयोग किया जाता है तथा कई संज्ञाओं (Nouns), मुहावरेदार अभिव्यक्तियों, लोकोक्तियों आदि का इस्तेमाल भी होता है। ऐसी शैली का उपयोग अधिकतर मिडल-ईस्ट जैसे–ईरान, मिस्र (Egypt) और सऊदी अरब (Saudi Arabia) में होता है। यह शैली प्रायः उच्च-संदर्भीय संस्कृतियों में प्रयुक्त होती है।

उपयुक्तता शैली (Exacting Style) का प्रयोग निम्न संदर्भीय संस्कृतियों (Low-Context Cultures) में होता है। ये मुख्यतः नार्थ अमेरिकन और नार्थ यूरोपीयन संस्कृतियाँ हैं। इनके अनुसार किसी सन्देश को सम्प्रेषित करने के लिए न तो कम और न ही अधिक सूचना की आवश्यकता होती है।

सारगर्भित शैली (Succinct Style) का सम्बन्ध छोटे कथनों (Understatements), मौन और विराम (Pause) से होता है। इस प्रकार की शैली का प्रयोग उच्च-अनिश्चितता परिहार (High Uncertainty Avoidance) और उच्च संदर्भीय संस्कृतियों (High-Text-Cultures) में होता है।

3. व्यक्तिगत बनाम संदर्भित शैली (Personal Vs Contextual Style) : मूल्यों (Values) के बारे विभिन्न संस्कृतियों की भिन्न-भिन्न अवधारणायें (Assumptions) हैं। यह वास्तविकता उनके बोलने की शैली में भी प्रतिबिम्बित (Reflect) होती है। वैयक्तिवादी सदस्य (Individualistic) तथा निम्न संदर्भ की संस्कृति के लोग वैयक्तिक रूप से एक समान होते हैं। यह बात उनकी भाषा में दिखाई पड़ती है। उत्तरी अमेरिका के लोग प्रथम नाम से और प्रत्यक्ष या सीधा सम्बोधन करना पसंद करते हैं। उपाधियां आदि के प्रयोग से वह बचते (Avoid) है। वे भाषा में एक समानता लाने, आपसी सम्बन्धों में समानता लाने के लिए चौकस रहते हैं।

विभिन्न भाषा शैलियों (Language Styles) के प्रयोग के लिए आयु का अन्तर, स्थिति (Status) और लिंग (Sex) आदि कोई कारण नहीं होते इसलिए वे अपनी वाणी (Speech) में व्यक्तिगत शैली का प्रयोग करते हैं तथा बोलने और सुनने वाले एक समान भाषा पद्धति का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति-केन्द्रित भाषा अनौपचारिकता पर बल देती है।

दूसरी ओर, संयुक्तवादी, उच्च संदर्भीय संस्कृतियों के सदस्यों को वार्तालापों (Conversations) में कुछ भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। उदाहरणार्थ, कोरियन भाषा में विभिन्न लिंगों (Sexes) के लिए और भिन्न सामाजिक स्थितियों (Social Status) के लिए भिन्न शब्दावली (Vocabularies) होती है। वार्ताओं में उचित भाषा शैली का प्रयोग विद्वान लोगों का एक निश्चित संकेत होता है। जापानी भाषा में न केवल शब्दावली में भिन्नता होती है बल्कि व्याकरण (Grammar) में भी भिन्नता होती है। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त या सही शब्द चुनने में असफल रहता है तो यह उसका अपराध (offence) माना जाता है। जापानियों में कुछ औपचारिकताओं का होना आवश्यक होता है जबकि उत्तरी अमेरिका में लोग ऐसी स्थितियों में स्वयं को असहज महसूस करने लगते हैं। इसलिए वे शाब्दिक संदर्भिक शैली (Verbal Contextual Style) का प्रयोग करते हैं। जापानी भाषा स्थिति केन्द्रित भाषा (Status Oriented Language) होती है जो औपचारिकता पर बल देती है।

4. साधनात्मक बनाम प्रभावी शैली (Instrumental Vs Affective Style) : इसका सम्बन्ध वक्ता का श्रोता के प्रति दृष्टिकोण से होता है। साधनात्मक शैली शाब्दिक आदान-प्रदान में लक्ष्य-केन्द्रित होती है और प्रेषक केन्द्रित भाषा (Sender-oriented Language) का प्रयोग किया जाता है। इसमे वक्ता (Speaker) और श्रोता (Listener) में स्पष्ट रूप से विभेदीकरण किया जाता है। वक्ता सूचना, विचार या मत का प्रसारण (Transmits) करता है जबकि श्रोता सन्देश को प्राप्त करता है। किसी बहस की स्थिति में अपनी दलील द्वारा वक्ता श्रोता को मनाने का प्रयास करता है। यह कार्य वह क़दम-दर-कदम करता है और स्वयं को परिवर्तन का एक ऐजैन्ट मानते हुए करता है। बेशक श्रोता उसे स्वीकार करने के लिए तैयार न भी हो और बेशक वह वक्ता के मत को स्वीकार न भी करे या बेशक उसका विरोध करे, तब भी वक्ता अपने लक्ष्य को अर्जित करने के लिए बोलता चला जायेगा।

साधनात्मक शैली वैयक्तिवादी, निम्न-संदर्भित संस्कृतियों में हावी होता है। वक्ता और श्रोता की भूमिका आपस में एक-दूसरे पर निर्भर करती है। वक्ता ने न केवल अपने संदेश को ही प्रसारित नहीं करना बल्कि वह दूसरों की भावनाओं पर भी ध्यान देता है। इसका अर्थ है कि वक्ता को श्रोता की प्रतिक्रियाओं के बारे में जागरूक होना आवश्यक है। उसे स्वयं को श्रोता के अनुसार समायोजित करना पड़ता है। इस दृष्टि से वक्ता एक ही समय पर प्रसारक (Transmitter) भी है और प्राप्तकर्ता (Receiver) भी है। दूसरी ओर श्रोता को भी वक्ता की स्थिति को तत्काल 'कैच' (Catch) करना होता है। श्रोता को यह जानना चाहिए कि 'क्या कहा गया है' और कैसे कहा गया है? दोनों को अपनी इन्टयूटिव सैन्स (Intuitive Sense) का प्रयोग करना आवश्यक है।

प्रभावी शैली (Affective Style) संयुक्तवादी और उच्च-संदर्भित संस्कृतियों में हावी (Dominant) होती है।

◆◆◆

2.3 भाषा और समाज का संबंध : पहचान, शक्ति और भेदभाव
(Relationship of Language and Society : Identity, Power and Discrimination)

5. भाषा और समाज के संबंधों की विवेचना कीजिए।
(Discuss the relationship of language and society.)

अथवा

भाषा किस प्रकार व्यक्ति और समुदाय की पहचान विकसित करती है?
(How does language develop the identity of a person and community?)

उत्तर–समाज और भाषा का संबंध लंबे समय से विद्वानों के लिए रुचि का विषय रहा है और आज भी है। समाज का निर्माण बहुत-सी सामाजिक गतिविधियों से हुआ है। ये गतिविधियाँ समाज में रहने वाले लोगों के मध्य होती हैं। कुछ गतिविधियाँ सामूहिक गतिविधियाँ होती हैं।

उदाहरण के लिए परिवार द्वारा भोजन करना, व्यापार की मीटिंग होना और राजनैतिक रैली होना। कुछ गतिविधियाँ व्यक्ति विशेष द्वारा की जाती हैं, जैसे–गली से चलते हुए जाना, कपड़े पहनना, पत्र लिखना और पुस्तक पढ़ना आदि। इन सभी सामाजिक गतिविधियों के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है।

भाषा और समाज का संबंध
(Relationship between Language and Society)

समाज और भाषा का संबंध निम्न आधार पर होता है। भाषा और समाज एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं–

1. सामाजिक संरचना भाषा को प्रभावित करती है (Language and Social Structure) : किसी भी समाज की संरचना उस समाज की भाषा को प्रभावित करती है। जिस भाषा को लोग बोलते हैं, जिन शब्दों का चुनाव वे करते हैं, वे सभी उन लोगों की नस्ल, उनके लिंग और उनके सामाजिक आर्थिक स्तर को प्रदर्शित करते हैं। भाषा के विभिन्न नियम भी सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होते हैं। समाज के विभिन्न वर्ग एक विशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मध्यमवर्ग की भाषा उच्च वर्ग से भिन्न होती है। निम्न वर्ग की भाषा दोनों से अलग होती है। इसी प्रकार कुछ नस्ल विशेष के लोगों की भाषा सामान्य समाज से भिन्न होती है।

2. भाषा सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है (Language influences social structure): जिस प्रकार सामाजिक संरचना भाषा को प्रभावित करती है उसी प्रकार भाषा भी सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है। कभी-कभी सामाजिक वर्गों का विभाजन भी भाषा के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था।

यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे आंतरिक भाषा संकाय को लेकर पैदा होते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे द्वारा विभिन्न भाषाएँ सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में सीखी जाती हैं। प्रत्येक बच्चा जानता है कि क्या कहना है, किसे कहना है और कहाँ कहना है। भाषाएँ विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार विभिन्न सामाजिक संदर्भों में बोली जाती हैं। मानव द्वारा बोली जाने वाली भाषा एक प्रणाली है जोकि ज्ञान और विचारों का सम्प्रेषण करने के काम आती है। भाषा का समाज से अलग कोई विकास नहीं हो सकता है और बिना समाज के भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। भाषा का विकास सांस्कृतिक धरोहर के रूप में होता है। भाषा को सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका विपरीत भी सत्य है। अर्थात् बिना भाषा के सामाजिक-सांस्कृतिक विकास भी संभव नहीं है। मानव समाज भाषा के बिना कार्य नहीं कर सकता क्योंकि भाषा विचारों के निर्माण, अभिव्यक्ति और सम्प्रेषण का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है। यह सम्प्रेषण का सार्वभौमिक उपकरण है। भाषा कभी भी स्थायी नहीं रहती है। यह हमेशा बदलती रहने वाली एक प्रणाली है। भाषा को मानव अपने व्यवहार को व्यक्त करने के लिए बदलता रहता है।

भाषा और समाज (Language and Society) : भाषा एक बनावटी और संगठित विधि है जिसका प्रयोग विभिन्न अर्थों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अर्थों को समझाने की विधि जानवरों के पास भी है लेकिन उसे भाषा नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह संगठित नहीं है।

भाषा और पहचान *(Language and Identity)*

दृष्टिकोण और अभिप्रेरणाएँ कभी भी खाली स्थान में विकसित नहीं हो सकते। एक व्यक्ति जो किसी समूह में रहता है वह उसी समूह के अनुसार व्यवहार करने की कोशिश करता है क्योंकि वह उस समूह के साथ अपनी पहचान बनाना चाहता है। हमारे देश में अनेकों बार हम देखते हैं कि हमारी पहचान एक-दूसरे के साथ संघर्ष करती है। किसी अल्प संख्यक समुदाय में तो यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है।

पहचान का अर्थ (Meaning of Identity) : पहचान किसी भी व्यक्ति का वह गुण होता है जिसके आधार पर यह समझा जाता है कि वह किसी समूह से संबंध रखता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पहचान होती है जिसके आधार पर वह पहचाना जाता है। पहचान प्राप्त की जाती है। लोग इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। पहचान के लिए समानता आवश्यक है। जो चीजें एक समान होती हैं उनकी एक ही पहचान होती है।

परिभाषा (Social Identity) : ताजफेल (Tajfel) के अनुसार, "सामाजिक पहचान किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्प्रत्यय का वह भाग होता है जोकि उसको उसके समूह की सदस्यता के ज्ञान के कारण पैदा होता है।" ("Social identity of an individual's self concept which derives from his knowledge of his membership in a social group.")

भाषा और सामाजिक पहचान (Language and Social Identity) : ऐसा प्रतीत होता है कि भाषा के दो कार्य हैं। भाषा सम्प्रेषण का एक माध्यम है लेकिन साथ ही साथ यह किसी व्यक्ति को पहचान भी देती है। किसी भी समूह की भाषा उस समुदाय के विशिष्ट चरित्र को अभिव्यक्त करती है। भाषा सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाती है। भाषा सामाजिक पहचान को उजागर करती है। यह सामाजिक समूहों को आपस में बांधती भी है और उनको बांटती भी है।

किसी भी व्यक्ति की मातृभाषा उस व्यक्ति की संस्कृति की पहचान होती है। दोनों ही जन्म से मिलती हैं और उनको नष्ट नहीं किया जा सकता। समकालीन भाषा के अधिगम और शिक्षण के सिद्धांतों के अनुसार अधिगमकर्ता की पहचान उसकी भाषा को सीखने के तरीकों को निर्धारित करती है और उसे यह समझने में सहायता करती है कि उसका बाहरी संसार के साथ क्या संबंध है और वह संबंध किस प्रकार समय के अनुसार विकसित हुआ है। उसकी पहचान यह भी निर्धारित करती है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा का भविष्य क्या है। भाषा को सीखने वाले की पहचान बदलाव का विषय (Subject to change) है। विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ किसी व्यक्ति द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में बोली जाने वाली, लिखी जाने वाली और पढ़ी जाने वाली भाषा को प्रभावित करती हैं।

जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की एक भाषा होती है उसी प्रकार एक समुदाय की भी भाषा होती है। समुदाय की भाषा उसके सदस्यों के विचारों, मूल्यों और दृष्टिकोणों को अभिव्यक्त करती है। लोगों का एक समूह जो किसी भाषा को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार साझा करता है वह भाषा समुदाय कहलाता है। भाषा समुदाय व्यक्ति की रुचियों और आवश्यकताओं के कारण निर्मित होते हैं, जैसे–खेल की टीम, स्कूल, क्लब आदि। भाषा समुदाय आयु वर्ग और लिंग के आधार पर भी निर्मित हो सकता है। भाषा समुदाय प्रायः भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भी निर्मित होते हैं। हमारी सामाजिक पहचान और समाज में हमारी भूमिकाएँ उस समूह या समुदाय के द्वारा निर्धारित होती हैं। जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो वह हमारी एक विशिष्ट पहचान का प्रतिनिधित्व करती है।

◆◆◆

6. भाषा और शक्ति के संबंधों का वर्णन कीजिए।
(Describe the relationship between language and power.)

अथवा

भाषा और शक्ति का क्या संबंध है?
(What is the relationship between language and power?)

अथवा

कोई भाषा किस प्रकार शक्ति का एक प्रतीक बन जाती है?
(How does a language become the symbol of power?)

अथवा

भाषा पर आधारित भेदभाव किस प्रकार पनपता है?
(How does discrimination based on language develop?)

उत्तर–भाषा और शक्ति (Language and Power)–सभी भाषाओं की प्रणालियाँ और उपप्रणालियाँ एक समान होती हैं। लेकिन जब भाषाओं की इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति के साथ जटिल अंतःक्रिया होती है तो कुछ भाषाएँ अन्य भाषाओं से अधिक शक्तिशाली बन जाती हैं। ये भाषाएँ अधिक सम्मानजनक हो जाती हैं और वे दूसरी भाषाओं से अधिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बन जाती हैं। जो भाषा अमीर और उच्च वर्गीय लोगों के द्वारा बोली जाती है वह भाषा

मानक भाषा बन जाती है। व्याकरण, शब्दकोष व अन्य सभी संदर्भ पुस्तकें उसी भाषा के अनुसार बन जाती हैं। लेकिन भाषा विज्ञान के अनुसार कोई भी भाषा अच्छी या बुरी नहीं होती। जो लोग शक्तिशाली होते हैं वे अपनी भाषा को दूसरों से महान समझते हैं। जिस प्रकार रंग, धर्म और नस्ल के आधार पर पूर्वधारणाएँ (Prejudices) होती हैं उसी प्रकार भाषा के आधार पर भी पूर्वधारणाएँ पाई जाती हैं।

सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव के कारण ही लोग राष्ट्रीय और ऑफिसीयल भाषा का निर्णय करते हैं। इसी आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि कौन-सी भाषा प्रशासनिक भाषा होगी, कौन-सी भाषा शिक्षा की भाषा होगी और कौन-सी भाषा न्याय प्रणाली की भाषा होगी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य भाषाओं का कोई महत्त्व नहीं है।

दूसरी भाषाएँ भी वही सब कुछ कर सकती हैं जो कोई एक राष्ट्रीय भाषा कर सकती हैं। सभी भाषाओं में अनुसंधान किए जा सकते हैं, जैसे—मानविकी, समाज विज्ञान और भौतिक विज्ञानों में अनुसंधान किसी भी भाषा में किए जा सकते हैं। अल्पसंख्यकों की भाषा कभी भी शक्तिशाली नहीं बन पाएगी यदि हम उस भाषा को विभिन्न संदर्भों में प्रयोग नहीं करेंगे।

यह याद रखना भी महत्त्वपूर्ण है कि मानक भाषा हमेशा एक समान नहीं रहती। वह भी बदलती रहती है। भाषा की शक्तियाँ अपनी धुरी को बदलती रहती हैं, जैसे पूना में बोली जाने वाली मराठी मुम्बई की भाषा बन गई है और गैर ब्राह्मणों द्वारा बोली जाने वाली तमिल ब्राह्मणों के द्वारा बोली जाने वाली तमिल बन गई है। यदि हम सूफी काव्य, 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता के संघर्ष और भारत में नए राज्यों के निर्माण और दलित साहित्य पर प्रकाश डालें तो विभिन्न प्रकार की भाषाएँ सुनाई देती हैं।

भाषा पर आधारित भेदभाव
(Language and Discrimination)

1. भाषा और लिंग (Language and Gender) : लिंग का विषय पूरी मानवीयता से है न कि आधी। भाषा में अनेकों ऐसे तत्त्व विकसित हो गए हैं जिनके कारण लिंग में विभिन्नता नजर आती है। कुछ अनुसंधानों ने भाषा और लिंग के संबंधों पर प्रकाश डाला है। औरत और पुरुष के बीच बातचीत से यह पता लगता है कि पुरुष महिलाओं पर अपने विचारों को थोपने के लिए भिन्न प्रकार की भाषायी योजनाएँ बनाते हैं। बहुत से भाषा विद्वानों ने महिलाओं की भाषा को निम्न दर्जे की माना है। इस प्रकार भाषा के आधार पर भेदभाव दिखाई देता है। इसलिए स्कूल की पुस्तकों में लिंग के आधार पर भाषाई भेदभाव को जितना जल्दी हो सके, समाप्त करने की आवश्यकता है।

2. भाषा और अल्पसंख्यक (Language and Minority) : अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और आदिवासी लोगों की भाषा को हमेशा अनदेखा किया जाता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत की अंग्रेजी सहित अन्य भाषाएँ केवल इन भाषाओं के सहयोग से ही पनप सकती हैं और इनके बिना इनका कोई वजूद नहीं है। यह एक तथ्य है कि किसी एक भाषा का विकास दूसरी भाषा के विकास में सहायक है। हमारे देश में भाषा के आधार पर बहुत अधिक भेदभाव किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत के कुछ लोग अंग्रेजी भाषा से घृणा करते हैं। वे इसे गुलामी का प्रतीक मानते है। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है इसके लिए नफरत होना समझ में आता है। लेकिन भारतीय भाषाओं में भी यही स्थिति है। उदाहरण के लिए मुम्बई में उत्तर भारतीय लोगों को भाषा के आधार पर हिंसा का शिकार बनाया जाता है। भारत में भाषा के आधार पर बहुत अधिक भेदभाव देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए हरियाणवी बोलने वाले लोगों को दिल्ली में कम पढ़ा लिखा माना जाता है। जबकि तथ्य इसके विपरीत हैं।

◆◆◆

2.4 संसाधन तथा व्यूह रचना के रूप में बहुभाषावाद
(Multilingualism as a Resource and a Strategy)

7. एक संसाधन तथा व्यूह रचना के रूप में बहुभाषावाद का वर्णन कीजिए।
(Describe multilingualism as a resource and a strategy.)

अथवा

द्विभाषी या बहुभाषी बच्चों के बारे में आप क्या समझते हैं? बहुभाषी कक्ष तथा अध्यापक लिए इसके महत्त्व का वर्णन कीजिए।
(What do you know about bilingual or multilingual children? Describe multilingual classroom and its implications for teachers.)

अथवा

बहुभाषी कक्षा से आपका क्या तात्पर्य है? एक अध्यापक के लिए बहुभाषी कक्षा के कौन-से शैक्षिक निहितार्थ (महत्त्व) हैं?
(What do you mean by multilingual classroom? What are the educational implications of multilingual classroom for a teacher?)

उत्तर–प्रत्येक बालक में भाषा को प्राप्त करने की शक्ति जन्म से ही प्राप्त होती है। चोम्सकी के अनुसार बालक में एक आंतरिक जैविक शक्ति होती है जिसे उन्होंने 'सिद्धांत और मानक' कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है जिसमें 'सिद्धांत' सामान्य गुण होते हैं जबकि 'मानक' वे चर हैं जिनका संबंध भाषा में पाई जाने वाली विविधिता से है। व्याकरण विभिन्न विकल्पों का एक संग्रह है जैसे हमें 'कर्ता+कर्म+क्रिया' या 'कर्ता+क्रिया+कर्म' के बीच चुनाव करना होता है। जब एक बालक के सामने ये मानक प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसकी आंतरिक शक्तियाँ गतिमान हो जाती हैं और जब वह उस भाषा का प्रयोग सम्प्रेषण के लिए करता है तो उसे उस भाषा के नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है। जब बालक के सामने दो भाषाओं को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है और बालक उन दोनों भाषाओं को सीख लेता है तो उस बालक को द्विभाषी कहा जाता है। जब एक बालक के सामने एक से अधिक भाषाएँ प्रस्तुत की जाती हैं तो वह उन सभी भाषाओं को सीख लेता है और उस बालक को बहुभाषी कहते हैं। बहुभाषिता और विभिन्नता मानव अस्तित्व का एक भाग हैं। भाषा को प्राप्त करने की शक्ति आंतरिक होती है। प्रत्येक बालक में यह शक्ति जन्म के समय से प्राप्त होती है। लेकिन जब वह अन्य लोगों के सम्पर्क में आता है और उनके साथ अंतःक्रिया करता है तो उसमें बहुभाषिता और भाषा की विभिन्नता के गुण विकसित हो जाते हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार पंजाबी लोगों के सम्पर्क में आने पर पंजाबी भाषा बोलने लग जाते हैं और राजस्थानी भाषा बोलने वाले लोगों के सम्पर्क में आने पर राजस्थानी भाषा बोलने लग जाते हैं। लोग अपने भोजन, कपड़ों, विवाहों आदि के रिवाजों को अपनी पहचान के रूप में जीवित रखते हैं। इसी प्रकार वे अपनी बहुभाषिता को अपनी भाषायी पहचान के रूप में जीवित रखते हैं। जिस प्रकार जैव विभिन्नता किसी जंगल को उन्नत बनाती है, उसी प्रकार भाषायी विभिन्नता भी किसी व्यक्ति या समुदाय की बौद्धिक शक्तियों को बढ़ाती है। भाषायी पहचान बहुत ही आधार भूत पहचान होती है क्योंकि अन्य पहचान भाषाई पहचान के माध्यम से ही दिखाई देती हैं।

भारत विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है। इसकी एकता एक-दूसरे की भाषा और संस्कृति का सम्मान करके ही प्राप्त की जा सकती है। एक-दूसरे की भाषाओं का सम्मान केवल ज्ञान के द्वारा ही संभव है। अज्ञानता घृणा को जन्म देती है। इसीलिए भारत में आज तक नागरिकों की एक राष्ट्रीय पहचान नहीं बन पायी है। भारत के प्रत्येक राज्य की एक अलग भाषा है। इसलिए भाषा के आधार पर बहुत से मतभेद पाए जाते हैं। कोई भी नागरिक अपनी भाषा को कम सम्मानजनक नहीं समझता जबकि वह दूसरों की भाषा

CIMETRIX

का सम्मान नहीं करना चाहता। इसलिए पूरे देश में विचारों के स्वतंत्र आदान-प्रदान का अभाव मिलता है। इसके कारण सृजनात्मकता, तकनीकी और आधुनिकीकरण के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुभाषिता, संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक उपलब्धियों में एक सकारात्मक सह संबंध (Correlation) है। इसलिए भारत में बहुभाषिता का और अधिक विकास करने की आवश्यकता है।

बहुभाषी बच्चों का अध्यापक के लिए महत्त्व

विभिन्न भाषाओं को व्याकरण के माध्यम से पढ़ाया जाता है। क्या व्याकरण के नियमों को पढ़ाकर ही बच्चों को भाषा का ज्ञान कराया जा सकता है? एक प्रचलित अवधारणा यह है कि भाषा गतिविधि पर आधारित है। इसे गतिविधि के माध्यम से ही पढ़ाया जा सकता है। इससे अभिप्राय है कि भाषा को सीखाने के लिए इसका अधिक से अधिक प्रयोग करवाया जाना चाहिए।

भारत में अनेकों भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। सभी भाषाएँ और बोलियाँ अपने आप में महत्त्वपूर्ण हैं। भारतीय कक्षाओं में बहुभाषिता विद्यमान रहती है। लेकिन यह एक समस्या कभी नहीं समझनी चाहिए। इसे एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए निम्न प्रकार से बहुभाषिता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप दिल्ली के किसी स्कूल में भाषा शिक्षण कर रहे हैं। वहां पर आपको बंगाली, पंजाबी, तमिल, गढ़वाली, और ऐसे ही अनेकों भाषाओं को बोलने वाले बालक मिल जाएँगे। इसके अलावा हिन्दी भाषी विद्यार्थी भी अवश्य मिलेंगे। यदि हम बच्चों को एकवचन से बहुवचन बनना सिखाना चाहते हैं तो निम्न प्रक्रिया अपनाएंगे :

(क) अंग्रेजी के कुछ शब्दों की सूची ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे।

(ख) प्रत्येक बच्चे को उसकी भाषा का शब्द अंग्रेजी भाषा के अर्थ के रूप में लिखने के लिए कहेंगे।

अंग्रेजी	हिन्दी	मलयालम	असमी	बंगला
cap: caps dog : dogs	टोपी : टोपियाँ कुत्ता : कुत्ते	tappi : tappigal patti : pattigal	tupi : tupibore kukur : kukurbore	tupi : tupiguli kukur : kukurguli

इस प्रकार विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले बच्चे अन्य भाषाओं के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे देश की कक्षाओं में बहुभाषिता एक समस्या है। यह एक संसाधन है जिसका प्रयोग हम विभिन्न भाषाओं को सिखाने के लिए कर सकते हैं।

बहुभाषी भारत में भाषा और शिक्षा (Language and Education in Multilingual India)–भारतीय संविधान में मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। भारत में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1938 में यह सुझाव दिया था कि बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया था कि अल्पसंख्यकों की भाषा की रक्षा करना भी अत्यंत आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का सुझाव तो दे दिया गया लेकिन बहुभाषी समाज में एक ही भाषा में शिक्षा देना किस प्रकार से संभव होगा यह समाधान नहीं किया गया। एक बहुभाषी समाज में बहुभाषी भाषाएँ बोली जाती हैं ऐसे में तीन भाषाओं का फार्मूला भी पर्याप्त नहीं था। भारत के स्कूलों में सामान्यतः बहुभाषी बच्चे मिलते हैं। यदि हम कक्षा पाठ्यक्रम, सिलेबस, पाठ्यपुस्तकें और अनुदेशन प्रणाली को बहुभाषी संसाधनों के द्वारा तैयार नहीं करते हैं तो इससे अभिप्राय है कि हम विभिन्न बच्चों की व्यक्तिगत भाषाओं की अवहेलना कर रहे हैं। यदि उसकी भाषा की अवहेलना होती है तो उसकी भाषा का ज्ञान उससे वंचित हो जाता है। केवल यह प्रावधान करना कि स्कूल प्रत्येक बालक को तीन भाषाओं का ज्ञान करायेगा काफी नहीं है। इससे स्पष्ट तौर पर इस देश की भाषाओं और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रूप से संभाल कर नहीं रखा जा सकता।

तीन भाषाओं का फार्मूला (Formula of Three languages)–सन् 1961 में भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई जिसमें तीन भाषाओं का फार्मूला अपनाया गया जिसको कोठारी कमीशन ने भी आगे बढ़ाया। ये तीन भाषाएँ थीं–हिन्दी, अंग्रेजी और राज्य की क्षेत्रीय भाषा। इसका उद्देश्य नागरिकों की मातृभाषा के संदर्भ में पहचान कायम रखना, हिन्दी को बढ़ावा देना ताकि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले और अंग्रेजी के माध्यम से प्रशासनिक योग्यता और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिल सके। **पटनायक** (1986) के अनुसार, तीन भाषाओं का फार्मूला केवल एक योजना थी और कोई राष्ट्रीय भाषा की नीति नहीं थी। एक राष्ट्रीय भाषा का मुख्य कार्य होता है कि वह सतत रूप से नागरिकों की पहचान को कायम करने का कार्य करती है। लेकिन तीन भाषाओं का फार्मूला ऐसा करने में असक्षम रहा है। नीति निर्धारकों को विभिन्न भाषाओं के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले प्रयोग को निरीक्षण करना होगा। तीन भाषाओं के फार्मूले मूल भावना यह है कि अंग्रेजी भाषा के अलावा हिन्दी भाषा को स्कूलों में पढ़ाया जाए और इसके अलावा दक्षिण भारत और उत्तर-पूर्व के राज्यों में स्थानीय भाषाओं को भी पढ़ाया जाए। लेकिन तीन भाषाओं का यह फार्मूला हमेशा ही नहीं अपनाया जाता है। हिन्दी भाषी राज्यों में मुख्य रूप से हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं। दूसरी ओर अहिन्दी भाषी राज्यों में उस राज्य की भाषा और अंग्रेजी पढ़ाई जाती हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में तमिल और अंग्रेजी भाषा ही पढ़ाई जाती है। कुछ राज्यों ने यह फार्मूला अपनाया भी गया है। उनमें मुख्य हैं–उड़ीसा, प. बंगाल और महाराष्ट्र। भारत में स्कूलों में आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। भाषा शिक्षा का आधार बहुभाषी ढांचा नहीं है। बहुत से बच्चे स्कूलों को बिना किसी भाषा के ज्ञान के ही छोड़ कर चले जाते हैं। उनकी भाषा की योग्यता विकसित नहीं हो पाती इसलिए वे अन्य विषयों में जैसे–सामाजिक, विज्ञान, और गणित जैसे विषयों में भी पिछड़ जाते हैं। आज जो समझ हमें भारत की बहुभाषी प्रकृति की है वह समझ उस समय नहीं थी जब संविधान सभा में भाषा की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श चल रहा था और इस समझ के अभाव में नीतियों का निर्धारण किया गया।

एनसीईआरटी की भाषा संबंधी नीति (Language Policies of NCERT)–राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यापक बदलाव किया है। भाषा के संबंध में परिषद् के सामने बहुभाषी पाठ्यक्रम की चुनौती थी। स्कूल स्तर पर भाषा संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए कदम उठाए हैं। भाषा संबंधी सवैधानिक प्रावधानों व तीन भाषाओं के फार्मूले से उत्पन्न हुए भेदभावों को पाटने की कोशिश की गई है। इसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं जिनसे स्कूल स्तर पर बच्चों की भाषा संबंधी योग्यता में विकास होगा।

इससे पहले के भाषा को सीखने के उपागम में सभी पाठ्यपुस्तकों को निम्नतम अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए लिखा गया था। उद्देश्यों को रेखीय रूप में परिभाषित किया गया था अर्थात् ध्वनियों को सुनना, शब्दों को सुनना आदि। इस प्रकार के पाठों से केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के कौशलों का ही विकास होता था। प्रत्येक कौशल को पाठ के ऊपर लिखा जाता था। इसका आधार मनोविज्ञान का उद्दीपक-प्रतिक्रिया (S-R) सिद्धांत था। इसकी कार्यप्रणाली एक रेखीय थी। अधिगमकर्ता के लिए कल्पना का कोई स्थान नहीं था। इसलिए सम्पूर्ण अधिगम संभव नहीं था।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने (NCERT) ने प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण से संबंधित निम्न सुझाव दिए हैं–

1. बहुभाषिता एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है। यह एक सम्पत्ति है। कक्षा में बहुभाषी बच्चों का होना कोई समस्या नहीं है। इसे एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए व इसके माध्यम से एक उचित शिक्षण योजना का निर्माण किया जाना चाहिए।
2. बहुभाषिता और संज्ञात्मक विकास, अपसारी चिंतन, शैक्षिक उपलब्धियों व सामाजिक सहिष्णुता के मध्य एक सकारात्मक सहसंबंध (Positive Correlation) होना चाहिए।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

3. बच्चों को विभिन्न भाषाओं के बारे में गहन ज्ञान दिया जाना चाहिए न कि निम्नतम स्तर का ज्ञान। जिस भाषा में विषयवस्तु को पढ़ाया जाता है उस भाषा पर पूरा अधिकार होने के बाद ही किसी विषय का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
4. बच्चों की मातृभाषा को कक्षाओं में शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का न केवल माध्यम बनाया जाए बल्कि उसे विषयवस्तु में भी शामिल किया जाए।
5. कक्षा में भाषा शिक्षण इस प्रकार होना चाहिए कि भाषा का बच्चों के विचारों, लिंग तथा सामाजिक शक्ति के बीच संबंध स्थापित हो।
6. कक्षा में प्रत्येक बच्चे की भाषा का आदर किया जाना चाहिए।
7. मातृभाषाओं को घर, पड़ोस, मित्र मंडली, विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए।
8. हिन्दी ऑफिसियल व अंतर्राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। अंग्रेजी सहयोगी ऑफिसियल व अंतर्राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए।
9. झिंगरान (2005) के अनुसार भारत में 12 प्रतिशत बच्चे केवल इसलिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि प्राथमिक स्तर पर उनकी भाषा में उन्हें नहीं पढ़ाया जाता। इन बच्चों में आदिवासी, शरणार्थी बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा वो बच्चे भी शिक्षा से वंचित रहते हैं जिनकी भाषा सिंधी, कश्मीरी, डोगरी और कोंकणी है। इसलिए सबसे पहला कार्य यह है कि स्कूल की भाषा घर में बोले जाने वाली भाषा होनी चाहिए।
10. बच्चों की मातृभाषा या क्षेत्रिय भाषाओं की आवश्यक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए एक या से अधिक भाषाओं को पाठ्यक्रम संयुक्त किया जाना चाहिए ताकि बच्चे अपनी मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषाओं को भी सीख सकें। केवल इसी के माध्यम से ही कुछ तेजी से लुप्त हो रही स्थानीय ज्ञान प्रणालियों को बचाया जा सकेगा। स्कूली शिक्षा के मीडिल और उच्च स्तर पर शिक्षा की भाषा में धीरे-धीरे बदलाव किया जा सकता है।
11. अंग्रेजी भाषा के शिक्षण को बहुभाषी कक्षा में शिक्षण में संयुक्त किया जाना चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर अंग्रेजी में बातचीत पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए आवश्यक दृश्य-श्रव्य संसाधनों की आवश्यकता है।

◆◆◆

3

कक्षाकक्ष में भाषा संवाद
[Language Discourse in the Classroom]

3.1 सामान्य कक्षाकक्ष भाषा
(General Classroom Language)

1. सामान्य कक्षाकक्ष भाषा का वर्णन कीजिए।
(Describe general classroom language.)

उत्तर–सामान्य कक्षाकक्ष भाषा वह भाषा होती है जो कक्षाकक्ष में सामान्य रूप से प्रयोग की जाती है। सामान्य कक्षा कक्ष भाषा का प्रयोग सभी विषयों के अध्यापकों द्वारा किया जाता है।

भाषा ही एकमात्र ऐसा विषय है जो स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में विद्यमान रहता है। किसी भी विद्यार्थी की किसी भी विषय में मास्टरी चाहे वह गणित हो, विज्ञान हो या सामाजिक हो, भाषा पर ही निर्भर है। जो विद्यार्थी भाषा में निपुण होते हैं वही दूसरे विषयों में भी निपुण पाए जाते हैं। भाषा की भूमिका तीन प्रकार के लोगों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है–

1. भाषा विशेषज्ञों के लिए अर्थात् भाषाविदों के लिए।
2. विद्यार्थियों के लिए जिनके लिए भाषा विचारों और अधिगम का माध्यम होती है।
3. शिक्षकों के लिए जिनके लिए भाषा कक्षा सम्प्रेषण का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।

शिक्षा में भाषा का प्रयोग एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ सम्प्रेषण के लिए करता है। भूतकाल में भाषा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ा जाता था। भाषा की संरचना, नियम, प्रणाली और विभिन्न कार्य भाषा की शिक्षा देने के लिए पढ़ाए जाते थे। भाषा के प्रयोग पर कोई ध्यान नहीं था। शिक्षक व्याकरण और उसके नियमों पर अधिक ध्यान देते थे न कि प्रयोग पर। यह माना जाता था कि भाषा की निपुणता ही सम्प्रेषण के लिए पर्याप्त थी। लेकिन इसमें सफलता हासिल नहीं होती थी क्योंकि विद्यार्थी भाषा में निपुण होते थे लेकिन वे सम्प्रेषण नहीं कर पाते थे। भाषा के बारे में ज्ञान होना और भाषा का प्रयोग करना दो भिन्न बाते हैं। इसी प्रकार भाषा का शिक्षण करना और भाषा का प्रयोग करना सिखाना दो भिन्न-भिन्न शिक्षाशास्त्रीय मुद्दे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में यह स्पष्ट है कि भाषा से अधिक उसके माध्यम से सम्प्रेषण अधिक महत्त्वपूर्ण है। भाषा का आधार सम्प्रेषण है क्योंकि सम्प्रेषण के माध्यम से ही भाषा का निर्माण होता है। भाषा के विकास का आधार सम्प्रेषण की आवश्यकता है। भाषा खाली स्थान में काम नहीं कर सकती। भाषा का अध्ययन एक स्वतंत्र संरचना के रूप नहीं किया जाता बल्कि विभिन्न सम्प्रेषणीय परिस्थितियों के उत्पाद के रूप में किया जाता है। (Language is studied not as a fixed monolithic structure but as a

CIMETRIX SKILLED INDIANS, SKILLED INDIA

cumulative product of the various communicative situations.) आधुनिक भाषा विज्ञान मानता है कि भाषा प्रणाली सम्प्रेषणीय परिस्थितियों से दूर रहकर कोई अस्तित्व नहीं रखती। भाषा का विज्ञान, व्यवहार, समाज, संस्कृति और शिक्षा के साथ जटिल संबंध है।

सामान्य कक्षा कक्ष में भाषा का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है–

1. शाब्दिक सम्प्रेषण (Verbal Communication)–हम सभी इस प्रकार के सम्प्रेषण का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के सम्प्रेषण में संदेश को भेजने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा लिखित या मौखिक रूप में हो सकती है। प्रारम्भिक बाल्यावस्था में बालक अपनी भाषा को सीखने के लिए मौखिक भाषा को सुनता है। इसके बाद वह बोलना शुरू करता है। कक्षा में शिक्षक को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि वह जो भाषा बोल रहा है, वह बच्चों के समझ में आनी चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा की बड़ी समस्या होती है, क्योंकि शिक्षक की भाषा स्थानीय बच्चों द्वारा सीखी गई मौखिक भाषा से भिन्न हो सकती है। शिक्षक को मौखिक भाषा का प्रयोग बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। उसकी आवाज स्पष्ट होनी चाहिए और उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। भाषा वही होनी चाहिए जिसे बालक प्रयोग करते हैं।

2. अशाब्दिक सम्प्रेषण (non-verbal communication)–अशाब्दिक सम्प्रेषण को मौन भाषा भी कहते हैं। इस प्रकार के सम्प्रेषण में शरीर के अंगों द्वारा संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जब हम शाब्दिक सम्प्रेषण करते हैं तो हम साथ ही साथ अपने शारीरिक अंगों जैसे हाथ, भौहें, चेहरे के हाव भाव आदि का प्रयोग करते हैं। लैसली के अनुसार हमारे सम्प्रेषण का 70 प्रतिशत भाग अशाब्दिक सम्प्रेषण ही है। अशाब्दिक सम्प्रेषण में निम्न का प्रयोग किया जा जाता है–

1. इशारा (Gesture)–छात्रों की अनुक्रियाओं के लिए हाँ या नहीं में सिर हिलाना और उनकी बातों पर बल देने के लिए हाथ से इशारा करना।

2. चेहरे के हाव भाव (Facial expression)–जब शिक्षक किसी छात्र की अनुक्रिया पर मुस्कुराता है तो छात्र समझ जाता है कि शिक्षक उसकी अनुक्रिया से प्रसन्न है। जब अध्यापक होठों को सिकुड़ता है तो छात्र समझ जाता है कि शिक्षक उनकी बात से असहमत है। कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति होती है, जिसे हम शब्दों में नहीं समझा सकते। ऐसी स्थिति में मूक भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे शिक्षक अपनी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझा सकता है। जिस स्थिति को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे चेहरे के हाव भावों से अभिव्यक्त किया जा सकता है। चेहरे के हाव भावों के सम्प्रेषण बहुत प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए–

1. व्यक्ति की मुस्कुराहट किसी रो रहे बच्चे को शांत कर देती है।
2. किसी समस्याग्रस्त छात्र के कंधे पर हाथ रखने से वह सुरक्षित महसूस करने लगता है।
3. जब कुछ परेशान करने वाली बात कहनी होती है, तो व्यक्ति थोड़ा खांसता है।

अशाब्दिक सम्प्रेषण एक अध्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके माध्यम से वह अपने छात्रों को बहुत सी सूचना दे सकता है। छात्र इस प्रकार के सम्प्रेषण को भली भांति समझ जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कहानी के कथन के दौरान शिक्षक अपनी बौंहों को सिकोड़ कर हैरानी या गुस्से की अभिव्यक्ति करके कहानी को और अधिक प्रभावी बना सकता है। चेहरे के हाव भाव बच्चों के संवेगों को उद्वेलित कर सकते हैं। एक अध्यापक को बच्चों द्वारा प्रदान की गई अशाब्दिक प्रतिपुष्टि को समझना भी सीखना चाहिए। कई बार छात्र इतने चतुर होते हैं कि वे अपने चेहरे के हाव भावों को छिपा लेते हैं। उदाहरण के लिए, कोई छात्र कोई बात समझ में न आने पर भी समझ में आने की हाँ भर लेता है। इसी प्रकार वह अपने विचलन को भी छिपा सकता है।

कक्षा में प्रभावी सम्प्रेषण करना

(Effective Communication in Classroom)

शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रभावी सम्प्रेषण का होना अनिवार्य है। एक अध्यापक को प्रभावी सम्प्रेषण के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है–

1. सम्मानजनक तरीके से सम्प्रेषण करना (Communicate respectfully)–सम्मान कक्षा में प्रभावशाली सम्प्रेषण का आधार है। शिक्षक और विद्यार्थी आपस में एक दूसरे का सम्मान निम्न प्रकार कर सकते हैं-

– बोलने में ऐसी लय का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि ईमानदार हो। उसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो संदर्भ के अनुकूल हों और जिनमें दिखावटीपन न हो।
– जब सुनना हो तो वक्ता की आँखों से आँखें मिलानी चाहिए।
– सुनकर बोलना चाहिए और वक्ता को कभी भी बीच में नहीं टोकना चाहिए।

जो अध्यापक अपने विद्यार्थियों के प्रति सम्मान करता है, उसका सम्मान छात्र भी करते हैं और उसका सम्प्रेषण प्रभावशाली होता है।

2. संदेश को विभिन्न प्रकार से दोहराना (Repeating the message in different ways)– कक्षा में प्रायः शाब्दिक सम्प्रेषण होता है। लेकिन सुनने का विद्यार्थियों पर बहुत कम प्रभाव होता है। सम्प्रेषण के प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि सम्प्रेषण विभिन्न माध्यमों से होना चाहिए। जब शिक्षक किसी अवधारणा को स्पष्ट करना चाहता है तो उसे दृश्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम व्यवहार के नियमों की चर्चा कर रहे हैं तो इसके लिए विद्यार्थियों को दिखाने के लिए चार्ट तैयार करना चाहिए। संदेश को प्रभावी बनाने के लिए दो बार दोहराना चाहिए।

3. प्रतिपुष्टि प्राप्त करना (Getting feedback)–शिक्षक को हमेशा यह चेक करते रहना चहिए कि क्या उसके छात्र उसके संदेश को समझ रहे हैं। यदि अध्यापक यह पूछता है, "क्या आपको समझ में आ रहा है?" इस प्रश्न से कुछ खास सूचना प्राप्त नहीं होती, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी हाँ में सिर हिलाते हैं या उदासीन होकर बैठे रहते हैं। अध्यापक को छात्रों से प्रत्येक बिंदु का फीडबेक प्राप्त करना चाहिए।

4. अशाब्दिक सम्प्रेषण (Non-verbal communication)–कक्षा में सम्प्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए शाब्दिक सम्प्रेषण के साथ-साथ अशाब्दिक सम्प्रेषण अधिक से अधिक करना चाहिए। एक अध्यापक जब किसी छात्र के उत्तर के जवाब में अपनी आँखों को घुमाता है तो इससे छात्र को एक शक्तिशाली संदेश मिलता है। संकेत और चेहरे के हाव भाव अध्यापक के सम्प्रेषण को प्रभावी बनाते हैं। अशाब्दिक सम्प्रेषण के माध्यम से शिक्षक छात्रों को शिक्षण अधिगम में शामिल कर सकता है।

◆◆◆

3.2 कक्षाकक्ष अनुदेशन तथा भाषा अधिगम
(Classroom Instruction and Language Learning)

2. कक्षाकक्ष अनुदेशन तथा भाषा अधिगम का वर्णन कीजिए।
(Describe classroom instruction and language learning.)

उत्तर–कक्षाकक्ष अनुदेशन वह अनुदेशन होता है जो कक्षाकक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया जाता है। प्रत्येक शिक्षक की यह इच्छा होती है कि वह कक्षा में जो अनुदेशन करता है वह प्रभावशाली और कारगर हो। वह चाहता है कि अपने विषय से सम्बन्धित जो भी सामग्री पढ़ाई जाए विद्यार्थी उसे ध्यान से सुनें, समझें व ग्रहण करें ताकि शिक्षक के पढ़ाने की विधि की छाप विद्यार्थियों के मस्तिष्क में स्थाई रूप से अंकित हो जाए। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुदेशन का लक्ष्य प्रभावशाली संप्रेषण प्रक्रिया तथा वांछित परिणाम कहे जा सकते हैं। इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक उचित अनुदेशात्मक सामग्री तथा साधनों का प्रयोग करता है। भाषा शिक्षण के लिए भी यह बात उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितनी कि पाठ्यक्रम के अन्य विषयों के लिए।

आज के वैज्ञानिक युग में हमारे शिक्षाशास्त्री शिक्षा की प्रत्येक समस्या का समाधान वैज्ञानिक ढंग से करना चाहते हैं। शिक्षण विधियों में प्रयुक्त होने वाली अनुदेशात्मक सामग्री के सन्दर्भ में भी यह बात लागू होती है। शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सर्वप्रथम एक आदर्श शिक्षक की आवश्यकता है। शिक्षक जो कुछ शिक्षण करता है, अनुदेशन करता है उसका सही संप्रेषण होना चाहिए, अर्थात् विद्यार्थी पढ़ाई गई विषय-वस्तु को सही ढंग से ग्रहण करें। इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि अनुदेशन के उचित परिणाम भी सामने आएं अन्यथा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। उचित संप्रेषण के लिए अध्यापक को कुछ साधनों तथा उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें हम अनुदेशात्मक सामग्री कहते हैं। कुछ विद्वान इसे सहायक सामग्री का नाम भी देते हैं। इसके प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया सहज, सरल तथा प्रभावशाली बन जाती है। अन्य विषयों के शिक्षकों की तरह भाषा शिक्षकों को भी अनुदेशनात्मक सामग्री का समुचित प्रयोग करते रहना चाहिए।

अनुदेशात्मक सामग्री का अर्थ एवं परिभाषा
(Meaning and Definition of Instructional Material)

शिक्षण प्रक्रिया से पूर्व इस बात का निर्णय कर लिया जाता है कि जो भी विषय-वस्तु विद्यार्थियों को पढ़ाई जाएगी, उसके परिणाम क्या होंगे और विद्यार्थियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अथवा यह भी जानने का प्रयास किया जाता है कि पढ़ाई गई पाठ्य सामग्री से सम्बन्धित किस प्रकार का परिवर्तन विद्यार्थियों में उत्पन्न होगा। शिक्षण प्रक्रिया से विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन को भी हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, उसे सानुदर्शनात्मक सामग्री कहते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी सामग्री, उपकरण एवं साधन जिसके द्वारा अध्यापक सर्वोत्तम ढंग से संप्रेषण कर सके, उसे अनुदेशात्मक सामग्री कहते हैं। इस सन्दर्भ में डॉ. उमा मंगल लिखती हैं—**"ऐसी सभी सामग्री, उपकरण तथा स्रोत जो एक कक्षा अध्यापक को उत्तम संप्रेषण प्रक्रिया, स्वस्थ कक्षा-कक्ष अन्तर्क्रिया तथा अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हैं, उन्हें शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में अनुदेशनात्मक सामग्री या साधन कहकर पुकारा जाता है।"**

डॉ. माया मिश्रा तथा एस. बी. जैन लिखते हैं—"अनुदेशनात्मक सामग्री से तात्पर्य ऐसी सामग्री से है जो शिक्षण साधन एवं उपकरणों से सुसज्जित हो और जिसके प्रयोग से अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की भली-भांति प्राप्ति हो सके।"

यदि हम माध्यमिक स्तर पर भाषा के कक्षा अनुदेशन कार्य के बारे में चिन्तन करें तो कह सकते हैं कि भाषा का शिक्षण करते समय शिक्षक गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण आदि का अनुदेशन करने के लिए जिन साधनों या उपकरणों का प्रयोग करता है उनको हम अनुदेशनात्मक सामग्री या साधन कह सकते हैं। कक्षा में जब अनुदेशनात्मक कार्य पूरा होता है तो उसमें शिक्षक तथा विद्यार्थियों में होने वाले संप्रेषण तथा अन्तःक्रिया की प्रभावशीलता का होना अनिवार्य है। इसके लिए शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों की भूमिका समान रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों की दृश्येन्द्रियाँ और कर्णेन्द्रियाँ सक्रिय रहती हैं। शिक्षक चाहे किसी प्रकार की अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग करे, विद्यार्थी यदि अपने नेत्रों और कानों का समुचित प्रयोग नहीं करते तो शिक्षक का सारा परिश्रम व्यर्थ होगा। अतः यदि शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों सतर्क होकर शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो अनुदेशनात्मक सामग्री का समुचित प्रयोग हो सकेगा। निष्कर्ष रूप में **डॉ. माया मिश्रा** कहती हैं—**"ऐसी सभी अनुदेशनात्मक सामग्री या साधन जो विद्यार्थियों की देखने और सुनने संबंधी शक्तियों को प्रभावित करते हुए एक शिक्षक के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में उसकी सहायता करते हैं, दृश्य-श्रव्य सहायक सामग्री या साधन कहलाते हैं।"**

भाषा शिक्षण में अनुदेशनात्मक सामग्री या साधनों के प्रकार
(Types of Instructional Material in Teaching of Language)

डॉ. उमा मंगल ने भाषा शिक्षण में प्रयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री तथा साधनों को दो वर्गों में विभक्त किया है, ये हैं :—

1. पाठ्य सामग्री
2. दृश्य-श्रव्य सामग्री

1. पाठ्य सामग्री

पाठ्य सामग्री को हम केन्द्रीय या मूलभूत सामग्री भी कह सकते हैं। इसमें उस सामग्री को सम्मिलित किया जाता है जिसका प्रयोग शिक्षक तथा विद्यार्थी करते रहते हैं। पाठ्य सामग्री में निम्नलिखित अनुदेशनात्मक सामग्री को सम्मिलित किया जाता है—

1. पाठ्य पुस्तक *(Textbook)*
2. पूरक पुस्तक *(Supplementary book)*
3. अभ्यास पुस्तिका *(Work-book)*
4. शिक्षक निर्देशिका या शिक्षण संदर्शिका *(Teacher's Guide or Handbook)*
5. संदर्भ ग्रंथ *(Reference Books)*
6. शब्दकोश *(Dictionaries)*
7. समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं *(Newspaper and Magazines)*

1. पाठ्य-पुस्तक (Textbook)—भाषा शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य-पुस्तक अनुदेशनात्मक सामग्री का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंश है। इसका भाषा शिक्षण प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। पाठ्य-पुस्तक प्रायः केन्द्रीय सामग्री की भूमिका निभाती है। यूँ तो प्रत्येक विषय के शिक्षण में पाठ्य-पुस्तक की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन भाषा शिक्षण में पाठ्य-पुस्तक भावपक्ष तथा कलापक्ष दोनों का ज्ञानवर्धन करने में सहयोग देती है। पाठ्य-पुस्तक भाषा शिक्षण का सर्वाधिक अनिवार्य अंग है। इसके बिना शिक्षक तथा विद्यार्थी के सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। अतः प्रत्येक शिक्षक तथा प्रत्येक विद्यार्थी के पास पाठ्य-पुस्तक का होना नितांत आवश्यक है। भाषा साहित्य में अनेक विधाएँ तथा रूप हैं। इन सबका ज्ञान प्रदान करने के लिए पाठ्य-पुस्तक अनुदेशनात्मक सामग्री का महत्त्वपूर्ण काम करती है। चाहे श्रवण कौशल हो या पठन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल हो या लेखन कौशल हो, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में पाठ्य-पुस्तक ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारी मातृभाषा हिंदी का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक और बहुमुखी है। अतः पाठ्य-पुस्तक की सामग्री भी व्यापकता और विविधता को लिए रहती है। यह एक ओर तो अध्यापक के पाठ्यक्रम की सीमा निर्धारण करती है और दूसरी ओर विद्यार्थियों को अभ्यास तथा व्यवहार परिवर्तन करने में अवसर प्रदान करती है। परन्तु यहाँ इस बात पर बल देना आवश्यक होगा कि पाठ्य-पुस्तक की सामग्री विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, ताकि वे विषय को आसानी से ग्रहण कर सकें। यही कारण है कि प्रत्येक कक्षा की पाठ्य-पुस्तक अलग होती है। पाठ्य-पुस्तकों का प्रयोग सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए किया जाता है।

2. पूरक पुस्तक—पहले बताया जा चुका है कि पाठ्य-पुस्तक सूक्ष्म अध्ययन करने में सहायक होती है। स्थूल अध्ययन के लिए पूरक पुस्तकों का उपयोग किया जाता है। पाठ्य-पुस्तक के माध्यम से बच्चों में कुछ भाषागत विशेषताओं तथा कौशलों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। उन योग्यताओं तथा कौशलों का अभ्यास कराने के लिए जिस पुस्तक की सहायता की जाती है, उसे पूरक पुस्तक कहते हैं। इसमें प्रायः रोचक कहानियाँ, प्रसंग, एकांकी, पौराणिक कथाएँ और यात्रा वर्णन आदि सम्मिलित होते हैं। पूरक पुस्तकों की सहायता से भाषागत विशेषताओं का विकास करने के लिए अतिरिक्त कुछ और उद्देश्य भी प्राप्त किए जाते हैं; जैसे—

1. बच्चों में स्वाध्याय की योग्यता विकसित की जाती है।
2. पढ़ने में उनकी रुचि विकसित की जाती है।

GMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

3. पूरक पुस्तक द्वारा बच्चों में द्रुत गति से मौन पाठ करने की योग्यता विकसित की जाती है।
4. यह पुस्तक बच्चों का मनोरंजन करती है और उनकी परिचित शब्दावली को सक्रिय शब्दावली में परिवर्तित करती है।
5. पूरक पुस्तक मानव जीवन के विविध पक्षों की जानकारी देती है।
6. पूरक पुस्तक जहाँ एक ओर सद्वृत्तियों को विकसित करती है, वहीं दूसरी ओर सृजनात्मक योग्यताओं का भी विकास करती है।

पूरक पुस्तकों में भी आन्तरिक या बाह्य गुण अवश्य होने चाहिएँ। पूरक पुस्तकों की विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

1. कलेवर की दृष्टि से पूरक पुस्तक-पाठ्य पुस्तक की अपेक्षा छोटी होती है। इसकी पृष्ठ संख्या भी पाठ्य-पुस्तक की पृष्ठ संख्या से कम होनी चाहिए।
2. पूरक पुस्तक की भाषा पाठ्य-पुस्तक की भाषा की अपेक्षा सहज, सरल तथा बोधगम्य होनी चाहिए।
3. पूरक पुस्तकों में नवीन शब्दावली या तो नहीं होनी चाहिए या सीमित मात्रा में होनी चाहिए। यदि नवीन शब्दावली दी भी जाती है तो उसके पृष्ठ के नीचे आवश्यक टिप्पणी रहनी चाहिए ताकि विद्यार्थी नवीन शब्दावली के अर्थ को जान सकें। वस्तुतः पूरक पुस्तक में पाठ्य-पुस्तक द्वारा सीखे गए शब्दों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए।
4. पूरक पुस्तक के वाक्य पाठ्य-पुस्तक की अपेक्षा सरल एवं स्पष्ट होने चाहिएँ ताकि विद्यार्थी उसे शीघ्रता से पढ़कर उसके भावों को ग्रहण कर सकें।
5. पूरक पुस्तक की विषय सामग्री मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक होनी चाहिए।
6. यह भी ध्यान रहे कि पूरक पुस्तक विद्यार्थियों में सद्वृत्तियों का विकास करने में सहायक हो।
7. पूरक पुस्तक की छपाई तथा कागज भी उच्चकोटि का होना चाहिए।

3. अभ्यास पुस्तिका–भाषा में बच्चों को पाठ्य-पुस्तक में से जो कुछ पढ़ाया जाता है उसके लिए एक अभ्यास पुस्तिका का होना नितान्त आवश्यक है। इसमें सिखाए गए शब्द भण्डार, वाक्य भण्डार, वाक्य रचना, वर्तनी, व्याकरण संबंधी ज्ञान, छोटे निबंध, पत्र आदि का अभ्यास करवाया जाता है। विशेषकर, प्राथमिक कक्षाओं तथा निम्न माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों में भाषा संबंधी योग्यताओं को विकसित करने के लिए अभ्यास पुस्तिका का होना नितान्त आवश्यक है। अभ्यास पुस्तिका का प्रयोग एक ओर जहाँ अनुदेशनात्मक सामग्री के रूप में किया जाता है। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों के भाषायी ज्ञान तथा भाषायी कौशल के लिए किया जाता है।

4. शिक्षक निर्देशिका–शिक्षक निर्देशिका का संबंध शिक्षक से है। यह शिक्षक के अनुदेशनात्मक कार्य को प्रभावशाली और ग्राह्य बनाती है। इसके साथ-साथ यह उसे उद्देश्यपूर्ण शिक्षण करने का निर्देश देती है। शिक्षक द्वारा भाषा तथा साहित्य की विभिन्न विधाओं से सम्बन्धित जो पाठ पढ़ाए जाते हैं उनके शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, अनुदेशन प्रक्रिया एवं सुझाव तथा विद्यार्थियों का प्रेक्षण करने संबंधी ज्ञान आदि इसी के आधार पर दिए जाते हैं। इस पुस्तक की सहायता से शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित एवं क्रियान्वित कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षक निर्देशिका अनुदेशनात्मक सामग्री का एक महत्त्वपूर्ण भाग है और शिक्षण प्रक्रिया को सार्थक बनाने में सहायक है।

5. सन्दर्भ ग्रन्थ–जब शिक्षक भाषा शिक्षण करते समय कक्षा में गद्य एवं पद्य से सम्बन्धित पाठ को पढ़ाता है तो उसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों को सन्दर्भ ग्रन्थों के बारे में जानकारी देता है। उदाहरण के रूप में यदि शिक्षक विद्यार्थियों को यह कविता पढ़ाता है–**"सखि, वे मुझसे कहकर जाते, कह, तो क्या मुझको वे अपनी पथ-बाधा ही पाते?"** इसके बाद शिक्षक विद्यार्थियों को यह बतायेगा कि यह कविता 'यशोधरा' में से संकलित है तथा इसके कवि मैथिलीशरण गुप्त हैं। शिक्षक सर्वप्रथम इस कविता का प्रसंग बताते हुए व्याख्या करेगा। पुनः वह विस्तृत अध्ययन के विद्यार्थियों को 'यशोधरा' काव्य रचना पढ़ने की प्रेरणा देगा। ऐसी स्थिति में 'यशोधरा' संदर्भ ग्रंथ का काम करेगा। इसी प्रकार भाषा की गद्य अथवा पद्य संबंधी कोई भी रचना संदर्भ ग्रंथ की भूमिका निभा सकती है।

6. शब्दकोश–शब्दकोश का अर्थ है–शब्दों का खजाना। इसमें भाषा विशेष के सभी प्रकार के शब्द सम्मिलित होते हैं। इसमें भाषा के सभी शब्द, उनकी उत्पत्ति, रचना तथा व्याकरणिक विशेषता, स्पष्टीकरण रहता है। पुनः शब्दकोश वर्णमाला के क्रम के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित रूप में रखा जाता है। विद्यार्थी अपने शब्द भंडार को विकसित करने के लिए शब्दकोश की सहायता लेते हैं। शिक्षक भी समय-समय पर शब्दकोश का प्रयोग करता रहता है। हिंदी शिक्षण करते समय पाठ में जो नवीन शब्द मिलते हैं, उनके अर्थ तथा व्युत्पत्ति को जानने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों को आदेश देता है कि वे शब्दकोश का प्रयोग करें। अतः शब्दकोश शब्द भंडार की वृद्धि करने में एक उपयोगी अनुदेशनात्मक सामग्री है। विद्यालयों में अकसर शब्दकोश रखे जाते हैं जिनका प्रयोग शिक्षक तथा विद्यार्थी करते रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक सर्वप्रथम विद्यार्थियों को शब्दकोश का प्रयोग करना सिखाए।

7. समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएँ–समाचार-पत्र तथा पत्रिकाएँ विद्यार्थियों में द्रुत वाचन की योग्यता विकसित करती हैं, देश-विदेश की घटनाओं की जानकारी देती हैं, बच्चों में ज्ञान की वृद्धि करती हैं, उनका मनोरंजन करती हैं, सृजनात्मक योग्यता का विकास करती हैं तथा स्वाध्याय की प्रवृत्ति को जन्म देती हैं। इसलिए ये महत्त्वपूर्ण अनुदेशनात्मक सामग्री कहीं जा सकती है। बच्चे अकसर समाचार-पत्रों को पढ़ने में रुचि लेने लगते हैं। इनसे बच्चों का सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। यही नहीं, वे भावी जीवन के संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों का भाषा ज्ञान समृद्ध होता है। समाचार-पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर बच्चे न केवल शब्दों को वाक्यों में प्रयुक्त करना सीख जाते हैं, बल्कि नए वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं तथा अपनी मनोगत भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। शिक्षक चाहे तो बच्चों को ऐसी पुस्तिका तैयार करने को कह सकता है कि प्रतिदिन पाँच प्रमुख समाचार सम्मिलित किए जाएं। इससे बच्चों में समाचार-पत्र पढ़ने की रुचि उत्पन्न होगी और लिखने का अभ्यास भी होगा। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक विद्यालय में समाचार-पत्र तथा पत्रिकाएँ नियमित रूप से मंगवाई जाएं।

इसके साथ-साथ शिक्षक चाहे तो विभिन्न मनोरंजक पत्रिकाएँ पढ़ने के लिए भी कह सकता है। आजकल विभिन्न भाषाओं में कई पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। समाचार-पत्र बच्चों से सम्बन्धित छोटी-छोटी रचनाएँ, 'बाल जगत' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित करते रहते हैं। प्रायः बच्चे रुचि से इनको पढ़ते हैं। इन मनोरंजक पत्रिकाओं से जहाँ एक ओर बच्चों में वाचन कौशल का विकास होता है वहीं दूसरी ओर उनका मनोरंजन भी होता है। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चे स्वयं रचनाएँ लिखने लग जाते हैं। अतः यह निर्विवाद सत्य है कि समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएँ भाषा शिक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निश्चय ही इनका प्रयोग अनुदेशनात्मक सामग्री के रूप में किया जा सकता है।

2. दृश्य-श्रव्य सहायक सामग्री/साधन *(Audio Visual Aid Material)*

इस वर्ग की सामग्री को दृश्य-श्रव्य सहायक सामग्री इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने नेत्रों तथा कानों का प्रयोग करके हम इस सामग्री का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही इससे लाभान्वित होते हैं। भाषा शिक्षण में जो अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, उसे हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं–

1. श्रव्य अनुदेशनात्मक सामग्री अथवा साधन–इस वर्ग में हम उन सभी साधनों को ले सकते हैं जिनकी सहायता से हम कानों द्वारा सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की सामग्री और साधन का संबंध विद्यार्थियों की कर्णेन्द्रियों से है। यह सामग्री अनुदेशन कार्य में शिक्षक का सहयोग करती है। इस सामग्री में हम रेडियो, टेपरिकार्डर, ग्रामोफोन, रिकार्ड प्लेयर आदि को सम्मिलित कर सकते हैं। इन वैज्ञानिक उपकरणों की ध्वनि को सुनकर अनुदेशन प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता मिलती है।

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

2. दृश्य अनुदेशनात्मक सामग्री या साधन–इस वर्ग में उन साधनों तथा सामग्रियों को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें विद्यार्थी अपनी आँखों से देखकर प्रभावित होते हैं। अन्य शब्दों में यह सामग्री देखकर अनुदेशन प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध होती है। विद्यार्थी इस सामग्री के द्वारा विषय-वस्तु को अपनी आँखों से देखता है और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। इस सामग्री के अन्तर्गत श्यामपट्ट, चित्र, चार्ट, वास्तविक पदार्थ, रेखाचित्र, मानचित्र, फ्लैश कार्ड, प्रतिरूप (मॉडल), छाया चित्र, चित्र विस्तारक, शिरोपरि प्रक्षेपी आदि को सम्मिलित किया जा सकता है।

3. दृश्य-श्रव्य साधन अथवा अनुदेशनात्मक सामग्री–इस वर्ग में दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के साधन अथवा अनुदेशनात्मक सामग्री सम्मिलित की जाती है। इनका संबंध हमारे कान तथा नेत्र दोनों से है। विद्यार्थी इनके प्रयोग द्वारा देखकर तथा सुनकर अनुदेशन प्राप्त करते हैं। चलचित्र, नाटक, दूरदर्शन, कठपुतलियों के खेल, शिक्षण-मशीन तथा कम्प्यूटर द्वारा निर्देशक अनुदेशन आदि इस वर्ग में सम्मिलित हैं।

भाषा शिक्षण में दृश्य-श्रव्य अनुदेशनात्मक सामग्री तथा साधनों की आवश्यकता अथवा महत्त्व (उपयोगिता) *(Importance and Necessity of Audio-Visual Instructional Material in Teaching of Language)*

अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग विद्यार्थियों की ज्ञानेन्द्रियों को सक्रिय करता है और वे पाठ के सूक्ष्म-से-सूक्ष्म तथा कठिन से कठिन बात को भी बड़ी आसानी से जान लेते हैं। यही नहीं, इससे पाठ में रोचकता भी उत्पन्न हो जाती है। अनुदेशनात्मक सामग्री के कारण विद्यार्थियों की एक से अधिक इन्द्रियाँ काम करने लगती हैं। वे कक्षा तथा शिक्षण प्रक्रिया में रुचि लेने लगते हैं। दृश्य-श्रव्य अनुदेशनात्मक सामग्री विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक लाभकारी है। इसमें विद्यार्थी जो कुछ सुनता है, उसे देख भी लेता है। फलस्वरूप उसका ज्ञान स्थायी बन जाता है। इस संबंध में फाउलर ने उचित ही लिखा है, **"एक चित्र बहुधा इतने विचार प्रस्तुत कर देता है जो कई पुस्तकों से भी अधिक होते हैं।"** कुछ शिक्षाशास्त्रियों ने श्रव्य-दृश्य सामग्री के प्रयोग पर अधिक बल दिया है। भाषा-शिक्षण में ऐसी बहुत-सी बातें होती हैं जिन्हें मौखिक रूप से विद्यार्थियों को नहीं समझाया जा सकता। उसके लिए हमें श्रव्य के अतिरिक्त दृश्य साधनों की सहायता लेनी पड़ती है। इस संदर्भ में फ्रांसीसी शिक्षाशास्त्री **डब्ल्यू. नायर** ने अनुदेशनात्मक सामग्री के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है :–

"किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम का आधार अच्छा अनुदेशन है और श्रव्य-दृश्य परीक्षण साधन इस आधार के आवश्यक साधन हैं।" वस्तुतः विद्यार्थी जिस बात को सुनकर नहीं समझ पाता है, यदि वह उसे चित्र तथा किसी अन्य दृश्य साधन द्वारा दिखा दी जाती है तो वह उसे तत्काल ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार अनुदेशनात्मक सामग्री तथा साधन के प्रयोग से पाठ रोचक, सरल, स्पष्ट और मनोरंजक बन जाता है और विद्यार्थी उसे आसानी से ग्रहण कर लेता है। यही कारण है कि फ्रावेल मोंटेसरी, रूसो, पेस्टालोजी आदि विद्वानों ने अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में ऐसी सहायक सामग्री, उपकरणों तथा साधनों के उपयोग पर बल दिया है जिनके प्रयोग के कारण ज्ञानेन्द्रियाँ विषय-वस्तु से संबंधित आवश्यक अनुभव प्राप्त कर लेती हैं। फ्रावेल की किंडर गार्टन प्रणाली में इनको 'उपहार' कहा जाता है और मोंटेसरी प्रणाली में इन्हें 'शिक्षण साधन' कहा जाता है। भाषा शिक्षण में अनुदेशनात्मक सामग्री तथा साधनों की उपयोगिता निम्नलिखित दृष्टियों में काफी उपयोगी है–

1. प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति–अनुदेशनात्मक दृश्य-श्रव्य सामग्री तथा साधन बच्चों को विषय से संबंधित प्रत्यक्ष अनुभव देने में सहायक है। उदाहरण के रूप में शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वास्तविक वस्तु उसका चित्र, प्रतिरूप अथवा रेखाचित्र का प्रयोग शब्द तथा उसके अर्थ का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। जिन तत्त्वों का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो पाता उनका वैकल्पिक अनुभव प्रत्यक्ष के ही समान होता है। उदाहरण के रूप में एकवचन तथा बहुवचन संबंधी ज्ञान कराने के लिए पहले एक सेब तथा संतरा दिखाया जाता है और फिर दो या दो से अधिक सेब या संतरे दिखाकर बहुवचन का ज्ञान कराया जाता है। इसी प्रकार छोटे बच्चों को सेब, संतरा, अमरूद, आम आदि शब्दों का ज्ञान यदि चित्रों के साथ कराया जाता है तो वह प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होता है। आज भी छोटे बच्चों की पुस्तकें उनको वस्तुओं के चित्रों द्वारा भाषा का ज्ञान प्रदान करती हैं।

2. ज्ञानेन्द्रियों का प्रभावशाली उपयोग–अनुदेशनात्मक सामग्री के प्रयोग में कान तथा नेत्र दोनों का एक साथ उपयोग करने का अवसर मिलता है। ऐसा करके हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होते हैं। साधनों द्वारा प्रक्रिया अधिक सरलतापूर्वक सम्पन्न की जा सकती है। उदाहरण के रूप में छोटे बच्चों को हिंदी वर्णमाला पढ़ाते समय विभिन्न वर्णों से संबंधित शब्दों के चित्र अथवा वास्तविक पदार्थ दिखाए जा सकते हैं। इससे ये वर्ण पूर्णतया सार्थक बन जाएँगे। यथा 'अ' का ज्ञान कराने के लिए सर्वप्रथम अमरूद या अनार या उनके चित्र अथवा प्रतिरूप दिखाकर बच्चों के नेत्र और कान आदि दृश्येन्द्रियों और स्पर्शेन्द्रियों को सक्रिय किया जा सकता है। ऐसा करने से बच्चों को जो अनुभव प्राप्त होगा वह निश्चय से स्थायी होगा जिसे बच्चा आजीवन नहीं भूल सकेगा।

3. रुचि तथा एकाग्रता में वृद्धि–भाषा को पढ़ाते समय शिक्षक जब अनुदेशनात्मक सामग्री अथवा साधन का प्रयोग करता रहता है तब बच्चे का ध्यान विषय की ओर लगा रहता है और रुचि बढ़ती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि बच्चा एकाग्र मन से शिक्षक की बात को सुनता है। इससे पाठ रोचक बनता है और उसकी नीरसता समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप विद्यार्थी पाठ की कठिन-से-कठिन बात को समझने का प्रयास करने लगता है। उदाहरणतया हिंदी व्याकरण पूर्णतया शुष्क विषय है। यदि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि विषयों को पढ़ाते समय फूल, फल, गिलास, पेन आदि विभिन्न पदार्थों का प्रयोग किया जाएगा तो व्याकरण जैसा नीरस विषय भी सरस बन जाएगा। ऐसा करने से बच्चों का ध्यान तो शिक्षक की ओर लगा ही रहेगा। इसके साथ-साथ बड़ी आसानी से वे व्याकरण के नियमों को ग्रहण कर पाएंगे।

4. विषय-वस्तु की बोधगम्यता–भाषा शिक्षण में कुछ ऐसे संप्रत्यय, शब्द तथा नियम हैं जिनको समझना बहुत कठिन है। व्याख्यान विधि अथवा मौखिक कथन या पुस्तक से पढ़कर भी उनको नहीं समझाया जा सकता। उसमें शिक्षक के लिए यह समस्या खड़ी हो जाती है कि विषय-वस्तु को बोधगम्य कैसे बनाएँ। ऐसी स्थिति में यदि वह अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग करता है तो विषय-वस्तु के शब्द, सम्प्रत्यय, नियम आदि न केवल सार्थक बन जाते हैं अपितु स्पष्ट और सरल भी हो जाते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुदेशात्मक सामग्री के प्रयोग से जटिल विषय को सरलतापूर्वक पढ़ाया जा सकता है और विद्यार्थी भी उसे सहजता से ग्रहण कर लेते हैं।

5. शिक्षण सूत्रों का व्यावहारिक उपयोग–शिक्षण प्रक्रिया के अनेक सूत्र हैं; जैसे सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त। नियम के सूत्र केवल समझाने भर से विद्यार्थियों की समझ में नहीं आ सकते। लेकिन यदि अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग किया जाता है और भाषा पढ़ाते समय इन सूत्रों को समझाया जाए तो विषय-वस्तु स्वतः स्पष्ट हो जाती है और बच्चों की रुचि में भी विकास होता है। दृश्य-श्रव्य अनुदेशनात्मक साधनों के प्रयोग से ये सूत्र तत्काल समझाए जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में यदि शिक्षक बच्चों को वर्णमाला के विभिन्न वर्णों अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, क, ख, ग आदि वर्णों का ज्ञान कराना चाहता है तो उसे अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, कबूतर, खरबूजा तथा गमला आदि के वास्तविक रूप तथा चित्र दिखाने चाहिएँ। ऐसा करने से बच्चे दिखाए गए चित्रों के साथ वर्णों का साहचर्य स्थापित कर लेते हैं। धीरे-धीरे निरर्थक होने पर भी ये वर्ण उनके लिए सार्थक और सरल बन जाते हैं।

6. भाषा के विभिन्न कौशलों का विकास–यदि कोई विद्यार्थी भाषा पर पूर्ण अधिकार पाना चाहता है तो उसे भाषा के चारों कौशलों अर्थात् श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल आदि के प्रयोग में पारंगत होना पड़ेगा। अनुदेशनात्मक सहायक साधन इन कौशलों का विकास करने में काफी सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में रेडियो, टेलीविजन, टेपरिकार्डर आदि के द्वारा बच्चों में श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। इन उपकरणों द्वारा कहानी अथवा वार्ता सुनाकर बच्चों को यह कहा जा सकता है कि वे उसका मौखिक वर्णन करें। फलस्वरूप बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का

CIMETRIX

विकास होगा। इसी प्रकार चार्ट, चित्र आदि द्वारा किसी कहानी की रचना का लिखित अभिव्यक्ति कौशल का अभ्यास कराया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुदेशनात्मक साधनों के प्रयोग से विभिन्न कौशलों में प्रवीणता प्राप्त की जा सकती है।

7. कक्षा में अनुशासन की स्थापना–अनुदेशनात्मक सामग्री तथा साधनों के कारण कक्षा का वातावरण बड़ा सजीव बन जाता है और अनुदेशन प्रक्रिया आकर्षक और प्रभावशाली हो जाती है। यही नहीं, बच्चों में भी पाठ के प्रति सक्रियता उत्पन्न हो जाती है और वे मन लगाकर पढ़ने लगते हैं। यदि बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगा रहेगा तो निश्चय ही कक्षा में अनुशासनहीनता की परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं हो सकेंगी। अनुशासित कक्षा के कारण शिक्षक का मनोबल भी सशक्त हो जाता है और वह उत्साहपूर्वक बच्चों को पढ़ाने लगता है।

निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि अनुदेशनात्मक सामग्री तथा साधनों के प्रयोग के फलस्वरूप हिंदी शिक्षण सजीव, सोद्देश्यपूर्ण, आकर्षक तथा प्रभावशाली बन जाता है। इसलिए शिक्षक को अनुदेशनात्मक सामग्री और साधनों का भाषा शिक्षण में समुचित प्रयोग करना चाहिए। इस सन्दर्भ **एम. पी. मौफात** ने लिखा भी है– **"अनुदेशन सामग्री अनुभव प्रदान करती है, वस्तु एवं शब्द को सुविधापूर्ण बनाती है, छात्रों के समय की बचत होती है, सरल एवं अधिकारपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध कराती है, मूल्यांकन को उत्तम एवं विस्तृत रूप प्रदान करती है, आनन्दमय मनोरंजन प्रदान करती है, जटिल पदार्थों को सरलतम रूप प्रदान करती है, कल्पना को उत्तेजित करती है तथा छात्रों की निरीक्षण शक्ति को विकसित करती है, अनुदेशन सामग्री छात्रों के ध्यान को पाठ्य सामग्री की ओर आकर्षित करके उनको सक्रिय बनाती है।"**

अनुदेशनात्मक सामग्री (साधनों) के उपयोग में आवश्यक सावधानियाँ

अनुदेशनात्मक सामग्री का उपयोग करते समय हमें निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। इनका पालन करने से भाषा शिक्षण सहज और सरल बन सकता है। ध्यान रहे शिक्षक को अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग साधन के रूप में करना चाहिए, साध्य के रूप में नहीं। अन्यथा यह लाभकारी होने के बजाय हानिकारक सिद्ध होगी।

1. अनुदेशनात्मक सामग्री बच्चों की रुचि के अनुकूल होनी चाहिए। इनके निर्माण में चमकीले और सोख रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
2. यथासंभव यह सामग्री इतनी सरल हो कि व्याख्या तथा वर्णन के बिना तत्काल बच्चों की समझ में आ जाए।
3. अनुदेशनात्मक सामग्री मूल वस्तु से मिलती-जुलती हो अर्थात् उसका सही चित्र तथा प्रतिरूप होना चाहिए। यदि इसमें बनावटीपन होगा तो बच्चों की समझ में नहीं आ पाएगा।
4. अनुदेशनात्मक सामग्री विषय-वस्तु से संबंधित होनी चाहिए।
5. सामग्री का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए कि बच्चा मुख्य विषय को भूल जाए और अनुदेशनात्मक सामग्री को याद रखे, क्योंकि भाषा शिक्षण का लक्ष्य मुख्य विषय-वस्तु को स्पष्ट करना है।
6. सामग्री का सही प्रकार से प्रदर्शन किया जाना चाहिए ताकि कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उसे देख सके। जब उस सामग्री का समुचित प्रयोग हो जाए तो उसे वहाँ से हटा देना चाहिए। यदि वह सामग्री वहीं पर रखी रहेगी तो विद्यार्थी मूल पाठ को भूलकर सामग्री को देखते रहेंगे।
7. अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग एक उचित सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। सामग्री का अधिकाधिक प्रयोग करने से मूल विषय-वस्तु स्पष्ट होने के बजाय अस्पष्ट हो जाती है और विद्यार्थी कुछ समझ नहीं पाता। लेकिन इतना निश्चित है कि दृश्य-श्रव्य अनुदेशनात्मक सामग्री हिंदी भाषा शिक्षण में अत्यधिक सहायक सिद्ध हो सकती है। एक आदर्श शिक्षक को इस सामग्री का यथासंभव उचित प्रयोग करना चाहिए।

◆◆◆

3.3 पाठ्यक्रम के तहत साहित्य का प्रयोग
(Use of Literature Across Curriculum)

3. साहित्य क्या है? इसका प्रयोग भाषा के शिक्षण में क्यों आवश्यक है?
(What is literature? Why is its use necessary in teaching a language?)

अथवा

साहित्य क्या है? साहित्य को कक्षा में प्रयोग करने के विभिन्न प्रतिमान कौनसे हैं?
(What is literature? What are the different models of using it in the classroom?)

उत्तर–साहित्य का अर्थ (Meaning of Literature)–बहुत से विद्वानों ने साहित्य की परिभाषा दी है। एक व्यापक परिभाषा के अनुसार साहित्य छपी हुई पुस्तकें है, जो कि समाज का आईना होती हैं। वे सांस्कृतिक दस्तावेज होती हैं जो कि किसी देश या समाज की संस्कृति को समझने में सहायता करती हैं। कुछ भाषाविदों का मानना है कि किसी भी पुस्तक का स्वयं का कोई अर्थ तब तक नहीं होता जब तक कि पढ़ने वाला उसका अर्थ नहीं निकालता। साहित्य एक कला होती है। पुस्तक में इसको लिखने वाले की सृजनात्मकता दिखाई देती है।

भाषा की कक्षा में साहित्य की आवश्यकता *(Need of literature in Language Class)*

कक्षा में सहित्य को प्रयोग करने की निम्न आवश्यकताएँ हैं–

1. साहित्य एक वास्तविक विषयवस्तु होती है। बच्चों को सहित्य को पढ़ने का अनुभव प्रदान करना आवश्यक है, क्योंकि साहित्य से ही उनमें उन भाषायी कौशलों का विकास होता है, जो उन्हें वास्तविक जीवन में प्रयोग करनी होती हैं।
2. साहित्य से आपसी अंतःक्रिया प्रोत्साहित होती है। साहित्यिक पुस्तकों की विषयवस्तु में कई अर्थ निहित रहते हैं। इनको पढकर बच्चे अपने विचारों को एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं।
3. साहित्य भाषा के बारे में जागरूक बनाता है। साहित्य के माध्यम से बच्चों को विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए जा सकते हैं जो कि उनकी भाषा को पढ़ने में सहायता करते हैं। इनको पढकर वे भाषा को प्रयोग करना सीखते हैं।
4. साहित्य सम्पूर्ण व्यक्ति को शिक्षित बनाता है। साहित्य की पुस्तकों को पढकर बच्चों में विभिन्न जीवन मूल्यों का विकास होता है। इससे उनका दृष्टिकोण बदलता है। साहित्य के माध्यम से बच्चों को कक्षा के बाहर के संसार की जानकारी होती है।
5. साहित्य बच्चों को अभिप्रेरित करता है। साहित्य का कई देशों और समाजों में बहुत ऊंचा स्थान है। इसलिए विद्यार्थी साहित्य को पढ़कर वास्तविक ज्ञान को ग्रहण करने की भावना को महसूस करते हैं। इसके अलावा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली पुस्तकें बच्चों के लिए ऊबाउ होती हैं, लेकिन साहित्य उन्हें रूचिकर लगता है।

कक्षा में साहित्य को प्रयोग करने के विभिन्न प्रतिमान
(Different models of teaching literature in class)

कक्षा में साहित्य को प्रयोग करने के कई प्रतिमान प्रचलित हैं। शिक्षक किस प्रकार साहित्य को बच्चों की भाषा का विकास करने के लिए प्रयोग करता है यह इस बात पर आधारित है कि वह किस प्रतिमान का चुनाव करता है।

1. सांस्कृतिक प्रतिमान (Cultural Model)–यह प्रतिमान साहित्यिक पुस्तक को एक उत्पाद समझता है। इससे अभिप्राय है कि पुस्तक उस संस्कृति के बारे में सूचना प्रदान करने का एक स्रोत है, जिस संस्कृति की भाषा बच्चों को पढाई जा रही है। यह एक पारंपरिक उपागम है। इसका प्रयोग प्रायः विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाता है। इस प्रतिमान में साहित्य के माध्यम से सामाजिक, राजनैतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता चलता है। उदाहरण के लिए, भारतीय हिन्दी साहित्य को पढ़ने पर भारत की सांझी विरासत और आम जीवन के बारे में पता चलता है। यह प्रतिमान पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित है।

2. भाषायी प्रतिमान (Language Model)–भाषायी प्रतिमान विद्यार्थी केंद्रित है। जैसे-जैसे अधिगमकर्ता पुस्तक को पढ़ता जाता है, वह इस बात पर भी ध्यान देता जाता है कि पुस्तक में भाषा को किस प्रकार प्रयोग किया गया है। वे उसका अर्थ समझने लगते हैं और उनमें उस भाषा के प्रति जागरूकता भी बढ़ती जाती है। इस प्रतिमान में शिक्षक ग्रामर और शब्दों को पढाने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है और पुस्तक की विषयवस्तु का विश्लेषण भी कर सकता है।

3. व्यक्तिगत विकास प्रतिमान (The personal growth model)–व्यक्तिगत विकास प्रतिमान एक प्रक्रिया आधारित उपागम है। इस प्रतिमान में यह कोशिश की जाती है कि भाषा का शिक्षण अधिक से अधिक विद्यार्थी केंद्रित रहे। इस प्रतिमान में विद्यार्थियों द्वारा अधिक से अधिक अपने विचार, भावनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को स्वयं पुस्तक पढकर उसके बारे में लिखने के लिए कहा जाता है।

◆◆◆

---

4. बच्चों के साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल करने के क्या लाभ हैं?
(What are the benefits of using children's literature in curriculum?)

अथवा

बच्चों के साहित्य के माध्यम से दूसरे विषय पढाने का क्या महत्व है?
(What is the importance of teaching other subjects through children's literature?)

उत्तर–बच्चों के साहित्य को कक्षा में प्रयोग करने के बहुत से लाभ हैं। बच्चों की कक्षा में अधिकतर तस्वीरों वाली पुस्तकें प्रयोग की जाती हैं। इन पुस्तकों का प्रयोग विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित और कला आदि विषयों में किया जा सकता है। भाषा के विभिन्न कौशलों जैसे सुनना, बोलना, पढना, लिखना और देखना दूसरे विषयों जैसे सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, संगीत, गणित आदि विषयों को पढाते समय विकसित किया जा सकता है। पूरे पाठ्यक्रम में साहित्य का प्रयोग तीन सिद्धांतों पर आधारित है। वे तीन सिद्धांत हैं-

(क) सीखना भाषा का एक कार्य है।

(ख) सभी प्रकार के अधिगम खोज करने पर निर्भर हैं।

(ग) सभी खोजों में भाषा की आवश्यकता पड़ती है।

जब बच्चों के साहित्य को विभिन्न विषयों में शामिल किया जाता है तो इसके कुछ लाभ हैं जो निम्नलिखित हैं–

जब बच्चे किसी विषय के सिद्धांतों और अवधारणाओं को सीखते हैं तो उसकी चर्चा वे अपनी भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। इससे न केवल उस विषय का ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है, अपितु वे अपनी भाषा में भी निपुण बन जाते हैं।

यदि बच्चों के साहित्य को दूसरे विषयों में शामिल किया जाता है तो इससे शिक्षण अधिगम छात्र केंद्रित बन जाती है। बच्चे सभी विषयों को साहित्य के संदर्भ में देखते हैं और उन्हें उन विषयों की विषयवस्तु अपने वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है।

यदि किसी विषय को साहित्य की विभिन्न कलाओं के माध्यम से पढाया जाए तो इससे वह विषय अभिप्रेरणात्मक बन जाता है। उदाहरण के लिए, गणित की कक्षा में कविता को शामिल किया जा सकता है। एक अच्छी कहानी शिक्षण का एक बहुत ही प्रभावी उपकरण है। विज्ञान की कक्षा में एक कहानी बहुत सी अवधारणाओं को स्पष्ट कर सकती है। साहित्य का प्रयोग पाठ्यक्रम में करने से बच्चों में पढ़ने के प्रति रूचि उत्पन्न होती है।

सभी बच्चों के सीखने के ढंग भिन्न होते हैं। साहित्य के प्रयोग से बच्चों को विभिन्न तरह से सीखने में सहायता मिलती है। विभिन्न प्रकार की पुस्तकें विभिन्न भाषायी अधिगम स्टाइल में होती हैं। उदाहरण के लिए, पुस्तकों में तस्वीरें, कार्टून, डायाग्राम आदि होते हैं जो विद्यार्थियों की रूचियों को उद्दीप्त करते हैं।

बाल साहित्य के प्रयोग से विभिन्न विषयों की अवधारणाओं के उदाहरण बच्चों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, विज्ञान की एक कहानी में अंतरिक्ष का उदाहरण मिल जाता है। इसी प्रकार अन्य विषयों के बहुत से उदाहरण साहित्य में मिलते हैं।

बाल साहित्य बच्चों में उचित संवेगात्मक अनुक्रिया उत्पन्न करता है। इससे बच्चों की विभिन्न भावनाएं सामने आती हैं और वे अपने विचारों और संवेगों को उचित प्रकार से अभिव्यक्त करना सीखते हैं।

अच्छा साहित्य बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन को विकसित करता है। बच्चे विभिन्न कहानियों और उपन्यासों को पढकर कल्पना करते हैं जो कि विज्ञान और अन्य विषयों के लिए अत्यंत आवश्यक है। साहित्य से बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है। इसके अलावा विभिन्न विधाओं को पढ़ना रूचिकर बन जाता है। विज्ञान और गणित को पढ़ना बच्चों के लिए नीरस साबित होता है। यदि साहित्य के माध्यम से पढ़ाया जाए तो इन विषयों को पढ़ने में विद्यार्थी को आनंद आता है।

छोटे बच्चों के लिए पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वे उन्हें विभिन्न विषयों के बारे में सूचना उपलब्ध करवाती हैं। गणित, विज्ञान, कला, सामाजिक अध्ययन का ज्ञान उन्हें विभिन्न कहानियों और कविताओं से प्राप्त होता है। इसलिए विभिन्न विषयों को पढाने के लिए साहित्य का प्रयोग सबसे उचित साधन है। साहित्य की पुस्तकें बच्चों को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित करती हैं। वे उनकी चिंतन प्रक्रिया में सहायता करती हैं। यदि कोई पुस्तक सही ढंग से लिखी गई है तो ऐसी पुस्तक बच्चों की कल्पना शक्ति को बढाती हैं। कई बार तो विद्यार्थी एक पुस्तक को बार बार पढते हैं।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

◆◆◆

3.4 कक्षाकक्ष में प्रश्न कौशल तथा विचार-विमर्श का महत्त्व
(Role of Questioning and Discussion in the Classroom)

---

5. प्रश्न कौशल से आप क्या समझते हैं? कक्षाकक्ष में प्रश्न कौशल के महत्त्व, उद्देश्य तथा सोपानों का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by questioning skill? Describe the importance, objectives and steps of questioning skill.)

अथवा

सूक्ष्म-शिक्षण द्वारा प्रश्न-कौशल का सोपानों सहित वर्णन कीजिए।

उत्तर–प्राचीन काल से ही शिक्षा-जगत में पाठ्य-सामग्री को स्पष्ट, रोचक व सरल बनाने के लिए प्रश्नों को माध्यम बनाया जाता रहा है। इसे हम प्रश्नोत्तर विधि भी कह सकते हैं। यह विधि आज भी महत्त्वपूर्ण व प्रासंगिक है। वस्तुतः शिक्षा देने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम ही प्रश्न करना है। इससे शिक्षक विद्यार्थियों के सम्पर्क में आकर उनके ज्ञान का वर्द्धन करता रहता है। प्रश्न पूछने की प्रक्रिया छात्र को पाठ्य-सामग्री के अध्ययन के लिए प्रेरित करती है तथा वह उनकी शिक्षा-प्राप्ति की क्रिया व दिशा का निर्देशन करती रहती है। इस संबंध में पार्कर महोदय ने लिखा है–**"आदत कौशल के स्तर के बाहर सारी शैक्षिक क्रिया की चाबी प्रश्न ही है।"**

अतः यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षण-कौशल में प्रश्न पूछने का विशेष महत्त्व है। वास्तव में प्रश्न पूछना भी एक कला है जो कि एक निश्चित सीमा तक शिक्षक की कुशलता व योग्यता पर निर्भर रहती है। यद्यपि प्रत्येक शिक्षक प्रश्नकर्त्ता होता है परन्तु प्रत्येक शिक्षक प्रश्न पूछने की कला में निपुण नहीं होता है। ऐसी दशा में शिक्षकों को इस कला में भी निपुणता प्राप्त करनी आवश्यक प्रतीत होती है। **रेमंट** का विचार है कि प्रत्येक शिक्षक में अच्छे प्रश्न करने की योग्यता का विकास करने की इच्छा अवश्य होनी चाहिए। सूक्ष्म-शिक्षण की दृष्टि से प्रश्न पूछने की योग्यता के निम्नलिखित महत्त्व हैं–

(i) जब शिक्षक पाठ्य-सामग्री से आवश्यकता के अनुरूप प्रश्न करता है तो छात्र के लिए पाठ को समझने में सुविधा होती है।

(ii) इससे विद्यार्थी प्रत्येक वाक्य को एकाग्रचित होकर सुनते व पढ़ते हैं ताकि वे समय पर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकें।

(iii) इसके द्वारा छात्रों की कल्पना व तर्क-शक्ति का विकास होने के साथ-साथ उनमें भावों को अभिव्यक्त करने की निपुणता भी बढ़ती है।

(iv) प्रश्न पूछने से शिक्षक इस बात का आकलन कर सकता है कि विद्यार्थी ने संबंधित विषय की कितनी जानकारी प्राप्त की है।

(v) छात्रों को उचित व खोजपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करके भी शिक्षक उनकी कल्पना-शक्ति का विकास कर सकता है।

सूक्ष्म-शिक्षण द्वारा प्रश्न-कौशल के उद्देश्य–जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि शिक्षण कार्य का मुख्य आधार प्रश्न-कला है। थ्रिंग के शब्दों में, **"पढ़ाने का अर्थ ही है कुशलतापूर्वक प्रश्न पूछना ताकि मन देखने, प्रबन्ध करने व कार्य करने हेतु विवश हो जाए।"** प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

(i) ज्ञान की परीक्षा लेना–शिक्षक पाठ पढ़ाते समय बीच-बीच में प्रश्न पूछकर यह जान सकता है कि विद्यार्थी का बौद्धिक विकास कहाँ तक हुआ है। यह जानने के उपरांत वह उसके बौद्धिक स्तर का उत्तरोत्तर विकास कर सकता है। अतः प्रश्न-कला का मुख्य उद्देश्य छात्रों के ज्ञान की परीक्षा लेना है।

(ii) कठिनाइयों को जानना–यद्यपि शिक्षक के लिए पाठ्य-सामग्री सरल व सहज रहती है। वह धारा-प्रवाह ढंग से पाठ का वाचन कर सकता है परन्तु छात्रों के लिए वही पाठ्य-सामग्री दुरुह व कठिन होती है। शिक्षक छात्रों से पाठ्य-सामग्री से संबंधित प्रश्न पूछकर छात्रों के समक्ष या समझने में आने वाली कठिनाइयों को समझ सकता है तथा उन कठिनाइयों को दूर कर सकता है।

(iii) छात्रों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना–प्रश्न पूछ कर शिक्षक कक्षा में सभी छात्रों का ध्यान पाठ्य-सामग्री पर केन्द्रित कर सकता है। इस प्रकार वह संबंधित विषय पर छात्रों का सक्रिय सहयोग प्राप्त कर सकता है तथा उस पाठ्य-सामग्री को सहजता के साथ स्पष्ट कर सकता है।

(iv) ज्ञान का प्रयोग–शिक्षक एक ही विषय से संबंधित प्रश्नों में फेर-बदल करके छात्रों को उत्तर देने के लिए जब कहता है तब वह उनके ज्ञान का समुचित प्रयोग कर सकता है। एक ही विषय को भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से समझाने पर निश्चय ही अन्य छात्रों का ज्ञानवर्द्धन होता है।

(v) चिन्तन, तर्क, विवेक आदि का विकास करना–शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछ कर उनके मौलिक चिंतन, तर्क, विवेक आदि का विकास कर सकता है। इसका मूल कारण यही है कि उत्तर देते समय छात्रों को अपने भावों, विचारों को प्रश्न के अनुरूप ही ढालना होता है, ज्ञान को प्रस्तुत करना होता है।

(vi) अनुशासन बनाए रखना–जिस कक्षा में शिक्षक निरंतर प्रश्न पूछता रहता है, उस कक्षा के छात्र अधिक अनुशासन में रहते हैं क्योंकि उनके मन में यह भावना भर चुकी होती है कि शिक्षक कभी-भी उससे संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकता है।

प्रश्न-कौशल के सोपान–सूक्ष्म-शिक्षण द्वारा प्रश्न-कौशल के निम्नलिखित सोपान हैं–

(क) उद्बोधन

(ख) अधिक सूचना-प्राप्ति

(ग) पुनः केन्द्रीयकरण

(घ) पुनः निर्देशन

(ङ) आलोचनात्मक जागरूकता में वृद्धि।

(क) उद्बोधन–यदि छात्र शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देता है तो इसका अर्थ होता है कि वह उस विषय के संबंध में पूरी जानकारी नहीं ले पाया है। ऐसी दशा में शिक्षक संकेतों के माध्यम से विद्यार्थी को सही उत्तर देने के लिए प्रेरित करता है। इसे ही उद्बोधन कहा जाता है। यह प्रश्न-कौशल का प्रथम सोपान है। इसमें शिक्षक प्रश्न में ही या फिर अलग से उत्तर का अस्पष्ट-सा संकेत दे देता है। उस संकेत को पकड़कर ही छात्र प्रश्न का सही उत्तर दे देता है। इसके द्वारा छात्र में आत्मविश्वास का विकास होता है और वह उस संकेत को स्मरण करके ही लम्बे समय तक उस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। इस प्रकार उसे अपनी विषय-सामग्री का बोध होता जाता है।

(ख) अधिक सूचना-प्राप्ति–जब छात्र संबंधित विषय-सामग्री में दी गई जानकारी को समझने के उपरांत उससे संबंधित पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, तब शिक्षक उसी विषय से संबंधित अधिक जानकारी देने के लिए छात्रों से प्रश्न करता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का अधूरा उत्तर देता है तब भी इस प्रविधि का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी दशा में शिक्षक 'क्यों', 'क्या', 'कब', 'कैसे' आदि प्रकार के प्रश्न पूछ कर छात्र को अधिक सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

(ग) पुनः केन्द्रीयकरण–जब छात्र प्रश्न का सही उत्तर दे देता है, तब इस सोपान का प्रयोग किया जाता है। इसमें छात्र द्वारा दिए गए सही उत्तर की परिपुष्टि करना ही मुख्य ध्येय होता है तथा इसमें छात्र के उत्तर के महत्त्व का भी बोध होता है। पाठ्य-सामग्री में दी गई जानकारी से समानता, भिन्नता दर्शाने वाले, उनका वास्तविक जीवन में प्रयोग करने से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जा सकते हैं।

(घ) पुनः निर्देशन–यदि शिक्षक द्वारा पाठ्य-सामग्री से संबंधित प्रश्न पूछने पर छात्र या तो उसका उत्तर ही न दे या उसका अपूर्ण उत्तर दे, ऐसी दशा में शिक्षक पुनः निर्देशन विधि का प्रयोग करता हैं। इसमें एक ही प्रश्न अलग-अलग छात्रों से पूछा जाता है। सही उत्तर देने वाले छात्र की ओर संकेत करके शिक्षक उत्तर न देने वाले या अपूर्ण उत्तर देने वाले छात्र को उसके उत्तर को ग्रहण करने का निर्देश देता है। कभी-कभी शिक्षक द्वारा यह विधि अधिक सूचना प्राप्ति के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती है।

(ङ) आलोचनात्मक जागरूकता में वृद्धि–जब छात्र पाठ्य-सामग्री से संबंधित प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दे देता है तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र में विषय से संबंधित आलोचनात्मक जागरूकता का और अधिक विकास करना है। इसमें शिक्षक छात्र से निम्न प्रश्न पूछ सकता है–

(i) आपने किस जानकारी या तथ्य के आधार पर यह कहा?

(ii) आपने ऐसा कैसे सोचा?

(iii) आपकी दृष्टि में यह कैसे सम्भव है ?

(iv) इस घटना के पीछे कौन-कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं?

(v) इस घटना के क्या-क्या प्रभाव हो सकते हैं?

◆◆◆

कक्षाकक्ष में वाद-विवाद
(Discussion in the Classroom)

6. विचार-विमर्श विधि से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी प्रक्रिया, विशेषताओं एवं प्रकृति, गुणों तथा अवगुणों की विवेचना कीजिए।

अथवा

विचार-विमर्श विधि का क्या अर्थ है? इस विधि की प्रक्रिया विशेषताओं, गुणों एवं दोषों को स्पष्ट करते हुए इसके प्रभावशाली प्रयोग हेतु मुख्य सुझावों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर–शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। इसलिए शिक्षण विधि को प्रभावी, उपयोगी एवं स्थायी बनाने के लिए विद्यार्थियों में वाद-विवाद करने की क्षमता और सक्रिय सहयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें विचारों का आदान-प्रदान होता है और समस्या के लिए बहुमत से समाधान ज्ञात किया जाता है। इससे छात्रों में कौशल का विकास होता है, और मन में विषय को लेकर कोई दुविधा होती है तो वह आपसी विचारों के आदान-प्रदान द्वारा दूर की जा सकती है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में यह विधि बहुत उपयोगी है। इस विधि में अध्यापक तथा विद्यार्थी आपस में बातचीत करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थी को स्वतन्त्र चिन्तन तथा अभिव्यक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है।

1. इस विचार-विमर्श विधि के बारे में योकम तथा सिम्पसन कहते हैं, **''विचार-विमर्श एक विशिष्ट प्रकार की बातचीत है। इसमें साधारण बातचीत की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण एवं विस्तृत विचारों का आदान-प्रदान होता है और इसमें सामान्यतया महत्त्वपूर्ण विचारों तथा समस्याओं पर बातचीत की जाती है।''**
   ("Discussion is special form of conversation. It is an exchange of ideas of a more reasoned detail kind than that found in ordinary conversation and generally involves the conservation of important ideas and issues."—**Yoakam and Simpson**)
2. इस विधि पर अपने विचार प्रकट करते हुए **जेम्स एम.ली.** ने लिखा है, **''विचार-विमर्श एक ऐसी सामूहिक शिक्षण-प्रक्रिया है, जिसमें अध्यापक तथा विद्यार्थी किसी समस्या का प्रकरण पर बातचीत करते हैं।''**
   ("Discussion is an educational group activity in which the teacher and students take over some problem or topic."—**James M. Lee.**)
3. **सैटलर व मिलर** (Sattler and Miller) **''वाद-विवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा सहयोगपूर्ण ढंग से विचारों एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान करके किया जाने वाला ऐसा विचारशील चिंतन है जिसे किसी समस्या के समाधान या उसकी विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।''**
   ("Discuss is a reflective thinking by two or more persons who-cooperatively exchange information and ideas in effort to solve a problem or to gain better understanding of a problem")
4. **वेबसर का विचार** (Webster's View)–**''विचार-विमर्श का अर्थ है, 'किसी प्रश्न, प्रकरण तथा समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना, उनका परीक्षण अथवा उनकी जाँच करना। विचार-विमर्श विधि (शिक्षण विधि अथवा नीति) प्रश्न-उत्तर की संकीर्ण तकनीक से आरम्भ होकर अनिर्देशित उपागम की ओर अग्रसर होती है जिसमें अध्यापक यथास्थिति बनाए रखने की भूमिका निभाता है। यह प्रविधि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है।''**

   ("Discuss is, "to consider, examine or investigate the various sides of a questions, topic or problem. The discussion method (Strategy) ranges all the way from a narrow questions and answer technique to a non-directive approach with the teacher playing a laissez faire role. This technique is an essential part of the democratic process.")
5. **जानसन** के विचार (Johnson's View)–**''विचार-विमर्श विशुद्ध रूप में सामाजिक कार्य है।''**
   ("Discussion is social action in its pure form.")
6. **गुड के शिक्षा शब्दकोष** (Good's Dictionary of Education) के अनुसार–**''विचार-विमर्श का अर्थ, 'उस क्रिया से है जो किसी प्रकरण, प्रश्न या समस्या के साथ सम्बन्धित होती है और जिसमें भाग लेने वाले किसी निर्णय अथवा निष्कर्ष पर पहुंचने की सच्ची इच्छा रखते हैं।''**
   (Discussion means "an activity characterised by adherence to a topic, question or problem, about which the participants sincerely wish to arrive at a decision or conclusion....")
7. **रिस्क का विचार** (Risk's View) ''विचार-विमर्श का अर्थ है–**''अध्ययन अधीन प्रकरण अथवा समस्या में निहित सभी सम्बन्धों पर पूर्णता से विचार करना। इसमें सम्बन्धों का विश्लेषण किया जाता है, उनकी तुलना तथा मूल्यांकन किया जाता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं।''**
   (Discussion means thoughtful consideration of the relationship involved in the topic or problem under study. The relationships are analysed, compared and evaluated and conclusions may be drawn.)"

उपरोक्त सभी परिभाषाओं के अनुसार यह पता चलता है कि इस अधिगम प्रक्रिया का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। यहाँ तक हमारे बहुत पुराने नालंदा विश्वविद्यालय में इस शिक्षण विधि का प्रयोग होता था। इस विधि से शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापक का विशेष उत्तरदायित्व माना जाता है। जबकि वाद-विवादों में अध्यापक का स्थान समान समझा जाता है। परन्तु वह समूह का नेतृत्व करता है। वाद-विवाद को सार्थक तथा प्रभावशाली बनाना शिक्षक की कुशलता पर ही निर्भर होता है। एक अध्यापक का कार्य-निरीक्षण करना सभी को भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। विचार-विमर्श विधि के द्वारा किसी भी विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित किसी प्रकरण प्रश्न या समस्या के ऊपर स्वतन्त्रतापूर्वक अध्यापक-विद्यार्थी सामूहिक वातावरण में अपने विवेकपूर्ण विचारों का आदान-प्रदान करते हैं तथा आम सहमति द्वारा किसी निर्णय पर पहुँचते हैं। इस प्रकार सामूहिक विचार-मंथन के द्वारा विषय से संबंधित आवश्यक ज्ञान एवं कुशलताओं आदि का अर्जन करते हैं।''

वाद-विवाद अर्थात् विचार-विमर्श का मुख्य केन्द्र कक्षा में आयोजित किया गया विचार-विमर्श है और इसके के माध्यम से विचार-विमर्श के प्रसंग से संबंधित विषय और उपविषयों की शिक्षा देने का कार्य किया जाता है। अतः इस विधि को ठीक प्रकार से समझने के लिए पहले 'वाद-विवाद' शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी मिलकर विभिन्न क्रियाओं (शारीरिक एवं मानसिक) दोनों पर विचार-विमर्श करके उन्हें क्रियात्मक रूप देने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं पर सहमति से निर्णय लेते हैं।

सामूहिक विचार-विमर्श की प्रक्रिया *(Procedure of Group Discussion)*

इस विधि के अन्तर्गत समूह के सदस्य आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। समस्या के समाधान के लिए सम्बन्धित सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए शिक्षण कार्य के लिए वार्ता-विधि का प्रयोग करने में निम्नलिखित पदों को ध्यान में रखना होगा–

1. समस्या की प्रस्तुति–वाद-विवाद/विचार-विमर्श के लिए समस्या दोनों (अध्यापक या विद्यार्थी) की तरफ से प्रस्तुत की जाती है। लेकिन अध्यापक अपनी समस्या का प्रस्तुतीकरण सामाजिक अध्ययन विषय के पाठ्यक्रम और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसी एक विशेष समस्या या प्रकरण को विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत करता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

2. विद्यार्थियों द्वारा विचार-विमर्श से पहले की जाने वाली तैयारी (Preparation on the part of Students before discussion)—विद्यार्थियों को जिस विषय पर विचार-विमर्श करने का आयोजन किया जाना है, उस विषय से संबंधित आवश्यक स्रोतों एवं साधनों की सहायता से अपने आपको इसके लिए तैयार रहने का प्रयास करते हैं। इसके साथ-साथ अध्यापक को सामग्री पूरी सावधानीपूर्वक तैयार करनी चाहिए। विचारणीय बिन्दुओं के क्रमानुसार गठित करना चाहिए और उन्हें विद्यार्थियों के निर्देशन के लिए श्यामपट्ट पर लिखता है। विद्यार्थी विचार-विमर्श विषय से सम्बन्धित तैयार के लिए पुस्तकालय में उपलब्ध अन्य पठन-सामग्री की मदद लेते हैं, साथ ही अनुभवी व्यक्तियों से सलाह भी लेते हैं। आवश्यक सूचनाएँ, आंकड़ों तथा सामग्री का समग्र करके विचार-विमर्श के लिए अपने आपको तैयार करने की कोशिश करते हैं।

3. संचालन (Conducting)—विचार-विमर्श के संचालन में अनुशासन का ध्यान रखना होता है। विचार-विमर्श की व्यवस्था में बैठने के लिए विद्यार्थियों की विचारधारा जान लेना आवश्यक है। जिसके द्वारा प्रत्येक विचार की प्रगति में योगदान मिल सके। अध्यापक को इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उसे गम्भीर प्रश्नों एवं टिप्पणियों को विशेष रूप से प्रेरित करना चाहिए। विचार-विमर्श का विषय विशिष्ट उद्देश्यों की उपलब्धि एवं उचित कौशलों के विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसके लिए कुछ निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए—

1. इस प्रकार के विचार-विमर्श में केवल व्याख्यान पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि अध्यापक को अन्य गतिविधियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
2. विचार-विमर्श प्रणाली में अध्यापक को स्वयं अधिक बोलना चाहिए न की अन्य सदस्यों पर राय जानने के लिए उन पर प्रश्न थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों द्वारा अपनी जानकारी और अनुभव के आधार पर विचार-विमर्श में भाग लिया जाना चाहिए तथा उपयुक्त विचार-विमर्श द्वारा अध्यापक की सहायता से विषय-वस्तु तथा समस्या के बारे में निष्कर्ष निकालने चाहिए।
3. विद्यार्थियों को चाहिए कि वे एक-दूसरे के विचार धैर्यपूर्वक सुनें और वाद-विवाद में किसी प्रकार की सहमति या संशय है तो उसे तर्क रखकर व पूर्ण संयम, सावधानी से विचार करने की कोशिश करें। विचार-विमर्श करते समय किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे व तू-तू मैं-मैं की समस्या से बचें।
4. विद्यार्थियों द्वारा अपने-अपने विवेकपूर्ण विचार स्पष्ट एवं सुनियोजित ढंग से रखे जाने चाहिए। किसी प्रकार से बात को घुमा-फिराकर कहने के ढंग को प्रोत्साहित न करें। साथ ही विषय से सम्बन्धित विचार-विमर्श पर ही चर्चा हो, व्यर्थ की चर्चाओं और विवादों से दूर रहें।
5. विचार-विमर्श का विषय, विषय-सामग्री का स्तर तथा विचारों के आदान-प्रदान करने का ढंग इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों विचार-विमर्श में अपने आपको समर्थ पा सकें।
6. विचार-विमर्श के बीच किसी महत्त्वपूर्ण बिन्दु पर मतभेद होने पर अध्यापक को उन्हें ठीक निर्णय पर पहुँचाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस कार्य के लिए उन्हीं में से कुछ अनुभवी व्यक्तियों की समिति बनाई जानी चाहिए जिससे किसी विचार विवाद पर उपयुक्त सलाह देकर समझा सके।
7. वास्तव में इस विचार-विमर्श कार्यक्रम द्वारा भाषण की कला को निखारने से है न कि स्कूलों व कालेजों में आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता किसी द्वेष ईर्ष्या की भावना को पैदा करने से है। यह तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए आयोजित वाद-विवाद कार्यक्रम सामूहिक रूप से तर्क-वितर्क, पूर्ण विचारों का आदान-प्रदान करने व सुव्यवस्थित वार्तालाप से है, जोकि पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक एवं अनुशासनात्मक वातावरण से अध्यापक के नेतृत्व में विशेष शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचालित किया जाता है।

4. विचार-विमर्श के बाद का कार्य (Follow-up programme)—विचार-विमर्श के आयोजन के बाद जो भी विचार रखे गए हैं उनका निष्कर्ष निकालकर आवश्यक पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता है। यह कार्य अध्यापक करता है। साथ ही सभी प्रकार के निवारण अध्यापक द्वारा ही किये जाते हैं। इस पद में अध्यापक को पूरे विचार-विमर्श विषय के सार को निकालने एवं अन्य महत्त्वपूर्ण पदों को जोड़ने का अधिकार होता है।

5. मूल्यांकन (Evaluation)—विचार-विमर्श का परिणाम कई उपलब्धियों में निकलना चाहिए जैसे सूचना का विस्तार, पूर्वाग्रहों का दूर होना, विद्यार्थियों की रुचि का विस्तार करना आदि। विचार-विमर्श में भाग लेने से प्रत्येक सदस्य को कितना लाभ हुआ इसका मूल्यांकन ठीक तरह से करना चाहिए। इससे उनके ज्ञान, रुचियों व अभिवृत्तियों में कितना परिवर्तन आया और शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में कितनी सहायता मिली, इसके आधार पर ही विचार-विमर्श विधि की सफलता का मूल्यांकन किया जा सकता है।

विचार-विमर्श विधि की विशेषताएँ एवं प्रकृति
(Characteristic and Nature of Discussion method)

1. **समस्याओं का समाधान (Solution of the problems)**—इसका उद्देश्य सामूहिक विचार-विमर्श करके सही उद्देश्यों के कार्यों का संगठन करने से है। यह विद्यार्थियों को अपनी चिन्तन व सोच प्रक्रिया किसी समस्या के समाधान की ओर अग्रसर करने का प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसके द्वारा ऊँचे भावात्मक उद्देश्यों तथा उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है।
2. **विषय तथ्यों को संगठित एवं सम्बन्धित करना (Organising and relating facts)**—सामूहिक विचार-विमर्श का संचालन अध्ययन अधीन तथ्यों को संगठित एवं सम्बन्धित करने से होता है।
3. **सम्बन्धों का विचारपूर्ण चिन्तन (Thoughtful consideration of relationship)**—विचार-विमर्श अध्ययन अधीन किसी उपकरण अथवा समस्या में निहित सभी सम्बन्धों का विचारपूर्ण चिन्तन है। यह उन सम्बन्धों का विश्लेषण करता है, तुलना व मूल्यांकन करता है और निष्कर्ष निकालता है।
4. **अनुभवों का विकास व उपयोग (Utilisation and development of experiences)**—सामूहिक विचार-विमर्श विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री के स्पष्टीकरण तथा स्थिरीकरण में अपने अनुभवों के उपयोग के लिए उत्साहित करता है। साथ ही विद्यार्थी अपने द्वारा ग्रहण अनुभवों को सामूहिक रूप में बाँटता है।
5. **मतों का विनिमय (Exchange of opinion)**—विचार-विमर्श में मतों का विनिमय होता है और तथ्यों के आधार पर खोज की जाती है। आपसी विचारों का विनिमय एवं अधिगम प्रक्रियाओं का समग्रह है। यह हम जानते हैं है कि जब कई मस्तिष्क मिलकर किसी विषय पर वाद-विवाद एवं अपनी राय देते हैं तो वह एक समाधान के रूप में उभर कर आती है। साथ ही नई सोच एवं आश्चर्यजनक परिणाम निकल सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विचारों का विनिमय विद्यार्थियों को चिन्तन का महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करता है।
6. **सहमति (Agreement)**—विचार-विमर्श एक अपेक्षित प्रयोजन है। यह एक वस्तुतः सामूहिक निर्णय पर पहुँचने की विधिवत् प्रक्रिया है। इसका परिणाम प्रायः मतों का सम्मिलित प्रयोग करने तथा मिलकर काम करने में निकलता है। आम सहमति से विषय का निष्कर्ष निकाला जाता है। हर एक पहलू को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसमें आम सहमति की आवश्यकता होती है नहीं तो यह एक असहमति प्रस्ताव होगा।

CIMETRIX

7. **सिद्धान्तों पर आधारित (Based on Principles)**–विचार-विमर्श का शिक्षण विधि अथवा नीति शिक्षण के निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित है–
   (i) कार्य की स्वतन्त्रता का सिद्धान्त (Principle of freedom for work)
   (ii) सक्रिय भागीदारी का सिद्धान्त (Principle of active participation)
   (iii) प्रश्न पूछने और उत्तर देने के सामूहिक और बराबर अवसर देने का सिद्धान्त (Principle of Group and equal opportunities to ask questions and to answer then)
8. **सक्रियता एवं वार्तालाप (Activeness and conversation)**–सामूहिक विचार-विमर्श में विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। अध्यापक का काम निरीक्षण करना तथा विद्यार्थियों का निर्देशन करना होता है। सक्रियता होने से एक सुनियोजित एवं शिष्ट वार्तालाप होती है, इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा, सहनशील, प्रकृति वाला, गम्भीर और स्वयं की बुद्धि को क्रियात्मक ढंग से इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए।
9. **संरचना (Structure)**–सामूहिक विचार-विमर्श का गठन औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी। औपचारिक में कुछ नियमों की पालना की जाती है। सामूहिक विचार-विमर्श पाठ्यक्रम की किसी शैक्षिक समस्या पर गठित किया जा सकता है। इसमें अध्यापक को पूरे समूह का नेतृत्व करना होता है यदि अध्यापक की उपलब्धता नहीं होती तो सामूहिक टीम से किसी एक छात्र को अध्यापक के स्थान पर उसका स्थान ग्रहण करने के लिए लिए चुना जाता है। वह स्वयं विचार-विमर्श की योजना तैयार करता है। इसमें विद्यार्थियों के प्रश्नों एवं उत्तरों को उचित बल दिया जाता है।
10. **प्रतियोगात्मक सहयोग (Competitive co-operation)**–इसमें भाग लेने वाले प्रतियोगात्मक सहयोग की प्रक्रिया में संलग्न हो जाते हैं।

सामूहिक विचार-विमर्श के गुण *(Merits of Group Discussion)*

1. **बौद्धिक टोली कार्य (Intellectual Team work)**–विचार-विमर्श एक प्रकार का वह समूह है जो बौद्धिक टोली के नाम से भी जाना जाता है। इनके कार्य दार्शनिक सिद्धान्त पर आधारित होते हैं, इसमें आम व्यक्तियों की सोच से अधिक सोचने वाले व्यक्तियों का संकलन होता है, वे अपनी बुद्धि, विचारों एवं भावों का आदान-प्रदान कर अच्छे और कल्याणकारी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं।
2. **अज्ञात की खोज (Discovery of unknown)**–सामूहिक विचार-विमर्श विद्यार्थियों को अज्ञात का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। जो अब तक उनसे अपेक्षित रहा है या जिनके अर्थ निरूपण में उन्होंने गलतियाँ कीं, उन्हें जानने में उनको सहायता मिलती है। इसके द्वारा ज्ञान पाने का निश्चित आधार मिलता है।
3. **मानसिक शक्तियों के विकास में मददगार (Helpful in the development of mental faculties)**–वाद-विवाद पद्धति तर्कपूर्ण चिन्तन विधि है, इसमें सामान्य बातचीत की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं विवेकयुक्त विचारों का आदान-प्रदान होता है। जिसके फलस्वरूप इस विधि से विद्यार्थियों के मानसिक विकास में निम्नलिखित रूप से सहायक सिद्ध होती है–
   (i) तर्क-वितर्क शक्ति संतुलित उपयोग करने का प्रशिक्षण देती है।
   (ii) विद्यार्थियों की तर्क-शक्ति विचारधारा और कल्पना-शक्ति के विकास के उचित अवसर प्रदान करती है।
   (iii) विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन और समीक्षात्मक दृष्टिकोण के विकास के उचित अवसर प्रदान करती है।
   (iv) सामूहिक रूप से निर्णय लेने की आदत को विकसित करने में सहायक होती है।

4. **सहनशीलता का विकास (Development of to toleration)**–इस प्रकार की विचार-विमर्श विधि द्वारा विद्यार्थी में सहनशीलता की भावना पैदा होती है क्योंकि इसमें भाग लेने वाले अन्य व्यक्ति अपने विचारों के विरुद्ध विचारों और तर्कों को सुनने की क्षमता रखते हैं जिससे सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है।
5. **बहुत से अच्छे गुणों एवं आदतों के विकास में सहायक (Helpful in the development of many good traits and habits)**–सामूहिक विचार-विमर्श विधि के प्रयोग द्वारा विद्यार्थियों में कई अच्छी आदतों व गुणों का प्रसार होता है जैसे–
   (i) विद्यार्थियों में स्वतन्त्र रूप से स्वाध्याय की आदत विकसित होती है।
   (ii) विद्यार्थियों को अपने विचारों को स्पष्ट रूप से एवं संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने का प्रशिक्षण मिलता है।
   (iii) वे तरह-तरह के स्रोतों से सूचनाएँ तथा ज्ञान एकत्रित करने में सक्षम बनते हैं।
   (iv) विचार-विमर्श के दौरान किसी विषय पर असहमति होने पर सहिष्णुता दिखाने का अभ्यास होने से उनमें नम्रता, सहृदयता, सामाजिकता जैसे गुणों का विकास होता है।
   (v) उनमें स्वतन्त्र रूप से स्वाध्याय की आदत विकसित होती हैं।
6. **सामूहिक अधिगम के निर्णय लेना (Collective learning decision making)**–इस प्रक्रिया में कक्षीय विचार-विमर्श सामूहिक निर्णय लेने को संगठित करता है। इससे विद्यार्थियों के इकट्ठे मिलकर सीखने, सुझाव देने, प्रकरण समझने, प्राप्तियों का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान होता है। सभी मिलकर विषय पर सहमति प्रकट करते हैं। यदि किसी कारणवश असहमति प्राप्त होती है तो उसे भी प्रकृति रूप से स्पष्ट कर लिया जाता है।
7. **स्पष्टीकरण (Clarification)**–सामूहिक विचार-विमर्श सम्बन्धित विषयों को स्पष्ट करने में सहायक होता है। सहमति और असहमति के लिए नए आधारों की खोज होती है। पुराने विचारों के स्थान पर नए विचार सामने आते हैं।
8. **भविष्य से संबंधित विभिन्न कार्यों में सहायक (Helpful in the activities related with future)**–विचार-विमर्श विधि द्वारा लोकतंत्रात्मक मूल्यों का उपार्जन होता है। यह हम जानते हैं कि आज के बच्चों पर भविष्य टिका हुआ और वे ही कर्णधार हैं। जनतंत्र में तर्कपूर्ण विचारों का आदान-प्रदान करना और जनता में व्याप्त बुराइयों का सामने करने के लिए यह सक्षमता पैदा होती है। देश और विदेश की समस्याओं के प्रति जागरूकता भी जरूरी है और इससे अधिक जरूरी है कि उनमें सहयोगी ढंग से समस्याओं के निराकरण का ढंग विकसित हो जाए। जिसके लिए जरूरी है विचार-विमर्श, इस विधि द्वारा भविष्य के कार्यों की रूपरेखा बनाने में मदद मिलती है।
9. **मनोवैज्ञानिक विधि (Psychological Method)**–यह विधि विद्यार्थी केन्द्रित है, विषय या अध्यापक केन्द्रित नहीं। विद्यार्थी में रुचिपूर्ण ढंग से इसमें अपने-अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं और एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं।
10. **सभी स्तरों पर उपयोगी (Useful at all levels)**–सामूहिक विचार-विमर्श दोनों स्तर पर उपयोगी होता है–
    (i) निम्न स्तर पर (On the lower level)–विद्यार्थी को सामूहिक विचार-विमर्श द्वारा अपनी बारी पर बोलने का अवसर मिलता है। इससे उसे अन्य साथीगणों से ढंग से बोलना, आत्मियता दूसरों के विचारों का आदर करना, रुचियों का विनिमय करना, महत्त्वपूर्ण प्रश्न करना, खड़े व बैठने का ढंग सीखना आदि का ज्ञान होता है।
    (ii) उच्चतर स्तर पर (On the upper level)–विद्यार्थी बड़े समूह में और छोटे-छोटे मंडलों में समस्या पर विचार-विमर्श करना सीखते हैं। विद्यार्थी आपस में मिलकर सीखते हैं और महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं, सुझाव देते हैं, प्रकरण का बोध करते हैं, प्राप्तियों का मूल्यांकन करते हैं।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

11. लचीली विधि (Flexibility in Method)—यह एक लचीली विधि है। इसका प्रयोग विस्तृत अनुदेशनात्मक उद्देश्यों-विषय-सामग्री, आधिपत्य, अभिवृत्तियों परिवर्तन, भौतिक विकास, समस्या समाधान तथा सम्प्रेषण कौशल की प्राप्ति के लिए किया जाता है।

12. सूझ-बूझ विकास में सहायक (Helpful in the development of Comprehension)—इस विचार-विमर्श विधि से विद्यार्थी की सूझ-बूझ विकसित होती है जिसके द्वारा किसी सामाजिक समस्या को आसानी से हल करने में मदद मिलती है।

13. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान (Identifying talented students)—सामूहिक विचार-विमर्श द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है जिसमें अच्छे व्यक्ति की क्षमता होती है।

14. ज्ञान व चिन्तन का विकास (Development of Knowledge and reflection)—विचार-विमर्श द्वारा व्यक्तिगत चिन्तन से सामूहिक चिन्तन अधिक स्पष्ट, सशक्त न्याय संगत एवं तर्कसंगत होता है। सामूहिक चिन्तन ही वास्तव में वाद-विवाद है। विचार-विमर्श में कई तर्क दिए और सुने जाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप पूर्व ज्ञान तथा पूर्व सूचनाओं में नए ज्ञान तथा नई सूचनाओं की वृद्धि होती है।

15. उद्देश्यों की उपलब्धि (Achievement of objectives)—सामूहिक विचार-विमर्श उच्च स्तर के ज्ञानात्मक और भावनात्मक ध्येय की प्राप्ति में मददगार सिद्ध होते हैं।

16. वास्तविक जीवन में रहने की प्रेरणा देना (Inspiration to live in reality)—विचार-विमर्श की तर्क विधि से विद्यार्थियों को प्राप्त किए गए ज्ञान को वास्तविक जीवन में प्रयोग करने के योग्य बनाती है।

विचार-विमर्श विधि के दोष, कमियां या अवगुण *(Demerits of Discussion Method)*

1. देश की वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयुक्त (Not suitable in the present, available circumstances)—निम्नलिखित कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो देश में विद्यालयों में उपलब्ध वर्तमान परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं है—

(i) पाठ्यक्रम का जरूरत से अधिक बड़ा होना।
(ii) कक्षा का वातावरण सहयोगपूर्ण न होना।
(iii) कक्षा में बालकों का संख्या अधिक होना।
(iv) विचार-विमर्श विधि पर आधारित पाठ्यपुस्तकों का न मिलना।
(v) अध्यापकों को इस प्रकार की विधि के प्रयोग में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित न होना।

उपरोक्त परिस्थितियों के अनुसार विचार-विमर्श में जहाँ अपने गुण हैं वहाँ इसके कुछ दोष भी हैं। हमारे भारत देश में विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए जहाँ तक इसके उपयोग का प्रश्न है तो इस बारे में यह कहना उचित होगा कि इस विधि को सामाजिक अध्ययन शिक्षण को एकमात्र विधि नहीं माना जा सकता।

2. सेकण्डरी कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं (Not very suitable for secondary classes)—विचार-विमर्श की शिक्षण विधि माध्यमिक कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। इस प्रकार की विधि का सही उपयोग तो ऊँची कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि ऊँची कक्षाओं के विद्यार्थियों में तर्क-वितर्क करने की क्षमता अधिक होती है। सोच भी बड़ी होती है, जो उन्हें बोध और चिन्तन स्तर पर विचार-विमर्श की योग्यता प्रदान करती है।

3. गुटबन्दी (Groupism)—विचार-विमर्श के संचालन में सामान्य तौर पर गुटबाजी होने का भय रहता है, जो एक-दूसरे की आलोचना करने लगते हैं। इस तरह से इस विधि में आलोचना अधिक होती है और सम्बन्धित विषय पर विचार व सोच कम होती है। इस गुटबन्दी के कारण अनावश्यक तर्कों का समावेश भी हो सकता है।

4. समय और शक्ति का अपव्यय (Wastage of time and Energy)—विचार-विमर्श विधि जनतंत्रात्मक विधि है जिसमें जन के मतों, गुण व दोषों को साथ लेकर चलना पड़ता है। विद्यार्थियों को अधिक स्वतन्त्रता मिलने पर वे एकाधिकार समझकर विषय से न केवल भटक जाते हैं, बल्कि लड़ाई-झगड़े की स्थिति भी पैदा हो जाती है। इस प्रकार शिक्षण अधिगम कार्य के लिए नियत बहुमूल्य समय और इससे जुड़े हुए व्यक्तियों एवं साधनों की शक्ति का हनन और अपव्यय होता है।

5. एकाधिकारीकरण (Monopolisation)—विचार-विमर्श में एकाधिकार करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। इसलिए कुछ ही विद्यार्थी इस विधि पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। इसी कारण से बहुत से विद्यार्थी इसमें भाग ही नहीं लेते।

6. कुशल अध्यापकों की कमी (Lack of Capable teachers)—विचार-विमर्श के लिए आवश्यक कुशल अध्यापकों की कमी पाई जाती है।

सामूहिक विचार-विमर्श को प्रभावशाली प्रयोग के लिए सुझाव *(Suggestions for the Effective Use of Discussion Method)*

निम्नलिखित सुझावों के द्वारा सामूहिक विचार-विमर्श को शिक्षण विधि अथवा नीति द्वारा प्रभावशाली बनाया जा सकता है—

1. **सबके लिए अवसर (Opportunity for all)**—विचार-विमर्श विधि में सभी विद्यार्थियों को बराबर भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। सभी को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। इसलिए बिना दबाव के अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।
2. **संकोच रखने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण (Training of shy students)**—संकोचशील विद्यार्थियों को छोटे-छोटे समूहों में विचार-विमर्श करने का प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। उन्हें बोलने की स्वतन्त्रता देकर समूह के विचार-विमर्श करने में सहयोग देना चाहिए। संदेहों को स्पष्ट करना चाहिए जिससे उनका मनोबल बढ़े।
3. **शक, त्रुटियाँ दूर करना (Removing doubts)**—अध्यापक द्वारा शंकायें, त्रुटियाँ तथा गलत अर्थ निरूपण दूर किए जाने चाहिए।
4. **महत्त्व का ज्ञान (Acquaintance with significance)**—विद्यार्थियों को प्रकरण तथा उसकी प्रवृत्ति के महत्त्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए और प्रकरण के महत्त्वपूर्ण तथ्यों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
5. **एकाधिकारीकरण नहीं (No, monopolisation)**—विचार-विमर्श विधि में कुछ ही विद्यार्थियों को एकाधिकार नहीं देना चाहिए क्योंकि उनमें इसमें मैं की भावना पैदा होने की सम्भावनाएँ हो सकती हैं। इसलिए सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। व्यक्तित्व अनुसरण की भावना से बचना चाहिए।
6. **असम्बन्धित आलोचना को हतोत्साहित करना (Discouraging irrelevants Criticism)**—विद्यार्थियों को विभिन्न विचारों की प्रशंसा करने का निर्देशन देना चाहिए। असम्बन्धित आलोचना को हतोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
7. **सारांश एवं मूल्यांकन (Summary and Evaluation)**—निष्कर्ष इस प्रकार से बनाए जाने चाहिए कि सभी तथ्यों को उसमें शामिल किया गया हो। विचारधाराओं व महत्त्वपूर्ण तथ्यों का सार एवं मूल्यांकन करना चाहिए।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

8. **मिलजुल कर और टीम भावना (Co-operation and team spirit)**—प्रतियोगिता की अपेक्षा सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। समूह भावना को विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विचार-विमर्श विधि शिक्षण की न केवल एक शिक्षण विधि है अपितु विचार-विमर्श विधि उच्च कक्षाओं में अध्ययन की आदतों के विकास के लिए तथा योग्यताओं की अभिव्यक्ति के लिए बहुत सहायक है।

वाद-विवाद में अध्यापक का क्या योगदान है
(What is the contribution of teacher in discussion method)

वाद-विवाद के आयोजन में अध्यापक की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसके बिना वाद-विवाद का सफलतापूर्ण आयोजन नहीं किया जा सकेता। अध्यापक वाद-विवाद करने वाले छात्रों के समूह का नेता होता है। वह ही वाद-विवाद का शुभ आरंभ करवाता है। सबसे पहले छात्रों के समक्ष वाद-विवाद की समस्या की व्याख्या करता है। बेशक समस्या वाद-विवाद का आरंभ अध्यापक द्वारा होता है फिर भी वह छात्रों को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देता है।

अध्यापक के लिए यह देखना बहुत आवश्यक है कि सभी विद्यार्थी वाद-विवाद में भाग ले रहे हैं। प्रत्येक छात्र अपनी क्षमता के अनुसार वाद-विवाद में कुछ योगदान दे रहा है। शर्मीले स्वभाव के छात्रों को भी अध्यापक ने प्रोत्साहित करना होगा कि वे भी वाद-विवाद में भाग लें। वाद-विवाद किसी समस्या के समाधान ढूंढने के लिए किसी समूह द्वारा एक संयुक्त प्रयत्न है। इसलिए अध्यापक को देखना होगा कि वाद-विवाद में सभी छात्र भाग ले रहे हैं।

अध्यापक का एक और कार्य-विवाद में तालमेल (Co-ordinate) करना है। उसे छात्रों को विभिन्न विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि विद्यार्थी एक दूसरे से विपरीत विचार प्रकट कर रहे हैं तो उनमें मन-मुटाव को नहीं आने देना चाहिए। एक दूसरे पर व्यक्तित्व आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। (No personal attacks should be allowed by the teacher).

वाद-विवाद की सफलता के लिए अध्यापक का साधनपूर्ण (Resourceful) होना बड़ा आवश्यक है। उसमें ज्ञान का भंडार होना चाहिए। जब भी कोई छात्र गलत तथ्यों को प्रस्तुत करता है तो उसे अपने मूल्यवान विचार जो तथ्यों पर आधारित हैं। कक्षा के सामने रखने चाहिए।

वाद-विवाद की अवधि में पूर्ण अनुशासन की भी बहुत आवश्यकता है। इसलिए अध्यापक को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। अध्यापक को कभी भी छात्रों पर हावी होने का यत्न नहीं करना चाहिए। वह तो छात्रों को केवल एक मार्गदर्शक और सहायक है। उसको छात्रों पर अपने विचारों को लादने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अपनी चालाकी और साधनों से उस वाद-विवाद को सही मार्ग से भटकने नहीं देना चाहिए। यदि वाद-विवाद आरंभ हुआ है तो वह समाप्त भी होगा। वाद-विवाद के अंत में अध्यापक को जो कुछ भी हुआ है उसका सार बनाकर श्रेणी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। इस स्टेज पर भी उसे छात्रों को कुछ बिन्दुओं को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रश्नों को पूछने की अनुमति दे देनी चाहिए।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाद-विवाद विधि की सफलता बहुत सीमा तक अध्यापक पर निर्भर करती है। केवल चालाक, साधनपूर्ण कल्पनाशक्ति वाले, योग्य अध्यापक ही वाद-विवाद का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। (Only tactful, resourceful, imaginative and able teachers can guide a discussion on right lines.)

◆◆◆

LAXMI®

EXAM NOTES

पाठ्यक्रम के तहत भाषा

[LANGUAGE ACROSS THE CURRICULUM]

[Paper–IV(A)]

UNIT–II

4. ***Listening and Speaking as Essential Communicative Skills***
   - *Processing and Enquiring Information*
   - *Listening and Speaking to Interact: dialogue, storytelling, poem,*
   - *Recitation, Short play*
   - *Respond to Style, Tone and Registers of language*
5. ***Reading to Learn and Understand***
   - *Scanning, Skimming and Extracting relevant information from the books*
   - *Understand the meaning in reference to context*
   - *Schema Theory; Text structures, & reading in content areas*
6. ***Writing to Learn and Understand***
   - *Linkages between reading & Writing*
   - *Learn to write reports, reviews, essays, notices, letters and creative writings*
   - *Presentations of selected papers, questions and answers*

—: प्रकाशक :—

LAXMI BOOK DEPOT LBD Hansi Gate, Bhiwani TM

लक्ष्मी बुक डिपो

हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

CIMETRIX SKILLED INDIANS - SKILLED INDIA

4

आवश्यक सम्प्रेषण कौशल के रूप में श्रवण तथा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल

[Listening and Speaking Skills as Essential Communicative Skills]

1. श्रवण कौशल से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकार बताइए।
(What do you understand by listening skill? Mention its types.)

अथवा

श्रवण कौशल से आप क्या समझते हैं? श्रवण कौशल के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए।
(What do you understand by listening skill? Mention its types.)

CIMETRIX

उत्तर–**श्रवण का अर्थ (Meaning of Listening)**–'श्रवण' शब्द को अंग्रेजी में 'लिसनिंग' कहते हैं। 'हियरिंग' शब्द का अर्थ है किसी भी ध्वनि को सुनना, जबकि लिसनिंग का अर्थ है सुनी गई बात का अर्थ समझ पाना। श्रवण शब्द 'श्रु' धातु से बना है, जिसका संबंध सुनने की क्रिया, ध्यानपूर्वक सुनने, अध्ययन करने, सीखने से है।

डा. किशोरीलाल शर्मा के अनुसार श्रवण कौशल में केवल ध्वनि श्रवण ही शामिल नहीं होता बल्कि जो कुछ हम सुनते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं और अर्थ ग्रहण करके उसे याद रखते हैं। इसी तरह से किसी भाषण को सुनना निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं होती बल्कि एक उद्देश्य परक प्रक्रिया है।

भाषा-श्रवण का सम्बन्ध 'कर्ण' से है। शब्द का अर्थ सामाजिक प्रसंग में सुनने से ग्रहण किया जाता है। छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद-विवाद, वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है और उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। यदि छात्र की श्रवण-इन्द्रिय में दोष है तो वह न भाषा सीख सकता है और न अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। अतः उसका भाषा ज्ञान शून्य के बरांबर ही रहेगा। बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा ज्ञान अर्जित करता है।

भाषा शिक्षण में सुनने का अर्थ केवल भाषा को सुनना मात्र नहीं है। इसके अंतर्गत ध्वनियों को सुनकर उनमें अंतर कर पाना, ध्वनि की विशेषताओं को समझना और उसी प्रकार से उनका उच्चारण कर पाना शामिल है। साथ ही विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भाषा मे प्रयोग होने वाले अनुतान, बलाघात की पहचान करे और बोलने वाले के विचारों को समझे।

डॉ. उमा मंगल के अनुसार सुनना एक प्रक्रिया है, जिसमें सुनने वाला ध्वनियों, शब्दों एवं भावों को कानों के माध्यम से प्राप्त करता है और उसके अर्थ को समझता है। श्रवण कौशल वह योग्यता है, जिसकी सहायता से सुनने वाला वक्ता के बोलने के उद्देश्य को समझ सकता है।

भाषा शिक्षण में पढ़ने, लिखने और सम्यक मौखिक अभिव्यक्ति कौशलों के विकास पर बल दिया जाता है। जब विद्यार्थी आगे चलकर उसी भाषा के प्रदेश में जाते हैं और वहां की क्षेत्रीय भाषा को सुनते हैं तो उसे समझने में कठिनाई होती है। सुनने के कौशल का विकास न होने के कारण भाषा को समझने में कठिनाई आती है और वह वहां के लोगों से प्रभावी रूप से संवाद नहीं कर पाता।

श्रवण कौशल के बारे में जानने से यह आवश्यक ही अनिवार्य भी है कि आप भाषायी कौशलों से परिचित हो लें। तभी आप सभी कौशलों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रुप से विद्यमान रहती है। उसकी इस प्रवृत्ति का प्रमाण शैशवावस्था में मिल जाता है जब वह अनुकरण के माध्यम से अपने माता-पिता तथा घर के अन्य सदस्यों से ध्वनियाँ ग्रहण करता है, ध्वनि समूहों को समझने लगता है और उन्हें बोलने लगता है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति ही उसे भाषा सीखने की ओर प्रशस्त करती है। भाषा एक कला है, दूसरी कलाओं की भाँति इसे सीखा जाता है और सतत अभ्यास से इसमें प्रवीणता आती है। जिस प्रकार दूसरी कलाओं में साधनों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार भाषा सीखने के लिए भी साधन की आवश्यकता होती है। साधन का दूसरा नाम अभ्यास है, कला की साधना अन्ततः आदत बन जाती है।

श्री एस.के. देशपांडे ने इस तथ्य पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है–"भाषा-शिक्षण का सम्बन्ध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनायें प्रदान करना मात्र नहीं बल्कि भाषा सीखने वालों को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है।"

श्रवण के प्रकार *(Types of Listening)*

श्रवण के दो प्रकार होते हैं–

1. सामान्य श्रवण (Normal Listening)
2. चयनात्मक श्रवण (Selective Listening)

(1) सामान्य श्रवण (Normal Listening)–सामान्य श्रवण का अर्थ है भाषा को सामान्य रूप से सुनना। इसमें भाषा के किसी बिंदू विशेष को व्यवस्थित रूप से सुनने का अभ्यास नहीं कराया जाता है। इसमें भाषा की ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों को खास तौर पर चुनकर नहीं सुनाया जाता। छात्रों को भाषा को संदर्भ के अनुसार सुनाया जाता है और सुनने के बाद एक दो प्रश्न पूछकर यह जांच की जाती है कि संदर्भ के मुख्य अंशों को छात्र कितना समझ पाते हैं। इस श्रवण के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री लम्बी और अपेक्षाकृत आसान होती है। छात्र के दैनिक जीवन, उसकी रूचियों और परिचित परिवेश से प्रस्तुत सामग्री का चुनाव किया जाता है। इसके साथ-साथ रेडियो पर गीतों, नाटकों और कहानियों के कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत सुनवाए जाते हैं। साथ ही ऐसे वार्तालाप भी सुनाए जाते हैं जिसकी पृष्ठभूमि में शोर होता है। यह श्रवण छात्रों को भाषा सुनने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, जिससे छात्र अन्य भाषा से अधिक परिचित होता है।

सामान्य श्रवण में निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है:

1. शांत मन से सुनना
2. ध्यान से सुनना
3. पर्याप्त मात्रा में सुनना

(2) चयनात्मक श्रवण (Selective Listening)–चयनात्मक श्रवण का अर्थ है–सीखी जाने वाली भाषा की ध्वनियों के बिंदुओं को सुनना सीखना। भाषा में कुछ ध्वनियां ऐसी हो सकती हैं जो सुनने में समस्या उत्पन्न कर सकती हैं और जो छात्र की मातृभाषा में न हों। उनको सही प्रकार से सुनना और पहचान करना कठिन हो सकता है। इनके लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है। अतः अन्य भाषा की ध्वनि व्यवस्था से इन शिक्षण बिंदुओं को चुनकर व्यवस्थित रूप से सुनना सिखाना आवश्यक है। इस प्रकार भाषा की ध्वनियो के वितरण, संदर्भ में शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के साथ-साथ व्याकरणिक विशेषताओं संबंधी बिंदुओं का चयन किया जाए। उससे संबंधित अभ्यास सामग्री को तैयार करके व्यवस्थित रूप से अभ्यास करना आवश्यक है।

चयनात्मक श्रवण में निम्नलिखित तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए–

1. समान ध्वनियों का श्रवण
2. नई ध्वनियों का श्रवण
3. समस्यात्मक ध्वनियों का श्रवण

विद्यार्थी में सुनने की योग्यताओं के विकास का क्रम निर्धारण मातृभाषा के रूप में तथा द्वितीय भाषा के रूप में किया जाता है। एनसीईआरटी द्वारा दस वर्षीय स्कूली पाठ्यक्रम तथा इश्वरभाई पटेल कमेटी ने हिन्दी शिक्षण के समय बालकों में जिन योग्यताओं का विकास करने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं वे निम्न प्रकार हैं:-

द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी (कक्षा 5/6 से 8 तक के लिए)

(क) हिंदी की ध्वनियों को सुनकर मातृभाषा की ध्वनियों और हिंदी ध्वनियों में विभेद कर सकना। मिलती जुलती ध्वनियों (जैसे-इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ तथा अल्प प्राण-महाप्राण, घोष-अघोष, अनुस्वार-अनुनासिक-निरनुनासिक, श-स, छ-क्ष, ड-ढ, व-ब, य-ज, स-श) पर विशेष ध्यान देना।

ख) हिन्दी में दिए गए सामान्य निर्देशों को समझना।

(ग) रेडियो, फिल्म और टेलीविजन पर मनोरंजन और ज्ञान प्राप्ति के लिए हिंदी कार्यक्रम सुनना और देखना।

श्रवण कौशल के उद्देश्य *(Objectives of Listening Skills)*

- श्रवण कौशल के प्रति रूचि पैदा करना।
- छात्रों में सुनकर अर्थग्रहण करने की योग्यता विकसित करना।
- दूसरों द्वारा उच्चारित शब्दों को सुनकर शुद्ध उच्चारण के योग्य बनाना।
- श्रुत सामग्री के महत्वपूर्ण अंशों को पहचानने की योग्यता विकसित करना।
- आकर्षक एवं मर्मस्पर्शी विचारों तथा भावों का चयन करने की योग्यता का विकास करना।

श्रवण कौशल को प्रयत्न पूर्वक विकसित करने की आवश्यकता होती है। इसे विकसित करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए निम्न चार प्रकार के अभ्यास करने की जरूरत होती है–

1. ध्वनियों का सामान्य तथा रचनात्मक श्रवण
2. अनुतान-सांचों का श्रवण
3. व्याकरणिक रूपों का श्रवण
4. संदर्भगत श्रवण

उपर्युक्त अभ्यासों द्वारा शिक्षार्थी में श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है, परंतु यह अभ्यास करवाने के लिए भाषा अध्यापक निश्चित अभ्याय के अनुरूप निश्चित शिक्षण विधियों का सावधानी से चुनाव करता है।

◆◆◆

2. श्रवण कौशल का क्या महत्व है? श्रवण कौशल के विभिन्न तत्व कौन से हैं?
(What is the importance of listening skill? What are various elements of listening?)

अथवा

श्रवण कौशल का महत्व बताइए। श्रवण कौशल के विकसित करने के क्या आधार हैं?
(Describe the importance of listening skill. What is foundation of developing listening skill?)

अथवा

CIMETRIX

श्रवण कौशल को विकसित करने के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।
(Describe the steps involved in the development of listening skill.)

उत्तर–बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में श्रवण कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जन्म से ही बच्चा विभिन्न ध्वनियों को सुनने लगता है। धीरे-धीरे ये ध्वनियाँ उसके मन और मस्तिक पर अंकित होती चली जाती हैं। यही ध्वनियाँ आगे चलकर बच्चे के भाषा ज्ञान का आधार बन जाती हैं। जैसे-जैसे बच्चा ध्यान से इन ध्वनियों को सुनता है तो उसे विभिन्न ध्वनियों के सूक्ष्म भेदों का ध्यान होने लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रवण कौशल भाषा के ज्ञान का प्रथम सोपान कहा जाता है। अतः यह कौशल अन्य भाषागी कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सीढ़ी के द्वारा बच्चा अंतिम सीढ़ी अर्थात् लेखन कौशल पर पहुँचता है।

बालक के परिवार में माता-पिता के अतिरिक्त दादा-दादी अथवा भाई-बहन भी होते हैं। बालक उनको भी बोलते हुए सुनता है और फिर अनुकरण द्वारा विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण करने का प्रयास करता है। नवीन शब्दों को सुनने से उसके शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है। तनिक बड़ा होकर बालक अपने मुहल्ले के बच्चों के संपर्क में आता है, जिससे उसके शब्दों का ज्ञान और अधिक बढ़ जाता है। आगे चलकर वह अपने से बड़े लोगों तथा शिक्षक आदि के संपर्क में आता है। उनके मुख से शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर गति, ध्वनियों के उतार-चढ़ाव आदि को सुनकर वह भी उसी के अनुसार बोलने की कोशिश करता है। इस प्रकार वह न केवल मौखिक अभिव्यक्ति करने में समर्थ हो जाता है, बल्कि मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवीण भी हो जाता है।

हमें इस तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि श्रवण कौशल मौखिक के लिए ही नहीं, पठन कौशल तथा लेखन कौशल को भी विकसित करने के लिए नितान्त आवश्यक है। पाठशाला में बालक श्रवण क्रिया द्वारा विभिन्न ध्वनियों तथा उनसे निर्मित शब्दों को भी पहचानने लगता है। वह ध्वनियों तथा शब्दों का वाचन करता है। यहाँ अध्यापक की भूमिका का विशेष महत्व है। वह पुस्तक की सहायता से प्रत्येक वर्ण का शुद्ध उच्चारण करता है। बच्चे धीरे-धीरे वर्णों से परिचित होते हैं और अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन को सुनकर ध्वनियों का अनुकरण करते हैं और स्वयं वाचन करने लगते हैं। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक होगा कि लेखन कौशल को भी विकसित करने के लिए श्रवण कौशल की आवश्यकता होती है। जब अध्यापक आदश वाचन द्वारा शब्दों का उच्चारण करता है तो बच्चे उस उच्चारण को सुनकर लिखते हैं, जिससे वर्तनी का अभ्यास हो जाता है। अध्यापक उचित स्वर गति और विराम चिह्नों का ध्यान रखते हुए शब्दों तथा वाक्यों का वाचन करता है, जिससे बच्चे उचित गति से लिखने में अभ्यस्त हो जाते हैं। इस क्रिया को श्रुतलेख कहते हैं। अक्सर देखने में आया है कि जो बच्चे ध्यानपूर्वक नहीं सुनते, वे न केवल लिखने में पिछड़ जाते हैं, अपितु उनके लेखन में अशुद्धियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसी प्रकार आगे चलकर रचना कार्य के लिए भी अध्यापक पहले मौखिक उच्चारण करता है तथा बाद में लिखित रूप देता है। इस दृष्टि से भी श्रवण कौशल का विशेष महत्व है।

मातृभाषा शिक्षण के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी हमें श्रवण कौशल की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे कविता सुनकर रसास्वादन प्राप्त करते हैं। कहानी सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार साहित्य की अन्य विधाओं के संदर्भ में अध्यापक विषय से संबंधित जो व्याख्या करता है, उसे सुनकर बच्चे विषय-वस्तु को तत्काल ग्रहण कर लेते हैं। इन सब बातों के साथ-साथ श्रवण कौशल के द्वारा साहित्य क्रिया-कलापों का आनंद भी प्राप्त किया जाता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के कार्यक्रम को सुनकर बच्चों का क्या कहना, बड़े बुजुर्गों का भी मनोरंजन होता है। व्यावहारिक दृष्टि से सामाजिक तथा पारिवारिक कार्यों को संपन्न करने के लिए भी श्रवण कौशल अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

श्रवण कौशल के महत्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर भी समझा जा सकता है–

1. व्यक्ति के विचारों का आदर होना चाहिए।
2. समाज में सभी के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए एवं प्रतिकूल मत का स्वागत करना चाहिए।

3. खुले मस्तिष्क के साथ अपने मत का प्रतिपादन तभी कर सकते हैं जब विचारों का औचित्य पैनी धार पर आश्रित हो। बहुधा तर्क के अभाव में स्वर उच्चता, झुंझलाहट, खीज इत्यादि अवगुण पाये जाते हैं।
4. जो ध्यान से सुनने की कला में प्रवीण नहीं, वह विरोधियों के तर्क का खण्डन नहीं कर सकता।
5. बहुधा विद्यालयों में वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में श्रवण कौशल के प्रयोग की झलक देखने को मिलती है।
6. जो व्यक्ति शांत रहकर दूसरों की बात सुनते और समझते हैं, ये अपने विचारों के प्रतिपादन हेतु ठोस तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं।
7. हमें चीखने-चिल्लाने की अपेक्षा तर्क शक्ति पर अधिक भरोसा करना चाहिए।

श्रवण कौशल के तत्व

श्रवण कौशल के तत्व निम्नलिखित हैं–

1. सुनने पर दत्तचित हो, श्रोता का मुखमंडल प्रसन्न होना चाहिए।
2. मनोयोगपूर्वक/धैर्यपूर्वक/ध्यान केन्द्रित करके सुनना चाहिए।
3. सुनते समय हाँ, हूँ या स्पष्ट समझने के लिए प्रश्न, आवृत्ति करने को कहना, यदि शंका हो तो उसका समाधान आदि करना चाहिए। इससे वक्ता का मनोबल बढ़ता है और हँसी-खुशी में अपनी बात कह देता है।
4. सुनते समय अन्य कोई काम न करे या श्रोता का ध्यान अन्यत्र नहीं हो। सुनते समय प्रदत्तक/समाचार-पत्र वाचन उचित नहीं है और न दीवार पर लगे किसी चित्र पर ध्यान होना चाहिए।
5. श्रोता की बैठने की सही स्थिति होनी चाहिए। श्रोता को वक्ता की ओर मुख करके उसके सामने होना चाहिए। श्रोता वक्ता के मुख व मुखाकृति को देखता रहे।
6. सुनने में शीघ्रता अनुचित है।
7. श्रवण कौशल यही है कि सुनने के साथ उसका अर्थ भी ग्रहण किया जाए।
8. सुनते समय किसी से वार्तालाप भी नहीं करनी चाहिए।
9. श्रोता को वक्ता के पास या उसकी ध्वनि क्षेत्र की परिधि में ही बैठना चाहिए। अध्यापक का दायित्व है कि बालकों में उपर्युक्त योग्यताओं का विकास करे।
10. श्रोता की श्रवणेन्द्रिय (कान) में कोई विकार नहीं हो।
11. श्रोता में भाषा की ध्वनियों, ध्वनि समूहों, शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है।
12. श्रोता में मूल ध्वनियों एवं ध्वनि समूहों में अंतर करने की योग्यता होनी चाहिए।
13. श्रोता में सुनने की तत्परता, सुनने में उसकी रुचि एवं अवधान का होना आवश्यक है।
14. श्रोता में धैर्यपूर्वक पूर्ण मनोयोग से सुनने की आदत होनी चाहिए।
15. श्रोता में सुनी हुई सामग्री का अर्थ एवं समझने की योग्यता हो।

श्रवण कौशल को विकसित करने के आधार

हिन्दी भाषा सीखने वाले प्रत्येक अध्येता के कान मातृभाषा की ध्वनि-व्यवस्था के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि वह मातृभाषा की ध्वनियों से भिन्न ध्वनियों को स्पष्टतः सुनने में स्वयं को असमर्थ पाता है। अन्य भाषा सीखने-सिखाने में यह एक बहुत बड़ी बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए सचेष्ट प्रक्रिया का अपनाया जाना अत्यावश्यक है। यह प्रक्रिया जटिल तथा श्रमसाध्य है, इसलिए इस प्रक्रिया को विकसित करने के व्यवस्थित तथा अविरल प्रयत्न किया जाना आवश्यक है।

CIMETRIX SKILLED INDIA

श्रवण कौशल तथा भाषण-कौशल का अन्योन्याश्रित संबंध है, अर्थात् किसी भी भाषा को स्पष्ट रूप से सुनना/ग्रहण करना सीख लेने पर ही उस भाषा का उच्चारण/अभिव्यक्ति संभव है। श्रवण कौशल का जितना अच्छा विकास हो जाएगा, श्रवण कौशल में पिछड़े रहने वाले अधिकतर छात्रों का श्रवण कौशल अविकसित या अपरिपक्व होता है।

श्रवण कौशल विकसित करने की प्रक्रिया के दो मुख्य अंग हैं–

1. सामान्य श्रवण
2. चयनात्मक श्रवण

सामान्य श्रवण के पाँच आधार कहे जा सकते हैं–

1. पर्याप्त श्रवण
2. शांत-चित्त श्रवण
3. एकाग्र श्रवण
4. अनौपचारिक श्रवण
5. बाधाहीन श्रवण

चयनात्मक श्रवण के पांच सोपान माने जा सकते हैं–

1. समस्यामूलक ध्वनियों का श्रवण
2. नवीन ध्वनियों का श्रवण
3. अनुपात सांचों का श्रवण
4. व्याकरणिक रूपों का श्रवण
5. संदर्भ वाक्यों का श्रवण

सामान्य श्रवण–अन्य भाषा-शिक्षण के दिनों में श्रवण-कौशल का विकास करने के लिए अध्येता में सामान्य श्रवण की कुशलता का विकास करना आवश्यक है। सामान्य श्रवण का अर्थ है–अध्येय भाषा (सामग्री) को सामान्य रूप से सुनना। सामान्य श्रवण की प्रक्रिया में भाषा के किसी बिन्दु विशेष को व्यवस्थित रूप से सुनने का अभ्यास नहीं कराया जाता। देखा जाता है कि लम्बे समय तक किसी (अन्य) भाषा को नियमित रूप से सुनते-सुनते अध्येता में उस भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों को साफ-साफ सुनने की क्षमता का शनैः-शनैः स्वतः विकास हो जाता है। प्रकृति-प्रदत्त मानसिक शक्ति के माध्यम से शिशु मातृभाषा की ध्वनियों को और अन्य भाषा-अध्येता द्वितीय भाषा की ध्वनियों को निरंतर सुनते रहने से आत्मसात् कर लेता है। सामान्य श्रवण के लिए यदि इस प्रकार की सामग्री प्रदान की जाए कि जिसमें अध्येता को सुनते समय रुचि तथा आनंद आए तो इससे भाषा-बोध में अधिक सहायता मिलेगी, अतः श्रवण-कौशल को विकसित करने के लिए सामान्य श्रवण संबंधी निम्नलिखित आधारों की सम्यक् पूर्ति होनी चाहिए–

(क) पर्याप्त श्रवण–पर्याप्त श्रवण का अर्थ है–बहुत देर तक, बहुत-सी बातों को लगातार-सुनना। पर्याप्त श्रवण (विषय-वस्तु तथा श्रवण की अधिक मात्रा) से उस भाषा की ध्वनि-व्यवस्था का प्रभाव श्रोता के मस्तिक पर पड़ते रहने के कारण उनमें शनैः-शनैः उस भाषा की ध्वनियों को पहचाने की शक्ति का स्वतः ही विकास होता जाता है और मस्तिष्क अपनी रचना की विशेषता के कारण पहचानी गई ध्वनि का वागेन्द्रिय से स्वतः ही उच्चारण करने में समर्थ हो जाता है, अतः भाषा के शिक्षार्थी को पर्याप्त श्रवण के अवसर प्रदान करना परमावश्यक है। हिन्दी के पर्याप्त श्रवण के लिए उपाय अपनाए जा सकते हैं–हिन्दी मातृभाषा-भाषी व्यक्तियों के भाषणों का आयोजन करना, रेडियो-ट्रांजिस्टर पर हिंदी कार्यक्रमों को सुनने की व्यवस्था करना, विविध भाषणों/कार्यक्रमों को टेपांकित करके सुनाना, हिन्दी गीत, कविता, वार्तालाप, चुटकले, पहेलियां आदि सुनना, हिंदी फिल्म दिखाना, हिन्दी फिल्मों के गीतों, डायलॉगों के रिकॉर्ड सुनाना, हिन्दी नाटकों का आयोजन करना, आरंभ से ही आवश्यक सूचनाएँ हिन्दी में देना, कक्षा में (संभव हो तो विद्यालय में भी) हिन्दी श्रवण-भाषण का वातावरण बनाए रखना।

(ख) एकाग्र श्रवण–प्रत्येक स्वस्थ मस्तिष्क की यह जिस बात में रुचि रखता है, उसकी ओर एकाग्र हो जाता है और एकाग्रता की स्थिति में की गई कोई भी क्रिया स्थिर तथा प्रभावकारी होती है; अतः भाषा के समय उसके श्रवण में रुचि हो, जिससे कि एकाग्रता बनी रहे।

(ग) अनौपचारिक श्रवण–सामान्यतः किसी द्वितीय भाषा के लोगों के मध्य रहते हुए बिना किसी औपचारिक श्रवण-अभ्यास के ही अधिकतर लोगों में उस भाषा की श्रवण-दक्षता का विकास हो जाता है। सामान्य श्रवण या निष्क्रिय श्रवण भी इसी प्रकार का प्रभाव डालता है। द्वितीय भाषा को सीखने के इच्छुक

GIMETRIX
SKILLED INDIANS . SKILLED INDIA

व्यक्ति अन्य कार्यों में लगे होने पर भी मस्तिष्क की रचना-विशेषता के कारण द्वितीय भाषा को सुनते हुए धीरे-धीरे उसके श्रवण-पक्ष में पुष्ट हो जाते हैं। अतः अनौपचारिक/सामान्य/निष्क्रिय श्रवण के पर्याप्त अवसर प्रदान करना श्रवण-पक्ष को पुष्ट करना है।

(घ) बाधाहीन श्रवण–रेल, बस-स्टेशन, कारखाने, राजमार्ग आदि के पास के मकान में रहने वाले व्यक्तियों को शुरू-शुरू में वहां के तरह-तरह के शोरगुल के कारण एकाग्रता के कार्यों, नींद में कुछ दिनों तक बाधा पड़ती है; किन्तु शनैः-शनैः उसकी श्रवणेन्द्रिय उस शोरगुल की आदी हो जाती है, अर्थात् उसमें अपेक्षित बधिरता विकसित हो जाती है और वह शोरगुल उसकी एकाग्रता के कार्यों या नींद में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। सामान्यतः भाषा के श्रवण के समय बाहरी शोरगुल बाधा उत्पन्न करता है, अतः जहां तक संभव हो, उस समय तक बाधाहीन श्रवण के अवसर प्रदान किए जाएं, जब तक छात्रों की श्रवणेन्द्रिय में बाहरी शोरगुल के प्रति अपेक्षित बधिरता उत्पन्न नहीं होती।

सामान्य श्रवण को विकसित करने का वातावरण तथा साधन

कोई भी भाषा सीखने-सिखाने में वातावरण और साधनों का पर्याप्त महत्व होता है। द्वितीय भाषा सीखते-सिखाते समय सामान्यतः सहज वातावरण नहीं मिल पाता। औपचारिक शिक्षण के समय भाषाध्यापक तथा अध्येता को दो प्रकार का वातावरण उपलब्ध होता है–

1. कक्षा का आंतरिक वातावरण
2. कक्षा का बाह्य वातावरण

भाषा-अध्यापक को कक्षा के भीतर द्वितीय भाषा का वातावरण बनाए रखने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके लिए अध्यापक को चाहिए कि जहां तक हो सके, सभी सूचनाएं, आदेश, प्रश्न और स्पष्टीकरण द्वितीय भाषा में ही प्रस्तुत किए जाएं। ऐसा होने से अध्येता को द्वितीय भाषा-श्रवण का अधिक अवसर मिलेगा। उनकी श्रवणेन्द्रिय शनैः-शनैः उन आदेशों, सूचनाओं, प्रश्नों आदि की अभ्यस्त होती जाएंगी।

द्वितीय भाषा-अध्यापक को चाहिए कि वे कक्षा के बाहर भी द्वितीय भाषा का वातावरण बनाने की भरसक कोशिश करें। इसके विविध सहपाठ्यक्रमीय क्रियाकलापों में अध्येताओं को भाग लेने के अवसर प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।

सामान्य श्रवण के लिए वातावरण-निर्माण के साथ-साथ श्रवणीय सामग्री या साधनचयन के समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना लाभदायक रहेगा–

(क) अध्येता-स्तर के अनुरूप श्रवणीय सामग्री
(ख) विविध विधाओं से युक्त श्रवणीय सामग्री
(ग) सामग्री- नियंत्रण में शनैःशनैः ढील।
(घ) विविध शैलियों से युक्त श्रवणीय सामग्री
(ङ) पाठ्यक्रम-अंधानुकरण से मुक्त श्रवणीय सामग्री

इस प्रकार सामान्य श्रवण में शिक्षार्थी को विभिन्न संदर्भों में अनौपचारिक ढंग से अध्येय भाषा-श्रवण के अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसा होने से अध्येता के कान अन्य भाषा की ध्वनियों, शब्दों तथा वाक्यों को सुनने के अभ्यस्त हो जाते हैं।

श्रवण कौशल विकसित करने के सोपान

चयनात्मक श्रवण के अनुसार पर श्रवण-कौशल विकसित करने के पाँच सोपान हैं–

1. समस्यामूलक ध्वनियों का श्रवण।
2. नवीन ध्वनियों का श्रवण
3. अनुतान सांचों का श्रवण

4. व्याकरणिक रूपों का श्रवण
5. संदर्भ वाक्यों का श्रवण

इन सोपानों में विभिन्न प्रकार के अभ्यास कराए जा सकते हैं—

चयनात्मक श्रवण—इस प्रकार के श्रवण-अभ्यासों के लिए अध्यापक मातृभाषा तथा द्वितीय भाषा (परिनिष्ठित भाषा, क्षेत्रीय बोली) की ध्वनि-व्यवस्था की तुलना करने के बाद मातृभाषा या क्षेत्रीय बोली में अनुपलब्ध ध्वनियों, उपलब्ध किन्तु वितरण की दृष्टि से भिन्न ध्वनियों के श्रवण का अभ्यास करता है। यह अभ्यास एक-एक पाठ्यबिन्दु का चयन करके कराया जाता है, न कि सभी ध्वनियों की एक ही साथ घाल-मेल करके। चयनात्मक श्रवण हेतु ध्वनियों के दो पक्षों पर ध्यान रखना आवश्यक है—

(क) समस्यामूलक ध्वनियाँ (ख) नवीन ध्वनियाँ

(क) समस्यामूलक ध्वनियों का श्रवण—भाषा में निश्चित ही कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं, जो उच्चारण-प्रक्रिया तथा वितरण की दृष्टि से बिल्कुल समान होती हैं। ऐसी समान ध्वनियों का दोनों भाषाओं के शब्दों की विभिन्न स्थितियों (आदि, मध्य, अन्त, ध्वनि-संयोग, ध्वनि-अनुक्रम, यथा-काम, चुका, नाक, मक्का, पक्व, चक्र आदि) में अध्यापक उनका उच्चारण करते हुए एक-दो बार छात्रों को श्रवण करा देता है। समान उच्चारण-प्रक्रिया तथा समान वितरण वाली ध्वनियों के श्रवण-अभ्यास में समय, शक्ति नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

अनुतान सांचों का श्रवण—शिक्षा-शास्त्रियों के विचार में चयनात्मक (ध्वनि) श्रवण से पूर्व द्वितीय भाषा के अनुतान-सांचों का श्रवण-अभ्यास करना अधिक उपयोगी रहता है, किन्तु यह देखा गया है कि अनुतान-सांचों को सीखने में समस्या-मूलक तथा नवीन ध्वनियों की अपेक्षा अधिक कठिनाई होती है, क्योंकि अनुतान-सांचों के वाक्यों में नवीन ध्वनियों, समस्यामूलक ध्वनियों, विवृत्ति, अक्षर-विभाजन, आघात, सुर, संधि सबका समाहार हो जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आरंभ से ही अनुतान-सांचों का श्रवण-अभ्यास कराना छात्रों पर अन्य भाषा सीखने का भारी बोझ डालना है। यदि अध्यापक परिश्रम करके दोनों भाषाओं में उपलब्ध (उच्चारण-प्रक्रिया, वितरण में) समान ध्वनियों के माध्यम से ही अनुतान-सांचों को वाक्यों का निर्माण कर ले तो श्रवण-कौशल के विकास में आवश्यक सहयोग मिलने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

हिन्दी में सामान्यतः निम्नलिखित अनुतान-सांचों में विभिन्न वाक्यों का श्रवण-अभ्यास मातृभाषा-भाषी के उच्चारण में प्रत्यक्ष या टेप के माध्यम से बार-बार कराया जा सकता है—

1. यह गुलाब है।
2. क्या यह गुलाब है?
3. क्या यह भी गुलाब है?
4. क्या यह गुलाब नहीं है?
5. क्यों नहीं?
6. यह गुलाब ही है।
7. क्या कहा? गुलाब!
8. अहा! कितना सुंदर गुलाब है।
9. हाय, मेरा गुलाब!

आरंभ में अनुपात-सांचों का श्रवण-अभ्यास कराने के लिए छोटे-छोटे वाक्यों का चयन किया जाए, क्योंकि द्वितीय भाषा को याद रखने में आरंभ में कठिनाई होती है।

व्याकरणिक रूपों का श्रवण—अधिकांश भाषाओं के बहुत से शब्द वाक्यों में अपने मूल रूप के परिवर्तन के साथ प्रयुक्त होते हैं। इस रूप-परिवर्तन के समय या तो शब्द के मूल रूप में कुछ नया अंश जुड़ जाता है या कुछ छूट जाता है या ये दोनों ही बातें साथ-साथ होती हैं। शब्द-प्रयोग के समय होने वाले इस परिवर्तन या रूपांतरण को समझने के लिए छात्रों को विभिन्न व्याकरणिक कोटियों आदि के कुछ ऐसे शब्दों का शब्द-युग्मों, वाक्यों में श्रवण-अभ्यास कराया जाना, श्रवण कौशल-विकास के लिए उपयुक्त है।

संदर्भ-वाक्यों का श्रवण—शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों के माध्यम से ध्वनियों, सांचों के अंतर का श्रवण-बोध कराते हुए संदर्भ-वाक्यों द्वारा अर्थ-ग्रहण करना सिखाया जाता है। इस अभ्यास में वाक्यों में प्रयुक्त ध्वनि, शब्द विशेष के प्रयोग की पहचान तथा वाक्यों के अर्थ-ग्रहण का प्रयास किया जाता है। संदर्भ-वाक्य के श्रवण-अभ्यास के लिए सुपरिचित विषय-सामग्री का चयन करते हुए उसे सुसंबद्ध वाक्यों में प्रस्तुत करना चाहिए, यथा—क् ध्वनि ग् के संदर्भ में (लोक, लोग)।

"इस संसार में तीन लोक माने जाते हैं—आकाश, मर्त्य, पाताल लोक। असंख्य लोग रहते हैं। अमेरिका और रूस के अनेक लोग इस लोक से आकाश लोक में कई बार जा चुके हैं। अभी तक इस बात का पता नहीं लगा है कि आकाश लोक के दूसरे ग्रहों में भी लोग रहते हैं या नहीं।"

इस प्रकार संदर्भ-वाक्य छात्रों को बार-बार सुनाये जाने से छात्र कुछ शब्दों का ध्वन्यात्मक अंतर स्वतः ही पकड़ लेते हैं। आवश्यकतानुसार उन्हें अध्यापक की सहायता लेते हुए ऐसे वाक्यों के अनुवाद के माध्यम से अर्थबोध भी होता जाता है।

श्रवण कौशल-विकास के इन पांचों सोपानों के लिए कराए जाने वाले अभ्यासों के अतिरिक्त अध्यापक अन्य प्रकार के अभ्यास, खेल भी करा सकता है। यहाँ यह बात/तथ्य ध्यान रखने योग्य है कि श्रवण कौशल-विकास भाषा-शिक्षण की केवल आरंभिक स्थिति में ही नहीं अपितु भाषा के अन्य कौशलों के शिक्षण के समय भी परोक्ष रूप से होता रहता है, यथा—उच्चारण, भाषण-शिक्षण के समय भी छात्र अध्यापक के उच्चारण का श्रवण करने के बाद ही उच्चारण-अनुकरण करते हैं। श्रुतलेखन के समय श्रवण तथा लेखन की क्रियाएँ साथ-साथ चलती हैं। वाचन-अभ्यासों में भी अध्यापक के वाचन का श्रवण करने के बाद वाचन-अनुकरण किया जाता है; अतः श्रवण-कौशल विकास को भाषा-शिक्षण के आरंभ के कुछ समय तक ही एकांगी रूप में देखा जा सकता है, सदैव नहीं,। श्रवण कौशल विकास के लिए 'पर्याप्त श्रवण' उपशीर्षक में सुझाए गए उपायों का सदुपयोग करने में आलस्य नहीं किया जाना चाहिए।

◆◆◆

3. मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास की आवश्यकता और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
(Describe the need and objectives of developing speaking skill.)

अथवा

मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास के उद्देश्यों का वर्णन करो।
(What do you understand by speaking skill? Describe the objectives of developing listening skill.)

अथवा

मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या है? बच्चों में इसका विकास क्यों आवश्यक है?
(What is speaking skill? Why is the need of developing speaking skill in children?)

उत्तर–मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का अर्थ (Meaning of speaking skill)—मनुष्य सामाजिक प्राणी है, एकान्तवासी साधक नहीं। अतः उसे प्रति क्षण प्रत्येक पग पर समाज में अपनी स्थिति बनाये रखने के लिए सभी प्रकार के मनुष्यों से व्यवहार करना पड़ता है। अपनी जीविकापार्जन तथा उसके साधनों की उपलब्धि के लिए, विभिन्न क्रिया-प्रतिक्रियाओं के लिए वाणी की सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ ही, प्राणीजगत की यह प्रवृत्ति है, कि वह अपने भावों, अन्तर्द्वन्द्वों तथा उद्वेगों को दूसरों पर प्रकट करना चाहता है, तथा दूसरों की प्रकृति, आदतों, विचारों को जानने का इच्छुक रहता है। सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में मौखिक ढंग से भाषा का व्यवहार मानव की अपनी विशेषता है। अन्य जीवों में जटिल मानसिक क्रियाओं का अभाव है। अतः भाषा के प्रतीकात्मक व्यवहार में वे अक्षम हैं। विभिन्न प्रकार की जटिल मानसिक प्रक्रियाएं परोक्ष रूप से प्रत्येक भाषायी व्यवहार में अन्तर्निहित रहती हैं, जिसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है।

CIMETRIX SKILLED INDIANS

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने दैनिक कार्य-व्यापार में अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है और भाषा के माध्यम से अपने विचार प्रकट करता है। सामान्यतः विचारों के संप्रेषण के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा लिया जाता है। अशिक्षित व्यक्तियों के पास तो अपने विचारों के आदान-प्रदान का साधन केवल मौखिक अभिव्यक्ति ही है। व्यक्तियों को अधिक संख्या में एक साथ संबोधित करने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है।

बालक के विकास की दृष्टि से तो मौखिक अभिव्यक्ति प्रारंभ से ही अत्यन्त आवश्यक रही है। इससे बालक को भाव प्रकाशन का पूर्ण अवसर मिलता है। भाषा शास्त्री इस विचार से पूर्ण सहमत हैं कि पहली कक्षा के प्रथम छह मास तक पठन एवं लेखन कार्य प्रारंभ ही नहीं किया जाना चाहिए। इस समय तो बालक को संभाषण ही सिखाना चाहिए। 'ज्ञात से अज्ञात की ओर' शिक्षण सूत्र इस तथ्य का प्रमाण है कि मौखिक कार्य ही भाषा शिक्षण का आधार हो, क्योंकि यह भाषा की नींव तैयार करता है।

भाषा शिक्षक के उत्तरदायित्व की विवेचना करते हुए भाषा शास्त्री रायबर्न ने अपनी पुस्तक 'मातृभाषा-शिक्षण' में कहा है कि भाषा शिक्षण का प्रारंभिक कार्य बालक के विशृंखलित विचारों को शृंखलाबद्ध करना तथा उसकी मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना होता है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति का होना आवश्यक होता है।

मौखिक भाषा अभिव्यक्ति कौशल की विकास की आवश्यकता *(Need of Speaking Skill)*

1. मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज व सरलतम माध्यम है।
2. भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारम्भ होती है।
3. मौखिक अभिव्यक्ति में अनुकरण और अभ्यास के अवसर बराबर मिलते रहते हैं।
4. मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति, अपनी वाणी से जादू जगा सकता है, लोकप्रिय नेताओं के भाषण इसी बात का प्रमाण हैं।
5. मौखिक भाषा के द्वारा विचारों के आदान-प्रदान से नई-नई जानकारियाँ मिलती हैं।
6. अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान-अर्जित करता है।
7. रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है।
8. सामाजिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने में एवं सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में मौखिक भाषा की प्रमुख भूमिका होती है।

मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं

1. **स्वाभाविकता:** बोलने में स्वाभाविकता हो, बनावटी बोली का प्रयोग हास्यास्पद हो सकता है। अस्वाभाविक भाषा वक्ता को अविश्वसनीय बना देती है। स्वाभाविक भाषा विश्वसनीय होती है।
2. **स्पष्टता:** मौखिक अभिव्यक्ति का दूसरा गुण है—स्पष्टता। बोलने में स्पष्टता होना अति आवश्यक है। जो बात कही जाए वह स्पष्ट व साफ होनी चाहिए।
3. **शुद्धता:** बोलते समय शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, अशुद्ध उच्चारण से अर्थ का अनर्थ हो जाता है।
4. **बोधगम्य:** मौखिक अभिव्यक्ति में सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
5. **सर्वमान्य भाषा:** मौखिक भाव-प्रकाशन में सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अप्रचलित शब्दों के प्रयोग से वार्तालाप नीरस हो जाता है।
6. **शिष्टता:** वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। अशिष्टता सम्बन्धों को बिगाड़ देती है। शिष्टता मौखिक भाव-प्रकाशन का एक अन्य गुण है।
7. **मधुरता:** मौखिक भाव प्रकाशन का अन्य गुण है मधुरता। कहा भी गया है— 'कोयल काको देत है कागा काको लेत, वाणी के कारणेन मन सबको हर लेत।' मीठी वाणी का प्रयोग कर मनुष्य किसी (दुश्मन) को भी अपना बना सकता है।

8. **प्रवाहमयता:** विराम चिह्नों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक् गति आ जाती है। अतः मौखिक भाव-प्रकाशन में उचित प्रवाहमयता होनी चाहिए।
9. **अवसरानुकूल:** मौखिक भाव-प्रकाशन की अन्य विशेषता है अवसरानुकूल भाषा का प्रयोग। हर्ष, उल्लास, सुख दुःख, दया, करूणा, सहानुभूति, प्यार आदि भावों को अवसर के अनुकूल व्यक्त करते हैं।
10. **श्रोताओं के अनुकूल भाषा:** मौखिक अभिव्यक्ति की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सुनने वाले कौन हैं, किस स्तर के हैं, के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने के उद्देश्य
(Objectrives of developing speaking skill in children)

मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:

1. छात्रों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित बनाना।
2. छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना।
3. छात्रों को निस्संकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना।
4. छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना।
5. छात्रों को सरल एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने के योग्य बनाना।
6. बोलने में विराम चिह्नों का ध्यान रखना सिखाना।
7. विषयानुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना।
8. छात्रों में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत विकसित करना।
9. छात्रों को धाराप्रवाह, प्रभावोत्पादक वाणी में बोलना सिखाना।
10. छात्रों को क्रमबद्धता बनाये रखना सिखाना।

◆◆◆

CIMETRIX
SKILLED INDIANS, SKILLED INDIA

4. मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व बताइए।
(Describe the importance of speaking skill.)

उत्तर—मौखिक अभिव्यक्ति मानव जीवन का अनिवार्य अंग है। जिस प्रकार मानव के लिए खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, मलमूत्र त्यागना आवश्यक है, उसी प्रकार उसके लिए बोलना भी आवश्यक है। मौन साधना भी कुछ समय के लिए की जा सकती है। पुनः कुछ समय बाद उसे त्यागकर मानव को मौखिक अभिव्यक्ति की शरण लेनी पड़ती है। अतः यह अभिव्यक्ति हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व निम्नलिखित सूचनाओं से स्पष्ट होता है—

1. दैनिक जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व (Importance of Oral Expression in day-to-day life)—हमारे दैनिक जीवन का कार्यकलाप मौखिक अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। छोटे-से-छोटा काम भी मौखिक अभिव्यक्ति के बिना नहीं हो सकता। परिवार, गली, मोहल्ला तथा आसपास के लोगों से हमें कई काम पड़ते रहते हैं, हमें दूसरों की बात समझनी होती है और अपनी बात समझानी होती है। यदि हम दुकानदार के पास कुछ खरीदने जाएँगे तो मौखिक अभिव्यक्ति का ही सहारा लेंगे। दुकानदार भी मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा वार्तालाप करेगा। अतः यह स्वतः सिद्ध है कि हम प्रायः मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। आदेश-निर्देश लेने के लिए ही मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है।

2. व्यावसायिक कार्यों में सहायक (Helpful in Occupation Field)—विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में मौखिक अभिव्यक्ति का बहुत उपयोग होता है। यद्यपि विभिन्न व्यवसायों से संबंधित कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनसे हम कई जानकारियाँ उपलब्ध कर सकते हैं। लेकिन इससे मौखिक अभिव्यक्ति

का महत्व कम नहीं हो जाता। पुस्तकों के होते हुए भी अध्यापक कक्षाओं में मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा पढ़ाता है। अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अध्यापक मौखिक भाषा द्वारा अधिक सफलतापूर्वक पढ़ा सकता है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी व्यपसायों के सम्मेलन होते हैं, उनमें मौखिक भाषा का सर्वाधिक प्रयोग होता है।

3. कहानी सुनाना तथा सुनना (Story Telling and Listening)—सभी बच्चे कहानियों को सुनना पसंद करते हैं। अध्यापक को स्वयं पहले कोई कहानी सुनानी चाहिए और फिर बच्चों को उस कहानी को सुनाने के लिए कहना चाहिए। हो सकता है कि कोई बच्चा कहानी सुनाने में संकोच करे। इसके लिए अध्यापक को उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण ढंग से व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने से श्रवण कौशल तथा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल दोनों को विकसित करने में सफलता मिलती है।

4. चित्र वर्णन (Description of Picture)—छोटे बच्चे चित्रों को ध्यान से देखते हैं। कोई चित्र दिखाकर बच्चों से उस चित्र के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में गाय का चित्र दिखाकर बच्चों को गाय से संबंधित ज्ञान दिया जा सकता है। यही नहीं, चित्र द्वारा कहानी भी सुनाई जा सकती है और फिर उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतः चित्र वर्णन मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी है।

5. कविता पाठ (Poem Recitation)—छोटे बच्चे कविता सुनने में अत्यधिक रुचि लेते हैं। कविताएँ कण्ठस्थ करके उन्हें सुनाना भी चाहते हैं। यदि उनके लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए तो वे कण्ठस्थ कविता को बड़ी मधुरता से गाते हैं। उचित हाव-भाव तथा अंग संचालन के द्वारा कविता-पाठ करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि वह प्रत्येक बच्चे को कविता सुनने की प्रेरणा दे। इससे उद्योगों तथा कार्यालयों में मौखिक अभिव्यक्ति दिशा-निर्देश देने में भी सहायता मिलती है। इस संदर्भ में हम दूरभाष तथा मोबाइल सेवा की चर्चा करते हैं।

6. ज्ञानार्जन का महत्वपूर्ण साधन (Important Means of Acquiring Knowledge)—मौखिक भाषा द्वारा भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानार्जन की इच्छा ही प्रश्न को जन्म देती है। प्रायः बच्चा तरह-तरह के प्रश्न पूछकर ज्ञानार्जन प्राप्त करता है। विशेषकर, लोग धर्माचार्यों से मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही ज्ञानार्जन प्राप्त करते हैं। यों तो ज्ञान-प्राप्ति के लिए हमें विभिन्न ग्रंथों का अनुशीलन करना पड़ता है अथवा किसी योग्य गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ती है, लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति भी ज्ञानार्जन का एक प्रमुख साधन है। विशेषकर अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञानार्जन का एक प्रमुख साधन है। विशेषकर अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञानार्जन करता है।

7. वार्तालाप : अभिव्यक्ति का सहज साधन (Conversation : Easy Means of Expression)—मानव का ऐसा स्वभाव है कि वह स्वयं को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करना चाहता है। बोलचाल आत्मभिव्यक्ति का सहज साधन है। बोलचाल में प्रवीणता प्राप्त करना भी एक कला है। जिसके पास यह कला नहीं होती वह जीवन में सफल नहीं हो पाता। आजकल वक्तृत्व कला का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों को बिना प्रशिक्षण के ही ईश्वरीय वरदान प्राप्त होता है कि वे धाराप्रवाह भाषा बोलकर भावाभिव्यक्ति करते हैं। एक साधारण व्यक्ति भी सहज रूप से भावाभिव्यक्ति कर सकता है। साधना और प्रशिक्षण पाकर तो व्यक्ति अपनी वाणी में जादू उत्पन्न कर सकता है। बड़े-बड़े नेताओं के गले में तो वाणी का निवास होता है और वे अपनी भाषण द्वारा जनता को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं।

8. मौखिक अभिव्यक्ति : एक व्यवसाय (Oral Expression : An Occupation)—आज तो मौखिक अभिव्यक्ति का एक व्यवसाय का रूप धारण कर चुकी है। वस्तुओं के क्रय-विक्रय में मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष महत्व होता है। एक सफल व्यापारी मौखिक अभिव्यक्ति में पारंगत होने के कारण ही अधिकाधिक माल बेचता है और धन कमाता है। विभिन्न कंपनियों के विक्रय अधिकारी अपनी मौखिक अभिव्यक्ति की ही कमाई खाते हैं। आज विज्ञापन संस्कृति का आधार भी यही मौखिक अभिव्यक्ति है। यही नहीं, फिल्म उद्योग तथा दूरदर्शन के सीरियल्स के पीछे भी मौखिक अभिव्यक्ति का ही कार्य होता है। फिल्मों तथा नाटकों में अभिनय के साथ-साथ मौखिक अभिव्यक्ति का भी विशेष महत्व रहता है।

9. भाषा शिक्षण में बोलचाल का महत्व (Importance of Conversation in Teaching of Language)—बोलचाल से ही भाषा शिक्षण का आरंभ होता है। छोटा बच्चा पहले बोलना सीखता है। उसके बाद पढ़ना तथा फिर लिखना। मौखिक अभिव्यक्ति में बच्चे को 'अनुकरण' तथा 'अभ्यास' के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि 'अनुकरण' तथा 'अभ्यास' भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण साधन हैं। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि बोलचाल द्वारा भांषा शिक्षण बड़ी सरलता से हो सकता है। लेकिन लेखन तथा वाचन में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। इसलिए भाषा शिक्षण में बोलचाल का विशेष महत्व है।

10. व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण साधन (Important Means of Personality Development)—मौखिक अभिव्यक्ति मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास का भी प्रमुख साधन है। मनुष्य अपनी वक्तृत्व कला द्वारा दूसरे पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव छोड़ता है। मौखिक अभिव्यक्ति से ही मानव का आंतरिक और बाह्य विकास संभव है। व्यक्ति लेखन द्वारा भी ऐसा कर सकता है। परंतु बोलचाल द्वारा जो उन्मुक्त अभिव्यक्ति हो सकती है वह लेखन द्वारा नहीं हो सकती। बड़े-बड़े साहित्यकार श्रोताओं के समक्ष जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति की कला उनमें नही होती। इसलिए बोलचाल व्यक्तित्व विकास में अत्यधिक सहायक है। यही नहीं, नौकरियाँ प्राप्त करने के लिए युवक-युवतियों को साक्षात्कार का सामना करना पड़ता है। उस समय मौखिक अभिव्यक्ति कौशल उनके काम आता है।

मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भी इसका महत्व बड़ी सरलता से स्पष्ट हो जाता है। यह है—

1. सबसे पहले बालक मौखिक रूप से बोलना ही सीखता है। उसी का अधिकाधिक विकास करना स्वाभाविक और सरल है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बालक अधिकांश बातें अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं और मौखिक अभिव्यक्ति अनुकरण प्रधान होती है।
2. व्यावहारिक जीवन में मौखिक भाषा का जितना प्रयोग होता है, उतना लिखित भाषा का नहीं। बहुत-सी बातें मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा जितनी स्पष्ट हो जाती हैं, उतनी लिखित भाषा द्वारा नहीं।
3. मौखिक अभिव्यक्ति में अधिकाधिक सजीवता एवं भाव-प्रदर्शन संभव है।
4. प्रतिभाशाली व्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा आकर्षण का बिन्दु बन जाता है। अतः व्यक्तित्व विकास के लिए मौखिक अभिव्यक्ति ही अधिक महत्वपूर्ण है।
5. भाषण एक कला है, जिसका विकास मौखिक अभिव्यक्ति की सरलता, स्पष्टता, मधुरता एवं प्रभावोत्पादकता आदि पर आधारित है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मौखिक अभिव्यक्ति एक ऐसी कला है, जिसके द्वारा मानव अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। यह ज्ञानार्जन का प्रमुख साधन है। व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलता दिलाने में इसका भारी योगदान है चाहे भाषा शिक्षण का प्रश्न हो अथवा मनुष्य के व्यक्तित्व का।

◆◆◆

5. मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने की विधियों का वर्णन कीजिए।
(Describe the techniques of teaching speaking skills.)

अथवा

कक्षा में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने के लिए कौन-सी गतिविधियों को अपनाया जा सकता है? वर्णन कीजिए।
(What techniques can be adopted to facilitate the development of speaking skill in the classroom? Discuss.)

उत्तर—मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जा सकता है—

CIMETRIX

1. औपचारिक बातचीत (Formal Talk)—कक्षा में तथा कक्षा के बाहर भाषा शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच अनौपचारिक, लेकिन रोचक बातचीत से छोटे बच्चों की झिझक खुल जाती है तथा उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है। उनके शब्द-भण्डार में वृद्धि होने के साथ-साथ उनके वाक्य-विन्यास में भी सुधार हो जाता है। ऐसी अनौपचारिक बातचीत आगे चलकर संवाद, कथोपकथन एवं समूह-विचार-विमर्श आदि में भाग लेने के लिए शिक्षार्थियों को अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरित करती है।

2. कहानी कथन (Story Telling)—कहानी कथन के माध्यम से शिक्षार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित किया जा सकता है। भाषा शिक्षक प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों को कक्षा में, कहानी एवं घटनाओं के रोचक विवरण प्रस्तुत कर सकता है तथा बच्चों को भी उत्प्रेरित कर सकता है कि ऐसी ही रोचक कहानियाँ वे स्वयं भी सुनाएँ। इस दृष्टि से शिक्षोपयोगी, विनोदप्रिय, साहसिक एवं बालजीवन से संबंधित कहानियाँ सुनाना उपयोगी रहेगा।

3. घटना (Incident)—भाषा शिक्षक के रूप में आपने यह अनुभव किया होगा कि छोटे बच्चों को स्वयं द्वारा देखी या सुनी हुई बातों या घटनाओं को अपने शब्दों में सुनाने में बहुत आनंद आता है। उनकी मौखिक अभिव्यक्ति के विकासार्थ माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों को किसी देखी हुई घटना, दृश्य, खेल-तमाशे आदि पर सुसंबद्ध ढंग से वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। 'मैंने क्या देखा', 'आप बीती', 'मेरा अनुभव' विषयों पर बालक बड़े चाव से वर्णन करेंगे।

4. चित्र वर्णन (Describing Picture)—छोटे-छोटे बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति को घटना एवं कहानियों पर निर्मित चित्रों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। चित्र या चित्रों की शृंखला को कक्षा में प्रस्तुत कर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो 'क्यों', 'कैसे', 'कहाँ', 'कब' से प्रारंभ होते हों।

5. भाषण देना (Lecture)—भाषण मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का एक अत्यंत उपर्युक्त साधन है। शिक्षार्थियों को अपनी रुचि एवं ज्ञान के आधार पर उपर्युक्त शीर्षक भाषण करने के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। भाषण देने की कला के समुचित विकास के लिए उन्हें प्रमुख विचारों को यथाक्रम संजोने की विधि, श्रोताओं के अनुसार विषय सामग्री, उचित हाव-भाव प्रदर्शन, वाणी में आवश्यकतानुसार उतार-चढ़ाव, उपलब्ध समय का उचित ध्यान रखने जैसी भाषण कला संबंधी अपेक्षाओं से अवगत् कराना चाहिए।

6. चर्चा (Discussion)—मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करते समय शिक्षार्थियों में तर्कशक्ति, प्रत्युत्पन्न-मति, हाजिर जवाबी, हास्य-व्यंग्य युक्त तथा अपने विचारों को प्रभावी ढंग से संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने जैसे गुणों का विकास होता है। बालक-बालिकाएँ तो स्वयं ही ऐसे अवसर पर बोलने के लिए लालायित रहते हैं। यहाँ हमें शिक्षार्थियों को यह सिखाना होगा कि वे कैसे अपने प्रतिपक्षियों के प्रस्तुत तर्कों का पूर्व अनुमान कर उनकी काट करने के लिए अपना उत्तर तैयार कर सकते हैं तथा कैसे प्रतिपक्षियों के सुने तर्कों का तुरंत उत्तर देने में प्रत्युत्पन्नमति का प्रयोग कर सकते हैं।

7. बाल सभा एवं बाल संसद (Children Assembly and parliament)—मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित किए जाने का यह एक सामाजिक एवं प्रभावी कार्यक्रम है। उसके माध्यम से शिक्षार्थियों को जनतांत्रिक प्रणाली से कार्य सम्पन्न करने की शिक्षा प्रदान की जा सकती है। बाल सभा एवं छात्र संसद में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रभावपूर्ण मौखिक अभिव्यक्ति अपेक्षित होती है, विशेषतः सभा के आयोजन के लिए सभापति पद के लिए प्रस्ताव रखना, अनुमोदन करना, सभापति एवं श्रोताओं को संबोधित करना आदि। इससे बालक-बालिकाएँ केवल कुशल वक्ता या श्रोता ही नहीं बनते, वरन् उनमें स्वस्थ संसदीय प्रवृत्ति का विकास भी होता है।

8. अभिनय (Role Playing)—मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकास के लिए शिक्षार्थियों में भावानुकूल वाणी, उचित हाव-भाव, आंगिक अभिनय एवं वाणी में प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करने के लिए कक्षा एवं विद्यालय स्तर पर रंगमंचीय अभिनय का आयोजन किया जा सकता है। कक्षा के कुछ बालक-बालिकाओं में तो अभिनय कौशल की विशेष प्रतिभा होती है। इसके द्वारा वे शुद्ध उच्चारण करने, भाव एवं विचारानुसार हाव-भाव प्रकट करने तथा दर्शकों को भाव-मुग्ध करने में सफल हो जाते हैं। भाषा शिक्षक के रूप में हम

उपलब्ध कहानियों, एवं अभिनय पाठों पर लघु रंगमंचीय अभिनय आयोजित कर सकते हैं तथा भावपूर्ण कथोपकथन द्वारा बालकों को भाषा पर स्वतः ही अधिकार प्राप्त कराने में सफल हो सकते हैं। कभी-कभी हम किसी सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक समस्या पर भावपूर्ण कथोपकथन लिखकर छात्रों द्वारा उनका अभिनयात्मक रूप में प्रस्तुतीकरण भी करा सकते हैं। इसके लिए रंगमंचीय साज-सज्जा की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।

9. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (Electronic Media)—मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकास के लिए शिक्षार्थियों में भावानुकूल वाणी, उचित हाव-भाव, आंगिक अभिनय एवं वाणी में प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करने के लिए कक्षा एवं विद्यालय स्तर पर रंगमंचीय अभिनय का आयोजन किया जा सकता है। कक्षा के कुछ बालक-बालिकाओं में तो अभिनय कौशल की विशेष प्रतिभा होती है। इसके द्वारा वे शुद्ध उच्चारण करने, भाव एवं विचारानुसार हाव-भाव प्रकट करने तथा दर्शकों को भाव-मुग्ध करने में सफल हो जाते हैं। भाषा शिक्षक के रूप में हम उपलब्ध कहानियों, एवं अभिनय पाठों पर लघु रंगमंचीय अभिनय आयोजित कर सकते हैं तथा भावपूर्ण कथोपकथन द्वारा बालकों को भाषा पर स्वतः ही अधिकार प्राप्त कराने में सफल हो सकते हैं। कभी-कभी हम किसी सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक समस्या पर भावपूर्ण कथोपकथन लिखकर छात्रों द्वारा उनका अभिनयात्मक रूप में प्रस्तुतीकरण भी करा सकते हैं। इसके लिए रंगमंचीय साज-सज्जा की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।

◆◆◆

4.1 सूचना का प्रसंस्करण तथा पूछताछ
(Processing and Enquiring Information)

6. सूचना से आप क्या समझते हैं? भाषा शिक्षण में सूचना तकनीकी की उपयोगिता का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by information? Describe the utility of information technology in teaching of language.)

उत्तर—सूचना तकनीकी (Information Technology) का मुख्य सम्बन्ध 'सूचना' (Information) से होता है। अतः सूचना तकनीकी शब्द का अर्थ जानने से पहले 'सूचना' शब्द को जानना एवं समझना अति आवश्यक है।

'सूचना' का अर्थ (Meaning of Information)–'सूचना' (Information) शब्द को विभिन्न तरीकों से प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों 'आंकड़ों' (Data) और 'सूचना' (Information) का बहुत प्रयोग किया जाता है जो कि आपस में सम्बन्धित होते हैं। आंकड़े (Data) कोई भी तथ्य (Fact), अवलोकन (Observation), अवधारणा (Assumption), नाम, समय, तिथि, भार, मूल्य, आयु, पुस्तक, अंक, प्रतिशत, ग्रेट आदि हो सकते हैं। आंकड़े किसी व्यक्ति की क्रिया का गुण (Attribute) होते हैं।

आंकड़ों का संक्षिप्त स्वरूप 'सूचना' (Information) है। आंकड़ों और सूचना में सम्बन्ध होता है। किसी सूचना-प्रणाली में डाली गई सामग्री (Input) आंकड़े (Data) कहलाती है तथा 326 सूचना-प्रणाली (Information System) का उत्पादन (Output) सूचना (Information) कहलाती है। अतः सूचना वे आंकड़े होते हैं जिन्हें किसी स्वरूप (Form) में उत्पन्न किया गया है तथा जो प्राप्तकर्ता (Receiver) के लिए उपयोगी होते हैं और तत्काल या भविष्य की क्रियाओं एवं निर्णयों के लिए कीमती होते हैं।

कोई भी सूचना या आंकड़े किसी भी बहस, गणना या निर्णय का आधार होते हैं। दूसरे शब्दों में 'सूचना' वह आंकड़े हैं जिसका अर्थ निश्चित होता है।

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

आंकड़े मूल तथ्य होते हैं जिन्हें किसी संस्था के ऐतिहासिक रिकार्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में हम आंकड़ों और सूचना को एक-दूसरे के लिए प्रयुक्त करते हैं।

सूचना वे आंकड़े हैं जिन्हें निर्णयों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। (Information is data which is used in decision making.)

'सूचना' की विशेषताएँ (Characteristics of Information)

प्रत्येक सूचना का मूल्य (Value) होता है। इस मूल्य को कई कारक प्रभावित करते हैं। यही कारक 'सूचना' की विशेषताएँ होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं–

1. **उपलब्धता (Availability)**–कई बार कई सूचनाएँ पहले तो उपलब्ध नहीं होतीं लेकिन बाद में उपलब्ध हो जाती हैं। बाद में उपलब्ध सूचनाएँ व्यक्ति के लिए नई होती हैं तथा व्यक्ति के लिए निर्णय लेने में बहुत लाभदायक सिद्ध होती हैं।
2. **उपयुक्ता (Accuracy)**–सूचना बिल्कुल सही या उपयुक्त होनी चाहिए। गलत सूचना किसी व्यक्ति या संस्था को हानि पहुंचा सकती है।
3. **समयबद्धता (Timeliness)**–वांछित सूचना अति शीघ्रता से उपलब्ध हो जानी चाहिए। देर से उपलब्ध सूचना लाभकारी नहीं रहती।
4. **सम्पूर्णता (Completeness)**–केवल सम्पूर्ण सूचना ही लाभकारी हो सकती है। संग्रहित सूचना हर प्रकार से सम्पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण सूचना भी हानिकारक हो सकती है।
5. **प्रस्तुतीकरण (Presentation)**–सूचना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे सूचना का मूल्य बढ़ता है। सूचना को अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने पर उसे अधिक प्रभावशाली और कीमती बनाया जा सकता है।

सूचना के स्तर *(Levels of Information)*

किसी भी संगठन में विभिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न सूचनाएँ वांछित होती हैं। 'सूचना' के स्तर निम्नलिखित होते हैं–

1. **अन्तर्राष्ट्रीय सूचना (International Information)**–बड़े-बड़े संगठन अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की सूचना चाहते हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय सूचना राष्ट्रीय सूचना के अतिरिक्त वांछित होती है। यह बड़े-बड़े व्यापारिक-घरानों, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों के लिए सत्य है। वे ई-मेल के माध्यम से बुलटिन प्राप्त करते हैं।
2. **राष्ट्रीय सूचना (National Information)**–अन्तर्राष्ट्रीय सूचना की तरह राष्ट्रीय सूचना भी महत्त्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सूचना के स्रोत हैं–शैक्षित या व्यापारिक मैगजीन, टी0वी0 पर आधारित कार्यक्रम, रिव्यूस (Reviews) या समाचार-पत्रों में प्रकाशित लेख।
3. **कारपोरेट सूचना (Corporate Information)**–इस प्रकार की सूचना स्वयं संगठन के बारे में होती है। इसे आमतौर पर कर्मचारियों तथा संस्था के विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है।
4. **डिपार्टमैंटल सूचना (Departmental Information)**–हर संगठन या संस्था विभिन्न विभागों में बांटे होते हैं। उस संस्था के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं लेकिन उन्हें डिपार्टमैंटल अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ताकि उन लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से अर्जित किया जा सके। सम्बन्धित विभागों के उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिये जाते हैं।
5. **व्यक्तिगत सूचना (Individual Information)**–इस सूचना में संगठन के स्टाफ के सदस्यों और कर्मचारियों की सूचना शामिल होती है। इसमें व्यक्तिगत सूचना होती है जैसे–निवास, वैवाहिक स्तर आदि। इसमें व्यावसायिक सूचनाएँ जैसे–अनुभव, वेतन-स्तर आदि भी शामिल होते हैं।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

आज का युग विज्ञान का युग है। 21वीं शताब्दी का आरम्भ हो चुका है और मानव विज्ञान के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त करता जा रहा है। विज्ञान के अनेक विषयों में सूचना तकनीकी का विशेष महत्त्व है। इसका अर्थ है–वह तकनीक जिसके द्वारा सूचनाओं का संग्रह किया जाता है और आवश्कतानुसार वितरण किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप ही हमारा जीवन आगे बढ़े जा रहा है। आरम्भ में सूचना तकनीकी (इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी) का प्रयोग केवल बैंकों तथा हस्पतालों में होता था। उस समय किसी भी शिक्षण संस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा नहीं दी जाती थी। परन्तु सन् 1980 के बाद जीवन की हर रोज की क्रियाओं व कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थानों में सूचना तकनीकी का प्रयोग होने लगा। आज यह काफी लोकप्रिय विषय बन चुका है। यदि हम संक्षेप में कहें तो सूचना तकनीक एक ऐसा उद्योग है जो कम्प्यूटर, नेटवर्क आदि से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करता है और फिर आवश्यकतानुसार सूचनाएं उपलब्ध कराता है। इसके बारे में विद्वानों ने अलग-अलग परिभाषाएं दी हैं। **डॉ. उत्तम चन्द्र द्वारा–"सूचना क्रांति की एक संदर्भ के रूप में 20वीं शताब्दी में एक नाटकीय परिवर्तन के रूप में देखते हैं जिसमें सेवा से संबंधित नौकरियाँ, उच्च तकनीक तथा अन्य निपुणता हासिल किए हुए हैं। एक व्यक्ति से लेकर एक रसोइये तक के संदर्भ में बात करते हैं, परंतु उत्पादन के क्षेत्र में कृषि में वह प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इस तरह के निपुण पेशेवर का उत्पादन, सूचना एवं ज्ञान ही हो सकता है। जिससे वह ज्ञान ले सके। सूचना क्रांति का आविष्कार एक सामूहिक प्रयत्नों के विकास से हुआ। उन छोटे-छोटे टुकड़ों ने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। बिजली से चलने वाले यंत्र तथा अन्य इलैक्ट्रॉनि वस्तुएँ जैसे कैलुकुलेटर, कम्प्यूटर तथा अन्य यंत्रों ने संसार को जकड़ कर रख दिया है।"** अमेरिका की सूचना प्रौद्योगिकी संस्था (Information Technology Assoication of America) द्वारा सूचना तकनीक को इस प्रकार परिभाषा दी है–"The study, design, development, support or management of computer based system particularly Software Application and Computer Hardware."

"अर्थात् कम्प्यूटर आधारित सूचना व्यवस्था विशेषकर साफ्टवेयर अनुप्रयोग (Applications) तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर के अध्ययन, डिजाइनर (अभिकल्प) निर्माण, क्रियान्वयन अथवा प्रबन्धन आदि को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं।"

American Heritage Science Technology के अनुसार, **"सूचना प्रौद्योगिकी सूचनाओं का भण्डारण (Storage) तथा प्रसारण करती है। विशेषकर, ये सूचनाएँ कम्पनियों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों में कम्प्यूटर सिस्टम को विकसित करने, संस्थापन करने, क्रियान्वयन करने तथा प्रबन्धन करने से संबंधित होती हैं।"** (The technology involved with the transmission and storage of information, especially the development, installation, impliment and Management of Computer Systems within Companies, Universities and other organisations.)

इसी प्रकार Collions Dictionary के अनुसार **"यह एक ऐसी तकनीक है जो सूचनाओं का उत्पादन, भंडारण तथा संचारण कम्प्यूटर तथा माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक द्वारा करती है।"**

वस्तुतः आज हम सूचना युग में ही जी रहे हैं। यही कारण है कि सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक जीवन का एक आवश्यक अंग बन चुकी है। इसका संबंध नेटवर्किंग, साफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट आदि से है। संसार की बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ सूचना प्रोद्यौगिकी द्वारा अपने उत्पाद के विक्रय में वृद्धि कर रही हैं। यही नहीं इस तकनीक की सहायता से हम घर बैठे संसार की कोई भी सूचना पा सकते हैं। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर विभिन्न सूचनाओं को संग्रह करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनका उचित उपयोग करता है। आज सूचना प्रौद्योगिकी के असंख्य कर्मचारी संसार भर में अपनी सेवाएँ अर्पित कर रहे हैं। जैसे-जैसे विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, वैसे-वैसे सूचना प्रौद्योगिकी में भी परिवर्तन होता जा रहा है। विद्वानों ने यदि इसके लाभों की चर्चा की है तो इसकी हानियों पर भी प्रकाश डाला है। कारण यह है कि एक ओर तो अति निपुण लोग भारी भरकम वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि प्राचीन तकनीक द्वारा काम करने वाले लोगों की कार्य क्षमता घटता जा रही है। सूचना तकनीकी के विकास के कारण झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले मजदूरों, बेरोजगार तथा गरीब किसानों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। संक्षेप में हम सूचना

प्रोद्योगिकी की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं–**"व्यापक स्तर पर सूचना तकनकी का संबंध हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से है जिनका प्रयोग सूचनाओं के भंडारण, संरक्षण तथा प्रयोग के लिए किया जाता है। निचले स्तर पर सरवर का प्रयोग किया जाता है। इसी पर डाटा बेस तथा साफ्टवेयर संचालित किए जाते हैं। सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। प्रयोगकर्त्ता अपने-अपने हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर द्वारा इन सूचनाओं को प्राप्त करके उनका प्रयोग करते हैं।"** सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित बातें ध्यातव्य हैं–

1. सूचना तकनीकी आधुनिक युग का सर्वाधिक लोकप्रिय विषय बन चुका है।
2. इसका प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है।
3. यह एक ऐसा उद्योग है जो कम्प्यूटर, नेटवर्क, साफ्टवेयर कार्यक्रम आदि से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करके सुरक्षित रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन सूचनाओं को उपलब्ध कराता है। यह उद्योग कम्प्यूटर के हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर पर निर्भर है।
4. यह कहना अनुचित न होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी जहाँ एक ओर सूचनाओं का भण्डारण करती है वहीं दूसरी ओर उनका प्रसारण भी करती है।
5. यह इतना अधिक महत्त्वपूर्ण उद्योग बन चुका है कि विश्व के बड़े-बड़े औद्योगिक संस्थानों ने अपने यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना कर ली है।
6. उद्योगपति सूचनाएं एकत्रित करके अपने उत्पादन में वृद्धि करते हैं और उत्पाद का विक्रय करते हैं।
7. कुछ विद्वानों ने सूचना प्रौद्योगिकी की हानियों की ओर भी संकेत किया है।
8. सूचना प्रौद्योगिकी में कुछ विशेषज्ञ भारी-भरकम वेतन प्राप्त करते हैं तो दूसरी ओर झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले मजदूरों और गरीब किसानों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।

इस संदर्भ में डॉ. उत्तम चन्द ने लिखा भी है–**"आई.टी. को दूसरे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन में भी देखा जा सकता है कि यह ठीक समय में सूचना उपलब्ध करवाती है जो कि प्रबन्धक तकनीक की नई खोज है। तत्काल सूचना की विशेषता की जरूरत के मुताबिक ठीक समय पर उपलब्ध करवाती है। इस प्रकार कम्पनियाँ अपनी जगह या स्थान को कम कर सकती हैं। यही उसी प्रकार का माध्यम है जैसे उत्पादक तथा उपभोक्ता का संबंध होता है।"**

सम्प्रेषण कौशलों के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता

आरम्भ में विद्वानों ने सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक मूल्यांकन नहीं किया था, न ही कोई वैज्ञानिक अधिक चर्चा करता था। केवल हस्पतालों तथा बैंकों में सूचनाओं का संग्रह होता था। कहने की बात यह है कि किसी भी विद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा नहीं दी जाती थी। जैसे-जैसे कम्प्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रचार होने लगा, वैसे-वैसे कागजी लिखा-पढ़ी घटने लगी और कम्प्यूटर में ही सूचनाओं का संग्रह होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि सूचना प्रौद्योगिकी की ओर ध्यान दिया जाने लगा। आज सूचना तकनीकी की उपयोगिता इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि कोई भी कार्यालय चाहे वह सरकारी हो या गैर-सरकारी सूचना तकनीकी के बिना पंगु हो जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण सारा संसार एक परिवार बन गया है। घर बैठे हम विश्व की किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं–**बड़े-बड़े व्यापारिक संस्थान सूचना तकनीक का प्रयोग करके अपने व्यापार को बढ़ाने लगे। विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों, विश्वविद्यालयों, प्राइवेट कार्यालयों आदि में सूचना प्रौद्योगिकी का आज अत्यधिक प्रयोग होने लगा है। इस तकनीक के फलस्वरूप लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। इधर कुछ समय से विभिन्न भाषाओं के शिक्षण में भी सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने लगा है।**

भाषा को समृद्ध बनाने के लिए सूचना तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। भाषा शिक्षण में सूचना तकनीकी का उपयोग अनिवार्य हो चुका है। भाषा शिक्षण में सूचना तकनीकी का उपयोग लगभग सभी कौशलों में किया जाता है।

1. श्रवण कौशल में उपयोग–श्रवण कौशल का अर्थ है किसी व्यक्ति के मुख से सार्थक ध्वनियों को सुनकर उनके अर्थ को ज्यों का त्यों समझना। भाषा सीखने का पहला सोपान श्रवण कौशल है। एक बालक शैशवावस्था में ही किसी के मुख से उच्चरित ध्वनियों को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इसीलिए श्रवण कौशल अन्य सभी भाषाई कौशलों का विकास करने में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। जब तक बालक विद्यालय जाने के योग्य होता है, तब तक वह श्रवण कौशल में थोड़ा दक्ष हो जाता है। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए श्रवण कौशल का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सर्वप्रथम बच्चा अपने आस-पास की उच्चरित ध्वनियों को सुनता है। जिस दिशा से ध्वनियाँ आ रही होती हैं। उसी दिशा में अपनी आँखों की पुतलियाँ घूमाता है। धीरे-धीरे आगे चलकर वह अपनी गर्दन घुमाकर ध्वनि स्रोत की ओर देखने लगता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनने और उनके अन्तर को जानने आदि के क्रियाकलाप शैशवास्था से ही आरम्भ हो जाते हैं। घर पर ही बच्चा प्रायः श्रवण कौशल में कुशलता अर्जित कर लेता है।

सूचना प्रौद्योगिकी के संयोग से हिन्दी रूपान्तरण के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है जिसके द्वारा हम भाषा की विभिन्न ध्वनियों को सुन सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में अनेक प्रकार के शब्द और उनकी वर्तनी संकलित है। आई.बी.एम. इंडिया लैब दिल्ली ने इसे तैयार किया तथा एपल सॉफ्ट बैंगलूरु को दे दिया। इस सॉफ्टवेयर में ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण पर विशेष बल दिया गया है। यही नहीं शब्द निर्माण में भी इसका प्रयोग हो सकता है। शिक्षण के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का यह प्रयास अत्यधिक लाभकारी है। इस सॉफ्टवेयरों द्वारा शब्दों की ध्वनियों, शब्द निर्माण आदि विशेषताओं की शिक्षकों को सही जानकारी दी जा सकती है।

2. भाषण कौशल में उपयोग–श्रवण कौशल के बाद भाषण कौशल दूसरा सोपान कहा जा सकता है। भाषा शिक्षण में भाषण कौशल का विशेष महत्त्व है। वस्तुतः भाषण कौशल द्वारा मनुष्य अपने विचारों, तर्कों, भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकता है। इस सन्दर्भ में टापाक्सिन ने कहा भी है–**"सम्भाषण की असफलता विशृंखलित विचारों का परिणाम है, असफल श्रोता ही असफल वक्ता होता है।"** इस प्रकार हम देखते हैं कि एक कुशल श्रोता कुशल वक्ता बन सकता है। सच्चाई यह है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास उसकी मौखिक अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक होगा कि श्रवण कौशल तथा भाषण कौशल दोनों परस्पर सम्बन्धित हैं। जो व्यक्ति सुनने में कुशल है वह व्यक्ति बोलने में भी कुशल होगा। हिन्दी भाषण कौशल के लिए सूचना प्रौद्योगिकी काफी उपयोगी है। यहाँ वायरस सिन्थेसाइजर के पाठ से सम्बन्धित भाषा का संश्लेषण काफी उपयोगी माना गया है। इसकी शब्दावली काफी समृद्ध है। इसे पी.सी. के सहयोग से दस्तावेज को भाषण में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो शब्दों को अक्षरों में विभक्त करता है। इसमें एक ऐसा डाटाबेस है जो शब्दों का निर्माण करता है। यह सॉफ्टवेयर बतलाता है, स्वर, व्यंजन आदि ध्वनियों के उच्चारण में अत्यधिक उपयोगी है। यही नहीं, यह अंग्रेजी पाठ को हिन्दी पाठ में अनूदित भी कर सकता है।

3. लेखन कौशल में उपयोग–भाषा शिक्षण के चार कौशलों में लेखन कौशल का अपना महत्त्व है। विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले बालक श्रवण कौशल तथा भाषण कौशल में थोड़ी बहुत कुशलता प्राप्त कर चुका होता है। लेकिन वाचन कौशल और लेखन कौशल के लिए उसे पाठशाला में प्रवेश करना होता है। विद्यालय में सबसे पहले वाचन कौशल का अभ्यास कराया जाता है। तत्पश्चात् उसे लेखन कौशल की शिक्षा दी जाती है। लेखन कौशल के अन्तर्गत बच्चा लिपिबद्ध अक्षरों, शब्दों तथा वाक्यों की बनावट को पढ़कर उनके अर्थ को समझता है। लेखन कौशल को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है–"अपने भावों-विचारों या श्रुत सामग्री से ग्रहण किए गए भावों, अर्थ आदि को अपनी मातृभाषा के लिपिबद्ध चिह्नों द्वारा शुद्ध व लिखित रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता ही लेखन कौशल कहलाता है।" वस्तुतः बच्चों का लेखन कौशल धीरे-धीरे विकसित होता है। पहले छात्रों को लिपि के वर्ण लिखने सिखाया जाता है। फिर वे वाक्य लिखना सीखते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों को विराम चिह्न से परिचित करवाकर व्याकरण के नियम सिखाये जाते हैं। जिससे वे शुद्ध भाषा सीख सकें।

CIMETRIX SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

लेखन शिक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी का सहयोग भी लिया जा रहा है। आज हमारे पास हिन्दी के फॉन्ट्स है। जिनमें टी.टी.योगेश, टी.टी. सुरेख, श्रुति देव, चाणक्य, मंगल, शिवा आदि कुछ प्रसिद्ध फॉन्ट्स हैं। भले ही ये फॉन्ट्स प्रकाशकों के लिए उपयोगी कहे जा सकते हैं। लेकिन इनका लेखन कौशल में भी उपयोग किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में यूनीकोड का उल्लेख करना महत्त्वपूर्ण होगा। भारत की प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी की कम्पनियों ने अपने-अपने सॉफ्टवेयर तैयार कर रखे हैं। जिनका सहयोग लेकर बच्चों को निपुण किया जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर लेखन कला से पहले चित्रकला सीखाते हैं ताकि वे अपनी इच्छानुसार रेखाएँ खींच सकें और उनकी हाथों की माँसपेशियाँ मजबूत हो सकें। इसके साथ-साथ उनकी हाथ की क्रियाओं, मस्तिष्क के समन्वय भी स्थापित हो जाता है। अक्षर रचना के लिए कुछ सहायक रेखाएँ इस प्रकार हैं।

लेखन कौशल के लिए छः प्रणालियाँ स्वीकार की गई हैं–

1. अनुकरण विधि
2. पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि
3. मांटेसरी विधि
4. जेकॉटॉट विधि
5. विश्लेषण विधि
6. संश्लेषण विधि

सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से इन प्रणालियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके एक वैज्ञानिक लेखन शिक्षण प्रणाली का विकास किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके लिए भाषा तंत्र विधि, चित्र विधि, रूपरेखा विधि तथा अनुकरण विधि का सहयोग लिया जा सकता है।

◆◆◆

4.2 अंतःक्रिया के लिए श्रवण तथा मौखिक अभिव्यक्ति (Listening and Speaking to Interact)

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

संवाद (Dialogue)

7. संवाद की परिभाषा देते हुए सोदाहरण उसकी विशेषताएं लिखिए।

उत्तर–दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो आपसी बातचीत होती है, उसे संवाद कहते हैं। संवाद करते समय केवल शब्दों का ही आदान-प्रदान नही होता, बल्कि संवाद बोलने वालों के चेहरे पर अलग-अलग से भाव उत्पन्न रहते हैं। इससे संवादों के समय जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनके आरोह-अवरोह के कारण नाटकीय ढंग से स्वाभाविकता उत्पन्न हो जाती है। रचना में संवादों की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मानी गई है। संवादों से विभिन्न पात्रों के चरित्र सम्बन्धी विशेषताओं का पता चल जाता है। दूसरा संवाद, प्रसंग अथवा कथानक को गतिशील बनाते हैं।

संवादों के बिना दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत गतिशील नहीं हो सकती। संवादहीनता की स्थिति से जड़ अवस्था जन्म लेती है। सामान्य बातचीत करते समय, लड़ाई-झगड़ा करते समय, हँसी-मजाक करते समय, प्रेम तथा घृणा के भाव व्यक्त करते समय, वाद-विवाद करते समय, संवादों का ही आश्रय लिया जाता है। संवादों के अनेक गुण हैं। इन्ही गुणों के कारण हम दूसरे व्यक्ति पर मनचाहा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। कभी-कभी तो हम संवाद बोलकर सामने वाले व्यक्ति पर वही प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं जो हम उत्पन्न करना चाहते हैं। उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी आदि में संवादों आदि का विशेष महत्त्व है। इन रचनाओं के लिए संवाद का होना आवश्यक है। रचना में सभी प्रकार की विकास की प्रक्रिया संवादों पर आधारित होती है। विभिन्न पात्र अपने भावों तथा विचारों को संवादों द्वारा व्यक्त करते हैं।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में किसी विषय पर बातचीत करते हैं उसे संवाद कहते हैं। संवाद में भाग लेने वाले दोनों व्यक्ति सोच-समझकर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। संवाद बोलते समय वे अपने चेहरे पर तरह-तरह के हाव-भाव भी प्रकट करते हैं। जिससे संवाद स्वाभाविक और सार्थक बन जाते हैं।

संवादों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं–

1. संवाद हमेशा सरल तथा स्वाभाविक होने चाहिए।
2. संवादों की भाषा सहज, सरल तथा सरस होनी चाहिए।
3. यह भाषा भावपूर्ण तथा प्रभाहमयी होनी चाहिए।
4. संवाद अधिक लम्बे नहीं होने चाहिएँ।
5. छोटे संवाद स्वाभाविक तथा सहज होते हैं। परन्तु लम्बे संवाद भाषण का बोध कराते हैं।
6. संवाद पात्रानुकूल, प्रसंगानुकूल व भावानुकूल होने चाहिएँ।
7. संवादों की भाषा में भावों के अनुसार चुटीलापन तथा पैनापन होना चाहिए।
8. संवाद स्पष्ट तथा सहज होने चाहिएँ और उनमें कही जाने वाली बात सामने वाले व्यक्ति की समझ में आ जानी चाहिए।
9. संवाद वस्तु-विन्यास में स्वाभाविक रूप से सहायक होने चाहिएँ।
10. संवाद वक्ता, पात्र के आन्तरिक तथा बाह्य चरित्र की जानकारी देने में समर्थ हों।
11. संवाद संक्षिप्त, सरल तथा विषय के अनुसार रंजक होने चाहिएँ।
12. संवाद सब प्रकार की अभिव्यक्ति में सक्षम होने चाहिएँ।

◆◆◆

कहानी (Story)

8. कहानी की परिभाषा देते हुए कहानी शिक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।

अथवा

कहानी किसे कहते हैं? एक सफल कहानी के गुण क्या हैं? स्पष्ट करें।

उत्तर–कहानी गद्य साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण विधा है। आधुनिक काल में इसकी लोकप्रियता निरन्तर बढ़ती जा रही है। कारण यह है कि आज मनुष्य के पास समय का बड़ा अभाव है। उसका जीवन हमेशा व्यस्त रहता है। इसलिए वह थोड़े समय में ही मनोरंजन प्राप्त करना चाहता है। कहानी न केवल पाठकों का मनोरंजन ही करती है, बल्कि वह जीवन की विभिन्न समस्याओं से अवगत भी कराती है। संसार के सभी धर्मों का प्राचीनतम् रूप कहानियों के द्वारा ही व्यक्त हुआ है।

इस सन्दर्भ में डॉ. आर. सूद ने लिखा है–**"कहानी इतनी पुरानी है जितना मनुष्य पुराना है क्योंकि कहानी कहना और सुनना मानव प्रकृति का स्वाभाविक गुण है। यदि हम विश्व साहित्य का परीक्षण करें तो ज्ञात होगा कि विश्व साहित्य का प्रारम्भिक रूप कहानी के रूप में प्रकट हुआ है। यूनान के भाटों ने अपने देवताओं और नायकों की प्रशंसा में अनेक कहानियों का गायन किया। भारत की पंचतन्त्र की कहानियां विश्व प्रसिद्ध हैं। इन्हीं के प्रभाव से पश्चिम में 'अरेबियन-नाईट्स' के रूप में कहानियों की सृष्टि हुई। बाईबल के समान भारत की पुस्तकों में भी कहानियों की भरमार है।"** विद्वानों ने कहानी की अलग-अलग परिभाषाएं दी हैं। कहानी शिक्षण के उद्देश्यों को जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि कहानी की परिभाषा क्या है अथवा कहानी किसे कहते हैं।

(क) पाश्चात्य विद्वानों का मत–

एच. जी. वेल्स के अनुसार–"कहानी एक छोटी रचना ही है।"

प्रो. मैथ्यूज की दृष्टि में–"कहानी घटना प्रधान होनी चाहिए। उसके एकमात्र लक्ष्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिए।"

चार्ल्स बैरेट के अनुसार–"कहानी एक लघु वर्णनात्मक गद्य रचना है, जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना है।"

एडगर एलन पो. के अनुसार–"कहानी एक आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक ही बैठक में पूरा पढ़ा जा सके। जो उसके पाठक पर किसी प्रभाव को ही उत्पन्न करने के लिए लिखा गया हो और ऐसी निर्दिष्ट प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक न हो सकने वाली सारी बातें छोड़ दी गई हों तथा जो स्वतः सर्वथा सम्पूर्ण हो।"

जेम्स डब्ल्यू. लिचन के अनुसार–"कहानी एक पात्र के जीवन की परिवर्तनकारी घटना का संक्षिप्त एवं नाटकीय रूप में प्रतिनिधित्व करती है।"

एडीसन के अनुसार–"जब भी तुम्हें कोई शिक्षा या उपदेश देना हो, उसे कहानी के माध्यम द्वारा प्रतिपादित करो।"

(ख) भारतीय विद्वानों का मत–

मुंशी प्रेमचन्द के अनुसार–"गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य हो। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथानक उसी एक भाव की पुष्टि करते हों। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का सम्पूर्ण तथा वृहत् रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता, न उसमें उपन्यास की भांति सभी रसों का समावेश होता है। यह एक ऐसा रमणीक उद्यान नहीं, जिसमें भांति-भांति के फूल, बेल-बूटे सजे हुए हैं, बल्कि यह एक ऐसा गमला है, जिसमें एक पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है।"

अज्ञेय के अनुसार–"छोटी कहानी एक सूक्ष्म दर्शन यन्त्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं।"

डॉ. श्यामसुन्दर का कहना है–"आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर चलने वाला नाटकीय आख्यान है।"

बाबू गुलाबराय के अनुसार–"छोटी कहानी स्वतः पुष्ट रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केन्द्रित घटनाओं के आवश्यक परन्तु कुछ-कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान, पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन हो।"

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कहानी एक ऐसी वर्णनात्मक रचना होती है जो किसी घटना को चरम सीमा तक ले जाती है और पाठक के हृदय पर प्रभावात्मक प्रभाव डालती है।

कहानी शिक्षण के उद्देश्य *(Aims of Teaching Story)*

(i) विद्यार्थियों को कहानी की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना।
(ii) विद्यार्थियों को पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कहानियों से मानव की मनोवृत्तियों से परिचित कराना और जीवन की समस्याओं से अवगत कराना।
(iii) विद्यार्थियों को नए शब्दों, मुहावरों तथा सूक्तियों का ज्ञान देना।
(iv) विद्यार्थियों में कल्पना-शक्ति का विकास करना।
(v) विद्यार्थियों को चरित्र-निर्माण की शिक्षा देना।
(vi) मातृभाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा उसका प्रयोग करने की क्षमता का विद्यार्थियों में विकास करना।

(vii) विद्यार्थियों को सोचने तथा निरीक्षण करने के बाद व्यवस्थित रूप से व्यक्त करने में समर्थ बनाना।
(viii) विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे अपनी बात को स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त कर सकें।
(ix) विद्यार्थियों में ऐसी क्षमता का विकास करना कि वे व्यावहारिक जीवन में लिखकर अपने कार्य पूरा कर सकें।
(x) छात्रों में मौलिक चिन्तन करने की आदत का विकास करना।
(xi) विद्यार्थियों को प्रसंगानुकूल तथा भावानुकूल भाषा का प्रयोग करने के अनुकूल बनाना।
(xii) छात्रों में साहित्य रचना की रुचि उत्पन्न करना।
(xiii) विद्यार्थियों को मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास करना।
(xiv) कहानीकारों की भाषा-शैली तथा उनके जीवन-दर्शन से परिचित कराना।
(xv) समाज कल्याण तथा राष्ट्रीय हित के लिए निजी हितों को त्यागने की प्रेरणा देना।
(xvi) कहानी पढ़ने तथा कहानी लिखने के योग्य बनाना।
(xvii) विद्यार्थियों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना।

कहानी गद्य साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण विधा है, अतः इसके शिक्षण के उद्देश्य लगभग वही होंगे जो गद्य शिक्षण के हैं। लेकिन जहाँ तक विद्यार्थियों की रुचियों का प्रश्न है, कहानी न केवल विद्यार्थियों का मनोरंजन करती है बल्कि उनकी सृजनात्मक शक्तियों को विकसित करती है। यही नहीं, कहानी विद्यार्थियों के संवेगों का परिष्कार भी करती है बल्कि उनके चरित्र का निर्माण भी करती है। अतः एक सफल शिक्षक को इन सभी समुचित बातों का ध्यान देते हुए कहानी शिक्षण करना चाहिए। ऐसा करने से ही विद्यार्थियों के मानसिक तथा बौद्धिक स्तर का विस्तार हो सकेगा–

एक सफल कहानी के गुण–

(i) कहानी में नैतिक गुण अवश्य होने चाहिएँ।
(ii) कहानी में पात्रों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि कम होनी चाहिए।
(iii) कहानी की भाषा सहज, सरल तथा बोधगम्य होनी चाहिए। यदि कहानी की भाषा जटिल होगी तो बालक कहानी के सन्देश को समझ नहीं पाएँगे।
(iv) कहानी में सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् का समावेश होना चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है अतः उन्हें इन शाश्वत् मूल्यों से परिचित कराया जाना चाहिए।
(v) कहानी का अंत सुखात्मक होना चाहिए। ताकि बच्चे आशावादी बन सकें।
(vi) कहानी में अश्लील तथा भद्दी भाषा का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए और न ही उसमें भयानक दृश्यों का वर्णन होना चाहिए।
(vii) एक सफल कहानी में नायक के साथ एक खलनायक भी अवश्य होना चाहिए ताकि बच्चे नायक के आदर्श गुणों को अपना सकें।
(viii) कहानी हमेशा शिक्षाप्रद होनी चाहिए, ताकि बालक कहानी पढ़कर कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें।
(ix) विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार ही कहानी का चयन करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कहानी बच्चों की रुचि और बौद्धिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए।
(x) कहानी बच्चों का मनोरंजन कर सके। यह भी आवश्यक है।
(xi) कहानी ऐसी होनी चाहिए जो कि एक ही बैठक में पढ़ी जा सके जो बच्चों की जिज्ञासा को शान्त कर सके।
(xii) बच्चों की आयु के अनुसार ही कहानियों का चयन करना चाहिए।
(क) प्रारम्भिक कक्षाओं में बच्चों के लिए पशु-पक्षियों की कहानियाँ होनी चाहिए।

(ख) इसके साथ-साथ द्वितीय कक्षा के विद्यार्थियों को यात्रा सम्बन्धी तथा देशभक्ति सम्बन्धी कहानियाँ पढ़ाई जानी चाहिए।

(ग) तृतीय कक्षा के विद्यार्थियों के लिए महापुरुषों से सम्बन्धित कहानियाँ पढ़ाई जानी चाहिए।

(घ) चतुर्थ कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कुछ कठिन कहानियाँ निर्धारित की जाएं, जिनका सम्बन्ध कुछ सामाजिक समस्याओं से हो।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को ध्यान में रख कर कहानी शिक्षण करना चाहिए।

कहानी शिक्षण का महत्त्व और उपयोगिता

मानव-जीवन में कहानियों का अत्यधिक महत्त्व है। कहानी एक ओर तो व्यक्ति का मनोरंजन करती है और दूसरी ओर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है। साथ ही कहानी मानव-जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश भी डालती है। इसलिए मातृ-भाषा के शिक्षण में कहानी का विशेष महत्त्व माना गया है। छोटे-छोटे बच्चे कहानी सुनने और सुनाने में बहुत रुचि रखते हैं। जो बातें बच्चों को अच्छी नहीं लगतीं, वह कहानी द्वारा रोचक बनाकर प्रस्तुत की जा सकती हैं। कहानी द्वारा दिये गए सन्देश को बच्चे तत्काल ग्रहण कर लेते हैं और उस पर तत्काल आचरण भी करने लग जाते हैं। कहानी पढ़ते या सुनते समय बच्चे इतने अधिक तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें आसपास के वातावरण का भी ध्यान नहीं रहता। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि बच्चों का ध्यान केन्द्रित करने के लिए कहानी शिक्षण अत्यधिक उपयोगी है। आज केवल साहित्य में ही नहीं, बल्कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित आदि की शिक्षा देने के लिए कहानियों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे शिक्षण अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से होता है।

हिन्दी के गद्य रूप की अनेक विधाएं हैं। इनमें उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी, संस्मरण, निबन्ध आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इन सभी विधाओं में कहानी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विधा मानी गई है। कहानियों का प्रयोग गद्य तो क्या पद्य शिक्षण को भी सरस, सुगम तथा आकर्षक बना देता है। यदि गद्य पाठ अत्यधिक नीरस और शुष्क होता है तो उसे कहानी के प्रयोग द्वारा सरस और रुचिकर बनाया जा सकता है। कहानी के प्रयोग से कठिन-से-कठिन तथ्य भी आसानी से स्पष्ट किए जा सकते हैं। पद्य शिक्षण में भी अन्तर्कथाओं का प्रयोग किया जाता है। एक सफल शिक्षक इन अन्तर्कथाओं को स्पष्ट करते हुए पद्य शिक्षण को आकर्षक बना सकता है। उदाहरण के रूप मैथिलीशरण गुप्त द्वारा 'यशोधरा' काव्य को पढ़ाते समय यदि शिक्षक गौतम बुद्ध तथा यशोधरा की कहानी और गौतम बुद्ध के गृहत्याग सम्बन्धी घटना का ठीक से वर्णन करता है तो बच्चे इस काव्य को पढ़ने में अत्यधिक रुचि ले सकेंगे। इसके साथ-साथ वे कविता के रस तथा सौन्दर्य को अनुकूल कर सकेंगे।

इसी प्रकार व्याकरण शिक्षण शब्दों की व्युत्पत्ति, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि के प्रयोग के कारण सर्वथा नीरस माना गया है, परन्तु यदि इसमें थोड़ा-बहुत कहानी का मिश्रण भी कर दिया जाए तो व्याकरण शिक्षण को सरस बनाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में जैसा को तैसा, लालच बुरी बला है, घर का भेदी लंका ढाए, बहुत-से मुहावरे और लोकोक्तियों को कहानी द्वारा अच्छी तरह से स्पष्ट किया जा सकता है।

यही नहीं, रचना-शिक्षण (निबंध शिक्षण आदि) में भी कहानी का प्रयोग किया जा सकता है। होली, दीपावली, रक्षाबन्धन आदि निबंधों का शिक्षण करते समय भक्त प्रह्लाद, हिरण्यकशिपु, होलिका दहन, श्रीराम का चौदह वर्ष के वनवास से लौटना तथा रानी पद्मावती और हुमायूँ की कहानी को सुनाकर इन निबन्धों से शिक्षण को और अधिक रोचक बनाया जा सकता है। इसी प्रकार नाटक, आत्मकथा-जीवनी, संस्मरण आदि के शिक्षण में छोटी-छोटी कहानियों तथा घटनाओं का समावेश करके शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है।

कहानी सुनने और कहने से बच्चों में श्रवण-कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास हो जाता है। यदि बच्चा स्वयं कहानी को पढ़ता है या लिखता है तो उसमें वाचन कौशल और लेखन कौशल की कला विकसित हो जाती है। कहानी कहने, सुनने, पढ़ने, लिखने से बच्चों में जहाँ एक ओर ज्ञान की वृद्धि होती है वहाँ दूसरी ओर वे नए-नए शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों के प्रयोग से अवगत हो जाते हैं। कहानी के

द्वारा मानव-जीवन के विविध पक्षों का ज्ञान तो मिलता ही है, इसके साथ-साथ बच्चे पशु-पक्षी तथा मानव के स्वभाव और गुण-दोषों को भी पहचान जाते हैं। कहानी शिक्षण से बच्चों को भी ज्ञान प्राप्त होता है। उससे उनकी मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है।

बचपन से ही प्रत्येक बच्चा कहानी सुनने और कहने में रुचि लेने लगता है। इसीलिए नानी और दादी के द्वारा कही गई कहानियों का विशेष महत्त्व माना गया है। छोटे-छोटे बच्चे रात को सोने से पहले अपने माता-पिता, दादा या दादी से कोई-न-कोई कहानी सुनना चाहते हैं। आगे चलकर वह बच्चा पाठशाला में कहानी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है और पढ़ने में रुचि विकसित होने लगती है। फलस्वरूप शिक्षण उनके लिए नीरस न होकर रोचक बन जाता है। यही कारण है कि प्रारम्भिक कक्षाओं की हिन्दी की पुस्तकों में पर्याप्त संख्या में शिक्षाप्रद कहानियाँ संकलित की जाती हैं। धीरे-धीरे बच्चों में साहित्यिक अभिरुचि विकसित होने लगती है और वे खाली समय में किसी पुस्तक में पत्र-पत्रिका को पढ़ने लगते हैं। इससे न केवल बच्चों का स्वस्थ मनोरंजन होता है बल्कि उनके खाली समय का सदुपयोग हो जाता है। जो हिन्दी शिक्षक भाषा शिक्षण में छोटी-छोटी कहानियों का प्रयोग करता है बच्चे उसके साथ भावात्मक रूप में जुड़ जाते हैं और उसके शिक्षण काल की प्रतीक्षा करते हैं। इस सन्दर्भ में **रायबर्न** ने उचित ही लिखा है। **''प्रत्येक अध्यापक को प्रयत्न करना चाहिए कि वह एक अच्छा कहानी सुनाने वाला बन जाए, किसी भी निपुण अध्यापक को कोई भी बात इतनी सहायता नहीं करती कि जितनी कहानी सुनाने की निपुणता करती है।''**

सच्चाई तो यह है कि प्रारम्भिक कक्षाओं के शिक्षक को कहानी सुनाने में निपुण होना चाहिए। कहानी कहने की कला द्वारा वह छोटे-छोटे बच्चों का दिल जीत लेता है और बच्चों में नैतिक गुणों को विकसित कर सकता है। एक अच्छी और सफल कहानी बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है और उनके हृदय को प्रभावित करती है। कहानी के माध्यम से बच्चों को दिया गया उपदेश भी सरस बन जाता है। विशेषकर नैतिक उपदेश बच्चों के मन की गहराई तक पहुंच जाता है। अंत में हम कह सकते हैं कि बच्चों के नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास में कहानी शिक्षण की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। कहानी कहे बिना, पत्र पढ़ाए बिना, मातृभाषा के किसी रूप के शिक्षण को सरस व रुचिकर नहीं बनाया जा सकता।

CLAMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

कहानी शिक्षण की प्रणालियाँ *(Method of Story Teaching)*

गद्य शिक्षण के समान कहानी शिक्षण की अनेक प्रणालियाँ हैं जिनका विवेचन इस प्रकार है–

1. अर्थ कथन प्रणाली–इस प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षक कहानी का स्वयं पठन करता है। कहानी का पाठ करते-करते वह बच्चों को कठिन शब्द-अर्थ भी बताता जाता है। जिस किसी स्थल पर व्याख्या की आवश्यकता होती है, वह उस स्थल के भावों को स्पष्ट भी कर देता है। इस प्रणाली द्वारा शिक्षक कहानी शिक्षण में आदि से अंत तक सक्रिय बना रहता है। विद्यार्थी केवल श्रोता बनकर कहानी के पाठ को सुनते रहते हैं तथा सक्रिय होकर कहानी शिक्षण में भाग नहीं लेते।

2. व्याख्या प्रणाली–इस प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षक कहानी के कठिन शब्दों का अर्थ तो बताता ही है तथा साथ ही उन शब्दों की व्युत्पत्ति, विलोम शब्द, पर्यायवाची भी बताता है। कभी-कभी वह उन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य भी बनाता है। वह भावों तथा विचारों की व्याख्या करता है। यदि कोई छात्र एवं छात्रा प्रश्न करती है तो वह उनका उत्तर भी देता है, परन्तु अर्थ कथन प्रणाली के अनुसार इस प्रणाली में विद्यार्थी निष्क्रिय ही बने रहते हैं।

3. विश्लेषण प्रणाली–इस प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षक कहानी के अनेक स्थलों तथा उनमें विद्यमान विचारों की आवश्यकतानुसार व्याख्या करता है। ऐसा करते समय वह विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न भी पूछता रहता है। कि पूछता रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी कहानी शिक्षण काल में सक्रिय बने रहते हैं।

4. समीक्षा प्रणाली–इस प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षक कहानी के गुण-दोषों की जांच करता है। यही नहीं, वह कहानी के विभिन्न तत्त्वों–यथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, भाषा-शैली तथा उद्देश्य के आधार पर पाठ्य कहानी की समीक्षा करता है।

परन्तु कहानी शिक्षण की ये सारी प्रणालियाँ माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी कहीं जा सकती हैं। कहानी शिक्षण की निम्नलिखित प्रणालियाँ भी उपयोगी हो सकती हैं–

5. कहानी शिक्षण के लाभ

1. कहानी शिक्षण से बच्चे सामान्य ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। छोटी-छोटी कहानियों को पढ़ाकर या सुनकर संसार के जीव-जन्तु तथा उनके स्वभाव को जान जाते हैं।
2. बच्चों में कहानी शिक्षण के कारण तर्क-वितर्क तथा कल्पना-शक्ति का विकास होता है।
3. कहानियाँ सुनकर बच्चे संकेतों तथा चित्रों को देखकर स्वयं कहानी लिखने के योग्य बन जाते हैं।
4. कहानी शिक्षण से बच्चों में झिझक और संकोच की भावना दूर हो जाती है।
5. कहानी पढ़कर या सुनकर बच्चे तर्क-वितर्क का प्रयोग करते हुए बातचीत करने में समर्थ हो जाते हैं।
6. कहानी शिक्षण के समय बच्चे आपस में घुल-मिल जाते हैं और कक्षा का वातावरण एक परिवार जैसा हो जाता है।
7. कहानी के द्वारा बच्चे किसी कठिन प्रसंग को बड़ी आसानी से समझ जाते हैं।
8. कहानी शिक्षण से बच्चों की स्मरण-शक्ति विकसित होती है।
9. कहानी शिक्षण से बच्चों को शब्द भण्डार, मुहावरों तथा लोकोक्तियों की समुचित जानकारी मिलती है।
10. कहानी शिक्षण से बच्चों का मनोरंजन होता है और वे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं।
11. कहानी शिक्षण से बच्चों में कल्पना तथा भावना में सन्तुलन उत्पन्न हो जाता है।

7. कहानी शिक्षण की सावधानियाँ

कहानी सुनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए—

1. शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को कहानी सुनना अति प्रिय है। इसलिए उसे बड़े ध्यान से कक्षा में कहानी सुनानी चाहिए।
2. यदि कोई शिक्षक ठीक ढंग से बच्चों को कहानी सुनाता है तो उनकी नजर में शिक्षक का सम्मान बढ़ जाता है।
3. शिक्षक को उचित कहानी का चयन करना चाहिए और कहानी शिक्षण में उसका व्यक्तित्व भी झलकना चाहिए।
4. शिक्षक को कक्षा में पूरी कहानी सुनानी चाहिए और आवश्यकतानुसार थोड़ा अभिनय भी करना चाहिए, इससे बच्चे बड़ी रुचि के साथ कहानी को सुनते हैं तथा आनन्द प्राप्त करते हैं। बच्चों पर शिक्षक के अभिनय की छाप पड़ जाती है और वे कहानी को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। इस सन्दर्भ में के. डी. कैथर ठीक ही लिखते हैं—**''कहानी सुनाने वाले को कलाकार की भांति यह विश्वास अवश्य होना चाहिए कि कहानी ही वह माध्यम है, जिसके द्वारा बालक के मस्तिष्क और मन के सुन्दरतम स्थलों को स्पर्श किया जा सकता है। उसका कार्य उत्साह, सत्यता और विश्वास से किया जाना चाहिए, अन्यथा उस पर कोई विश्वास न कर सकेगा।''**
5. शिक्षक को कहानी का चयन करते समय यह देखना चाहिए कि वह न्याय संगत हो और शिक्षाप्रद भी हो, और उसे कहानी कहने में किसी कठिनाई का अनुभव न हो।
6. कहानी की कथावस्तु और उसके प्रसंगों में आपसी सम्पर्क होना चाहिए, नहीं तो बच्चे उस कहानी को समझ नहीं पाएँगे।

CIMETRIX

7. शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाने वाली कहानी केवल धार्मिक उपदेश तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह बच्चों को उदार बनाने में समर्थ होनी चाहिए।
8. कहानी सुनाने से पहले शिक्षक को वह कहानी अच्छी प्रकार पढ़ लेनी चाहिए और उसके सभी पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए।
9. कहानी कहते या सुनाते समय शिक्षक को स्वाभाविक रूप से नाटकीयता का प्रदर्शन करना चाहिए।

◆◆◆

कविता उच्चारण
(Poetry Recitation)

9. कविता क्या है? कविता शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। कविता शिक्षण का क्या महत्व है?
(What is Poetry? Describe the objectives of teaching of poetry. What is importance of teaching of poetry.)

उत्तर—काव्य का 'जन्म' मानव के साथ ही हुआ है। जैसे-जैसे मानव का विकास हुआ, वैसे-वैसे काव्य का भी विकास हुआ। मानव जीवन के साथ परिवर्तित हुआ काव्य प्रलय तक उसके साथ बना रहेगा। एक विद्वान का कथन है कि काव्य मानव जीवन के वृत्त पर खिला हुआ पुष्प है। जिस प्रकार एक पुष्प अपने दर्शन, स्पर्शन तथा सुगन्ध से हमें आनन्दानुभूति प्रदान करता है, उसी प्रकार काव्य भी सहृदय को आनन्दित करता है। यही कारण है कि वैदिक ऋषियों की तुलना संसार की रचना करने वाले प्रजापति के साथ की गई है। भारतीय और पाश्चात्य आचार्यों ने काव्य की जितनी विस्तृत और सूक्ष्म विवेचना की है उतनी किसी अन्य विषय की नहीं की। पुनः काव्य प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त मानी गई है। अपनी इस प्रतिभा के कारण कवि अपनी कलात्मक सृष्टि कविता को जन्म देता है। कवि एक ऐसा कलाकार है जो उदात्त भावनाओं को सँवारकर उन्हें रसास्वादन के योग्य बनाता है। एक विद्वान ने उचित ही कहा है कि सौन्दर्य भाव जगत से उद्भूत भाव राशि ही काव्य है। साहित्य शास्त्र के विद्वानों ने समय-समय पर इसकी अनेक परिभाषाएँ दी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं बन सकी जो सर्वमान्य और स्थायी हो। यही कारण है कि कुछ लोग तो काव्य को केवल कल्पना का विलास मानते हैं और यह भी कहते हैं कि उसका जीवन में कोई स्थान नहीं है और न ही उसका प्रयोजन है। लेकिन इस प्रकार की सोच से अन्य विद्वान सहमत नहीं हैं। इतना निश्चित है कि कविता अनुभूति की सुन्दर, सुगठित एवं भाषिक अभिव्यक्ति है।

कविता की परिभाषाएँ : (क) संस्कृत के विद्वानों के मत—

1. **"संक्षेपादुवाक्यमिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली"** —अग्नि पुराण
(इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त वाक्य ही काव्य है।)
2. **"शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्"**—आचार्य भामह
(शब्दार्थ का संयोग काव्य है।)
3. **"तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलकृती पुनः क्वापि"** —आचार्य मम्मट
(वह शब्दार्थ की रचना जो दोष रचित हो, गुण सहित हो, चाहे कभी-कभी अलंकार रहित भी हो, काव्य कहलाती है।)
4. **"वाक्यं रसात्मकं काव्यम्"** —आचार्य विश्वनाथ
(रसयुक्त वाक्य ही काव्य है।)
5. **"रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्"** —पंडितराज जगन्नाथ
(रमणीय अर्थात् मनोहर अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य होता है।)

इन परिभाषाओं में—शब्दार्थ के ऐसे प्रयोग को, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का महत्त्व हो, जिसमें दोषों का अभाव तथा गुणों का सद्भाव हो,

— जो सरस हो तथा जो रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करता हो, काव्य कहा गया है।

संस्कृत आचार्यों ने काव्य में उचित शब्द, सुन्दर अर्थ, रसात्मकता, गुणसहितता तथा दोषरहितता पर जोर दिया है। हम कह सकते हैं कि संस्कृत काव्यचिंतकों के अनुसार—

"काव्य ऐसी शब्दार्थ की रचना होती है, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का महत्त्व होता है तथा जो पाठक को रस प्रदान करती है।"

(ख) अंग्रेजी विद्वानों के मत—

1. **"कविता मानव के सशक्त भावावेशों का सहज उछलन है। इसका जन्म शान्त क्षणों में स्मरण किए गए भावावेगों में होता है।"—वर्डस्वर्थ**
("Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquillity.")
2. **"काव्य कवि का कार्य है।"—एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका**
("Poetry—Art, Work of the Poet.")
3. **"सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वश्रेष्ठ क्रम में कविता कहलाते हैं।" —कोलरिज**
("Poetry is the best words, in the best order.")
4. **"कविता वह कला है जो सत्य को आनन्द से समन्वित करती है। इस कार्य में वह बुद्धि का आधार लेती है और कल्पना की सहायता।" —जॉनसन**
("Poetry is the art of uniting pleasure with truth by calling imagination to the help of reason.")

इन परिभाषाओं में कविता को श्रेष्ठ तथा सुन्दर शब्दों वाली, गेयात्मक, विवेक से पूर्ण तथा कल्पना की सहायता से रचित एक उपादान बताया गया है।

अंग्रेजी काव्य-चिंतन में सर्वश्रेष्ठ काव्य परिभाषा निम्नलिखित है—

"काव्य कल्पना तथा अनुभूति से रचित विचार-सम्पदा को समधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला है।" —चैम्बर्स शब्दकोश

("Poetry is the art of expressing in melodious words and thought which are the creations of imagination and feelings.")

इस परिभाषा में कविता के सभी तथ्यों तथा अनुभूति विचार, कल्पना रचना आदि का उल्लेख भी कर दिया गया है।

कुल मिलाकर सभी प्रमुख मतों के सार रूप में अंग्रेजी काव्य—चिन्तन के अनुसार—

"काव्य एक कला है जिसमें संयुक्त भावावेगों तथा विचारों को मधुर गेय ललित भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है। इस अभिव्यक्ति के द्वारा एक रमणीयता, सौन्दर्य अथवा आनन्द के तत्त्व का उदय होता है।

(ग) हिन्दी विद्वानों के मत—

1. **"ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है।" —आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी**
2. **"हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान ही काव्य है।"—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल**
3. **"कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है।" —सुमित्रानंदन पंत**
4. **"साहित्य का कारोबार मनुष्य के समूचे जीवन को लेकर है। सर्वभूत का आत्यन्तिक कल्याण साहित्य का चरम लक्ष्य है। जो साहित्य केवल कल्पना-विलास है, जो केवल समय काटने के लिए लिखा जाता है, वह बड़ी चीज नहीं है।" —आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी**
5. **"काव्य वह रचना है जो सत्य को सवैया बना देती है।" —डॉ. भागीरथ मिश्र**
कविता कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा है जिसमें भावों का व्यंजन होता है।

कविता के बारे में कविवर **तुलसीदास** लिखते हैं—

कीरति, भूति, भणिति भली सोई।
सुरसरि सम सब कहँ हित होई।।

अर्थात् गंगा के समान सब का हित करने वाली भणिति (कविता) ही भली होती है।

कविता की उपर्युक्त परिभाषाओं को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कुछ विद्वान तो कविता में रागात्मक तत्त्व को प्रमुखता देते हैं और कुछ विद्वान छंद, लय, अलंकार और ध्वनि को। अतः काव्य में काव्य के दो पक्ष माने गए हैं—भाव पक्ष तथा कला पक्ष। भाव पक्ष का संबंध कविता में अभिव्यंजित भावनाओं और विचारों से है। इसे काव्य की आत्मा भी मानते हैं। कला पक्ष में कविता की भाषा, छंद, अलंकार, ध्वनि आदि सम्मिलित है। इसे काव्य का शरीर भी कहते हैं।

कविता की अन्य परिभाषा हो सकती है—**"काव्य कवि हृदय से निःसरित ऐसी भावाभिव्यक्ति है जिसमें मानव जीवन के श्रेय और प्रेय, सुख-दुखः तथा रागात्मक अनुभूतियाँ अंतर्हित हैं।"**

संक्षेप में हम कह सकते हैं—

- काव्य एक भाषा व्यापार है।
- कविता में शब्द और अर्थ दोनों पक्ष सुन्दर होते हैं।
- कविता का जन्म मानव मन की आवेगमयी अनुभूतियों से होता है।
- अनुभूति को शब्दों में व्यक्त करने के लिए कल्पना का सहारा लिया जाता है।
- कविता सुन्दर भी होती है और मंगलकारी भी होती है।
- कविता पाठकों और श्रोताओं को भावानन्द प्रदान करने में समर्थ होती है।
- कविता यदि मानव को पसन्द करती है तो उसे उचित शिक्षा भी देती है।
- कविता रसानुभूति प्रदान करती है। इसलिए आचार्य भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा है।
- कविता से प्राप्त होने वाले अलौकिक आनन्द को ब्रह्मानन्द सहोदर कहा गया है।
- कविता में लय, स्वर, ताल का विशेष महत्त्व होता है।
- कविता की भाषा कलात्मक होती है।
- कविता का लक्ष्य मानव मन में उदात्त भावनाओं को विकसित करना होता है। इसलिए यह मानव मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है।
- कविता में सत्यम्, शिवम् तथा सुन्दरम् तीनों का समावेश होता है।

कविता शिक्षण के उद्देश्य

मानव का प्रत्येक कार्य सोद्देश्य होता है। एक कवि अपनी कविता के द्वारा किसी-न-किसी उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। यही कारण है कि कविता मानव के मस्तिष्क और हृदय पर अपने भावों के अनुसार प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। इस दृष्टि से कविता के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं जिन्हें एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह एक निर्विवाद सत्य है कि कविता विद्यार्थियों पर स्थायी प्रभाव डालती है। बहुत समय बीत जाने पर भी कविता का प्रभाव उन पर देखा जा सकता है। शिक्षा-शास्त्रियों ने कविता शिक्षण के दो उद्देश्य निर्धारित किए हैं—

(क) सामान्य उद्देश्य **(ख) विशेष उद्देश्य**

(क) सामान्य उद्देश्य—कविता को निरन्तर पढ़ने अथवा सुनने से सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। इन उद्देश्यों का विवरण इस प्रकार है—

1. प्रथम सामान्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को स्वर, लय, आरोह, अवरोह के साथ कविता पाठ करने का अभ्यास कराया जाए।
2. छोटे बच्चों को तुकबंदी सामग्री पढ़ने का अभ्यास कराया जाए।
3. कविता को सस्वर पढ़ना सिखाया जाए।

4. कवि के विचारों तथा भावों के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए अलौकिक आनन्दानुभूति कराई जाए।
5. कविता शिक्षण के अन्तर्गत उचित हाव-भाव के साथ कविता पाठ कराया जाए।
6. कविता के प्रति रुचि जाग्रत करते हुए उसके भावों, कल्पनाओं तथा अभिव्यक्तियों के सौन्दर्य को परखने की योग्यता विकसित की जाए।
7. विद्यार्थियों में कविता पाठ द्वारा कल्पना तथा बौद्धिक शक्तियों को विकसित किया जाए।
8. कविता शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में सद्वृत्तियों तथा सात्विक भावनाओं को विकसित किया जाए ताकि उनके चरित्र का समुचित निर्माण हो सके।
9. कविता के मुख्य विचारों, भावों तथा कल्पनाशक्ति को समझने की योग्यता का उनमें विकास किया जाए।
10. विद्यार्थियों को सौन्दर्य की परख करने के योग्य बनाया जाए।
11. कविता शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को साहित्य से परिचित कराया जाए और उनमें ऐसी रुचि उत्पन्न की जाए कि वे अपने में स्वाध्याय की आदत विकसित कर सकें।
12. विद्यार्थियों को कविता शिक्षण की विभिन्न शैलियों का इस प्रकार परिचय दिया जाए कि वे अपनी मौलिक शैली को विकसित कर सकें।
13. कविता शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में सृजनात्मक शक्ति, कल्पना शक्ति तथा समीक्षा शक्ति विकसित की जा सकती है।
14. कविता शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में कवि के संदेश को पहचानने और परखने की योग्यता विकसित की जाए।
15. विद्यार्थियों में छंदबद्ध या छंदमुक्त कविता लिखने की योग्यता विकसित की जाए।
16. विद्यार्थियों में कविता पाठ के बाद रसास्वादन प्राप्त करने की योग्यता विकसित की जाए।

(ख) विशेष उद्देश्य–विशेष या विशिष्ट उद्देश्य का संबंध मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं से है। कविता मानव के जीवन के किसी-न-किसी पहलू से संबंधित होती है। जब हम उस पहलू को सामने रखकर कविता के उद्देश्य की चर्चा करेंगे तो वह विशेष उद्देश्य कहलाएगा। संक्षेप में कविता के विशेष उद्देश्य इस प्रकार हैं :–

1. विद्यार्थियों को कविता विशेष का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराना।
2. विद्यार्थियों को कवि विशेष का संक्षिप्त परिचय देना।
3. विद्यार्थियों को कविता के संदेश से अवगत कराना।
4. कविता के भाव पक्ष तथा कला पक्ष से विद्यार्थियों को अवगत कराना।
5. कविता में वर्णन किए गए भावों और विचारों को बिना किसी परिवर्तन के विद्यार्थियों तक पहुँचाना।

विशेष उद्देश्यों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित कविता के अनेक दृष्टियों में कुछ लक्ष्य हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं–

1. कवि परिचय
2. कविता के अर्थबोध की जानकारी।
3. कविता के सस्वर वाचन का तरीका।
4. कविता की भाषा की जानकारी।
5. कविता के अलंकार विधान की जानकारी।
6. कविता के छंद विधान की जानकारी।
7. कविता में निहित रस और उसकी निष्पत्ति की जानकारी।
8. कविता के सौन्दर्य ज्ञान की जानकारी।
9. कविता के समालोचना की जानकारी।
10. कविता में निहित कथा के ज्ञान की जानकारी।

काव्य कौशल की दृष्टि से कविता शिक्षण का लक्ष्य–इस दृष्टि से भी काव्य शिक्षण के अनेक लक्ष्य हो सकते हैं। जो इस प्रकार हैं :–

1. भावानुसार कविता के स्वर, लय, आरोह, अवरोह के अनुसार पठन करने की कुशलता का विकास करना।
2. कविता पाठ करते समय अर्थ बोध की योग्यता को विकसित करना।
3. कविता में छंद तथा अलंकारों को खोजने की कुशलता को विकसित करना।
4. कविता में निहित भावों को समझकर उन्हें मौखिक तथा लिखित रूप से अभिव्यक्त करने की योग्यता विकसित करना।
5. विद्यार्थियों में सार्वजनिक रूप से कविता पाठ करने की कुशलता को विकसित करना।
6. कविता को कंठस्थ करने की योग्यता को विकसित करना।
7. समानान्तर भाव की कविता को खोजने की कुशलता को विकसित करना।

साहित्य काव्य के विद्यार्थियों की मनोवृत्तियों की दृष्टि से लक्ष्य–

1. कविता पाठ में रुचि को विकसित करना।
2. कविता के महत्त्वपूर्ण स्थलों को कण्ठस्थ करना।
3. पढ़ी हुई कविता के महत्त्वपूर्ण अंश को प्रस्तुत करने की आदत विकसित करना।
4. कवि की रचनाओं तथा जीवन परिचय को जानने में रुचि को विकसित करना।
5. सुन्दर कविताओं को संकलित करने की आदत विकसित करना।
6. कविता पाठ करने की मनोवृत्ति को विकसित करना।
7. कवि के द्वारा अभिव्यक्त भावों को अपने जीवन में उतारने की रुचि को विकसित करना।
8. कवि सम्मेलनों तथा कवि गोष्ठियों में भाग लेने की इच्छा विकसित करना।
9. कविता के भाव तथा कला सौन्दर्य को स्पष्ट करने में रुचि लेना।
10. स्वयं कविता लिखने में रुचि दिखाना।

व्यवहार परिवर्तन की दृष्टि से काव्य शिक्षण के लक्ष्य–

1. कविता शिक्षण से विद्यार्थी प्रभावशाली ढंग से कविता का पाठ कर सकेंगे।
2. कविता पाठ के साथ-साथ वे उसके अर्थ को भी समझने का प्रयत्न करेंगे।
3. वे कविता के रोचक स्थलों को कण्ठस्थ कर लेंगे।
4. वे सुन्दर कविताओं का संग्रह करने में भी रुचि दिखाएँगे।
5. सौन्दर्य अनुभूति के पश्चात् वे कविता की सराहना करेंगे।
6. कविता से प्राप्त संदेश को अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे।
7. विद्यालय में आयोजित होने वाले साहित्यिक समारोह में वे कविता पाठ करेंगे।

कविता के तत्त्व *(Elements of Poetry)*

कविता की परिभाषाओं तथा उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त करने के बाद कविता के उन तत्त्वों को जानना आवश्यक है जिनसे कविता निर्मित होती है। इन्हें निर्माता तत्त्व भी कहते हैं। एक परिभाषा के अनुसार वे सभी स्थूल, सूक्ष्म उपादान जिनके प्रयोग से किसी पदार्थ की रचना होती है, वे निर्माता तत्त्व कहलाते हैं।

काव्य के निर्माता तत्त्व चार हैं–

1. अनुभूति
2. विचार
3. कल्पना
4. शैली

1. अनुभूति–अनुभूति को भाव तत्त्व भी कह सकते हैं। मानव के पास अनुभव करने तथा समझने की दो शक्तियाँ होती हैं। अनुभव करने की शक्ति सभी में होती है, लेकिन समझने की शक्ति मंद बुद्धि व्यक्ति में नहीं होती। मानव में अनुभूति का रूप गहन भी होता है और निखरा हुआ भी। प्रत्येक मानव

अपनी अनुभूति को व्यक्त करके दूसरों तक पहुँचाना चाहता है। कविवर तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद आदि साहित्यकार अपनी अनुभूतियों को दूसरों तक पहुँचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सफल साहित्य का निर्माण किया। कवि की अनुभूति आपबीती भी होती है और जगबीती भी। अनुभूति तत्त्व काव्य सृष्टि का प्राण तत्त्व माना गया है। इसलिए काव्य में कवि की अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है और पाठक उसी अनुभूति को प्राप्त करके आनन्दानुभूति प्राप्त करता है। अनुभूति अथवा भाव में उदारता, गहनता, विविधता तथा मार्मिकता होनी चाहिए। काव्य में भावों की उचित अभिव्यक्ति होने पर ही साधारणीकरण की प्रक्रिया सरल एवं सहज हो जाती है।

2. विचार–काव्य का दूसरा महत्त्वपूर्ण तत्त्व विचार है। इसका संबंध मानव की बुद्धि से है। इस शक्ति द्वारा मानव अपना और दूसरों का निरीक्षण करता है। विचार तत्त्व बुद्धि पर टिका हुआ होता है। जिन लोगों की बुद्धि तीक्ष्ण होती है वे वस्तुस्थिति को तत्काल समझ लेते हैं। विचार तत्त्व कविता में अनुभूति के निर्बाध प्रवाह को, कल्पना की अनावश्यक उड़ान को तथा भाषा के अनावश्यक अनुकरण को मर्यादित करता है। विचार तत्त्व के द्वारा ही कवि कविता के द्वारा संदेश को व्यक्त करता है। कवि के जीवन दर्शन का संबंध विचार तत्त्व से ही है। यही कारण है कि श्रेष्ठ काव्यों की श्रेष्ठता जितनी अनुभूति गहनता पर निर्भर करती है उससे कही अधिक विचारों की विराटता पर निर्भर करती है। विचार तत्त्व के द्वारा ही कविता में कवि का व्यक्तित्त्व हमेशा झलकता है।

3. कल्पना–कल्पना को अंग्रेजी में Imagination कहते हैं। काव्य रचना का सम्पूर्ण कारोबार कल्पना पर ही निर्भर करता है। यह मूलतः सृष्टिकारिणी शक्ति है। भाव का भावन कराना अर्थात् उसे सुंदर सजीव बनाकर प्रस्तुत करना ही कल्पना है अर्थात् शुक्ल ने कहा भी है–**''जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना उपासना है। साहित्य वाले इसे उपासना कहते है और आजकल के लोग कल्पना।''** कल्पना काव्य में तीन काम करती है–

1. रूप विधान की सृष्टि करना।
2. काव्य संसार का सृजन करना।
3. भाषा की कलात्मक रचना करना।

कल्पना के सुनियोजित प्रयोग से काव्य रचना आकर्षक और सुन्दर बन जाती है। काव्य में विधायिका कल्पना अपेक्षित है। बेपर की उड़ान वाली कल्पना का काव्य में कोई महत्त्व नहीं होता। पाश्चात्य नाटककार **शेक्सपियर** ने लिखा भी है–**''कल्पना अज्ञात वस्तुओं को भी रूप एवं आकार प्रदान किया करती है। शून्य वस्तु को भी सत्ता एवं आकार प्रदान किया करती है।''** कल्पना तत्त्व की सार्थकता अमूर्त तत्त्व को मूर्त स्वरूप एवं आकार प्रदान करने में है।

4. शैली तत्त्व–शैली को अंग्रेजी में Style कहते हैं। इसका अर्थ है–कार्य विधि। कविता के संदर्भ में शैली का अर्थ है भाषा शैली अर्थात् भाषा के प्रयोग की विधि। काव्य रचना का माध्यम भाषा ही है। इसके बिना काव्य रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कवि अपनी कविता में जो कुछ भी कहता है वह भाषा के द्वारा कहता है। इसे हम अभिव्यक्ति पक्ष भी कह सकते हैं। कवि का कथन सामान्य न होकर विशेष होता है। उसकी अनुभूति तथा विचार भी विशेष होते हैं। कल्पना द्वारा वह अपनी अनुभूति और विचारों को रूपबद्ध करता है। लेकिन भाषा के माध्यम से अनुभूति, विचार तथा कल्पना की अनुभूतियों भी हो सकती है। भाषा शब्द भण्डार से बनती है लेकिन शब्दों के प्रयोग की वाक्यों की, रचना की तथा वाक्यांशों की योजना की विधियां भिन्न-भिन्न होती हैं। इससे भाषा में विशिष्टता उत्पन्न होती है। कवि की अभिव्यक्ति को सफल बनाने में ही शैली की उपयोगिता है। शैली प्रत्येक व्यक्ति की अपनी होती है। प्रत्येक कवि अपने ही प्रकार से काव्य भाषा, छंद, अलंकार, प्रतीक बिम्ब आदि का प्रयोग करता है।

कविता में चारों तत्त्वों का महत्त्व है। लेकिन साहित्य में चारों तत्त्वों का महत्त्व एक समान नहीं होता। उदाहरण के रूप में गीति काव्य में यदि अनुभूति की प्रमुखता होती है तो निबंध साहित्य में विचार तत्त्व की प्रधानता होती है। फिर भी हमें यह ध्यान रखना होगा कि इन चारों तत्त्वों के बिना कविता अधिक सफल और प्रभावशाली नहीं कही जा सकती।

कविता-शिक्षण का महत्त्व *(Importance of Poetry Teaching)*

कवि अपनी कविता द्वारा पाठकों के हृदय को न केवल झकझोर देता है, बल्कि उन्हें रसमग्न करके आनन्दानुभूति भी प्रदान करता है। एक अच्छी कविता को पढ़कर पाठक पृथ्वी लोक को छोड़कर अध्यात्म लोक में विचरण करने लगता है। कविता का स्पष्ट प्रभाव मानव के हृदय पर होता है। उसे पढ़ या सुनकर मानव अपने व्यक्तिगत सुख-दुःख को भी भूल जाता है। संसार में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि कविता श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करती है और उनमें देश प्रेम की भावना उत्पन्न करती है। यह कहना सत्य है कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य का अधिकांश भाग काव्य साहित्य ही है। भारत का प्राचीनतम साहित्य छंदोबद्ध है। चारों वेद भारतीय कविता के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित आदि काव्य रामायण संस्कृत की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना है। लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा हिन्दी के काव्य साहित्य में भारतीय समाज की संस्कृति, दर्शन, धर्म, कला आदि का वर्णन प्रभावपूर्ण शैली में किया गया है। वाल्मीकि-रचित **'रामायण'** इसी कथन को सिद्ध करती है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित **'रामचरितमानस'** भारतीय जनता का कण्ठहार है। यह रामभक्ति का महासागर है। मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी असंख्य काव्य-रचनाओं द्वारा भारतीय युवकों में देशप्रेम की भावना उत्पन्न की। उस समय के युवक स्वतन्त्रता संग्राम में बढ़-चढ़ कर भाग लेने लगे।

हिन्दी साहित्य की शिक्षा प्रदान करते समय विद्यार्थियों को साहित्य की सभी विधाओं का अध्ययन कराया जाता है, लेकिन कविता का अध्ययन विशेष महत्त्व रखता है। कविता विद्यार्थियों को मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराती है, समाज की विभिन्न समस्याओं का विवेचन करती है और उनके समाधान प्रस्तुत करती है। कविता ही जीवन दर्शन, धर्म तथा संस्कृति से परिचित कराकर देशवासियों को अपने राष्ट्र और समाज से जोड़ती है। कविता विद्यार्थियों में केवल रसानुभूति को ही उत्पन्न नहीं करती बल्कि यह विद्यार्थियों की सात्विक भावना को जाग्रत करती है और उन्हें मानवतावाद का संदेश देती है। कवि अपनी कल्पना के प्रयोग द्वारा सृष्टि के प्रत्येक कोने को झांक कर देखता है। वह समाज के कल्याण की भावना को लेकर कविता की रचना करता है। इसलिए यह उचित ही कहा गया है :–

"जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि"

सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता का एक उदाहरण देखिए–

वियोगी होगा पहला कवि,
आह, से उपजा होगा गान।
उमड़ कर आँखों से चुपचाप,
बही होगी, कविता अनजान।

◆◆◆

लघु नाटक (Short Play)

10. नाटक या ड्रामा का क्या अर्थ है? शिक्षा के क्षेत्र में नाटकों का क्या महत्त्व है? नाटक का संगठन करते समय किन-किन आवश्यक बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

अथवा

नाटक या नाटकीय कला के महत्त्व पर एक नोट लिखें।

अथवा

नाटक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

अथवा

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

नाटक या नाटकीय कला से आपका क्या अभिप्राय है? विद्यार्थियों के लिए इनका क्या महत्त्व है तथा एक अध्यापक होने के नाते नाटक के सफल संगठन हेतु आप क्या सुझाव देंगे।

उत्तर–नाटकों का विश्वव्यापक प्रभाव होता है। ये छोटे, बड़ों सबको प्रभावित करते हैं। बच्चों में स्वाभाविक रूप से नाट्य प्रवृत्ति पाई जाती हैं। वे बचपन से ही बड़ों की नकल करना आरम्भ कर देते हैं। वह माता-पिता, डाक्टर, दुकानदार, सिपाही, मदारी आदि के अभिनय करता रहता है। अतः बच्चे की इस प्रवृत्ति को विकसित करने में स्कूल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

नाटक या नाट्यता का अर्थ (Meaning of Drama or Dramatics)–नाट्यता में वाणी तथा माँसपेशियों का उद्देश्यपूर्ण तालमेल, संगीत, लय, विचारों, भावों एवं गति का अद्भुत समन्वय होता है। अतः हम कह सकते हैं कि नाट्यता एक समन्वयात्मक कला है।

नाट्यता या नाटकीय कला के उद्देश्य या महत्त्व
(Aims or Importance of Dramatics or Dramatization)

(1) **भावात्मक एवं मनोवैज्ञानिक महत्त्व (Emotional and Psychological Importance)**– नाट्य-कला के माध्यम से विद्यार्थी अपनी दमित-शक्तियों एवं भावनाओं को व्यक्त करके भावात्मक अव्यवस्था का उपचार करते हैं। ऐसा करके उन्हें आत्मभिव्यक्ति का अवसर मिलता है और आनंद की प्राप्ति होती है।

(2) **भाषाई ज्ञान (Linguistic Importance)**–नाट्यकला के द्वारा विद्यार्थियों की शब्द-शक्ति में वृद्धि होती है। वाक्-कला के कई गुणों जैसे उच्चारण, स्वर का उतार-चढ़ाव, गति, विराम, लय आदि का ज्ञान होता है।

(3) **शैक्षणिक महत्त्व (Educational Importance)**–नाट्कों के माध्यम से विद्यार्थियों को कई विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, कला, संगीत आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे बालकों को वेश-भूषा, मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था आदि का ज्ञान प्राप्त होता है।

(4) **सामाजिक महत्त्व (Social Importance)**–नाटकों का मंचन एक सहयोगात्मक क्रिया है, जिससे सहयोग, सद्भावना जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। इससे बच्चों में मिलजुलकर कार्य करने की भावना का विकास होता है।

(5) **मनोरंजनात्मक महत्त्व (Recreational Importance)**–नाट्यकला स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करती है।

(6) **प्रेरणात्मक महत्त्व (Motivational Importance)**–नाट्यकला बच्चों के लिए एक प्रेरण ा का कार्य करती है।

(7) **संगठनात्मक महत्त्व (Organizational Importance)**–नाट्कों के कारण बालकों में संगठनात्मक योग्यताओं का भी विकास होता है।

(8) **चेतनता (Consciousness)**–नाटकों के द्वारा विद्यार्थियों में कई सामाजिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक आदि समस्याओं के प्रति चेतना जागृत होती है।

(9) **आत्मविश्वास में वृद्धि (Increase in Self-Confidence)**–नाटकों में भाग लेने के कारण विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है।

(10) **सामुदायिक महत्त्व (Community Importance)**–नाटकों के द्वारा विद्यार्थियों के माता-पिता तथा समुदाय के अन्य सदस्यों की स्कूल के प्रति रुचि बढ़ जाती है।

डॉ. जसवंत सिंह के अनुसार–नाट्यता संभवतः सभी पाठ्य-सहायक क्रियाओं में से सबसे अधिक शिक्षात्मक एवं संतोषजनक क्रिया है। यह विद्यार्थियों की किशोरावस्था संबंधी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को स्वस्थ अभिव्यक्ति प्रदान करती है। यदि इसका उचित आयोजन किया जाए और इसे स्कूल के शैक्षणिक कार्यक्रम से समन्वित किया जाए तो यह शिक्षण का प्रभावशाली साधन बन सकती है। इसका प्रभाव विश्व व्यापक होता है और इसमें अत्यधिक शैक्षिक संभावनायें निहित होती हैं।

नाटकों के प्रकार *(Types of Dramas)*

नाटक अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से मुख्य प्रकार अग्रलिखित हैं–

(1) **पूर्ण नाटक (Complete Drama)**–पूर्ण नाटक में विद्यार्थी किसी प्रसिद्ध नाटककार द्वारा रचित नाटक का मंचन करता है।

(2) **नृत्य नाटक (Dance Drama)**–इसमें नृत्य एवं संगीत के माध्यम से कथा की विषय-वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है।

(3) **छाया नाटक (Shadow Drama)**–छाया नाटक मे पात्र पर्दे के पीछे रहते हैं, उनकी केवल छाया पर्दे पर दिखाई देती है।

(4) **एक अभिनेता नाटक (One Actor Drama)**–एक अभिनेता नाटक में एक ही व्यक्ति अनेक भूमिकाएँ निभाता है।

(5) **मूक अभिनय (Salient Drama)**–मूक अभिनय में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता क्रियाओं के ही प्रयोग द्वारा सब कुछ दर्शाया जाता है।

नाटक का संगठन (Organization of Dramas)

नाटक का गठन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए–

(1) **विद्यार्थियों का चुनाव (Selection of Students)**–नाटकों में जिन विद्यार्थियों की रुचि हो उनको ही नाट्य कला के क्लब का सदस्य बनाना चाहिए।

(2) **अध्यापक इन्चार्ज का चुनाव (Selection of Teacher Incharge)**–अध्यापक इन्चार्ज का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अध्यापक में नाटक-मंचन की योग्यता तथा नाटकों में रुचि हो।

(3) **नाटक का चुनाव (Selection of Drama)**–नाटकों का चुनाव करते समय विद्यार्थियों की आयु स्तर का ध्यान रखना चाहिए। प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए परियों की कहानियों तथा लोक-कथाओं पर आधारित नाटक उचित रहते हैं। सैकण्डरी स्तर पर सामाजिक नाटक तथा ऐतिहासिक नाटकों का मंचन उचित रहता है, जिनमें मनोरंजन होने के साथ-साथ शैक्षिक नैतिक तथा साहित्यिक महत्त्व भी हो। अशिष्टता, अश्लीलता, अपराध, अनुशासनहीनता तथा साम्प्रदायिकता का प्रदर्शन मंच पर नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बालकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(4) **नाटक की तैयारी (Preparation of Drama)**–नाटक को मंच पर प्रस्तुत करने से पहले कई रिहर्सलें की जानी चाहिएँ। पात्रों के रोल को सुनना चाहिए। चेहरे पर उपर्युक्त भावों का होना नाटक के लिए अति आवश्यक होता है, अतः इनकी तरफ अध्यापकों को ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के उच्चारण का ध्यान भी रखना चाहिए। मंच-सज्जा नाटक के अनुरूप होनी चाहिए। दर्शकों के बैठने की तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(5) **विद्यार्थियों का योगदान (Contribution of Students)**–अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए उचित पुरस्कार प्रमाण पत्रों की व्यवस्था होनी चाहिए।

नाटकीकरण को सफल बनाने के कुछ उपाय
(Some measures to make Dramatisation Successful)

(1) जिन विद्यार्थियों की इस क्रिया में रुचि है, उन्हें ही (Dramatic club) का सदस्य बनाना चाहिए।

(2) नाटकीकरण का इन्चार्ज अध्यापक सुयोग्य व्यक्ति होना चाहिए जिसे इसमें वास्तविक रुचि हो।
(3) नाटक की तैयारी, मंच सज्जा, रिहर्सल आदि सावधानी से की जानी चाहिए।
(4) नाटक के शिक्षात्मक तत्त्व की ओर भी ध्यान देना चाहिए।
(5) इसे छोटी कक्षाओं से आरम्भ किया जाना चाहिए क्योंकि इस स्तर पर कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जो नाटकीकरण के लिए उपयोगी होते हैं।
(6) नाटकीकरण को शान-शौकत के लिए बहुत खर्चीला नहीं बना देना चाहिए।
(7) एक ही विद्यार्थी को सदा एक ही प्रकार की भूमिका नहीं देनी चाहिए।
(8) विद्यार्थियों को अपने नाटक लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

◆◆◆

11. लघुनाटक के क्या उद्देश्य है? नाटक की शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए।
(What are the objectives of short play? Describe teaching methods of short play.)

उत्तर–लघुनाटक-शिक्षण के उद्देश्य–नाटक गद्य-साहित्य का अंग होते हुए भी अन्य विधाओं से अधिक सजीव एवं प्रभावोत्पादक है। इसका ध्येय मात्र मनोरंजन नहीं है। संक्षेप में इसके निम्न उद्देश्य हैं–

1. छात्रों का स्वस्थ मनोरंजन करना।
2. छात्रों को मानव स्वभाव एवं विभिन्न प्रकार के मानवीय चरित्रों से परिचित कराना।
3. संभाषण का अभ्यास कराना।
4. छात्रों के मन में दबी प्रभुत्व कामना तथा आत्मप्रदर्शन की इच्छा की अभिव्यक्ति कराना तथा उन्हें संतुष्ट कराना।
5. छात्रों में अनुकरण की मूल प्रवृत्ति का विकास करके अभिव्यंजना का अवसर प्रदान करना।
6. छात्रों के मनोभावों का परिष्कार करना।
7. व्यावहारिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा एवं बोलने की शैली का विकास करना।
8. अभिनय कला की शिक्षा देना।
9. अंग-संचालन, हाव-भाव, मुद्रा आदि द्वारा भावाभिव्यक्ति को विकसित करना।
10. पात्रों के साथ तादात्म्य स्थापित कराना।
11. छात्रों का चरित्र विकसित करना।
12. उनमें संवाद लिखने, छात्रों को नाटकीकरण आदि के लिए प्रोत्साहित करके उनमें साहित्यिक प्रतिभा का विकास करना।
13. उन्हें देशकाल एवं परिस्थिति के अनुरूप आचरण करने की शिक्षा प्रदान करना।
14. मानव प्रकृति एवं विभिन्न परिस्थितियों में किये गये आचरण को समझने की क्षमता प्रदान करना।
15. छात्रों के शब्द एवं सूक्ति भण्डार में वृद्धि करना।
16. छात्रों में निरीक्षण, कल्पना, बोध एवं विवेचन की क्षमता का विकास करना।
17. अभिनय तथा उसके सहायक रूपों यथा–संगीत, नृत्य, चित्रकारी तथा रंगमंच की शिक्षा प्रदान करना।

नाटक-शिक्षण विधियाँ

नाटक शिक्षण की लोकप्रिय पद्धतियाँ निम्न हैं–

1. व्याख्या प्रणाली।
2. आदर्श नाट्य पठन प्रणाली,

3. अभिनय प्रणाली–
   (अ) रंगमंच अभिनय प्रणाली,
   (आ) संयुक्त प्रणाली।
4. प्रयोग प्रणाली, एवं
5. संयुक्त प्रणाली।

1. व्याख्या प्रणाली–इस पद्धति में नाटक के तथ्य, भाषा-शैली, पात्र, चरित्र, कथोपकथन आदि की व्याख्या अध्यापक करता है। इसमें वह व्याख्या, कथन, प्रश्नोत्तर आदि प्रणालियों का सहारा लेता है। वह इनके माध्यम से नाटक की विशेषताएँ, गुण व दोष समझाता है। नाटक के तत्त्व, कठिन स्थलों, नाटककार के विचार आदि का विवेचन अध्यापक स्वयं करता है। छात्रों से वह अन्त में व्याख्या, समीक्षा आदि करा लेता है।

यह प्रणाली अपूर्ण है। उच्च कक्षाओं के छात्रों को इससे लाभ हो सकता है परन्तु छोटी कक्षाओं के लिए यह विधि अनुपयोगी है।

2. आदर्श-नाट्य पठन प्रणाली-इस प्रणाली में अध्यापक का दृष्टिकोण प्रायोगिक रहता है। वह स्वयं अभिनेता बनकर सभी चरित्रों का अभिनन्दन करता हुआ, उनका चरित्र दर्शाता है। उनके संवादों, विचारों, हावों-भावों का वह इस ढंग से प्रदर्शन करता है कि छात्रों को तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं। आवश्यकतानुसार वह कठिन व विशेष स्थलों को समझाता भी है। इस प्रणाली में छात्र मूक श्रोता व दर्शक बना बैठा रहता है।

इस प्रणाली को पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। छात्रों की इसमें सक्रिय सहायता नहीं ली जाती है। वह मात्र श्रोता व दर्शक रहता हैं अर्थ का स्पष्टीकरण भी नहीं किया जाता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि अध्यापक कुशल अभिनेता ही हो। ऐसी स्थिति में सारा गुड़-गोबर बन जाता है और छात्र नाटक का रसास्वादन नहीं कर पाता है।

3. रंगमंच प्रणाली–इस पद्धति में नाटक का अभिनय कराकर उसका प्रायोगिक रूप स्पष्ट किया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग रंगमंच पर ही हो सकता है और कक्षा में भी।

(अ) रंगमंच प्रणाली–नाटक को रंगमंच पर मंचित करके छात्रों के समक्ष इसका प्रदर्शन करना इस पद्धति का अभीष्ट है। इस पद्धति में छात्र स्वयं रंगमंच पर नाटक को प्रदर्शित करते हैं। पात्रों के हाव-भाव, चरित्र एवं स्तर को स्पष्ट करने की चेष्टा इस पद्धति में की जाती है।

(आ) कक्षा अभिनय प्रणाली–रंगमंच पर नाटक का अभिनय खर्चीला होता है। इसमें पर्याप्त समय एवं अपव्यय होता है। छात्रों के पास इतना समय नहीं होता। वर्ष में दो-चार बार ही यह सम्भव हो पाता है। सामान्य परिस्थिति में सम्पूर्ण कक्षा के समक्ष कक्षा में ही अभिनय किया जा सकता है। इसमें छात्रों को नाटक के विभिन्न पात्र बना दिए जाते हैं और वे अपनी क्षमता के अनुसार अध्यापक के निर्देशन में अपना भाव स्पष्ट करते हैं।

अपेक्षाकृत यह प्रणाली सरल एवं सहजग्राह्य है। छात्र इसमें रुचि भी प्रदर्शित करते हैं। सम्भावना यह रहती है कि छात्र पात्र परिस्थिति एवं भावों को ठीक ढंग से प्रदर्शित न कर पावें। इसके लिए उन्हें सहायता की आवश्यकता है। व्याख्या स्पष्ट करके, भावों, विचारों, अभिनय आदि का स्पष्टीकरण कराना चाहिए।

4. प्रयोग प्रणाली–नाटक दृश्य-काव्य कहा जाता है। इसलिए नाटक को दिखाकर छात्रों के समक्ष भावों को स्पष्ट करना अपेक्षाकृत सरल एवं सहजग्राह्य है। रंगमंच पर नाटकों को प्रदर्शित कराकर छात्रों को दिखाना चाहिए। इस पद्धति से छात्रों को यथेष्ट लाभ होता है परन्तु समय, धन एवं साधनों की कमी के कारण इस पद्धति को अपनाना कठिन है।

5. संयुक्त प्रणाली–यह प्रणाली छात्रों के लिए अधिक उपयोगी हो सकती है। आवश्यकतानुसार नाटक शिक्षण की सभी पद्धतियों की इसमें सहायता ली जा सकती है। जब जो विधि उपयोगी प्रतीत हो, उसका सहारा लेना चाहिए। अध्यापक अपने विवेक के अनुसार छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन विधियों को अपनाता है।

◆◆◆

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

4.3 भाषा की शैली स्वराघात तथा पंजिका के प्रति अनुक्रिया
(Respond to Style, Tone and Registers of Language)

12. भाषा शैली स्वराघात तथा भाषा पंजिका के प्रति अनुक्रिया का वर्णन कीजिए।
(Describe the respond to style, tone and register of language.)

उत्तर–

1. भाषा शैली

भाषा शैली, स्वराघात तथा भाषा पंजिका के प्रति अनुक्रिया का अर्थ है–भाषा शैली, स्वराघात तथा भाषा पंजिका को समझना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना तथा उसकी व्याख्या करना। अनुक्रिया अधिगम का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

शैली को अंग्रेजी में style कहते हैं। इसका अर्थ है कार्य विधि भाषा शब्द भण्डार से बनती है लेकिन शब्दों के प्रयोग की, वाक्यों की, रचना की तथा वाक्यांशों की योजना की विधियाँ भिन्न-भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग शैली होती है।

भाषा व्यवहार में शैली का विशेष महत्त्व रहता है। हिन्दी भाषा में अनेक प्रकार की शैलियों का प्रयोग देखा जा सकता है। फलतः प्रत्येक साहित्यकार की अपनी ही शैली होती है। कुछ लेखक सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं और कुछ संस्कृतनिष्ठ भाषा का। भाषा व्यवहार में प्रायः वर्णनात्मक, अलंकृत, भावात्मक, विवेचनात्मक, संवादात्मक आदि विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग देखा जा सकता है। कुछ उदाहरण देखिए–

अलंकृत शैली–''सुस्वागतम्, हमारी कुटिया में आपके चरण कमल पड़े, हम तो धन्य हो गए।''

उर्दू शैली–''खुशामदीद! हुजूर, इस खाकसार के गरीबखाने पर खुद तशरीफ लाए।''

वर्णनात्मक शैली–''किन्तु उसकी शिक्षा-दीक्षा, सब किए-कराए पर एक दिन पानी फिर गया।''

संस्कृतनिष्ठ शैली–''वार्षिकोत्सव में अतिथियों का स्वागत कीजिए।''

इस प्रकार शैली के आधार पर भाषा के व्यवहार में विशेषता उत्पन्न हो जाती है।

2. स्वराघात *(Tones)*

सुर (स्वर)–सुर या स्वाराघात का सम्बन्ध केवल स्वरतंत्रियों से है। तनी हुई संकरी स्वरतंत्रियों से प्रश्वास वायु घर्षण के साथ जब वेग से निकलती है तो अधिक कम्पन वृत्तियाँ उत्पन्न करती है। इसका मतलब यह हुआ कि स्वर का सम्बन्ध केवल घोष ध्वनियों से अघोष ध्वनियों से नहीं। क्योंकि अघोष ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वरतंत्रियों में कम्पन नहीं होता। स्वरतंत्रियों की कम्पनवृत्तियां जितनी अधिक होंगी सुर उतना ही उच्च और तीव्र होगा। तनी हुई संकरी स्वरतंत्रियां सुर में आरोह उत्पन्न करती हैं लेकिन शिथिल स्वरतंत्रियां अवरोह उत्पन्न करती हैं। आरोह का अर्थ है–उच्च और तीव्र और अवरोह का अर्थ है शिथिल। यही नहीं वक्ता की मानसिकता भी सुर के आरोह-अवरोह को अवश्य प्रभावित करती है। क्रोध तथा प्रसन्नता की स्थिति में स्वरतंत्रियों में तनाव उत्पन्न हो जाता है और सुर में आरोह आ जाता है परंतु सहज, सामान्य मनोदशा में सुर में अवरोह आ जाता है आरोह का चिह्न है ↑ तथा अवरोह का चिह्न है ↓।

संगीतात्मक आरोह-अवरोह से अभिव्यक्ति में नाटकीयता उत्पन्न होती है। उदाहरण के रूप में जब वक्ता के कंठ में माधुर्य होगा तो उसकी अभिव्यक्ति में भी माधुर्य आ जाएगा। उस समय उसका सुर अपने सही उच्चारण करने के लिए उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित उत्कर्ष पर पहुंच जाएगा। अतः सुर का प्रभाव बड़ा विस्मयकारी होता है। भारतीय विद्वानों ने सुर के तीन भेद किए हैं–उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित।

यह वर्गीकरण ग्रीक वर्गीकरण से मिलता जुलता है। आधुनिक भाषा वैज्ञानिक इसे उच्च (High), निम्न (Low) तथा मध्य (Mid) के रूप में वर्गीकृत करते हैं।

(i) उदात्त सुर–उदात्त का अर्थ है उच्च या श्रेष्ठ। उच्च स्वर को ही उदात्त कहते हैं। ये वक्ता की मनोदशा अथवा भावावेग पर निर्भर करता है। साथ ही उसकी स्वरतंत्रियों पर भी निर्भर करता है। बच्चों और महिलाओं की स्वरतंत्रियाँ आकार में छोटी तथा अधिक तनावदार होती हैं। इसलिए पुरुषों की अपेक्षा बच्चों और नारियों का स्वर ऊँचा होता है और उसमें **कल्पना वृत्ति विदित** होती है। महर्षि पतंजलि ने उदात्त स्वर के लिए तीन तत्त्वों को मूल कारण माना है–

(क) स्वर तंत्री का कसाव
(ख) स्वर तंत्री में संकुचन
(ग) ध्वनि का आरोह

तथा उदात्त की परिभाषा देते हुए पाणिनि ने लिखा है–**उच्चैरूदात्तः**।

(ii) अनुदात्त–अनुदात्त का शाब्दिक अर्थ होता है जो उदात्त न हो। पाणिनि के अनुसार–**नीचैनुदात्तः** अर्थात् निम्न स्वर अनुदात्त है। स्वर तंत्रियों में अपेक्षाकृत कम तनाव के कारण जब ध्वनि का उच्चारण करते समय कम कम्पन वृत्ति होती है, तब उसे अनुदात्त सुर कहते हैं। इसे सुरावरोही या निम्न सुराघात भी कहते हैं।

(iii) स्वरित सुर–सुर की सम दशा को स्वरित कहते हैं। स्वरित में सुर न तो उदात्त होता है और न ही अनुदात्त होता है बल्कि इसमें उदात्त और अनुदात्त दोनों के गुणों का सामंजस्य रहता है। यही कारण है कि इसमें आरोह-अवरोह का भी स्वाभाविक सामंजस्य होता है।

आरोह-अवरोह के क्रम को सुरलहर भी कहते हैं। सुर केवल घोष ध्वनियों में ही होता है परन्तु अघोष ध्वनियों में अवरोह के रूप में रहता है और उसके प्रभाव में नाटकीय वृद्धि करता है। प्रायः संस्कृत, हिंदी आदि संगीतात्मक भाषाओं में घोष ध्वनियों की संख्या अघोष ध्वनियों से चार गुना अधिक है। इनमें शब्दों और वाक्यों के स्तर पर भी सुर लहर सक्रिय रहती है। **शब्द के स्तर पर सक्रिय सुर लहर को तान कहते हैं और वाक्य स्तर पर सुरलहर को अनुतान कहते हैं।** वाक्य स्तर पर सुर लहर या अनुतान के अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं।

(क) तुम जंगल में प्रवेश कर सकते हो। ↓ अनुमति तथा स्वीकृति।
(ख) तुम जंगल में प्रवेश कर सकते हो? ↑ (प्रश्न)
(ग) तुम जंगल में प्रवेश कर सकते हो! ↑ (विस्मय)

3. भाषा पंजिका *(Registers of Language)*

भाषा पंजिका पाँच प्रकार की होती है। प्रत्येक भाषा पंजिका का स्तर अलग-अलग होता है। उपयुक्त भाषा पंजिका दर्शकों पर निर्भर करती है। जैसे–कौन (Who), विषय (Subject), क्या (What), उद्देश्य (Aims), क्यों (Why) और स्थान (Place), कहाँ (Where), आप (You) आदि हर पहलू और स्थिति में सफलता के आनंद के लिए भाषा पंजिकाओं का उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। भाषा पंजिका के प्रकार निम्नलिखित है–

1. सांख्यिकी पंजिका (Statistics Register)–संचार की सांख्यिकी पंजिका की शैली को कभी नहीं बदला जा सकता। यह समय और सामग्री में 'स्थिर' है। जैसे भगवान की प्रार्थना, निष्ठा की शपथ, अमेरिका का संविधान तथा कानून की प्रस्तावना आदि। इसी प्रकार इस शैली में जो भी सुत्र बना दिए जाते हैं वे उसी प्रकार रहते हैं।

2. औपचारिक पंजिका (Formal Register)–इस पंजिका को भाषा 'सेटिंग' में प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पंजिका का प्रयोग भाषा में आमतौर पर किया जाता है। औपचारिक पंजिका का सामान्य प्रारूप आमतौर पर औपचारिक और अवैयक्तित्व है। इस पंजिका के लिए एक आम प्रारूप भाषण है, जैसे–बयानबाजी करना, उपदेश देना, सवालों तथा भाषण, न्यायाधीशों द्वारा की गई घोषणाएं होती हैं।

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

3. परामर्शदाता पंजिका (Consultative Register)–परामर्शदाता पंजिका, पंजिका का एक मानक रूप है जिसे उपयोगकर्ता संचार के माध्यम से पारस्परिक रूप से स्वीकार करता है इस पंजिका की संरचना औपचारिक तथा सामाजिक अपेक्षाएं भी रखता है। इस भाषण का उपयोगकर्ताओं के साथ पेशेवर प्रवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे–अजनबियों से मिलने डॉक्टर मरीजों के पास पहुंचता है और मरीजों की जिंदगी बचाता है, तब अजनबी मरीजों को बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसी प्रकार वकील और मुजरिम, शिक्षक और छात्र आदि सभी परामर्शदाता है।

4. आरामदायक पंजिका (Rest or Casual Register)–इस पंजिका का प्रयोग अपने दोस्तों व साथियों के द्वारा अनौपचारिक रूप से किया जाता है। आरामदायक पंजिका में कष्ट बोली और शब्दों पर सामान्य प्रयोग होता है। आरामदायक पंजिका में 'समुह' भाषा का सदस्य संलग्न होना चाहिए; जैसे–टीम के साथियों, ईमेल और चैट, ब्लॉग्स तथा दोस्तों के लिए पत्र लिखे जाते हैं।

5. अंतरंग पंजिका (Intimate Register)–इस पंजिका का संचार निजी होता है जो लगभग सभी परिवार के सदस्यों या अंतरंग लोगों के लिए आरक्षित है; जैसे–प्रेमी और प्रेमिका, पति-पत्नी, भाई-बहन, माता-पिता और बच्चों के लिए इस पंजिका का प्रयोग भाषा के नियमों के द्वारा किया जाता है तथा यह आमतौर पर आक्रामक रूप से अनुचित माना जाता है।

◆◆◆

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

5

सीखने तथा समझने के लिए पठन

[Reading to Learn and Understand]

5.1 पाठ्य-पुस्तकों का मुख्य भाव जानने के लिए पढ़ना, पठन सामग्री को जाँचना तथा प्रासंगिक सूचना प्राप्त करना
(Scanning, Skimming and Extracting Relevant Information from Textsbooks)

1. पाठ्य-पुस्तकों के मुख्य भाव जानने के लिए पढ़ने, पाठ्य-पुस्तक की सामग्री को जाँचने तथा उससे प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने पर एक टिप्पणी लिखिए।
(Write a note on scanning, skimming and extracting, relevant information from textbooks.) **(June 2018)**

उत्तर–पाठ्य-पुस्तक सूचना प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। पाठ्य-पुस्तक पढ़ने के अनेक उद्देश्य हो सकते है। जैसे–

1. पाठ्य-पुस्तक का मुख्य भाव जानने के लिए पढ़ना।
2. पाठ्य-वस्तु की सामग्री को जांचने के लिए पढ़ना।
3. पाठ्य-पुस्तक से प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने के लिए पढ़ना।

यदि अध्यापकों तथा विद्यार्थियों ने पाठ्य-पुस्तकों से पूरा लाभ प्राप्त करना है तो उन्हें इसके प्रयोग से बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कई लोगों में यह गलत कारण है कि कोई भी व्यक्ति कैसे भी पाठ्य-पुस्तक का प्रयोग कर सकता है। परंतु यह धारणा बिल्कुल गलत है। एक पाठ्य-पुस्तक को बिना अनुभव, प्रयोग तथा विशेष प्रशिक्षण के अच्छी तरह से प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि पाठ्य-पुस्तक का पूरा लाभ उठाना है तो बड़ी सूझ-बूझ और कुशलता के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए।

एक बात और जो ध्यान देने योग्य है कि पाठ्य-पुस्तकों का पूरा लाभ तभी उठाया जा सकता है जब उनमें सभी बातों की विस्तृत व्याख्या की गई हो और छात्र उनका अनुसरण करते हों। बालकों को पाठ्य-पुस्तक का समुचित प्रयोग सिखाने के लिए कभी-कभी अध्यापक स्वयं पाठ्य-पुस्तक के समुचित प्रयोग का प्रदर्शन बालकों के सम्मुख करे। किसी भी एक विषय का उदाहरण ले लीजए। जैसे सामाजिक अध्ययन विषय की पाठ्य-पुस्तक के प्रभावपूर्ण प्रयोग के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं :

1. पाठ्य-पुस्तक की विषय-सूची का परिचय देने के लिए (For giving introduction of the subject material in the text-book or index of the text book)–जब विद्यार्थी एक कक्षा पास करके दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है तो उसे नई कक्षा के भिन्न-भिन्न विषयों की

पाठ्य-पुस्तकों की विषय सूची तथा उसकी विशेषताओं से परिचित करा दिया जाना चाहिए, ताकि वह यह अच्छी प्रकार से जान जाए कि किसी विषय-विशेष में कितनी पाठ्य-सामग्री का अध्ययन करना होगा तथा किन-किन कार्यों में भाग लेना होगा।

2. विषय सामग्री की क्रमबद्धता की जांच (To check the chronology of the subject matter)–अध्यापक को चाहिए कि वह इस बात की जांच कर ले कि पुस्तक में दी गई विषय-सामग्री क्रमबद्ध है या नहीं। यदि लेखक ने पुस्तक लिखते समय क्रम-बद्धता का ध्यान नहीं रखा तो वह स्वयं उसमें परिवर्तन ला सकता है।

3. अन्य क्रियाओं के प्रति निर्णय (Making decisions about other activities) –अध्यापक को यह भी निर्णय करना है कि विषय-वस्तु के अतिरिक्त और कौन-कौन सी क्रियाएँ करवानी हैं। किन-किन विधियों का प्रयोग करना है।

4. अभ्यास (Practice)–प्रत्येक अध्याय के अंत में कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए दिए होते हैं। अध्यापक को चाहिए कि वह इन प्रश्नों और अभ्यासों को भली प्रकार से देख ले और यह निश्चित कर ले कि क्या सामान्य बालक इसे हल कर सकते हैं।

पाठ्य-पुस्तक के उपयोग *(Uses of Text-book)*

पाठ्य-पुस्तक को कई प्रकार के कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं :

1. सामान्य सूचना प्राप्त करने के लिए (To get general information)–पाठ्य-पुस्तक को विषय-वस्तु से संबंधित सामान्य सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जब किसी विषय-वस्तु की आधारभूत सामान्य सूचनाएं मिल जाती हैं तो उस विषय-वस्तु की पृष्ठभूमि भी तैयार की जा सकती है। विषय-वस्तु की पृष्ठभूमि को तैयार करते समय अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को पाठ के उद्देश्यों से अवगत करा दें जो पाठ में कठिन शब्द हैं उन्हें सरल बना दें और पाठ के प्रयोग में किए जाने वाले दृश्य-श्रव्य सामग्री से उनको अवगत करवा दे। उसे विद्यार्थियों को यह भी बता देना चाहिए कि कक्षा-कक्ष में कौन-कौन सी अनुगामक क्रियाओं को करना है।

2. उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए (To get useful information)–पाठ्य-पुस्तक का प्रयोग किसी भी पाठ से संबंधित उपयोगी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। यदि शिक्षण इकाई-विधि से प्रदान करना है तो पाठ्य-पुस्तक का इकाई से संबंधित तथ्य इकट्ठी करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सूचनाओं और तथ्यों को एकत्रित करते समय अध्यापक को निम्नलिखित बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

(i) विद्यार्थियों से सहायता लेना (Seeking help from the students)–सूचनाओं को इकट्ठा करने में अध्यापक को विद्यार्थियों की सहायता लेनी चाहिए और यदि सूचनाएं विद्यार्थी इकट्ठा कर रहे हैं तो उसे विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए।

(ii) पाठ्य-पुस्तक के अध्ययन-कौशल सिखाने में सहायता (To help in teaching the learning skills of text-books)–अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तक की विषय सूची, शब्दावली आदि का उपयोग करना सिखाएँ।

3. पाठ्य-पुस्तक की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए अन्य साधनों का प्रयोग (Use of other means in order to prove the veracity of what is written in the text-book) –जो कुछ भी पाठ्य-पुस्तकों में दिया हुआ है, इसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए विद्यार्थियों को अन्य साधनों से भी अवगत कराना चाहिए।

4. अधिगम का सार-रूप समझने के लिए (In order to understand the substance of subject matter)–अधिगम की बहुत सी पद्धतियां हैं। छात्र कई पद्धतियों का चुनाव करके अधिगम करता है। ऐसा करने के लिए उसे समस्त विषय-वस्तु का सार समझना आवश्यक है। इस विषय-वस्तु का

सार समझने के लिए भी पाठ्य-पुस्तक का प्रयोग किया जाता है। पाठ्य-पुस्तक की सहायता से विद्यार्थी यह सीख लेता है कि अधिगमन की गई सामग्री के सार को वह कैसे व्यवस्थित, क्रमबद्ध तथा संगठित रूप में रख सकता है। अध्यापक को चाहिए कि वह विषय-वस्तु के सार को समझने में छात्रों की सहायता करें। इसके लिए उसको कई युक्तियों तथा विधियों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अध्यापक छात्रों की शब्दावली संबंधी कठिनाइयों को दूर कर सकता है। इसके अतिरिक्त विषय-वस्तु से संबंधित इकाई पर वाद-विवाद करके छात्रों को इकाई के प्रति प्रेरित कर सकता है।

◆◆◆

5.2 प्रसंग के संदर्भ में अर्थ की समझ
(Understanding the Meaning in Reference to Context)

2. प्रसंग से आप क्या समझते हैं? प्रसंग के प्रति अनुक्रिया का वर्णन कीजिए।
(What do you understand by context? Describe the responding to the context.)

उत्तर–प्रसंग एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ घटित होता है और वह उस विषय को समझने में मदद करता है। किसी विषय वस्तु के प्रसंग का निर्माण शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों, दृश्यों, वर्णनों से हो सकता है जो उसके अर्थ व भाव को प्रभावित करता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि पाठ्यवस्तु को उसके प्रसंग में पढ़ा जाए। जब हम किसी पाठ्यवस्तु को पढ़ते हैं तो उसे उसके प्रसंग या सन्दर्भ में पढ़ना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता।

प्रसंग के प्रति अनुक्रिया में प्रसंग का विश्लेषण, संश्लेषण, आलोचना तथा उसकी व्याख्या करना है–

1. जिसमें पाठ्यवस्तु का सृजन किया गया।
2. जिसमें पात्र रहता है।
3. जिसमें पाठक रहता है।

विद्यार्थी पढ़ते समय तथा अनुक्रिया करते समय निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है–

किसने सृजन किया? किस सन्दर्भ में? किन मूल्यों के साथ? किसकी रुचियों में? किस प्रभाव के साथ? पात्र का कार्य करने का ढंग तथा उसकी अनुक्रिया किस प्रकार प्रभावित हुई।

अनुक्रियाओं को बांटना (Sharing the Responses)–प्रसंग के प्रति अनुक्रिया में अनुक्रियाओं के बांटने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब किसी भी सन्दर्भ में अनेक अनुक्रियाएं सामने आती हैं तो उन अनुक्रियाओं को आपस में बांटने से ठोस निष्कर्ष सामने आता है। ज्ञान तथा शिक्षा बांटने से बढ़ती है। अतः अनुभवों के बांटने के बाद एक अच्छी राय का निर्माण होता है। इससे पाठ्यवस्तु के समझ का विस्तार होता है।

1. अनुक्रियाओं के बांटने के उद्देश्य (Purpose of Sharing Responses)–छात्र लिखित अनुक्रियाओं को मौखिक रूप से कक्षा में बांटते हैं। यह किसी भी सन्दर्भ या प्रसंग के शुरू करने का प्रभावशाली तरीका है। अनुक्रियाओं को बांटने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. **अच्छा पठन (Better Reading)**–अनुक्रियाओं को बांटने का मुख्य उद्देश्य छात्रों में अच्छे पठन कौशल का विकास करना है। जब छात्र पाठ्यवस्तु के सन्दर्भ में अनुक्रियाओं को बांटता है तो वह उनको बड़े ध्यान से पढ़ता है। वह प्रत्येक वाक्य पैटर्न को ध्यान से देखता है तथा प्रत्येक शब्द तथा उसके अर्थ को ध्यान से पढ़ता है। अतः अनुक्रियाओं के बाँटने से पहले छात्र पाठ्यवस्तु के सन्दर्भ में निष्कर्ष निकाल लेता है जिससे उसके पठन कौशल में सुधार आता है। अतः अनुक्रियाओं का बांटने का उद्देश्य छात्रों में अच्छे पठन कौशल का विकास करना है।

CIMETRIX
SKILLED INDIA SKILLED INDIA

2. **अच्छी समझ विकसित करना (To develop better understanding)**–अनुक्रियाओं के बांटने का उद्देश्य छात्रों में एक अच्छी समझ विकसित करना है। जब कोई भी व्यक्ति किसी विषय को सही तरीके से पढ़ता है तो उस पाठ्यवस्तु को अच्छी तरह से समझने में समर्थ हो जाता है। यह पाठ्यवस्तु के सन्दर्भ में अनुक्रियाएँ करने में मदद करता है। जब अनुक्रियाएँ आपस में बांटी जाती हैं तो एक अच्छी समझ बाहर निकल कर आती है। अतः अनुक्रियाओं को बांटने का उद्देश्य छात्रों में एक अच्छी समझ का विकास करना होता है।

3. **बच्चों में आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक चिन्तन का विकास करना (To Develop critical and analytical thinking in the students)**–अनुक्रियाओं के बाटने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक चिन्तन का विकास करना भी होता है। एक अच्छा पाठक एक विषय-वस्तु को उसके सन्दर्भ में अच्छी तरह से समझने में समर्थ हो जाता है।

4. **बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना (To create confidence in the students)**–अनुक्रियाओं के बांटने का उद्देश्य छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना भी होता है। जब बच्चे कक्षा में अनुक्रियाएँ करते हैं तो उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है जो उनके अध्ययन के लिए कारगर सिद्ध होता है। वे स्वतन्त्र तरीके से पाठ्यवस्तु के सन्दर्भ में सोच सकते हैं।

3. अध्यापक की भूमिका (Role of the Teacher)–सन्दर्भ के प्रति अनुक्रिया में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है–

1. अध्यापक छात्रों को अपनी-अपनी लिखित अनुक्रियाओं को जोर-जोर से पढ़ने के लिए कह सकता है।
2. अध्यापक छात्रों के आपस में अनुक्रियाएं को बांटने के लिए कह सकता है?
3. अध्यायपक अनुक्रियाओं को छोटे-छोटे समूहों में बांटने के लिए कह सकता है।
4. जब पाठ्यवस्तु को ठीक से नहीं पढ़ा जा रहा है तो उसमें अध्यापक छात्रों की मदद करता है।
5. कक्षा कक्ष में सन्दर्भ के प्रति अनुक्रियाओं में अध्यापक बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करता है।

4. अनुक्रियाओं के बांटने के फायदे (Benefits of sharing responses)–प्रसंग के प्रति अनुक्रियाओं के बांटने के फायदे निम्नलिखित हैं–

1. बच्चों में आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक चिन्तन का विकास होता है। विद्यार्थी पाठ्यवस्तु का विश्लेषण करने में सक्षम हो जाता है।
2. बच्चों में बोध शक्ति का विकास होता है। इससे पाठ्यवस्तु को अच्छे से समझने में मदद मिलती है।
3. अनुक्रियाओं के बांटने का मुख्य फायदा यह भी है कि वे अर्थपूर्ण सहयोगी क्रियाओं में लगे रहते हैं।
4. जब विद्यार्थी प्रसंग के विषय में अनुक्रियाएं बांटते है तो एक अच्छी राय का निर्माण होता है जिसमें पाठ्यवस्तु की समझ का निर्माण होता है।
5. जब विद्यार्थी विषय-वस्तु से सम्बन्धित अनुक्रियाओं को बांटते हैं तो उस विषयवस्तु का भाव स्पष्ट करने में मदद मिलती है।

◆◆◆

5.3 स्कीमा सिद्धांत : पाठ्य-वस्तु, संरचना तथा विषय-वस्तु क्षेत्र का पठन
(Schema Theory : Text Structure and Reading in Content Area)

3. स्कीमा से आप क्या समझते हैं? पठन की तत्परता का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by schema? Describe the reading readiness.)

उत्तर–स्कीमा सिद्धांत का प्रतिपादन जीन ने किया था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करते हुये संज्ञान के अर्थ के सम्बन्ध में कहा है कि संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है, जिसे वह वातावरण के सम्पर्क में आकर प्राप्त करता है और इसमें अनेक मानसिक क्रियाओं जैसे-चिन्तन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, समस्या, समाधान आदि शामिल होती हैं जो निरन्तर रूप से चलती रहती हैं। विकास को किसी अवस्था विशेष में उनमें बदलती नहीं हैं। पियाजे का यह भी मानना है कि बालक द्वारा प्राप्त या अर्जित किये गये ज्ञान-भण्डार का स्वरूप और बनावट *(Structure)* विकास की प्रत्येक अवस्था के दौरान बदलता रहता है तथा साथ ही परिमार्जित या संशोधित होता रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धान्त को विकासात्मक सिद्धान्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पियाजे का मानना है कि बालक के अन्दर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसके अतिरिक्त पियाजे के सिद्धान्त को 'अवस्था सिद्धान्त' *(Stage theory)* भी कहा जाता है, क्योंकि बालक के संज्ञान की संरचना और स्वरूप अलग-अलग अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रत्येक अवस्था के दौरान बालक द्वारा अर्जित या प्राप्त किये गये ज्ञान-भण्डार को स्कीमा *(Schema)* का नाम दिया है।

कोलहर्ट के अनुसार तत्परता शब्द का प्रथम बार प्रयोग पैट्रिक ने 1899 में किया था। पैट्रिक के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उसके परिपक्व होने का परिणाम है। उन्होंने बताया कि बच्चे की शक्तियाँ चाहे वे शारीरिक हों या मानसिक वे एक निश्चित क्रम से होती हैं। प्रत्येक बच्चे में लगभग सात वर्ष की आयु में कुछ चीजों को सीखने की एक मानसिक तत्परता विकसित हो जाती है।

पढ़ने की तत्परता (Reading Readiness) की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग सन 1900 में किया गया था। उस समय यह माना गया था कि परिपक्वता पढ़ने की तत्परता को जन्म देती है। इसके बाद गेसेल ने प्रकृतिवादी सिद्धांतों को अपनाया और बताया कि विकास परिपक्वता का परिणाम है। उन्होंने बताया कि एक निश्चित आयु में सभी बच्चों में तंत्रिकाओं का विकास होता है, जिसके कारण उनमें गत्यात्मक और मानसिक विकास होता है। इसी विकास को तत्परता का नाम दिया गया है।

इसलिए जब तक बच्चा मानसिक रूप से पढ़ने और लिखने के लिए तत्पर न हो जाए तब तक इंतजार करना चाहिए। यदि इस सिद्धांत को पढ़ने से संबंधित अनुदेशों के संबंध में प्रयोग किया जाए तो इसे पढ़ने की तत्परता कहेंगे। शिक्षकों को उस समय तक बच्चे को पढ़ने संबंधी अनुदेश नहीं देने चाहिए जब तक कि वह पढ़ने के लिए तत्पर न हो जाए।

पढ़ना और पहचानना *(Reading and cognition)*

पढ़ने के कौशल से संबंधित बहुत सी अवधारणाओं को गलत रूप में समझा जाता है। पढ़ने के कौशल से संबंधित निम्न धारणाएँ हैं–

1. गफ (Gough) का मानना है कि पढ़ने वाला एक तरह का डिकोडर होता है। बच्चे को जब पढ़ना आता है तो वह संकेतों को डिकोड करना सीख लेता है। यदि हम ऐसा मानते हैं तो एक बालक जो डिकोड (Decode) करना नहीं जानता वह पढ़ नहीं सकता।

GIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

2. दूसरी धारणा यह है कि पढ़ने की तत्परता बच्चे के विभिन्न गत्यात्मक कौशलों के विकास का परिणाम है, जैसे रेंगना, कूदना, उछलना, फिसलना आदि। इस प्रकार यह माना जाता है कि गत्यात्मक कौशल ही पढ़ने के कौशल के रूप में विकसित होते हैं।
3. तीसरी धारणा यह है कि सामान्य संज्ञानात्मक कौशलों की वजह से पढ़ने के कौशल का विकास होता है। यदि बच्चों को सामान्य संज्ञानात्मक कौशलों का प्रशिक्षण दे दिया जाए तो उनमें पढ़ने की तत्परता आ जाती है।

अक्षरों की अवधारणा का निर्माण *(Formation of concept about letters)*

बच्चों में शब्दों की अवधारणा का निर्माण उस समय शुरू होता है जब एक बालक शिशु अवस्था में कोई आवाज़ निकालता है। वे अपनी ही आवाज़ से खेलते हैं। बाद में वे अपनी भाषा की ध्वनियों व शब्दों को पहचानने लग जाते हैं। स्कूल में दाखिल होने से पहले बच्चे लयबद्ध तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं। वे कुछ कविताओं को भी याद कर लेते हैं।

शब्दों की अवधारणा का निर्माण (Formation of Concept about words)–बच्चे पढ़ना सीखने से पहले ही शब्दों और अक्षरों की अवधारणा का निर्माण करते हैं। मैसन ने शब्दों को पढ़ने के विकास के तीन स्तरों का जिक्र किया है। यह विकास छपे हुए शब्दों को समझने से लेकर उन्हें पढ़ने, लिखने और याद करने के प्रयासों तक चलता है।

बच्चों का प्रथम प्रयास जैसा कि व्योगोत्सकी ने बताया है, कल्पनाशील होता है। बच्चे जानते हैं कि एक शब्द अक्षरों का एक समूह होता है, लेकिन वे इन्हें पढ़ नहीं सकते।

जब उन्हें बड़ों का मार्गदर्शन मिलता है तो वे दूसरे स्तर के लिए अभिप्रेरित हो जाते हैं। इस स्तर पर वे अपने मनपसंद शब्द को पहचान सकते हैं, जैसे वे स्वयं के नाम को पहचान सकते हैं। वे उस शब्द की पहली ध्वनि को लिखने का प्रयास करते हैं।

इसके बाद वे अंतिम स्तर पर पहुँचते हैं जहाँ वे शब्दों को पहचान कर उन्हें पढ़ना शुरू कर देते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं।

◆◆◆

4. पढ़ने की विभिन्न विधियों और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
(Describe various methods of reading and process of reading.)

उत्तर–पठन कौशल की विभिन्न विधियां निम्न होती हैं–

(क) शब्द तत्व पर आधारित विधियाँ–

1. वर्णबोध विधि–इस विधि में पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। वर्णों में भी स्वर पहले और व्यंजन बाद में सिखाए जायें। फिर मात्राओं का ज्ञान कराया जाए। मात्राओं के उपरान्त संयुक्ताक्षरों की जानकारी दी जाए। यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। इस का आधार यह है कि जब तक बालक को अक्षर का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह उच्चारण या वाचन नहीं सीख सकता है।

2. ध्वनि साम्य विधि–यह विधि वर्णबोध विधि का संशोधित रूप है। इसमें समान उच्चारण वाले शब्दों को साथ-साथ सिखाए जाएं, यथा–राम, नाम, काम, शाम, गर्म, धर्म, कर्म, चर्म, केला, ठेला, मेला, रेला। उपर्युक्त विधि में ध्वनियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी कारण वाक्यांश, वाक्य का अर्थ व शब्द गौण हो जाते हैं।

(ख) स्वरोच्चारण विधि–इस विधि में अक्षरों एवं शब्दों को उनकी स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। इसमें बारहखड़ी को आधार माना जाता है, जैसे–क, का, कि, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कं कः। इसमें स्वर के बिना व्यंजन नहीं सिखा सकते। यह विधि प्रगतिशील एवं मनोवैज्ञानिक नहीं है।

अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियां

1. **देखो और कहो विधि**–इस विधि में शब्द से सम्बन्धित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा होता है। चित्र परिचित होने के कारण बच्चे आसानी से शब्द से साहचर्य स्थापित कर लेते हैं। अध्यापक का अनुकरण करते हुए बच्चे शब्द का उच्चारण करते हैं। कई बार देखने-सुनने और बोलने से वर्णों के चित्र मस्तिष्क पर अंकित हो जाते हैं।
2. **वाक्य विधि**–इस मत के प्रतिपादकों का मत है कि बालक वाक्य या वाक्यांशों को बोलता है। इसकी इकाई वाक्य है शब्द नहीं। इसलिए प्रारम्भ से ही बालकों को वाक्यों से ही वाचन शुरू कराना चाहिए। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। पहले वाक्य फिर शब्द, फिर वर्ण–इस क्रम से बच्चों को वाचन का अभ्यास कराया जाता है।
3. **कहानी विधि**–इस विधि में छोटे-छोटे वाक्यों से निर्मित कहानी चार्ट व चित्रों के माध्यम से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। शिक्षक इस कहानी को कक्षा में कहता है। इसके बाद शिक्षक कहानी को श्यामपट्ट पर लिखता है व वाचन कराता है। विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करते हैं। वाक्य के विश्लेषण के माध्यम से छात्र शब्द एवं वर्णों का ज्ञान प्राप्त करते हैं।
4. **अनुकरण विधि**–यह विधि **'देखो और कहो'** विधि का दूसरा स्वरूप है। इसमें अध्यापक एक-एक शब्द बालकों के समक्ष कहता है और छात्र उसे दुहराते हुए अनुकरण करते हैं। इस प्रकार छात्र शब्द-ध्वनि का उच्चारण एवं वाचन सीखते हैं।
5. **सम्पर्क विधि**–इस विधि का प्रचार मॉण्टेसरी ने किया था। इसमें पहले बालकों को चित्र, खिलौने, वस्तुएं आदि से परिचित कराते हैं। उनके आगे उन वस्तुओं के कार्ड रखते हैं। फिर कार्डों को आपस में मिला देते हैं और बच्चों को कहा जाता है, जो कार्ड जिस वस्तु से सम्पर्क रखते हैं, उसके आगे पुनः रख दें। इस सम्पर्क प्रणाली के अभ्यास से धीरे-धीरे छात्र शब्द व वर्ण से परिचित हो जाते हैं। हिन्दी वाचन में ये विधि विशेष सहायक नहीं है।

(ग) उपयुक्त विधि–वाचन के लिए उपयुक्त विधि में निम्न तथ्यों पर ध्यान दिया जाए–

1. बालकों के समक्ष उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत किया जाए। उपयुक्त वातावरण में तीन बातें रहें–
   (क) बालकों को प्रवाहपूर्ण ढंग से बोलना सिखाना।
   (ख) स्वरों का अन्तर समझाएं।
   (ग) कहानी आदि सुनाकर वाचन के प्रति उत्सुकता पैदा करें।
2. वर्णों की समानता के चित्र दिखायें, किसी असमान चित्र को पहचानने का अभ्यास कराएँ।
3. दृष्टि का अभ्यास आवश्यक है।
4. मौखिक कार्य पर अधिक बल दें।
5. बालकों से आकृतियां बनवाकर उनमें रंग भरवाएं, गिनना सिखाएं आदि।
6. जहाँ जो विधि उपयुक्त हो, उसका आश्रय लेकर छात्रों को वाचन का अभ्यास कराना चाहिए।

पढ़ने की प्रक्रिया *(Process of Reading)*

प्रायः यह मान लिया जाता है कि लिखी गई या छपी हुई शब्दावली को उच्चारित करना ही पढ़ना होता है। यह गलत धारणा है। इसे हम वाचन कह सकते हैं पठन नहीं। वाचन शब्द 'वाक' धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी या कथन। वाचन में शब्दों के उच्चारण की प्रधानता होती है, जबकि पठन में अर्थग्रहण पर बल दिया जाता है।

CIMETRIX

पठन एक उद्देश्यपरक प्रक्रिया है। यह सार्थक और चिंतन आधारित प्रक्रिया है। पाठक लिखी गई या छपी हुई शब्दावली का उच्चारण करने के साथ-साथ अर्थ को भी समझता है तथा उसका मूल्यांकन भी करता है।

पठन-प्रक्रिया के अंतर्गत पाठक की दृष्टि जैसे-जैसे शब्दों और वाक्यों पर घूमती है, वह उनका अभिप्राय समझता हुआ उनमें निहित अर्थ को समझता जाता है। वह लेखक के विचार, भाव तथा मंतव्य को समझकर उनका मूल्यांकन करता है। ऐसा करते समय उसके मन में जो प्रतिक्रिया होती है वह उसके पूर्व अनुभवों के कारण होती है।

स्ट्रैंग के अनुसार, "पढ़ते समय व्यक्ति को अनुभूति होती है और उसमें भाव जागृत होते हैं। वह पाठ्य पुस्तक को पसंद या नापसंद करता है। वह अपने स्वयं के विचारों का प्रतिपादन भी करता है।" इस प्रकार पढ़ने से प्राप्त ज्ञान और अनुभव पाठक के जीवन का अंग बन जाता है। वह उनका अपने दैनिक कार्यकलापों में उपयोग करने लगता है।

◆◆◆

5. पठन कौशल के विकास के लिए एक शिक्षक को किस प्रकार की गतिविधियाँ करवानी चाहिए?
(What type of activities should a teacher perform to develop the reading skill of children?)

अथवा

एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप बच्चों के पठन कौशल का विकास किस प्रकार करेंगे?
(How will you, as a primary teacher, develop the reading skill of children?)

अथवा

भाषा के पठन कौशल का विकास करने वाली गतिविधियाँ कौन सी हैं?
(What are the activities for developing reading skill?)

उत्तर–1. फर्श का मानचित्र बनाना (Using floor as a map)– यदि आप की कक्षा में फर्नीचर नहीं है तो फर्श का प्रयोग आप मानचित्र बनाने के लिए कर सकते हैं। यदि फर्नीचर है तो आप बरामदे या किसी और जगह का प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं। दौड़ने, चलने, कूदने, फांदने, लम्बे कदम रखने, छोटे कदम रखने आदि के प्रतीक बनाएँ। सभी चिह्न याद रखने में आसान हों। इन संकेतों को फर्श के एक कोने में नियोजित करें और बताएँ कि प्रत्येक प्रतीक किस गतिविधि का है। शुरू में तीन या चार चिह्नों का ही प्रयोग करना चाहिए और धीरे-धीरे यह संख्या बढ़ानी चाहिए। एक बिंदु से शुरूआत करवाइए। बच्चों को बताना है कि जब वो फर्श पर बनाए किसी प्रतीक के पास पहुँचे उन्हें वही गतिविधि करनी है जिसका प्रतीक वह प्रतीक है। ये प्रतीक चाक से फर्श पर बनाए जा सकते हैं। जब प्रत्येक बालक प्रत्येक चिह्न की गतिविधि चार पांच बार कर ले तो उस चिह्न के स्थान पर उस गतिविधि का नाम लिख देना चाहिए। उदाहरण के लिए, तीर के निशान का अर्थ था भागना, तो अब उस चिह्न को हटाकर उसके स्थान पर "भागना" लिख देना चाहिए।

2. अक्षरों को विभाजित करना (Dividing the Alphabet)–इस गतिविधि में अक्षरों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक भाग को कागज के टुकड़ों पर लिख लिया जाता है और उन्हें दीवार पर लगा दिया जाता है ताकि सभी बच्चों को दिखाई दे। हिन्दी पढ़ाते समय एक चौथा भाग मात्रा के लिए बनाना चाहिए। अब एक शब्द को चाक बोर्ड पर लिखना चाहिए जिसमें वह अक्षर मौजूद हो। अब बच्चों को वह अक्षर उस शब्द में पहचानने के लिए कहा जाना चाहिए।

3. विज्ञान को पढ़ना (Reading Science)–कुछ परिचित वस्तुओं का चुनाव करें। उदाहरण के लिए, उड़ने वाली वस्तुएँ, गोल वस्तुएँ, चपटी वस्तुएँ, कुछ तैरने वाली वस्तुएँ। ब्लैकबोर्ड पर उनकी विषयवस्तु के बारे में लिखें, इसे जोर से पढ़ें और बच्चों से पूछें कि इस विषयवस्तु में कौन सी वस्तुएँ शामिल हैं। उदाहरण के लिए, उड़ने वाली वस्तुओं के लिए वे कुछ वस्तुओं के नाम बता सकते हैं, जैसे पतंग, हवाई जहाज, पक्षी और बादल। बच्चों से सूची बनाने के लिए कहें और उनके सामने उस वस्तुओं के चित्र बनाने के लिए कहें।

4. पढ़ते हुए करना (Doing while reading)–जो बच्चे पढ़ना सीख लेते हैं उन्हें यह समझने की आवश्यकता होती है कि पढ़ना किसी-न-किसी कार्य से संबंधित होता है। इस गतिविधि में शिक्षक बोर्ड के पास खड़ा हो जाता है और वस्तुओं को कहने की बजाए बोर्ड पर एक निर्देश लिख देता है, जिसे बच्चों को करना होता है। प्रत्येक बच्चे को एक नम्बर दे दिया जाता है और जो कुछ लिखा जाता है उसके सामने उस बच्चे के नम्बर को लिख दिया जाता है। उदाहरण के लिए, "नम्बर 10, पुस्तकालय में जाकर एक पुस्तक उठा कर लाओ।" इस प्रकार लिखे हुए निर्देशों को बिना बोले पालन करवाया जाता है। धीरे-धीरे इस गतिविधि में जटिल निर्देशों को शामिल किया जाता है।

5. अंतिम शब्द, अगला शब्द (Last word, Next word)–इस गतिविधि में बच्चों के साहित्य से संबंधित अनेकों पुस्तकों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बच्चे को एक किताब दे दी जाती है, जिसको वो आसानी से पढ सकता है। प्रत्येक बच्चे को बताया जाता है कि वे पुस्तक को कहीं से भी खोलें और दाएँ पेज पर देखें कि क्या कोई पूर्ण विराम है। यदि उस पेज के अंत में पूर्ण विराम हो तो बच्चे को अगले पेज देखने के लिए कहें। अब सभी बच्चे पूरा पेज पढ़ेंगे। उन्हें बताएँ कि पूरा पेज पढ़ने के बाद रुकने के लिए कहें। उन्हें बताना है कि उन्हें जब तक कहा न जाए पेज नहीं पलटना है। प्रत्येक बालक को अगले पेज पर लिखे गए शब्द का अनुमान लगाना है। उसके बाद पेज पलट कर देखना है कि क्या वही शब्द है, जिसका अनुमान लगाया था। यदि किसी बच्चे ने सही अनुमान लगाया है तो उसके लिए तालियाँ बजवाएँ। इसी तरह इस पेज को भी पढवाकर अगले पेज पर अनुमान लगाने के लिए कहना है।

6. तीन प्रश्न (Three Questions)–सभी बच्चों को दो समूहों में बांटो और उनको आमने-सामने दो पंक्तियों में बैठा दें। अब प्रत्येक बालक को पुस्तक दें और उन्हें कोई भी पेज निकालने के लिए कहें। इस पेज को पूरा पढ़ने के बाद सामने वाले बच्चे को पुस्तक देने के लिए कहें। वह बच्चा पेज को पढ़ने के बाद सामने वाले बच्चे से तीन प्रश्न पूछेगा जिनका उत्तर उसे देना है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

7. जटिल कविता (Poetry Muddle)–यह बहुत ही जटिल गतिविधि है। इसलिए सावधानीपूर्वक तैयार करना चाहिए। एक बार तैयार होने के बाद इस गतिविधि को कई बार प्रयोग किया जा सकता है। इसके गतिविधि के परिणाम बहुत ही अच्छे होते हैं। कुछ चार लाइनों की कविताएँ चुनें। कक्षा में जितने बच्चे हैं उतनी ही कविताएँ होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप 20 बच्चों के लिए गतिविधि का आयोजन करने जा रहे हैं। कविताओं की पहली पंक्तियाँ अलग-अलग कागजों पर लिखें। प्रत्येक कागज पर भिन्न कविता की दूसरी लाईन लिखें। इसी प्रकार तीसरी और चौथी लाईनें भिन्न भिन्न कविताओं की लिखें। बच्चे एक गोल दायरे में बैठेंगे। अब बच्चों को बताना है कि इन कविताओं की सभी पंक्तियाँ आपस में मिला दी गई हैं। उन्हें पहली लाइन पढ़ने के बाद बाकी की तीन पंक्तियों को ढूँढना है। एक बच्चे को किसी दूसरी पंक्ति पढ़ने के लिए कहें। यदि यह लाईन किसी बच्चे की कविता से मिलती है तो वह हाथ खड़ा करेगा। यदि यह सही है तो वह अपने कागज पर इस पंक्ति को लिखेगा और इसी तरह से पूरी कविता को पूरा करेगा।

◆◆◆

6. पठन के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए।
(Describe various states of reading.)

उत्तर–इस प्रकार पठन प्रक्रिया के चार सोपान होते हैं–

प्रत्यभिज्ञान (Perception)–पढ़ने की प्रक्रिया के इस चरण को पठन का यांत्रिक पक्ष भी कह सकते हैं। प्रत्यभिज्ञान का अर्थ है–शब्द के दृश्य (रचना) तथा श्रव्य (उच्चारण) रूपों को समझकर उसके स्पष्ट मानसिक बिंब की रचना। शब्द के रूप, ध्वनि और अर्थ तीनों के संयोग से हमारे मस्तिष्क में शब्द का

बिंब बनता है। इस बिंब या संप्रत्यय की सृष्टि हमारे पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है। पठन में दक्षता प्राप्त पाठक शब्द के प्रत्येक अक्षर को अलग-अलग न देखकर उसे संपूर्ण रूप में देखता है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो वह एक साथ अनेक शब्दों को देखते हुए उनका अर्थ भी समझता है। तीव्र गति से पढ़ने के लिए यह कौशल अत्यंत आवश्यक है।

अर्थ को समझना (Understanding the Meaning)–अर्थग्रहण के द्वारा हम पठित सामग्री में निहित अर्थ को भली-भांति समझते हैं। अर्थग्रहण की दक्षता पाठक से चिंतित और मनन की अपेक्षा रखती है। इसके लिए आवश्यक है कि अर्थ को समझने के साथ ही उसकी व्याख्या तथा विश्लेषण भी किया जाए। इस दृष्टि से पठन के अनेक पक्ष हो जाते हैं। पढते समय विचारों और घटनाओं को क्रमानुसार समझना, विशिष्ट तथ्यों का चुनाव करना, विस्तृत विवरण (किसने कहा? कब कहा? क्यों कहा?) आदि की जानकारी प्राप्त करना तथा लेखक के मन्तव्य को समझना। इनके अतिरिक्त अर्थग्रहण योग्यता के अंतर्गत नीचे लिखे कौशल भी सम्मिलित होते हैं–

1. शब्दों और वाक्यों का प्रसंग के अनुसार अर्थ समझना।
2. पाठ्य सामग्री में आए विशिष्ट विवरण का चयन करना।
3. मुख्य बिंदुओं तथा महत्वपूर्ण विचारों का चुनाव कर उन्हें एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना।
4. मुख्य बिंदु पर विचार कर सकना।
5. सामान्यीकरण कर पाना।
6. पठित सामग्री में निहित निर्देशों का अनुकरण करना।
7. निष्कर्ष
8. संभावित घटनाओं के संबंध में अनुमान लगाना।
9. विचारों का विश्लेषण तथा संश्लेषण करना।
10. पठित विषयवस्तु का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना।
11. मूल्यांकन तथा प्रतिक्रिया

अर्थग्रहण के साथ ही पाठक ग्रहण किए गए विचारों की उपयोगिता, औचित्य और विश्वसनीयता का निर्धारण भी करता है। अच्छा पाठक वही है, जो लेखक के द्वारा प्रस्तुत घटना, विचार, चरित्र या मन्तव्य को समझते हुए उसका मूल्यांकन करता चले। साथ ही उसके प्रति अपनी वैचारिक और भावात्मक प्रतिक्रिया भी करता रहे। उदाहरण के लिए, किसी ऐसे लेख को पढ़ते समय जिसमें बच्चों को कदापि दंडित न करने की बात कही गई हो हम अपने अनुभव को आधार पर समझते हैं कि अक्षम्य अपराध करने पर बच्चे को दण्डित करना आवश्यक है और इसलिए हम लेखक के मत से पूर्णतया सहमत न होकर यह कह सकते हैं कि छोटी मोटी गलती कर देने पर बच्चों को दंडित नहीं करना चाहिए। उच्चकोटि का अर्थग्रहण वही है, जिसमें पाठक की मूल्यांकन दृष्टि तथा प्रतिक्रिया का संयोग होता है।

कविता पढ़कर रसानुभूति, नाटक पढ़कर साधारणीकरण और निबंध पढकर विचारोत्तेजना के मूल में हमारी भावात्मक अथवा मानसिक प्रतिक्रिया ही होती है। इसके अभाव में आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक पठन संभव नहीं है।

अनुप्रयोग (Application)–पठन प्रक्रिया का अंतिम सोपान है अनुप्रयोग। पठन का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब किसी पुस्तक अथवा रचना को पढकर हमारे विचार, व्यवहार, कौशल, अभिरुचि तथा जीवन मूल्यों में विकास तथा परिष्कार दिखाई दे। पठन की सार्थकता इसी बात में है कि पाठ्य सामग्री में निहित जिस भाव, आदर्श अथवा मूल्य से हम सहमत हों उसे आत्मसात करं अपने जीवन में उतार लें।

इसलिए पठन अपने में तभी सम्पूर्ण माना जाएगा जब उसके द्वारा पाठक के विचारों तथा कार्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन आए। जो व्यक्ति भूषण की कविता पढकर वीर रस से ओत-प्रोत न हो जाए, आचार्य शुक्ल का निबंध पढकर उसमें वर्णित गुणों को अपने में न उतार पाए उसने सच्चे अर्थों में न तो भूषण की कविता पढ़ी है और न ही शुक्ल का निबंध पढ़ा है।

◆◆◆

7. वाचन-शिक्षण की विधियों पर प्रकाश डालिए।

अथवा

स्वतन्त्र पठन-शिक्षण की कौन-कौन सी विधियाँ हैं? संक्षेप में समीक्षा कीजिए।

उत्तर–पठन-शिक्षण की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं–

(i) अनुकरण विधि (Imitation Method)
(ii) भाषा-शिक्षण-यंत्र-विधि (Lingua Phone Method)
(iii) सामूहिक पठन-विधि (Group Reading Method)
(iv) देखो और कहो विधि (Look and Say Method)
(v) ध्वनि साम्य विधि (Phonetic Method)
(vi) साहचर्य विधि (Association Method)
(vii) वर्ण शिक्षा-पद्धति (Alphabetic Method)
(viii) शब्द-शिक्षण-विधि (Word Method)
(ix) वाक्य-शिक्षण-विधि (Sentence Method)
(x) समुच्चय विधि (Combined Method)

(i) अनुकरण विधि (Imitation Method)–भाषा की एक विशेषता यह भी है कि वह प्रायः अनुकरण से ही सीखी जाती है। अनुकरण का अर्थ होता है–किसी दूसरे व्यक्ति के क्रिया-कलाप आदि की नकल करना। घर में भी बच्चा अनुकरण विधि द्वारा भाषा का प्रयोग करना सीखता है। वहाँ वह प्रायः अपने माता-पिता के शब्दों का अनुकरण करता है परंतु विद्यालय में वह भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्यापक के शब्दों का अनुकरण करता है। अतः इस विधि का प्रयोग करते हुए अध्यापक सबसे पहले वर्णों, शब्दों आदि का शुद्ध उच्चारण करता है और छात्र-छात्राएँ उसकी ध्वनि, अंगों की गतिशीलता आदि को ध्यान में रखकर उन वर्णों, शब्दों आदि का शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात् अध्यापक वाक्यांशों, वाक्यों आदि का शुद्ध उच्चारण करता है तथा छात्र उसका अनुकरण करते हैं।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

परंतु यह विधि हिन्दी भाषा के लिए अधिक उपयोगी नहीं है क्योंकि इसमें जैसा लिखा जाता है, वैसा ही उच्चरित किया जाता है। यह विधि अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में अधिक उपयोगी है क्योंकि उसके लिखित रूप व उच्चरित रूप में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है।

उदाहरण के लिए–

शब्द	सम्पूर्ण ध्वनियाँ	उच्चरित रूप
Knife	कनाईफ	नाईफ
Psychology	पिसायकोलॉजी	साइकोलॉजी
But	बुट	बट
Put	पुट	पुट

(ii) भाषा-शिक्षण-यंत्र-विधि (Lingua Phone Method)–इस विधि में भाषा-शिक्षण के लिए ग्रामोफोन, टेपरिकॉर्डर जैसे श्रव्य-यंत्र अथवा श्रव्य-दृश्य दोनों यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन यंत्रों के माध्यम से कक्षा में छात्रों को शुद्ध उच्चारण से युक्त भाषा या पाठ को सुनाया जाता है। छात्रों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे उस पाठ को सुनकर वैसा ही उच्चारण करें। परंतु भारत जैसे देश में, जहाँ अधिकांश सरकारी विद्यालयों में छात्रों के बैठने के लिए कमरे, बेंच-डेस्क आदि जैसी मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं हैं, वहाँ ऐसे यंत्रों का प्रयोग करके भाषा-शिक्षण का कार्य करने की कल्पना करना भी व्यर्थ है।

(iii) सामूहिक पठन विधि (Group Reading Method)–यह विधि मुख्य रूप से गीत, कविता; आदि का शिक्षण देने या पढ़ाने के लिए अपनाई जाती है। वास्तव में यह विधि भी अनुकरण के समान है। इसमें शिक्षक पहले बच्चों के सामने कविता, संवाद, गद्य आदि को लय, सुर आदि के साथ शुद्ध उच्चरित करता है तथा छात्र उसका सामूहिक रूप से अनुकरण करते हैं। यह विधि भी प्रायः विदेशी स्कूलों में ही अपनाई जाती है। इस विधि से छात्रों में स्वर, लय, ताल आदि के साथ विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है।

(iv) देखो और कहो विधि (Look and Say Method)–यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में छात्रों को शब्द का ज्ञान प्रदान करने से पहले उससे संबंधित वस्तु या उसका चित्र दिखाया जाता है। इसमें भी बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले बच्चे को उन वस्तुओं, जानवरों यथा–कुत्ता, बिल्ली, कार, बस, रेलगाड़ी आदि के चित्र दिखाए जाते हैं जिनके विषय में बच्चा थोड़ा-बहुत जानता है तथा उनसे परिचित होता है। ये चित्र दिखाने के बाद शिक्षक छात्रों को उन वस्तुओं आदि के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले संज्ञा शब्दों को लिखने के लिए कहता है। इसके बाद बच्चों को उन वस्तुओं आदि के चित्र दिखाए जाते हैं, जिन्हें बच्चों ने पहले नहीं देखा है; जैसे–भालू, जिराफ़, समुद्री जहाज़ आदि। शिक्षक इन चित्रों को दर्शाकर बच्चों को उनसे परिचित कराता है तथा उन वस्तुओं के नाम लिखने के लिए कहता है। इस प्रकार बच्चे उस वस्तु के गुणों, रूप-रंग, आकार आदि का और उसके नाम के बीच संबंध स्थापित कर लेते हैं।

इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बच्चों की मनोवृत्ति के अनुकूल है। इस विधि में प्रो. ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की भाँति पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात की अज्ञात की ओर तथा सरलता से कठिनता की ओर शिक्षण-क्रिया चलती है। परंतु इस विधि का सबसे बड़ा दोष यही है कि अनेक अमूर्त पदार्थों जैसे–क्रोध, भय, लाभ, हानि आदि को चित्र द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर इस विधि का एक यह दोष भी है कि सभी वस्तुओं को चित्र आदि द्वारा प्रस्तुत करने में अध्यापक तथा छात्रों-दोनों का बहुत-सा समय व्यर्थ चला जाता है। अतः यह विधि वाचन-शिक्षण के लिए उपयोगी होते हुए भी अधिक प्रचलित न हो सकी।

(v) ध्वनि-साम्य विधि (Phonetic Method)–इस विधि में ध्वनि को ही आधार बनाकर वाचन-शिक्षण का कार्य पूरा किया जाता है। इस विधि में अध्यापक ऐसे शब्दों का चुनाव करता है जिनमें लगभग समान ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। उदाहरण के लिए– कात, गात, सात, रात, पात, तात, बाल, खाल, चाल, जाल, छाल, झाल, टाल, डाल, साल, माल, हाल, नाल, थाल, पाल आदि। यहाँ अध्यापक प्रत्येक शब्द में भिन्न ध्वनि तथा परिवर्तन के कारण आए अर्थ परिवर्तन को स्पष्ट करेगा तथा उनके शब्द-भण्डार में वृद्धि करेगा।

इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें समान ध्वनियों वाले शब्दों का बार-बार उच्चारण करने से ध्वनियों के सही उच्चारण का अच्छा अभ्यास हो जाता है। इसके अतिरिक्त छात्र समान ध्वनियों वाले शब्दों के अर्थ ग्रहण करके अपने शब्द-भण्डार में वृद्धि करते हैं। परंतु यह विधि अत्यंत उपयोगी भी नहीं कही जा सकती। इस विधि का सबसे बड़ा दोष तो यही है कि इसमें अनेक निरर्थक शब्दों या अनावश्यक शब्दों का अध्ययन करना पड़ता है। दूसरा बड़ा दोष यह है कि इस विधि से सभी शब्दों का परिचय नहीं दिया जा सकता। कई बार समान ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग करने के कारण वाक्य-विन्यास में भी हेर-फेर करनी पड़ती है; जैसे–

अब घर मत चल।
हठ मत कर अब।

इस प्रकार इन शब्दों को जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब प्रायः आज्ञार्थक वाक्य का ही प्रयोग करना पड़ता है जिसके कारण छात्रों को सम्मानसूचक, विस्मयसूचक जैसे वाक्यों का ज्ञान नहीं दिया जा सकता।

(vi) साहचर्य विधि (Association Method)–यह विधि श्रीमती मान्टेसरी ने खोजी थी। इस विधि में वर्णों का दोहरे स्तर पर प्रयोग होता है। अध्यापक पहले तो कक्षा में ऐसे चित्र टाँग देता है जिनके नीचे चित्रों में दर्शाई गई वस्तु, जानवर आदि का नाम भी लिखा होता है। उदाहरण के लिए– मान लीजिए शिक्षक ने कक्षा में किसी शेर का चित्र छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब शिक्षक छात्रों को ऐसे प्लास्टिक, गत्ते आदि के टुकड़े देता है जो या तो वर्गों के आकार के कटे होते हैं या फिर उनके ऊपर एक वर्ण लिखा होता है। अब छात्र चित्र के नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से देखता है तथा उसी बनावट वाले गत्ते अथवा प्लास्टिक के टुकड़ों को उठाता है। इस प्रकार वह सभी वर्गों के बनावट वाले टुकड़ों को उठाकर शब्द की रचना करता है।

यह विधि उन छात्रों के लिए सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है जो दो या तीन वर्ष की अवस्था में होते हैं तथा जिन्हें वर्णों की आकृति से परिचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह विधि अल्प-विकसित-बुद्धि के छात्रों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुई है।

फिर भी इस विधि की अपनी कुछ कमियाँ हैं जो कि निम्नलिखित हैं–

1. यह विधि उच्च या उच्चतर कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है।
2. यह विधि छात्रों तथा अध्यापकों का अत्यधिक समय लेती है।
3. यह विधि केवल थोड़े समय तक उपयोगी सिद्ध हो सकती है क्योंकि ज्यों-ज्यों छात्रों की पाठ्य-सामग्री में वृद्धि होती जाती है, त्यों-त्यों यह विधि छात्रों के लिए बोझ ही बन जाती है। छात्र जिस अनुपात में इस विधि पर समय लगाते हैं, उस अनुपात में वे ज्ञान प्राप्त नहीं करते।
4. यह विधि रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषाओं जैसे–अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, जर्मनी आदि के लिए ही उपयुक्त है क्योंकि उसमें सभी ध्वनियों को शब्दों में स्वतंत्र और मूल रूप से प्रयोग में लाया जाता है। परंतु देवनागरी लिपि, फ़ारसी लिपी, गुरुमुखी लिपि की भाषाओं यथा–हिन्दी, उर्दू, पंजाबी आदि भाषाओं में यह विधि उपयोग में नहीं लायी जा सकती। इसका कारण इन भाषाओं में स्वरों के स्थान पर मात्राओं (व्यंजनों के साथ) का प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए– मान लीजिए अध्यापक कक्षा में घोड़े का चित्र दिखाता है तब छात्र अंग्रेजी भाषा के 'H', 'O', 'R', 'S', 'E' वर्णों के टुकड़ों को उठाकर जोड़ लेंगे। परंतु हिन्दी में इसके लिए छात्रों को पहले स्वर व उनकी मात्राओं का ज्ञान देना होगा तभी वह 'घ' 'ो' ('ओ' स्वर की मात्रा), 'ड़' तथा 'ा' ('आ' स्वर की मात्रा) के आकार के टुकड़ों को उठाएगा। इस प्रकार वह 'घोड़ा' शब्द बना पाएगा। इसके अतिरिक्त हिन्दी के अनेक वर्ण परस्पर इतने मिलते हैं कि छात्र को उन वर्णों में भेद पता ही नहीं चलता; जैसे–'ङ', 'ड', 'ड़'–ये तीनों वर्ण देखने में लगभग समान हैं और इनमें केवल बिन्दी के प्रयोग का अंतर है।

अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह विधि अंग्रेजी, जर्मनी आदि यूरोपीय भाषाओं के लिए ही अधिक उपयुक्त है।

***(vii)* वर्ण-शिक्षा विधि (Alphabetic Method)**–यह विधि सबसे पुरानी है। इस विधि में छात्रों को सबसे पहले वर्णों का ही ज्ञान दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग करते हुए शिक्षक सबसे पहले आरम्भिक वर्णों को श्यामपट पर धीमी गति से लिखता है तथा छात्रों को उन वर्णों की सही बनावट के लिए समझाता है। उदाहरण के लिए– 'अ' वर्ण की रचना का ज्ञान देते समय शिक्षक बताएगा कि इसमें एक सीधी खड़ी पाई 'ा' है और उसके आगे 'उ' लिखकर दोनों को परस्पर मध्य से जोड़ना होता है। इसी प्रकार वह शेष वर्णों का भी परिचय देते जाता है। जब छात्र सभी वर्णों से परिचित हो जाता है तब उन्हें परस्पर जोड़कर शब्द-रचना का ज्ञान दिया जाता है; यथा–स + ब = सब, क + ब = कब आदि।

यद्यपि इस विधि की उपयोगिता इसी तथ्य से सिद्ध हो जाती है कि यह विधि पिछले सैकड़ों सालों से अपनाई जा रही है। परन्तु इसके बाद भी इस विधि का सबसे बड़ा दोष यही है कि इसमें छात्र को प्रत्येक वर्ण की बनावट को रटना पड़ता है। दूसरी बात यह भी है कि सभी वर्ण स्वयं में निरर्थक होते हैं, फलतः छात्र उन्हें याद रखने में रुचि नहीं लेते।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

***(viii)* शब्द-शिक्षण विधि (Word Method)**–इस विधि में बच्चों को पहले दो वर्णों से बने शब्दों का उच्चारण करना सिखाया जाता है तथा बाद में उन वर्णों को लिखने की शिक्षा दी जाती है। उदाहरण के लिए– अध्यापक पहले बच्चे को 'सच' शब्द लिखकर दिखाएगा तथा उसका अर्थ प्रकट करेगा। बाद में 'स' तथा 'च' वर्ण का परिचय देगा। इसी प्रकार वर्तमान समय में अध्यापक इस विधि का प्रयोग करते हुए छात्रों को 'अ' से 'अनार', 'आ' से 'आम' आदि का उच्चारण करवा कर वर्णों का ज्ञान देते हैं। परंतु यह विधि अत्यंत दोषपूर्ण है क्योंकि इसमें छात्रों को वर्णों की बनावट समझने के स्थान पर शब्दों को रटना पड़ता है। हिन्दी में कुल सैंतालीस (आगत स्वर, संयुक्त व्यंजन आदि सहित) वर्ण हैं। यदि छात्रों को 'अ' से 'अनार' का उच्चारण करना सिखाया जाता है तो उन्हें शब्द में प्रयुक्त 'न', 'आ' की मात्रा तथा 'र' वर्ण का परिचय दिए बिना ही यह शब्द रटा दिया जाता है।

***(ix)* वाक्य-शिक्षण-विधि (Sentence Method)**–वर्तमान समय में अधिकांश विद्वान भाषा की महत्तम इकाई वाक्य को मानते हैं। इसीलिए अब भाषाविज्ञान में पहले वाक्य, उसके बाद पद, उसके बाद शब्द और अंत में ध्वनि का अध्ययन किया जाने लगा है तथा इसी पद्धति को अपनाकर छात्रों को सबसे पहले वाक्य याद कराया जाता है। छात्र को इस वाक्य का अर्थ समझ आने पर उसमें प्रयुक्त पदों (शब्दों) के अर्थ स्पष्ट किए जाते हैं और तत्पश्चात् उन्हें शब्दों में प्रयुक्त वर्णों का ज्ञान दिया जाता है। परंतु यह विधि भी उपयोगी सिद्ध नहीं हुई है। यदि बच्चों को लिपि या वर्ण का ज्ञान ही नहीं होगा तब वह वाक्य की रचना, शब्द की रचना से कैसे परिचित हो सकता है? यदि छात्रों को आँख बंद करके रटने के लिए ही बाध्य किया जाए तो दूसरी बात है, अन्यथा यह विधि उसी तरह अनुपयोगी सिद्ध होती है जैसे कोई व्यक्ति हृष्ट-पुष्ट घोड़े से खच्चर का काम कराए तथा कुछ दिनों में उसे बोझ लादने वाले टट्टू में बदल दे।

***(x)* समुच्चय विधि (Combined Method)**–वास्तव में भाषा अपने आप में एक विस्तृत विषय है। इसे कुछ पुस्तकों, पंक्तियों या शब्दों में समेटने का प्रयास करना उसी तरह व्यर्थ है जैसे कोई व्यक्ति हवा को मुट्ठी में नहीं बाँध सकता। अतः भाषा-शिक्षण के लिए छात्रों को पहले मानसिक रूप से तैयार करना आवश्यक है।

अतः यदि छात्र को किसी एक विधि से वाचन-शिक्षण दिया जाए तो संभवतः छात्र के व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास के लिए वह अपर्याप्त होगा। इस दिशा में शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि वह सभी विधियों के अच्छे-अच्छे तरीकों को क्रमशः अपनाए। अतः इस संयुक्त विधि में वाचन शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में निम्नलिखित क्रमानुसार कदम उठाए जाने चाहिएँ–

1. शिक्षक सभी छात्रों को मौखिक वार्तालाप से बच्चों को वाचन-शिक्षण के लिए आकर्षित करेगा, उनमें रुचि जगाएगा; यथा–वह किसी छात्र का नाम पूछकर उसे बता सकता है कि उसका नाम इस तरह लिखा जाता है। प्रायः देखा जाता है कि छात्र अपने लिखे नाम को देखकर प्रसन्न होते हैं तथा उनका सारा ध्यान अब श्यामपट की ओर आकर्षित हो जाता है।
2. इसके पश्चात् वह किसी जंगली जानवर का चित्र दर्शाकर उनके नाम की ओर संकेत करेगा। इस प्रकार अब छात्रों को विभिन्न प्राणियों, दूसरे छात्रों आदि के नाम के प्रति आकर्षित करके वाचन-शिक्षण के प्रति तैयार किया जा सकता है।
3. इसके पश्चात् शिक्षक वर्ण के आकार के गत्ते अथवा प्लास्टिक के बने बड़े-बड़े टुकड़ों को दर्शाकर इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए प्रेरित करेगा।
4. इन वर्णों से परिचित कराने के पश्चात् वह दो वर्णों वाले टुकड़ों को परस्पर जोड़कर उनका सामूहिक उच्चारण करने के लिए छात्रों को प्रेरित करेगा।
5. इसके पश्चात् वह इन टुकड़ों का प्रयोग छोड़कर अब छात्रों को पाठ्य-सामग्री का वाचन करने के लिए प्रेरित करेगा। इसी के साथ-साथ वह छात्रों को स्वरों की मात्राओं से भी परिचित कराएगा तथा बताएगा कि जब ये स्वर व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें मात्रा-रूप में लिखा जाता है।
6. इसके पश्चात् वह छात्रों को वाक्य-वाचन के लिए प्रेरित करेगा।

◆◆◆

8. पठन-कौशल क्या है? पठन या वाचक कौशल विकसित करने का क्या महत्व है?
(What is reading skill? What is importance of developing reading skill.)

उत्तर–पठन-कौशल का अर्थ–यद्यपि बालक विद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही अपने पारिवारिक परिवेश में श्रवण-कौशल व भाषण-कौशल में थोड़ी-बहुत निपुणता प्राप्त कर चुका होता है। परन्तु पठन-कौशल के विकास के लिए उसे विद्यालय में आना पड़ता है। विद्यालय में अध्यापक ही उसे भाषा के लिखित रूप से परिचित कराता है।

सामान्य अर्थों में पढ़ने को ही 'वाचन' कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि बालक जब अपनी भाषा के लिखित रूप में अक्षरों का पहचान कर उनका अपने मुख से उच्चारण करने लगता है तब वह पठन अथवा वाचन कहलाता है। परन्तु सच्चे अर्थों में अक्षरों या वाक्यों को पढ़ लेना ही वाचन नहीं है। जब तक बच्चा लिपिबद्ध अक्षरों में छिपे अर्थ को ग्रहण कर अपने ज्ञान का विकास नहीं करता, तब तक वाचन तथा उन लिपिबद्ध अक्षरों का ज्ञान निरर्थक है।

उदाहरण के लिए– मान लीजिए प्राथमिक स्तर के छात्र को पहले तो देवनागरी लिपि का परिचय दिया जाए तथा कुछ दिनों के अभ्यास के पश्चात् उसे 'अतिशयोक्ति', 'विश्वानुगामिनी', 'मनोविश्लेषणात्मक' जैसे शब्दों से युक्त वाक्य अथवा अनुच्छेद को पढ़ने के लिए कहा जाए। निस्संदेह, छात्र उन शब्दों अथवा अनुच्छेदों को पढ़ तो लेगा परंतु उनमें निहित शब्दों का अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएगा। ऐसी दशा में यह पठन या वाचन नहीं कहलाएगा।

वास्तविकता तो यह है कि वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक ध्वनि एवं अर्थ दोनों ही निहित रहते हैं। पढ़ते समय अक्षरों के प्रत्यय मस्तिष्क में क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनाते हैं और हम उसे उच्चरित करते हैं। यह क्रिया जिसमें शब्दों के साथ अर्थ-ध्वनि भी निहित है उसे वाचन कहा जा सकता है। इस प्रकार पठन-कौशल अथवा वाचन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है–

"पूर्वश्रुत ध्वनियों के प्रतीक, लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ-ग्रहण की प्रक्रिया ही वाचन कहलाती है।"

वाचन-शिक्षण के उद्देश्य–वाचन-शिक्षण अथवा पठन-कौशल-शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

(i) छात्रों के स्वर के उतार-चढ़ाव आदि का ऐसा अभ्यास करवाना कि वह गद्य-पद्य, नाटक आदि का यथावसर भावों के अनुकूल स्वर में लोच देकर व्यक्तिगत सस्वर अथवा समवेत सस्वर वाचन कर सके।

(ii) छात्रों में अक्षर-अभिव्यक्ति, शब्दोच्चारण, उचित ध्वनि-निर्गम, बलाघात, स्वराघात आदि का उचित संस्कार करके उन्हें पाठ्य-सामग्री से भाव, अर्थ ग्रहण करने में सक्षम बनाना भी वाचन-शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है।

(iii) ज्ञानोपार्जन के साथ-साथ छात्र-छात्राओं में वाचन के प्रति रुचि उत्पन्न करके उन्हें साहित्य की ओर प्रवृत्त करना ताकि वे अपने ज्ञान का सृजनात्मक, रचनात्मक आदि कार्यों में सदुपयोग कर सकें।

(iv) वाचन द्वारा छात्रों में सामाजिक व्यवहार-कुशलता का विकास करना तथा उन्हें व्यापक, विशाल दृष्टिकोण प्रदान करना ताकि वे अपनी सभ्यता व संस्कृति के विषयों, विकास आदि में योगदान दे सकें।

(v) वाचन के माध्यम से विद्यार्थी को शब्द-ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान करवाना तथा उन्हें वाक्यन्त्रों के संचालन के द्वारा उचित व शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना।

(vi) छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति में विराम-चिह्नों को सार्थक प्रयोग करने में सक्षम बनाना ताकि वे अपने भावों के अनुरूप वाक्य का प्रयोग कर सकें। उदाहरण के लिए– यदि कोई व्यक्ति

चोरी करके भाग रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे रोकने के लिए लोगों को पुकारता है परन्तु वह अपने वाक्य में विराम-चिह्न का गलत प्रयोग करता है, तो सम्भवतः उसके अभिप्राय को कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाएगा; यथा—

भागो, मत जाने दो। (यहाँ पर 'भागो' के बाद अल्प विराम लिया गया है तथा यह अर्थ स्पष्ट होता है कि दौड़कर चोर को पकड़ लो। उसे जाने मत दो।)

भागो **मत**, जाने दो। (यहाँ पर भागो मत के बाद अल्प विराम लिया गया है तो यह अर्थ स्पष्ट होता है कि चोर के पीछे मत भागो, उसे जाने दो।)

यद्यपि छात्र अपने दैनिक-व्यवहार में तो भावों के अनुरूप वाक्यों का प्रयोग करके काम चला लेते हैं परन्तु भाषण, गोष्ठी, वाद-विवाद आदि में उसे अपने भावों को अभिव्यक्त करते समय इन विराम-चिह्नों का व्यावहारिक व सार्थक प्रयोग करना होता है। पाठ्य-सामग्री के सस्वर वाचन से यह त्रुटि भी दूर हो जाती है।

(vii) छात्रों को उपयोगी पुस्तकें व पाठ्य-पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करना भी वाचन का उद्देश्य है।

(viii) वाचन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।

(ix) वाचन के द्वारा शब्द-भण्डार में वृद्धि की जाती है।

वाचन-शिक्षण का महत्त्व—व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में वाचन का विशेष महत्त्व है। जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, फिर वह कितना ही व्यवहार कुशल क्यों न हो उसे अनपढ़ या निरक्षर समझकर हेय दृष्टि से देखा जाता है। वह समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, साहित्यिक रचनाओं आदि में छिपे ज्ञान-भण्डार को प्राप्त नहीं कर सकता। वाचन में अक्षम व्यक्ति के जीवन में छोटी-छोटी बातों को लेकर असुविधाएँ उठ खड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए— अनपढ़ व्यक्ति टेलीग्राम पाकर ही घबरा जाता है क्योंकि वह अशिक्षित होने के कारण वह उसकी विषयवस्तु को पढ़ ही नहीं पाता तथा यही अनुमान लगाता है कि कुछ अनिष्ट हो गया है, इसीलिए टेलीग्राम भेजा गया है। इसी प्रकार अधिकांश भारतीय किसान पूँजीपतियों, साहूकारों के हाथों इसलिए शोषित होते हैं क्योंकि वे ऋण लेते समय कागज़ पर लिखी शर्तों, रकम आदि को पढ़ नहीं सकते। अतः वाचन-शिक्षण का अपना विशिष्ट महत्त्व है जिसे हम निम्नलिखित वर्गों में बाँट सकते हैं—

(i) साक्षरता का पर्याय—वाचन साक्षरता का पर्याय है। कोई भी व्यक्ति तब तक साक्षर अथवा शिक्षित नहीं कहा जा सकता जब तक वह पढ़-लिख न सकेगा। निःसन्देह लिखना भी तभी आएगा जब व्यक्ति पढ़ने में सक्षम होगा। वर्तमान समाज में जो व्यक्ति पढ़-लिख नहीं सकता वह घर, बाजार, सरकारी कार्यालय आदि सभी स्थानों पर सामाजिक व्यवहार करने में असहज, अपमानित तथा असहाय ही अनुभव करेगा।

(ii) शिक्षा-प्राप्ति में सहायक—वाचन के बिना शिक्षा-प्राप्ति असम्भव है। उदाहरण के लिए— भाषण-कौशल का विकास करना भाषा-शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है परन्तु इसके लिए सस्वर वाचन की भी आवश्यकता पड़ती है। अतः वाचन ही मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त भाषा-शिक्षण के अन्य उद्देश्यों; यथा—छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उन्हें अपने ज्ञान-भण्डार का रचनात्मक प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना, उनकी विचार-शक्ति को बढ़ाना आदि-ये सभी वाचन के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी प्रकार अध्यापक भी अपने शिक्षण-विषय का वाचन करता है और छात्रों को उस विषय का ज्ञान प्रदान करता है। दूसरी ओर छात्र भी पाठ्य-पुस्तकों के वाचन के द्वारा ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। अतः यह निस्संकोच स्वीकार किया जा सकता है कि वाचन शिक्षा-प्राप्ति में सर्वाधिक सहायक है।

(iii) ज्ञान अर्जित का प्रमुख साधन—यद्यपि आधुनिक युग में ज्ञान-अर्जित करने के अनेक साधन प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए— रेडियो को सुनकर भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, टेलीविजन देखकर भी ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है परन्तु सच्चे अर्थों में ज्ञान-प्राप्ति वाचन द्वारा ही सम्भव है। समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, साहित्यिक रचनाएँ, शब्द-कोश, यहाँ तक कि कम्प्यूटर व इंटरनेट जैसे साधनों का प्रयोग करते समय वाचन अनिवार्य हो जाता है।

यह निर्विवाद सत्य है कि अधिकांश ज्ञान पुस्तकों में छिपा है। दूसरों के अनुभवों से हम उतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते जितना कि एक पुस्तक को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि वाचन ही ज्ञान अर्जित करने का प्रमुखतम साधन है।

(iv) मनोरंजन का द्वार—वाचन को मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह तो असम्भव है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन-भर किसी एक ही कार्य में जुटा रहे तथा मनोरंजन न करे। अशिक्षित व्यक्ति के लिए मनोरंजन के साधन सीमित होते हैं। दूसरी ओर वाचन-कौशल शिक्षित व्यक्ति के लिए मनोरंजन के अनेक द्वार खोल देता है। उदाहरण के लिए— अशिक्षित व्यक्ति रेल-यात्रा के दौरान दूसरों से बातें करके, केवल बाहर की ओर देखकर आदि ढंग से अपना समय व्यतीत कर सकता है। परन्तु एक शिक्षित व्यक्ति अपनी रेल-यात्रा के दौरान अपनी रुचि की पुस्तक, समाचार-पत्र आदि पढ़कर अपना मनोरंजन कर सकता है। यही बात घर, बाग, विश्राम के क्षणों आदि पर भी लागू होती है। अतः वाचन मनुष्य के जीवन के उबाऊ क्षणों को भी मनोरंजकता से युक्त कर देता है।

(v) आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास—यह एक कटु सत्य है कि इस जगत में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, मत, विचार, रचना स्थायी नहीं है। ज्यों-ज्यों सभ्यता का विकास होता जाता है त्यों-त्यों पुराने नियम, संस्कार, परम्परा आदि के बंधन टूटते जाते हैं। नवीन दृष्टिकोण, नए नियमों, नई रीतियों का पालन होने लगता है। ये सभी परिवर्तन वाचन द्वारा ही घटित होते हैं। ज्यों-ज्यों व्यक्ति पुस्तकों, दूसरों के विचारों, भावों आदि को पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि करता जाता है त्यों-त्यों वह अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि परिस्थितियों को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है और उसमें से कुरीतियों, बुरी परम्पराओं, अप्रचलित व हानिकारक नियमों का विरोध करता है। इस प्रकार वाचन से व्यक्ति के आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। वह प्रत्येक परिस्थिति का नए सिरे से अनुसन्धान करने का प्रयास करता है जिससे समाज व मानव-सभ्यता का निरंतर विकास होता जाता है।

(vi) लोकतन्त्रात्मक महत्त्व—आधुनिक लोकतन्त्रात्मक युग में वाचन का महत्त्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। वास्तव में संविधान के प्रावधान 'अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता' के पीछे वाचन का महत्त्व छिपा हुआ है। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ अधिकांश लोग दूर-दराज गावों में रहते हैं, वहाँ पर चुनावी दिनों में प्रत्येक नेता गाँव-गाँव तो जा नहीं सकता और इस प्रकार उसकी मौखिक अभिव्यक्ति सीमित हो जाती है। परन्तु वह अपने चुनावी वादों को या पार्टी के चुनावी घोषणा-पत्र को लिखित रूप में गाँव-गाँव तो क्या घर-घर तक पहुँचा सकता है। परन्तु इन चुनावी घोषणा-पत्रों को वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो वाचन की योग्यता रखता है। इसी प्रकार सरकार भी अपने कार्यक्रमों, नीतियों आदि को लिखित रूप में ही जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास करती है। अतः लोकतान्त्रिक देश में लोगों में सजगता लाने का प्रयास केवल वाचन द्वारा ही सम्भव है।

◆◆◆

CJAETRIX SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

6

सीखने तथा समझने के लिए लेखन
[Writing to Learn and Understand]

6.1 पठन तथा लेखन के बीच लगाव
(Linkage Between Reading and Writing)

1. पठन तथा लेखन के बारे में आप क्या जानते हैं? पठन तथा लेखन के बीच लगाव का वर्णन कीजिए। (What do you mean by reading and writing? Describe the linkage between reading and writing.)

अथवा

लेखन तथा पठन के बारे में आप क्या जानते हैं? आलोचनात्मक पठन की लेखन कौशल बढ़ाने में क्या भूमिका है? (What do you mean by writing and reading? What is the role of critical reading in enhancing writing skill.)

CIMETRIX

उत्तर–भाषा के दो रूप हैं मौखिक और लिखित–मानव सभ्यता के विकास के इतिहास में सर्वप्रथम मौखिक भाषा का विकास हुआ। बाद में लिपि का विकास हुआ। जिन ध्वनियों का प्रयोग विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है वह मौखिक भाषा कहलाती है, लेकिन जब हम ध्वनियों को लिखे-चिन्हों (लेखिमों) द्वारा व्यक्त करते हैं तो वह लिपि कहलाती है। लिपि द्वारा वाणी को स्थायित्व मिलता है तथा साथ ही व्यापकत्व भी मिलता है। इस प्रकार नश्वर वाणी लिपिबद्ध होकर अनश्वर हो जाती है। लिपि की परिभाषा देते हुए डॉ. हरिश्चन्द्र लिखते हैं–

"मौखिक रूप से उच्चरित, क्षणिक श्रव्य भाषा (वाणी) को दृश्य रूप में प्रस्तुत करके स्थायित्व एवं विस्तार प्रदान करने वाले यादृच्छिक वर्ण-प्रतीकों (लिपि चिन्हों) की व्यवस्था को ही लिपि कहा जाता है। संक्षेप में, अदृश्य वाणी का दृश्य या मूर्त रूप ही लिपि है। हिन्दी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की लिपि गुरमुखी है, अंग्रेजी की रोमन।"

लेखन-कौशल का अर्थ *(Meaning of the term writing skill)*

लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने विचारों तथा भावों को लिखित रूप में व्यक्त करना लेखन-कौशल कहलाता है। लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भाषा के लिखित रूप को अपनाता है तथा अपने भावों, विचारों को स्थायित्व प्रदान करता है। मौखिक भाषा के शिक्षण में विद्यार्थियों को उचित गति, विराम आदि का उचित प्रयोग करते हुए शुद्ध भाषा का बोलना सिखाया जाता है। लेकिन लेखन कौशल के

शिक्षण में बच्चों को पहले अक्षर चिन्हों की सुन्दर बनावट सिखाई जाती है, तत्पश्चात् उनको शुद्ध भाषा में लेखन कार्य दिया जाता है। यह एक कटु सत्य है कि जब तक बच्चे को लिखना नहीं आता, तो उसका भाषा पर पूर्ण अधिकार नहीं होता। अतः बच्चों के लिये लिपि ज्ञान नितांत आवश्यक है।

लेखन-कौशल का महत्व *(Importance of Teaching or Writing Skill)*

(i) आज हमारा जीवन अत्यधिक व्यापक हो चुका है। लेकिन मौखिक भाषा के द्वारा ही जीवन के सारे कार्य संभव नहीं हैं। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लेखन कौशल की आवश्यकता अनुभव की जाती है। कार्यालयों में परस्पर कार्य व्यापार करते समय, दूरस्थ व्यक्ति संदेश देने अथवा उसे अपने विचारों से अवगत करवाने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है।

(ii) अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ती है। हम अपने विचारों को लिखकर सदियों तक सुरक्षित रख सकते हैं।

(iii) दैनिक जीवन में कदम-कदम पर लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अपने घर के हिसाब-किताब को रखने के लिए, व्यापारिक एवं निजी पत्र लिखने के लिए, बैंक में पैसा जमा करवाने या निकलवाने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है।

(iv) आधुनिक युग में ज्ञान का विस्फोट हो चुका है। फलस्वरूप विद्यार्थियों को अनेक विषय पढ़ने पड़ते हैं। विद्यालय तथा महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम की पुस्तकें निर्धारित की जाती हैं। इन पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से विद्यार्थी का काम नहीं चलता। उसे विभिन्न पुस्तकों को पढ़कर महत्वपूर्ण सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है और नोट्स बनाने पड़ते हैं। उन्हें परीक्षा देते समय लिखित भाषा में ही उत्तर देने पड़ते हैं इसलिए लिखित भाषा का ज्ञान विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। मानव केवल मौखिक भाषा पर निर्भर नहीं रह सकता क्योंकि उसकी स्मरण शक्ति सीमित होती है, वह प्रत्येक बात को याद नहीं कर सकता। इसलिए उसको कई बातें लिखनी पड़ती हैं ताकि बाद में पढ़कर वह अपनी स्मृति को ताज़ा कर सकता है।

(v) सभी सरकारी कार्यालयों में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है, कार्यालयों तथा न्यायालयों के रिकार्ड, निर्णय, नीतियाँ तथा नियम लिखित भाषा में ही होते हैं जो व्यक्ति लिखित भाषा में पारंगत नहीं होता, वह सरकारी नौकरी में उन्नति नहीं कर सकता।

(vi) लेन लिखित भाषा विद्यार्थी के हाथ तथा मस्तिष्क में संतुलन उत्पन्न करती है। यह भाषा में मधुरता लाती है।

(vii) लिखित भाषा के माध्यम से ही देश-विदेश के ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं।

(viii) लेखन-कौशल साहित्यिक रचनाओं का भंडार है। लिपि के अभाव में हम प्राचीन साहित्य को नहीं पढ़ सकते थे। अतः लेखन-कौशल के द्वारा नई-नई रचनाएँ लिखी जा रही हैं।

(ix) लिखित भाषा ने ही हमारी प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति को हमारे तक पहुंचाया है। हम भी लिखित भाषा द्वारा रचनाओं को अपनी भावी पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। आज हम लोकतंत्रात्मक युग में जी रहे हैं इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेष महत्व है, लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति के साथ-साथ लिखित अभिव्यक्ति भी आवश्यक है। यही कारण है कि आज के समाचार पत्र, लेखों द्वारा देश-विदेश की सूचनाओं को जान सकते हैं तथा उनके विचारों को लिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मौखिक भाषा मानव जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। यदि यह उचित होता तो भाषा शिक्षण केवल मौखिक भाषा तक ही सीमित होती। भाषा शिक्षण तभी पूर्ण हो सकता, जब विद्यार्थी भाषा को सुनकर या पढ़कर दूसरों की बातों को समझने में समर्थ हो सके। फिर बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट कर सके। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भाव शिक्षण में पठन कौशल के साथ-साथ लेखन कौशल का समान महत्व है।

लेखन-कौशल के उद्देश्य *(Aims of teaching writing skill)*

लेखन-कौशल के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित उद्देश्यों की चर्चा की जा सकती है–

(i) वर्णों की ठीक और सुन्दर बनावट लिखना सिखाना।

(ii) सुन्दर तथा सुडौल लेख का अभ्यास करवाना।

(iii) शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करवाना।

(iv) छात्रों को वाक्य-रचना के नियमों से अवगत कराना।

(v) विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने की शिक्षा देना।

(vi) विद्यार्थियों में शब्द के विभिन्न रूपों जैसे मुहावरे, लोकोक्तियों तथा प्रसंगानुकूल प्रयोग करने की शिक्षा देना।

(vii) छात्रों को इस योग्य बनाना कि प्रसंगानुकूल और विषयानुकूल भाषा का प्रयोग कर सकें।

(viii) विद्यार्थियों में तार्किक रूप से विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता प्रदान करना।

(ix) विद्यार्थियों में यह योग्यता उत्पन्न करना कि वह अपने विचारों या भावों को लिखित रूप से व्यक्त कर सकें।

(x) विद्यार्थियों में यह योग्यता उत्पन्न करना कि वह अपने विचारों को सुगठित और सुनिश्चित रूप से प्रकट कर सकें।

(xi) छात्रों में यह योग्यता उत्पन्न करना कि वह अपने विचारों को अनुच्छेदों में विभाजित करके लिखित रूप में व्यक्त कर सकें।

(xii) विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्तियों को विकसित करके उन्हें मौलिक रचना कार्य की ओर अग्रसर करना।

(xiii) साहित्य के प्रति छात्रों में रुचि जाग्रत करना।

(xiv) स्पष्ट और साफ-साफ लिखने की आदत डालना।

(xv) छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे भाषा और साहित्य के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाएं।

(xvi) छात्रों में यह आदत डालना कि वे सावधानीपूर्वक लिखने की आदत डालें।

अध्यापक को उपर्युक्त उद्देश्यों के आधार पर लेखन कौशल का आयोजन करना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को सर्वप्रथम अक्षरों को लिखने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। अध्यापक इस बात का प्रयास करें कि बच्चों द्वारा लिखे गए अक्षर सुन्दर तथा सुडौल हों। तत्पश्चात् उन्हें शब्दों, वाक्यों को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेखन कौशल का प्रारम्भ भले ही प्राथमिक कक्षाओं से हो परन्तु ये आजीवन काम आता है। यदि आरम्भ से ही बच्चा सुन्दर और कलात्मक अक्षर लिखना सीख लेता है तो उसका हस्तलेख बड़ा ही प्रभावशाली होगा।

पठन कौशल का अर्थ *(Meaning of Reading Skill)*

भाषा शब्द से ही ज्ञात होता है कि भाषा का मूल रूप उच्चरित रूप है। इसका दृष्टिकोण प्रतीकों के रूप में लिपिबद्ध होता है। मुद्रित रूप लिपिबद्ध रूप का प्रतिनिधि है। जब हम बच्चे को पढ़ाना आरम्भ करते हैं तो अक्षरों के प्रत्यय हमारे मस्तिष्क के कक्ष भाग में क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनाते हैं और हम उसे उच्चरित करते हैं। यह क्रिया जिसमें शब्दों के साथ अर्थ ध्वनि भी निहित है, वाचन कहलाती है। कैथरीन ओकानर के मतानुसार–''वाचन/पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है, जिसमें दृश्य, श्रव्यों सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केन्द्र से सम्बन्ध निहित है।'' लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पाठ को मौखिक पठन कहते हैं। पर बिना अर्थ ग्रहण किए पढ़ने को पठन नहीं कहा जा सकता। पठन की क्रिया में अर्थ ग्रहण करना आवश्यक होता है। अर्थ ग्रहण किस सीमा तक होता है, यह तो पठनकर्ता के ज्ञान एवं कौशल पर निर्भर है।

जो बच्चे लिखी गई बात को पढ़ नहीं सकते, उनके लिए पढ़ना एक रहस्य है। बीस वर्ष पहले विशेषज्ञ भी नहीं जानते थे कि बच्चे द्वारा पढ़ना सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है। अपने अनुभव के आधार पर शिक्षकों ने कुछ विधियों का निर्माण किया था, जैसे वर्णमाला विधि (Alphabet Method), देखो और बोलो विधि (Look and say method), शब्द विधि (Word method)। इन विधियों के नाम जो ग्राफिक सामग्री बच्चे को शुरू में पढ़ने के लिए दी जाती थी, उसके आधार पर रखे गए थे। इनमें से कोई भी विधि पढ़ने के कौशल की प्रक्रिया के ज्ञान के आधार पर नहीं थी। इसके बावजूद भी ये विधियाँ आज भी प्रचलित हैं। अब हमारे पास यह ज्ञान है कि पढ़ने की प्रक्रिया में ग्राफिक सूचना शामिल है। जब हमारी आँखें छपे हुए अक्षरों, चिह्नों, अक्षरों के जोड़ों और दो शब्दों के बीच अंतर के अंदर से चलती हैं तो हमारे दिमाग को इन सभी ग्राफिक्ल सूचनाओं को हैंडल नहीं करना पड़ता। यदि दिमाग को प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द और उनके बीच खाली स्थान को अलग-अलग समझना पड़ता तो पढ़ने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और बेहद धीमी होती। भाषा को पढना लगभग असंभव होता। और ऐसा ही उन बच्चों के साथ होता है, जिन्हें पारम्परिक विधियों से पढ़ाया जाता है। हरियाणा के बहुत से स्कूलों में तो आठवीं कक्षा के बच्चे को पांचवीं कक्षा की पुस्तक भी नहीं पढनी आती। वे प्रत्येक शब्द को और अधिक छोटी इकाई में तोड़ते हैं जिससे उनका दिमाग ओवरलोडिंग हो जाता है। इससे शब्द का अर्थ नहीं निकाला जा सकता।

जब पठन कौशल का विकास हो जाता है तो हमारी आँखें कुछ चुनिंदा ग्राफिक्ल सूचना को ही दिमाग के पास भेजते हैं जिससे वाक्य का झट से अर्थ निकाला जा सकता है, क्योंकि दिमाग ओवरलोड नहीं होता। जब हम पढ़ते हैं तो एक सम्पूर्ण शब्द को एक साथ नहीं पढते बल्कि एक बार में ही पढ़ते हैं। इसी प्रकार एक वाक्य में भी कुछ ही शब्दों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, न कि प्रत्येक वाक्य पर। कुछ आधारभूत सूचना के प्राप्त होने पर बाकी सूचना का अनुमान अपने आप लग जाता है। उदाहरण के लिए, जब एक वाक्य पेज के अंत में अधूरा रह जाता है और उसका अंतिम हिस्सा दूसरे पेज पर होता है तो बिना देखे ही हम वाक्य को पूरा कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि हम अनुमान लगा लेते हैं कि वाक्य के अंत में क्या है। यह अनुमान उसके पहले के अनुभव के आधार पर लगता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS - SKILLED INDIA

भाषा का पढ़ना एक भिन्न व्यवहार नहीं है। इसमें सभी तीनों प्रकार के संकेतों की लगातार प्रक्रिया चलती है। ये तीनों प्रकार के संकेत हैं-

(क) अक्षरों की आकृति और उनसे संबंधित ध्वनि (Shape of letters and sounds associated with them or grapho-phonemic clues)

(ख) शब्दों का क्रम (जैसे संज्ञा के बाद विशेषण होता है) (Word order or Syntactic clues)

(ग) शब्दों का अर्थ (Meaning of words or Sementic clues)

जब हमें पढ़ने की आदत पड़ जाती है तो हम इन तीनों ही प्रकार के संकेतों के बारे में पूर्वानुमान लगा पाते हैं। और यह पूर्वानुमान जब हम तेज़ी से पढ़ते हुए आगे बढते हैं तो बीच में छूटे हुए संकेतों को समझने में सहायता करते हैं।

पठन कौशल की आवश्यकता *(Importance of Reading Skill)*

वाचन की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है। वाचन की योग्यता न रखने से व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनन्द नहीं ले पाता। वाचन-योग्यता के बिना मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। निम्नांकित तथ्यों से वाचन के महत्त्व को आंका जा सकता है-

1. वाचन शिक्षा प्राप्ति में सहायक है।
2. वाचन कौशल ज्ञानोपार्जन का साधन है, क्योंकि पाठ्य-पुस्तक पढ़ने से तो केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं। संदर्भ ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान की पिपासा कुछ हद तक शान्त होती है।
3. आधुनिक युग 'विशिष्टताओं' का युग है, व्यक्ति जिस भी व्यवसाय में है वह विशिष्टता प्राप्त करना चाहता है, नवीनतम जानकारी प्राप्त करना चाहता है, यह जानकारी उसे पुस्तकों से मिलती है।

4. सामाजिक दृष्टिकोण से भी वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक कार्यों तथा दैनिक कार्यों में मनुष्य को कहीं कुछ पढ़कर सुनाना पड़ता है। कहीं अभिनन्दन पत्र पढ़ना होता है, कहीं किसी महापुरुष या नेता का संदेश पढ़ कर सुनाना होता है। कहीं पत्र-लिखने पढ़ने होते हैं अतः इस प्रकार के अनेकों सामाजिक कार्यों में वाचन की आवश्यकता से उसकी सामाजिक उपयोगिता बढ़ जाती है।
5. लोकतन्त्रात्मक युग में वाचन का महत्त्व और भी बढ़ गया है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों की घोषणाएँ प्रकाशित होती रहती हैं, उन्हें अच्छी प्रकार से समझने के लिए वाचन की योग्यता का होना आवश्यक है। अतः लोकतन्त्रात्मक प्रवृत्ति के विकास में वाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
6. 'वाचन' मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। घर में, उपवन में, यात्रा में व्यक्ति कहीं भी अपनी बोरियत को दूर करने के लिए, कहानी, पत्रिका इत्यादि पढ़कर समय का सदुपयोग कर सकता है।
7. सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकसित होना आवश्यक है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विकास के लिए अध्ययन अति आवश्यक है। और 'अध्ययन' वाचन का ही एक रूप है।

पठन तथा लेखन के बीच लगाव *(Linkage between Reading and Writing)*

लेखन तथा पठन के बीच गहरा लगाव है। लेखन तथा पठन एक दूसरें को प्रभावित करते हैं। आलोचनात्मक पठन की लेखन कौशल बढ़ाने में अहम भूमिका होती है। पठन तथा चिन्तन लेखन के महत्वपूर्ण पहलु होते हैं। पठन तथा चिन्तन का लेखन कौशल से सीधा सम्बन्ध है। यदि कोई व्यक्ति अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकता और अच्छी तरह से चिन्तन नहीं कर सकता तो वह अच्छी तरह से लिख भी नहीं सकता। यदि विद्यार्थी के पठन में कोई कमी है तो वह कमी लेखन में भी देखने को मिलेगी।

आलोचनात्मक पठन का अर्थ है लेखन के विचारों को स्पष्ट रूप से पढ़ना, समझना, मूल्यांकन करना और उनके बारे में अपनी राय पैदा करना। आलोचनात्मक चिन्तन लक्ष्यों को स्पष्ट करता है, अवधारणाओं को मूल्यांकन करता है, छिपे हुए मूल्यों को ढूँढ़ता है तथा निष्कर्ष का मूल्यांकन करता है।

आलोचनात्मक पठन में वृद्धि करने से लेखन कौशल में भी वृद्धि होती है। व्यक्ति पहले चिन्तन करता है और लिखता है। लेखन एक प्रतिक्रिया है। यह किसी विषय के बारे में विचारों तथा भावनाओं की प्रतिक्रिया है। लेखन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो आलोचनात्मक चिन्तन के साथ-साथ चलती है। इस संसार में कोई व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, मत विचार, रचना स्थाई नहीं है। ज्यों-ज्यों सभ्यता का विकास होता जाता है त्यों-त्यों पुराने नियम, संस्कार परम्परा आदि के बन्धन टूटते जाते हैं। नवीन दृष्टिकोण, नए नियमों, नई रीतियों का पालन होने लगता है। ये परिवर्तन आलोचनात्मक पठन तथा आलोचनात्मक चिन्तन के कारण होते हैं। ज्यों-ज्यों व्यक्ति पुस्तकों, दूसरे के विचारों, भावों आदि को पढ़कर अपने ज्ञान की वृद्धि करता है त्यों-त्यों वह अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि परिस्थितियों को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है और उनमें से कुरीतियों, बुरी परिस्थितियों व हानिकारक नियमों का विरोध करता है। इस प्रकार आलोचनात्मक पठन से व्यक्ति के आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है जिससे आलोचनात्मक लेखन कौशल में मदद मिलती है। लेखन कौशल की वृद्धि में आलोचनात्मक पठन तथा आलोचनात्मक चिन्तन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुक्त रूप से स्वतन्त्र कल्पना प्रसूत मौलिक अभिव्यक्ति का लेखन सृजनात्मक लेखन है। इसमें कलात्मकता, मौलिकता, लालित्य एवं अनुरंजकता विशेष रूप से अपेक्षित है। इस प्रकार की रचना में रचनाकार का व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है। सजृनात्मक लेखन में रचनाकार की चिन्तन धाराएँ एवं प्रतिक्रियाएँ अभिव्यक्त होती हैं। अतः आलोचनात्मक पठन की लेखन कौशल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः लेखन तथा पढ़ने के बीच गहरा लगाव है।

◆◆◆

6.2 रिपोर्ट, समीक्षा, निबंध, सूचना, पत्र तथा सर्जनात्मक लेखन को लिखना सीखना
(Learn to Write Report's, Reviews, Essays, Notices, Letters and Creative Writing)

2. लेखन कौशलों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो।
(Describe various types of writing skills.)

अथवा

लिखित रचना के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
(Describe various types of script writing.)

उत्तर–लिखित रचना का प्रारंभिक रूप अनुलेख है। लिखित सामग्री को देखकर उसकी नकल करने को अनुलेख कहते हैं। अनुकरण के माध्यम से बच्चों को सिखाने के लिए शुरू में अनुलेख का अभ्यास करवाया जाता है। इसके द्वारा बालक सुलेख का भी अभ्यास करता है। श्रुत लेख के द्वारा शिक्षार्थी को लेखन में गति, भावग्रहण तथा स्मृति के आधार पर ध्वनियों के अभिज्ञान का अभ्यास कराया जाता है। इस प्रकार के अभ्यास के बाद माध्यमिक स्तर पर छात्रों को विविध प्रकार की रचनाओं का अभ्यास कराया जाता है। कक्षा शिक्षण की दृष्टि से रचना के विविध रूप हैं–

वर्णन–चित्रों के आधार पर; इतिहास, भूगोल के तथ्यों के आधार पर; स्वयं के अनुभव के आधार पर जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म, बाजार आदि के दृश्यों का वर्णन करना। भावों की अभिव्यक्ति के लिए मनोनुकूल शब्द चयन की योग्यता और सामर्थ्य प्रदान करना वर्णन लेखन शिक्षण का उद्देश्य है ताकि शिक्षार्थी सुने हुए अथवा बातचीत पर आधारित विषयों का संक्षिप्त वर्णन कर सकें। वर्णन के अंतर्गत कुछ विषय इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे घर, स्कूल, पशु एवं पक्षी, खेल-कूद, त्यौहार, उत्सव, प्रदर्शनी आदि।

पत्र–शुरू में घरेलू पत्र लेखन कराया जाता है, जैसे माता-पिता, मित्र-भाई का पत्र, प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र। माध्यमिक स्तर पर पत्रों के रूप एवं मात्रा में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सभी प्रकार के पत्रों के लेखन का अभ्यास कराया जाता है।

सामान्य रूप से हम पत्रों को दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं–

(क) व्यक्तिगत पत्र या अनौपचारिक पत्र–पारिवारिक पत्र, संपादक के नाम पत्र, निमंत्रण पत्र।
(ख) कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्र या औपचारिक पत्र-नौकरी के लिए प्रार्थनापत्र, शिकायत पत्र, आवेदन पत्र, पदाधिकारियों को कार्यालय संबंधी विषयों पर पत्र, व्यावसायिक पत्र।

3. लेख एवं निबंध–निबंध लेखन रचना शिक्षण की महत्वपूर्ण विधा है। निबंध ऐसी स्वतंत्र रचना को कहते हैं जिसमें सीमित समय में हम अपने विचारों को सुसंबद्ध रीति से प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। यत्र-तत्र उद्धरणों, सूक्तियों, काव्य पंक्तियों आदि का प्रयोग करने से निबंध लेखन में लालित्य आ जाता है।

निबंध के तीन अंग होते हैं–आरंभ, मध्य भाग और अंत।

आरंभ को भूमिका या प्रस्तावना कहते हैं। आरंभ जितना प्रभावशाली और आकर्षक होगा, निबंध उतना ही अच्छा बन पड़ेगा। मध्य भाग में विषय-वस्तु का अनेक अनुच्छेदों में प्रतिपादन किया जाता है। अंत को उपसंहार या निष्कर्ष कहते हैं। इसमें निबन्ध का समापन इस रूप में किया जाता है कि लेखक सारी वस्तु को समेट कर अपनी प्रस्तुति का पाठक पर गहरा प्रभाव छोड़ सके।

4. सार लेखन–किसी लेख, आख्यान, कहानी, सूचना, घटना, आदि के मुख्य भाव और विचार की रक्षा करते हुए उसे लगभग 1/3 आकार में लिखना सार लेखन, संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण कहलाता है। पूरी रचना या पुस्तक पढ़ने के बाद हम सार लेखन के माध्यम से उस विषय की मुख्य-मुख्य बातें कम समय में

जान लेते हैं। सार लेखन से हमारे लेख में सामासिकता अर्थात् बड़े वाक्यों को थोड़े से शब्दों में लिखने की क्षमता विकसित होती है। सार लेखन के नियमित अभ्यास से शिक्षार्थी में किसी पाठ, अनुच्छेद, आलेख आदि के मूलभाव को ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है।

5. व्याख्या—साहित्य के किन्हीं विशेष गद्यात्मक तथा पद्यात्मक स्थलों का विस्तारपूर्वक विवेचन व्याख्या कहलाता है। व्याख्या में सर्वप्रथम संदर्भ का उल्लेख किया जाता है, जिसमें पुस्तक तथा लेखक का नाम दिया जाता है। इसके अंतर्गत उस स्थान के प्रसंग का उल्लेख लिखा जाता है। संदर्भ के अनन्तर व्याख्येय स्थल के सरलार्थ तथा निहित भावों का विस्तार से उल्लेख किया जाता है। विशेष निहितार्थ का भी विवेचन किया जाता है। पद्य अथवा गद्य की शैली तथा रस एवं अलंकार का निर्देश किया जाता है तथा पद्य में प्रयुक्त छंद का नाम बताया जाता है। व्याख्या में व्याख्येय स्थल के अनुसार ही विवेचन करना होता है। विशेष विचारणीय विषय पर व्याख्याता अपना मत भी प्रस्तुत कर सकता है।

6. समीक्षा लेखन—किसी पुस्तक अथवा लेख का विवेचनात्मक मूल्यांकन समीक्षा कहलाता है। उसे समालोचना भी कहा जाता है। समीक्षा में पुस्तक के वाह्य एवं आभ्यंतर रूपों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, परन्तु मुख्य रूप से आभ्यंतर रूप पर ही समीक्षक का ध्यान केन्द्रित होता है। बाह्य रूप में संबंध में दो-तीन पंक्तियाँ ही पर्याप्त मानी जाती हैं। आभ्यंतर रूप के संबंध में पुस्तक के विषय, उनकी क्रमबद्धता तथा उनके प्रतिपादन कौशल के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तदन्तर पुस्तक अथवा निबंध में चर्चित विचारों की प्रामाणिकता तथा उनके औचित्य का भी विवेचन किया जाता है। समीक्ष्य ग्रंथ अथवा निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की क्या छाप पड़ी है तथा लेखक ने प्रतिपाद्य विषय के साथ कितना न्याय किया है इसकी समालोचना की जाती है। पुस्तक की भाषा की शुद्धता, प्रांजलता तथा प्रवाह पर टिप्पणी की जाती है तथा समाज द्वारा उसकी ग्राह्यता पर अपना मंतव्य प्रस्तुत किया जाता है।

7. रिपोर्ट लेखन—किसी घटना अथवा परिस्थिति का विवरण प्रस्तुत करना रिपोर्ताज कहलाता है। यह अंग्रेजी के 'रिपोर्ट' श्ब्द से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ है 'जैसा देखा वैसा बताना'। रिपोर्ताज का सर्वाधिक प्रयोग पत्रकारिता में होता है, परन्तु यह साहित्य की भी एक सशक्त विधा है। किसी शहर में भड़के दंगे, किसी भवन में लगी आग, किसी धार्मिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक समारोह का विवरण भी रिपोर्ताज का विषय होता है। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का विवरण तथा उनके संबंध में टिप्पणी भी रिपोर्ताज कहलाती है।

8. संवाद—माध्यमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को संवाद लेखन के अभ्यास के अवसर भी देने चाहिए। सामाजिक जीवन में संवाद का विशेष महत्व है। संक्षिप्त, भावानुकूल अभिव्यक्ति, दूसरे पक्ष की बातों पर सार्थक प्रतिक्रिया अच्छे संवाद की विशेषताएँ मानी जाती हैं। संवाद लेखन के अभ्यास द्वारा शिक्षार्थियों में इन गुणों का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार के अभ्यास के लिए कहानियाँ उपर्युक्त माध्यम हो सकती हैं। प्रारम्भ में छोटी-छोटी कहानियाँ ली जा सकती हैं, बाद में लंबी कहानियाँ ली जा सकती हैं। नमूने के लिए 'कोयला-हीरा' संवाद जैसे पाठ का अध्ययन करा सकते हैं। मैथिलीशरण गुप्त की कविता 'माँ कह एक कहानी' तथा बालकृष्ण राव की कविता 'फिर क्या होगा उसके बाद' का भी गद्य में संवादात्मक रूपांतरण कराया जा सकता है।

9. भाव-पल्लवन—किसी उक्ति, विचार अथवा वाक्य के मूलभाव को विस्तार के साथ समझाकर लिखना भाव पल्लवन कहलाता है। कभी-कभी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह दिया जाता है। इसी को गागर में सागर भरना कहते हैं। इसी प्रकार की संक्षिप्त सटीक अभिव्यक्ति को विस्तार से प्रस्तुत करना ही भाव पल्लवन है। मूल भाव को समझाने के लिए किसी उदाहरण, सहायक भाव, धारणा आदि का खण्डन या मण्डन करने के लिए भाव पल्लवन का उपयोग करते हैं। इसमें मूलभाव, मूलभाव की संदर्भगत संगति तथा निहितार्थ का विवेचन करने से भाव पल्लवन की रचना का शिक्षण होता है। अन्त में संपूर्ण विचार में स्थित निहितार्थ या प्रेरणा संदेश लिखा जाता है। भाव पल्लवन में भाषा, वाक्य गठन और शैली का विशेष महत्व

है। 'होनहार विरवान के होत चीकने पात' जैसी गम्भीर उक्ति या विचार को परत दर परत खोलना सिखाना भाव पल्लवन शिक्षण कहलाता है। शिक्षार्थियों से चर्चा द्वारा उक्ति में निहित विचारों पर बातचीत की जाती है। तदनन्तर उन विचारों को लिखने के लिए निर्देश दिया जाता है।

10. कहानी—छात्रों की आयु और बौद्धिक स्तर के आधार पर कहानी लेखन शिक्षण की कई विधियाँ हो सकती हैं। यात्रा वृत्तांत, चित्र-कथा विधि, रूपरेखा विधि, सुनो और लिखो विधि, संकेतों के आधार पर कहानी लेखन तथा घटना का कहानी शैली में रूपांतर कर लिखना। मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षार्थियों की रुचियों के आधार पर पता लगाया है कि 8 वर्ष से 11 वर्ष के शिक्षार्थी परियों की, वीरता भरी तथा साहसी कार्यों, यात्रा वर्णनों एवं पशु-पक्षियों की कहानियों में रुचि लेते हैं। 12 से 14 वर्ष के बच्चे महान व्यक्तियों की जीवन गाथाओं, जासूसी कहानियों और खोज की कहानियों में रुचि लेते हैं। 15 से 18 वर्ष के शिक्षार्थी आधुनिक जीवन की समस्याओं से भरी कहानियों, प्रेम आख्यानों तथा वैज्ञानिक खोज की कहानियों में रुचि लेते हैं। इसी मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रिया के अनुसार विषयों का चुनाव करके कहानी रचना का शिक्षण करना चाहिए।

11. सृजनात्मक लेखन—मुक्त रूप से स्वतंत्र कल्पना प्रसूत मौलिक अभिव्यक्ति का लेखन सृजनात्मक लेखन है। इसमें कलात्मकता, मौलिकता, लालित्य एवं अनुरंजकता विशेष रूप से अपेक्षित है। इस प्रकार की रचना में रचनाकार का व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है। इसमें उसकी चिंतन धाराएँ एवं प्रतिक्रियाएँ अभिव्यक्त होती हैं। वह अपनी कवयित्री प्रतिभा के बल से नूतन रचना करता है।

बैलार्ड के अनुसार—सृजनात्मक लेखन शिक्षण का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास एवं उसकी आत्म प्रकाशन तथा निर्णय शक्ति को उन्नत एवं प्रभावपूर्ण बनाना है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

रिपोर्ताज (Report)

3. रिपोर्ताज को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं और विकास क्रम पर समुचित प्रकाश डालिए।

उत्तर—

1. अर्थ स्वरूप एवं परिभाषा

रिपोर्ताज शब्द फ्रैंच भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी में इसे रिपोर्ट कहते हैं। हिन्दी में इसे 'रपट' भी कहते हैं। रिपोर्ट शब्द का अभिप्राय है—**"वह तथ्यात्मक विवरण जो किसी घटना, दृश्य आदि को साकार रूप में प्रस्तुत करता है।"** कार्यालयी हिन्दी में इसे वृत्त निदेशन या सूचनिका भी कहते हैं। लेकिन आज रिपोर्ताज शब्द का ही अधिक प्रचलन है। रिपोर्ताज की परिभाषा देते हुए डॉ. नगेन्द्र कहते हैं—**"जिस रचना में वर्ण्य-विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृदय-तंत्री के तार झंकृत हो उठें और वह इसे भूल न सके, रिपोर्ताज कहलाता है।"**

डॉ. उमामंगल का कहना है—"जब व्यक्ति के कार्यों या व्यापार या आकृति का चित्रण न होकर घटनाओं का क्रमबद्ध चित्रण किया जाता है।"

डॉ. भागीरथ मिश्र लिखते हैं—"रिपोर्ताज किसी घटना या दृश्य का अत्यन्त विवरणपूर्ण, सूक्ष्म, रोचक वर्णन इसमें इस प्रकार किया जाता है कि वह हमारी आँखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए और हम इससे प्रभावित हो उठे।"

डॉ. शिवदान चौहान के अनुसार, "आधुनिक जीवन की द्रुतगामी वास्तविकता में हस्तक्षेप करने के लिए मनुष्य को नई साहित्यिक रूप विधा को जन्म देना पड़ा। रिपोर्ताज उन सबसे प्रभावशाली और महत्त्वपूर्ण विधा है।"

डॉ. बैजनाथ सिंहल का विचार है—**"प्रारम्भ में रिपोर्ट का सम्बन्ध युद्ध सम्बन्धी दैनिक रिपोर्ट से रहा है, जिससे वहां की दैनिक घटना का सारा वृत्तांत रहता था। धीरे-धीरे यह रिपोर्ट तथ्यात्मक होते हुए भी कुछ इस ढंग से लिखी जाने लगी कि इसे प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से मानवीय संवेदनाओं से जोड़ा जाने लगा। यहीं से इसमें साहित्यिकता के लक्षण उभरे और फिर धीरे-धीरे इसके विषय-क्षेत्र में विस्तार होकर यह एक साहित्यिक विधा के रूप में विकसित होकर रह गई।"** डॉ. नगेन्द्र ने इस रचना का प्रादुर्भाव सन् 1936 के आसपास द्वितीय विश्वयुद्ध से जोड़ा है। उनका विचार है कि रूसी साहित्यकारों ने इसका विशेष प्रचार-प्रसार किया। इलिया एटेनबुर्ग ने रिपोर्ताज लेखन का कुशल परिचय दिया। डॉ. नगेन्द्र का यह भी विचार है कि हिन्दी में रिपोर्ताज लेखन की परम्परा **शिवदान सिंह चौहान** की रचना **'लक्ष्मीपुरा'** से आरम्भ हुई जोकि 'रूपाभ' नामक पत्रिका में सन् 1938 में प्रकाशित हुई थी। इसके बारे में रागेय राघव द्वारा बंगाल के दुर्भिक्ष और महामारी से सम्बन्धित रिपोर्ताज का प्रकाशन विशाल भारत नामक समाचार पत्र में हुआ।

इससे स्पष्ट होता है कि द्वितीय महायुद्ध की विभिषिकाओं के कारण ही रिपोर्ताज लेखन का आरम्भ हुआ। पहले-पहल यह विधा पाश्चात्य साहित्य में शुरू हुई। उसके बाद हिन्दी में भी रिपोर्ताज लिखे जाने लगे। लेकिन यह निश्चित है कि यह विधा पूरी तरह नवीन है।

2. रिपोर्ताज का विकास-क्रम

कुछ विद्वानों का कहना है कि हिन्दी साहित्य में इस विधा का आरम्भ सन् 1940 को हुआ और प्रथम रिपोर्ताज 'हंस' नामक पत्रिका में 'समाचार और विचार' तथा 'अपना देश' स्तम्भों के अन्तर्गत छपा। इसके बाद विशाल भारत में **'अदम्य'** जीवन नाम से एक रिपोर्ताज विशाल भारत में छपा। डॉ. रागेय राघव ने बंगाल के अकाल के बारे में जो रिपोर्ताज लिखे थे वे **'तूफानों के बीच'** नामक रचना में प्रकाशित हुए हैं। आगे चलकर 'हंस' में 'स्वराज्य भवन', 'अल्मोड़े का बाजार', तथा 'बंगाल का अकाल' आदि रिपोर्ताज प्रकाशित हुए। इनके लेखक श्री प्रकाश चन्द गुप्त थे। इसके बाद चीन युद्ध, बाढ़, सूखा, अकाल, अग्निकांड, भूचाल, आतंकवाद, विमान-दुर्घटना आदि को लेकर अनेक रिपोर्ताज लिखे गए। इस सन्दर्भ में 'धर्मयुग' पत्रिका का विशेष योगदान रहा है। बाद में 'ज्ञानोदय', 'सारिका', 'रविवार' तथा 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' में कुछ महत्त्वपूर्ण रिपोर्ताज छपे। डॉ. धर्मवीर भारती, डॉ. भगवत शरण उपाध्याय, फणीश्वरनाथ रेणु, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर आदि ने रिपोर्ताज साहित्य में काफी योगदान दिया।

आधुनिक रिपोर्ताज लेखकों में उपेन्द्रनाथ अश्क (पहाड़ों में प्रेममय गीत), रामनारायण उपाध्याय (अमीर तथा गरीब पुस्तकें), शिवसागर मिश्र (वे लड़ंगे हजार साल), धर्मवीर भारती (युद्ध यात्रा), जगदीश चन्द्र जैन (पीकिंग की डायरी), यशपाल (चकर कलम), फणीश्वरनाथ रेणु (नेपाली प्राणी की कथा लाल धरती) कुबेरनाथ राय (गंध मादन) आदि कुछ महत्त्वपूर्ण रिपोर्ताज लेखक हुए हैं। आज यह विधा काफी लोकप्रिय बन चुकी है। अनेक साहित्यकार ग्रामीण क्षेत्रों को आधार बनाकर रिपोर्ताज लिख रहे हैं।

रिपोर्ताज की विशेषताएँ—रिपोर्ताज की पाँच प्रमुख विशेषताएँ हैं—

1. कथात्मक शैली का प्रयोग—रिपोर्ताज लेखक किसी घटना, युद्ध, अकाल, भूचाल आदि का कथात्मक शैली में वर्णन करता है। ऐसा करने से पाठक की रुचि जाग्रत होती है तथा वह एकाग्र मन से रिपोर्ताज को पढ़ता है। दूसरा रिपोर्ताज में घटना का यथार्थ तथा मरमस्पर्शी वर्णन किया जाता है। इसे पढ़कर लगता है कि मानो लेखक कोई कहानी पढ़ रहा हो। परन्तु यह कथानक पूर्णतः यथार्थ पर आधारित होता है।

2. ऐतिहासिकता—जो रिपोर्ताज युद्ध, अकाल, बाढ़ अथवा अग्निकांड पर लिखे जाते हैं उनमें ऐतिहासिकता होती है। लेखक तिथियों का हवाला देते हुए स्थान विशेष की घटनाओं तथा प्रभाव का ऐतिहासिक दृष्टि से वर्णन करता है। कुछ रिपोर्ताज तो इतिहास के दस्तावेज भी कहे जा सकते हैं। किसी युद्ध विशेष पर लिखा गया रिपोर्ताज उसी व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है, जो उस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी हो। उदाहरण के रूप में बांग्लादेश स्वतन्त्रता के काल में डॉ. धर्मवीर भारती ने बांग्लादेश के युद्ध के रिपोर्ताज लिखे थे जो धर्मयुग में प्रकाशित हुए थे।

3. विश्वसनीयता—यह रिपोर्ताज की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। पाठक अपने अनुभवों, स्थान विशेष की घटनाओं आदि का यथार्थ वर्णन करने का प्रयास करता है ताकि पाठक उसके वर्णन पर विश्वास कर सके। इसके लिए कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है।

4. चित्रात्मकता—रिपोर्ताज में चित्रात्मक शैली का प्रयोग नितांत आवश्यक माना गया है। युद्ध अकाल, बाढ़, अग्निकांड का वर्णन पढ़ते-पढ़ते एक के बाद एक चित्र प्रस्तुत होते जाते हैं और वह रिपोर्ताज को पढ़ते-पढ़ते स्वयं को उन घटनाओं का एक प्रत्यक्षदर्शी मान लेता है।

5. रिपोर्ताज की भाषा सहज, सरल तथा प्रभावमयी होने चाहिए। उसमें आवश्यकतानुसार अंग्रेजी, उर्दू तथा स्थानीय भाषाओं का मिश्रण भी किया जा सकता है। यही नहीं वाक्य विन्यास पूरी तरह विचारानुकूल होना चाहिए। रिपोर्ताज में प्रायः वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ-साथ चित्रात्मक शैली का उपयोग होना भी अनिवार्य है।

◆◆◆

4. रिपोर्ट लेखन की आवश्यक शर्तों, उद्देश्य तथा आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए।

रिपोर्ट लेखन की आवश्यक शर्तें—रिपोर्ट लेखन तथ्यों पर आधारित होता है। किसी भी घटना, कार्यक्रम अथवा किसी आयोजन पर जो रिपोर्ट लेखन किया जाता है, उसकी मूल कार्यवाही सहज, सरल, भाषा में लिखी जाती है। इसके द्वारा किसी कार्य की प्रगति, जाँच स्थल कार्य अथवा उनके स्पष्ट परिणामों को व्यक्त किया जाता है। रिपोर्ट लेखन का संबंध साहित्य-गोष्ठियों, कवि सम्मेलनों, घटनाओं अथवा विभिन्न संस्थानों की गतिविधियों से हो सकता है। रिपोर्ट लेखन की निम्नलिखित शर्तें उल्लेखनीय हैं—

1. रिपोर्ट लेखन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।
2. इसकी भाषा सहज, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए।
3. रिपोर्ट लेखन में मुहावरों व लोकाक्तियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
4. रिपोर्ट लेखन की भाषा में व्यंजना तथा लक्षणा आदि सब शक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है।
5. रिपोर्ट में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
6. रिपोर्ट लेखन के सभी तथ्य सत्य पर आधारित तथा विश्वसनीय होने चाहिए।
7. रिपोर्ट लिखते समय लेखक को कल्पना का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
8. किसी भी शब्द अथवा वाक्य के अनेक अर्थ नहीं निकालने चाहिए।
9. रिपोर्ट लेखन संक्षिप्त होना चाहिए और उसमें केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को ही स्थान देना चाहिए।
10. रिपोर्ट के सभी तथ्य क्रमानुसार हों, ताकि पाठकों को उनकी पूरी जानकारी व्यवस्थित रूप से प्राप्त हो सके।
11. रिपोर्ट लेखन को उचित शीर्षक भी देना चाहिए, ताकि पाठक को विषय की जानकारी प्राप्त हो सके।
12. आवश्यकता के अनुसार रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर विषय को अनुच्छेदों में विभक्त किया जा सकता है, लेकिन ये कोई आवश्यक नियम नहीं हैं।

रिपोर्ट लेखन के उद्देश्य—रिपोर्ट लेखन के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं—

1. रिपोर्ट लेखन द्वारा विषय से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है।
2. रिपोर्ट का उद्देश्य किसी घटना का सत्य वृत्तांत प्रस्तुत करना माना गया है।
3. रिपोर्ट लेखन द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों, घटनाओं आदि की जानकारी दी जा सकती है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

4. विद्यार्थियों को सोचने एवं निरीक्षण करने के बाद भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करने में सक्षम बनाया जा सकता है।
5. मातृ-भाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा उसे प्रयोग करने की क्षमता को छात्रों में विकसित किया जा सकता है।
6. छात्रों के शब्द-भंडार को समृद्ध बनाया जा सकता है।
7. छात्रों की तर्क-शक्ति, विवेक-शक्ति तथा निरीक्षण आदि की क्षमता को और अधिक विकसित किया जा सकता है।
8. छात्रों में क्रमबद्ध रूप से विचार व्यक्त करने, बोलने और लिखने की आदत का समुचित विकास किया जा सकता है।
9. छात्रों को इतना सक्षम बनाया जा सकता है कि वे अपनी बात को सावधानी के साथ स्पष्ट व्यक्त कर सकें।
10. छात्रों में ऐसी क्षमता विकसित की जा सकती है कि वे व्यावहारिक जीवन में लेखन द्वारा अपने कार्यों में सिद्धि प्राप्त कर सकें।
11. छात्रों को हिन्दी भाषा की विविध रचना शैलियों से परिचित कराया जा सकता है।
12. छात्रों में रिपोर्ट लेखन द्वारा इस योगय बनाया जा सकता है कि वे प्रसंगानुकूल तथा भावानुकूल भाषा का प्रयोग करने में सक्षम हो सकें।
13. छात्रों में मौलिक चिंतन की आदत का विकास किया जा सकता है।
14. छात्रों को रिपोर्ट लेखन के लिए सामग्री संकलन की आदत का विकास किया जा सकता है।
15. छात्रों को साहित्य रचना की ओर प्रवृत्त किया जा सकता है।

रिपोर्ट लेखन के आवश्यक गुण–विद्यार्थियों को रिपोर्ट लेखन का शिक्षण देते समय उनके सामने निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी रखनी चाहिए, ताकि वे अपने लेखन में कम-से-कम अशुद्धियाँ करें–

1. रिपोर्ट लेखन सुंदर, सुडौल व स्पष्ट होना चाहिए।
2. उसमें विचारों का प्रवाह होना चाहिए।
3. रिपोर्ट लेखन में विचार क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
4. भाषा सहज, सरल, भावानुकूल तथा बोधगम्य होनी चाहिए।
5. आवश्यक तथा उपयुक्त विराम चिह्नों का प्रयोग होना चाहिए।
6. उसमें तथ्यों को तर्क सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
7. विषय सामग्री को अनुच्छेदों में विभक्त किया जा सकता है।
8. रिपोर्ट लेखन में भाशा व्याकरण-सम्मत होनी चाहिए।
9. प्राथमिक कक्षाओं के रिपोर्ट लेखन की भाषा अधिक गूढ़ तथा परिनिष्ठित नहीं होनी चाहिए।

◆◆◆

निबंध (Essay)

5. निबंध लेखन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए।
(Write a detailed note on essay writing.)

उत्तर–निबंध-लेखन-शिक्षण–'निबंध' शब्द का सामान्य अर्थ होता है–अच्छी तरह से बँधा हुआ। पहले वैदिक युग में भोजपत्रों पर लेखन-कार्य होता था तथा उन्हें सुरक्षित रूप से रखने के लिए कसकर बाँध दिया जाता था तथा बँधे हुए व लिखित भोजपत्रों को निबंध कहा जाता था। अर्थात् उस रचना में केवल विषय से संबंधित ही वाक्य क्रमबद्ध रूप में होते थे। अंग्रेजी भाषा में निबंध के लिए 'एस्से' (Essay) शब्द का प्रयोग होता है।

अनेक विद्वानों ने अपने-अपने मतानुसार निबंध की परिभाषाएँ दी हैं जिनमें से प्रसिद्ध निबंधकार बाबू गुलाब राय की परिभाषा अधिक उपयुक्त है। वे 'निबंध' की परिभाषा देते हुए कहते हैं–

"निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगीत व सबंद्धता के साथ किया गया हो।"

वास्तव में निबंध की विषय-वस्तु कुछ भी हो सकती है अर्थात् हम किसी भी वस्तु, घटना, पदार्थ आदि को आधार बनाकर निबंध की रचना कर सकते हैं। वास्तव में चींटी जैसे सूक्ष्म जीव से लेकर पूरे ब्रह्माण्ड जैसे विशाल व व्यापक विषय पर निबंध लिखा जा सकता है। निबंध कितने प्रकार के होते हैं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं, परंतु हिन्दी-साहित्य में वर्तमान समय में मुख्यतः छह प्रकार के निबंध अधिक प्रचलित हैं जो कि निम्नलिखित हैं–

(क) भावात्मक निबंध	(ख) विचारात्मक निबंध
(ग) वर्णनात्मक निबंध	(घ) कथात्मक तथा आत्मकथात्मक निबंध
(ङ) व्यंग्यप्रधान निबंध	(च) ललित निबंध

(क) **भावात्मक निबंध**–ऐसे निबंधों में मुख्यतः मन के भावों की अधिकता है तथा किसी मूर्त वस्तु आदि का कम उल्लेख किया जाता है। ऐसे निबंध प्रायः मन में उच्च भावों को जाग्रत करते हैं। **सरदार पूर्ण सिंह** द्वारा रचित 'मजदूरी और प्रेम', 'कन्यादान' आदि तथा **आचार्य रामचंद्र शुक्ल** द्वारा रचित 'ईर्ष्या', 'घृणा', 'भक्ति और श्रद्धा' आदि हिन्दी के उत्कृष्ट कोटि के भावात्मक निबंध हैं।

(ख) **विचारात्मक निबंध**–ऐसे निबंधों में विचारों की प्रधानता होती है। किसी संबंध, परम्परा, रीति आदि का क्या स्वरूप होना चाहिए, इस विषय पर प्रायः विचारात्मक निबंध लिखे जाते हैं। बाबू गुलाबराय, बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र आदि हिन्दी के विचारात्मक निबंध-लेखकों में अग्रणीय हैं।

(ग) **वर्णनात्मक निबंध**–ऐसे निबंधों में किसी वस्तु, दृश्य, घटना आदि का वर्णन अधिक किया जाता है तथा भावों, विचारों का इसमें प्रायः अभाव होता है। ऐसे निबंध रोचक व ज्ञानवर्द्धक तो होते हैं परंतु इनमें निबंध के सभी तत्वों का समावेश नहीं होता है।

(घ) **कथात्मक तथा आत्मकथात्मक निबंध**–निबंधकार जब किसी विषय, वस्तु, घटना, पदार्थ आदि के संबंध में कथात्मक या आत्मकथात्मक रूप से भावों को प्रकट करते हैं, तब वह कथात्मक या आत्मकथात्मक निबंध कहलाता है। विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित 'सड़क की आत्मकथा' आत्मकथात्मक निबंध का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

(ङ) **व्यंग्यप्रधान निबंध**–सन् 1960-70 के आस-पास हिन्दी-साहित्य में निबंध की एक नई शैली का सूत्रपात हुआ। इसमें निबंध की कथावस्तु को प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। हिन्दी के व्यंग्यप्रधान निबंधकारों में हरिशंकर परसाई का नाम सबसे ऊपर आता है तथा उनके प्रसिद्ध निबंधों में 'पगडंडियों का जमाना' सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य प्रधान निबंध कहा जा सकता है।

(च) **ललित निबंध**–अन्य निबंधों में भावों, विचारों आदि की प्रधानता होने के कारण वे नीरस व ऊबाऊ से प्रतीत होते हैं परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे निबंधकारों ने उसमें लालित्य का समावेश कर ललित निबंधों का सूत्रपात किया। 'नाखून क्यों बढ़ते हैं' 'अशोक के फूल' आदि उनके प्रमुख ललित निबंध हैं।

अतः यहाँ निबंध-शिक्षण से तात्पर्य यह है कि छात्रों को निबंध के विषय, उसकी रूप-रेखा आदि के बारे में समझाकर उन्हें निबंध की रचना करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। वस्तुतः निबंध-लेखन लिखित-रचना का एक महत्वपूर्ण अंग है।

निबंध-रचना-शिक्षण के उद्देश्य–अनेक भाषाविदों, शिक्षाविदों आदि ने अपने-अपने मतानुसार निबंध-रचना-शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है। श्री एच. चैम्पियन इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं–

"निबंध का अंतिम उद्देश्य विद्यार्थी के विचारों को क्रमित रूप से अपनी ही रीति से ही स्वतन्त्रतापूर्वक सजाने देना, अपना ही शब्द-चयन करने देना तथा अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त करने देना है।"

निबंध-रचना-शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

1. विद्यार्थियों को अपने भावों, विचारों, किसी घटना दृश्य के देखने के बाद मन की प्रतिक्रिया आदि को स्पष्ट तथा प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने में सक्षम बनाना।
2. विद्यार्थियों के अन्दर मौलिक चिन्तन, मनन, निरीक्षण आदि करने की भावना का विकास करना।
3. विद्यार्थियों के शब्द-भण्डार, सूक्ति-भण्डार मुहावरों, लोकोक्तियों आदि में वृद्धि करना।
4. विद्यार्थियों में मौलिक लेखन-कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना।
5. विद्यार्थियों को निरीक्षण-शक्ति का विकास करना।
6. विद्यार्थियों को निबंध की विविध शैलियों से परिचित कराना।
7. विद्यार्थियों में कल्पना-शक्ति का विकास करना।
8. विद्यार्थियों को भाव आदि प्रकट करते समय उचित, सार्थक शब्दों का प्रयोग करने में सक्षम बनाना।
9. विद्यार्थियों को भावानुकूल, प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग करने में सक्षम बनाना।
10. विद्यार्थियों को ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित करना।
11. विद्यार्थियों को अपने भावों, विचारों तथा लिखते समय वाक्यों को सुगठित करके प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना।

निबंध लेखन शिक्षण-कार्य करते समय अध्यापक को कुछ विशेष बातों की ओर ध्यान रखना होता है। अतः अपने इस शिक्षण-कार्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे विद्यार्थियों को पहले ही निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट कर देने चाहिए–

1. निबंध लिखते समय सभी अक्षर सुन्दर, स्पष्ट तथा मानक वर्णमाला के अनुसार लिखे गए हों।
2. सभी अक्षरों, वर्णों आदि की बनावट एक जैसी हो तथा वाक्य में अधिक काट-छाँट न हो।
3. निबंध में भावों को उचित क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया हो।
4. निबंध में प्रयुक्त की गई भाषा सरल, सहज तथा विषय के अनुकूल हो।
5. निबंध में आवश्यकता के अनुरूप सूक्तियों व मुहावरों का सार्थक प्रयोग हो।
6. निबंध की भाषा उचित विराम-चिह्नों से युक्त हो।
7. यदि किसी निबंध में एक-एक भाव, विचार, घटना आदि पर चार-पाँच पंक्तियों का प्रयोग किया जाता है तब प्रत्येक भाव को एक अलग अनुच्छेद में लिखा गया हो।
8. निबंध में उन्हीं शैलियों का प्रयोग हो जो कि निबंध-विधा में प्रचलित हैं।
9. निबंध में मौलिकता चिंतन, मनन आदि को भी दर्शाया गया हो।
10. निबंध में कोई भी ऐसा वाक्य न हो जो राष्ट्र-विरोधी, धर्म-विरोधी, जाति-विरोधी तथा मानवता विरोधी हो। अर्थात् उसमें ऐसी बातें न लिखी हों जो किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचाए।
11. निबंध की भाषा व्याकरण सम्मत हो।
12. निबंध में विचार क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किए गए हों। भावों, विचारों, तथ्यों आदि में स्पष्टता हो।
13. निबंध के वाक्य परस्पर जुड़े हुए तथा सुबंबंधित हो।

14. किसी एक ही भाव, तथ्य विचार का अधिक विस्तार न हो। बल्कि आवश्यकतानुसार विषयानुसार सभी भावों, विचारों आदि को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए–'दीपावली' के निबंध में श्रीराम के अध्योध्या लौटने की घटना, दीपावली पर्व मनाने की तैयारियाँ, लक्ष्मी-पूजन, लोगों का परस्पर सद्व्यवहार, रात के समय की जाने वाली आतिशबाजी, बुरे लोगों द्वारा जुआ खेलने की लत आदि सभी घटनाओं, तथ्यों आदि का समान रूप से वर्णन करना चाहिए। यदि इनमें से किसी एक भी तथ्य को आवश्यकता से अधिक विस्तृत किया गया तो निश्चय ही उसे अच्छा निबंध नहीं माना जाएगा।

निबंध की रूपरेखा–निबंध-शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक को छात्रों के समक्ष निबंध की रूपरेखा आदि के संबंध में भी बताना चाहिए। इसका कारण यह है कि निबंध-लेखन अपने आप में एक कला है। किसी भी रचना को कलापूर्ण तभी बनाया जा सकता है जब वह अपने अपेक्षित गुणों से युक्त हो। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को निबंध लिखने से पहले स्पष्ट कर दे कि निबंध के मूल विषय को हम मुख्यतः तीन वर्गों में बाँट सकते हैं–

(क) प्रस्तावना अथवा प्रारम्भ
(ख) मूल विषय अथवा विस्तार
(ग) उपसंहार अथवा निष्कर्ष

(क) प्रस्तावना–छात्रों को यह बताना जरूरी है कि निबंध का प्रारम्भ रोचक हो, आकर्षक हो तथा वह मूल विषय पर प्रकाश डालने वाला हो। जहाँ तक सम्भव हो सके, निबंध का प्रारम्भ किसी सूक्ति या काव्य-रचना की पंक्तियों से युक्त हो। परंतु यह सूक्ति या काव्य-पंक्तियों के बल मूल विषय से ही संबंधित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए– मान लीजिए कि छात्र 'राष्ट्रीय-भावना' विषय पर निबंध लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तब उन्हें निम्न पंक्तियाँ उसके आरम्भ में प्रयुक्त करने के लिए कहा जा सकता है–

भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं।
हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। (मैथिलीशरण गुप्त)

इसी प्रकार 'समाचार-पत्र का महत्व' शीर्षक निबंध के आरम्भ में लिखा जा सकता है–

खींचो न कमानों को न तलवार निकालो।
जब तोप मुकव्बिल हो तो अखबार निकालो।

अतः यहाँ संक्षेप में कहा जा सकता है कि निबंध-लेखन का शिक्षण-कार्य करते समय अध्यापक का यह कर्तव्य बनता है कि वह छात्रों को निबंध का आकर्षक प्रारम्भ या प्रस्तावना लिखने के लिए प्रेरित करे।

(ख) मूल विषय–निबंध में किसी भी एक विषय को लेकर उससे सम्बन्धित तथ्यों, पक्षों, खंडों आदि को गहन चिंतन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अतः निबंध-लेखन-शिक्षण का कार्य करते समय अध्यापक का यह कर्तव्य बनता है कि वह छात्रों को मूल विषय से संबंधित निम्नलिखित नियमों के पालन करने के लिए प्रेरित करे–

1. निबंध में मूल विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए।
2. निबंध में यदि मूल-विषय अलग-अलग खण्डों में बाँटा जाना हो तो उसे शीर्षक के अन्तर्गत बाँटना चाहिए। उदाहरण के लिए– मान लीजिए छात्र 'पर्यावरण-प्रदूषण' पर निबंध लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तब उन्हें अलग-अलग प्रकार के प्रदूषणों; यथा–वायु प्रदूषण, ध्वनि-प्रदूषण, जल-प्रदूषण, भूमि-प्रदूषण, अणु-प्रदूषण आदि का वर्णन करते समय उनके उपशीर्षक बनाने चाहिए।
3. यदि मूल विषय के उपखंड तो नहीं बन सकते परंतु उससे संबंधित भिन्न-भिन्न भावों, दृष्टिकोणों आदि का वर्णन किया जाना आवश्यक है तो प्रत्येक भाव को एक अलग अनुच्छेद में लिखा जाना जरूरी है।
4. मूल-विषय में किसी भी एक भाव को बार-बार नहीं लिखना चाहिए अर्थात् उसमें भावों की आवृत्ति न हो तो अधिक अच्छा रहता है।

5. निबंध-लेखन में छात्रों को तार्किक, सार्थक व प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। इससे उनके निबंध अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं।
6. छात्रों को यह समझा देना चाहिए कि वे अपने निबंध में ऐसी बातों का उल्लेख न करें जो राष्ट्र-हित, समाज-हित आदि के विरुद्ध हो। उदाहरण के लिए– यदि छात्र 'आतंकवाद की समस्या' विषय पर निबंध लिख रहे हैं तब उन्हें किसी जाति-विशेष या समुदाय-विशेष का नाम न लिखकर सामान्य ढंग से आतंकवाद की समस्या, उसके कारण, प्रभाव आदि को स्पष्ट करना चाहिए।
7. निबंध का मूल विषय ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर व्यक्ति के मन में सद्गुणों का विकास हो। विवादित विषयों पर निबंध न लिखे जाएँ तो अच्छा हो। यह कार्य महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए उपयुकत है क्योंकि तब तक छात्रों की मानसिकता परिपक्व हो चुकी होती है।

(ग) **उपसंहार**–उपसंहार वास्तव में निबंध का अंतिम भाग अवश्य है परंतु वह किसी नई भावाभिव्यक्ति का स्वतंत्र अनुच्छेद न होना चाहिए। वास्तव में उपसंहार में उन सभी भावों का निचोड़, सार प्रस्तुत करना चाहिए जो निबंध में पहले ही अभिव्यक्त किए जा चुके हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि उपसंहार में मूल-विषय के संबंध में **"क्या हो रहा है"** तथा **'क्या होना चाहिए'**–इन दो तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहिए।

निबंध-शिक्षण की विधियाँ–निबंध-लेखन का शिक्षण देने के लिए अध्यापक निम्नलिखित विधियाँ अपना सकता है–

1. देखो और लिखो विधि
2. प्रश्नोत्तर विधि
3. सूत्र विधि
4. अनुकरण विधि
5. स्वाध्याय विधि
6. वाद-विवाद विधि
7. प्रबोधन विधि।

1. देखो और लिखो विधि–वस्तुतः यह विधि उन छात्रों के लिए उपयुक्त है जो दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं तथा पहली बार निबंध लिख रहे हैं। इस विधि में सामान्य वस्तुओं; जैसे गाय, कुत्ता, कुर्सी, मेज आदि तथा परिवार के सदस्यों; यथा–मेरी माता, मेरे पिता आदि पर निबंध लिखे जा सकते हैं। इसमें अध्यापक एक बड़ा-चित्र छात्रों के सामने टाँग देता है तथा उस चित्र को देखकर छात्र के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें वह निबंध के रूप में लिखता जाता है; उदाहरण के लिए–

यह एक गाय है। इसकी चार टाँगें हैं। इसके दो सींग हैं आदि।

अतः उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है क्योंकि अमूर्त वस्तुओं के चित्र नहीं बनते जबकि छात्रों को अमूर्त विषयों; जैसे–'राष्ट्र-प्रेम', 'अनुशासन प्रियता', 'समय का सदुपयोग' आदि पर निबंध लिखने होते हैं।

2. प्रश्नोत्तर विधि–यह विधि पाँचवी, छठी कक्षाओं के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। इस विधि में शिक्षक छात्रों से निबंध के मूल विषय के संबंध में प्रश्न करता है तथा प्रत्येक छात्र उसका जो उत्तर देता है, उसे अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहता है; यथा–

शिक्षक – दीपावली किस दिन मनाई जाती है?
छात्र – दीपावली अक्टूबर या नवंबर के महीने में अमावस्या के दिन मनाई जाती है।
शिक्षक – दीपावली किनका प्रसिद्ध त्योहार है?
छात्र – दीपावली हिन्दुओं का प्रसिद्ध त्योहार है।

इस प्रकार छात्रों ने जो उत्तर दिए हैं, उन्हें अनुच्छेद रूप में लिखकर निबंध का रूप प्रदान कर दिया जाता है। परंतु उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए यह विधि भी अधिक उपयोगी नहीं है।

3. सूत्र विधि–इस विधि में शिक्षक श्यामपट पर निबंध के मूल विषय के संबंध में कुछ सूत्र लिख देता है। उदाहरण के लिए– मान लीजिए कि कक्षा में 'महात्मा गाँधी' शीर्षक प्रस्ताव लिखा है। ऐसी दशा में शिक्षक श्यामपट पर उनके जन्म-दिन की तिथि, स्थान आदि लिख देता है।

महात्मा गाँधी–जन्म-दिन–02 अक्टूबर, 1869, स्थान–पोरबंदर

अब छात्र इस सूत्र को निबंध में वाक्य-रूप में लिखेंगे; यथा–

'महात्मा गाँधी का जन्म 02 अक्टूबर, 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था।'

उच्च कक्षाओं में यह विधि सामान्यतः उपयोग में लाई जाती है।

4. अनुकरण विधि–इस विधि में छात्रों के सामने निबंध-लेखन की अनेक शैलियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। वह किसी एक शैली का अनुकरण करते हुए निबंध की रचना करता है। कुछ विद्वानों ने इस विधि को अधिक महत्वपूर्ण माना है। इस संबंध में बेलार्ड का कहना है, **"अच्छा निबंध अच्छे आदर्शों के अनुकरणों पर आधारित होता है और यदि अनुकरण ज्ञात और जानकर किया जाए तो बजाय अज्ञात अनुकरण के उसका प्रभाव कहीं अधिक होता है।"**

परंतु यह विधि छात्र की मौलिक प्रतिभा को विकसित होने से पहले ही अपने प्रभाव में ले लेती है, अतः इसका कम प्रयोग किया जाए तो अधिक अच्छा है।

5. स्वाध्याय विधि–इस विधि में छात्र निबंध के मूल विषय के बारे में अधिक जानने के लिए स्वयं प्रयास करते हैं। वे पुस्तकालय में जाकर विषय से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, अपने शिक्षक, माता-पिता आदि से विषय के संबंध में विचार-विमर्श या मंत्रणा करते हैं। इस प्रकार वे विषय से संबंधित अर्जित ज्ञान को निबंध के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में यही विधि सर्वोत्तम विधि है। इसके अनेक लाभ भी हैं। छात्र में सामाजिक भावना का विकास होता है, उसमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तथा वह अपने समय का सदुपयोग करने में सक्षम बनता है।

6. वाद-विवाद विधि–इस विधि में शिक्षक निबंध के विषय के बारे में सभी छात्रों को सूचित कर देता है। छात्र परस्पर उस विषय के संबंध में वाद-विवाद करते हैं तथा इस प्रकार वे विषय के बारे में अपनी-अपनी जानकारी को एकत्र करके निबंध रूप में प्रस्तुत करते हैं। निस्संदेह, यह विधि छात्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है; परंतु इस विधि का सबसे बड़ा दोष यही है कि इसमें छात्रों का बहुत-सा समय व्यर्थ चला जाता है।

7. प्रबोधन विधि–वस्तुतः यह विधि भी स्वाध्याय विधि से मेल खाती है। इस विधि में शिक्षक छात्रों को उन पुस्तकों, रचनाओं आदि के नाम बता देता है जो निबंध के मूल-विषय के बारे में लिखी गई हैं। छात्र उनका अध्ययन करके निबंध-लेखन-कार्य पूरा करते हैं। परंतु यह विधि कॉलेज के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है।

निबंध-लेखन में छात्रों द्वारा की जाने वाली सामान्य अशुद्धियाँ–निबंध-लेखन में छात्र प्रायः बहुत-सी अशुद्धियाँ करते हैं। अध्यापक का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह इन अशुद्धियों के बारे में छात्रों को पहले से सूचित कर दे ताकि वे है उन्हें अपने निबंध-लेखन-की निम्नलिखित गलतियाँ न करें–

1. लेख का सुन्दर न होना।
2. शब्दगत, वर्तनीगत, वाक्यगत अशुद्धियाँ।
3. अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना।
4. भाषा का व्याकरण-सम्मत न होना।
5. निबंध में भावों, विचारों आदि में क्रमबद्धता, तारतम्यता आदि का अभाव होना।
6. विचारों, भावों के अनुरूप अनुच्छेदों का प्रयोग न करना।

7. वाक्यों में उचित विराम-चिह्नों का प्रयोग न करना।
8. मुहावरों को वाक्य में गलत ढंग से प्रयुक्त करना।
9. मूल विषय से हटकर किसी अन्य विषय का निबंध में समावेश कर देना।
10. विषय को अनावश्यक रूप से विस्तृत या संक्षिप्त करना।

शिक्षक द्वारा यदि बताने के बाद भी छात्र इनमें से कोई गलती करता है, तब शिक्षक का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह उस निबंध की जाँच करने के बाद छात्रों को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उसकी त्रुटियों के बारे बताए तथा उन्हें दूर करने के लिए छात्र को प्रेरित करे। छात्रों द्वारा लिखित निबंध की जाँच करते समय शिक्षक सामान्य संकेत-चिह्नों का प्रयोग कर सकता है।

◆◆◆

सूचना (Notice)

6. सूचना लेखन के बारे में आप क्या जानते हैं? सूचना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। (What do you know about notice writing? Describe the salient features of notice writing.)

उत्तर–सूचना लेखन का उद्देश्य सूचना (Information) प्रदान करना होता है। जब एक सूचना लोगों के एक समूह के लिए हो, स्कूल के विद्यार्थियों के लिए हो या किसी घटना से जुड़े लोगों के लिए हो, तो सामूहिक सूचना (Collective Information) के लिए सूचना (Notice) का प्रयोग किया जाता है। सूचना के लिए एक निर्धारित स्थान निश्चित किया जाता है जिसे सूचना पट्ट कहा जाता है। विद्यालय में विद्यार्थियों का सामूहिक सूचना देने के लिए सूचनापट्ट पर सूचना दी जाती है।

सूचना की विशेषताएँ *(Characteristics of Notice)*

1. सूचना आकर्षक होनी चाहिए।
2. इसमें विद्यालय का नाम तथा घटना का नाम शीर्षक के रूप में होना चाहिए।
3. इसके अन्दर दी गई सूचना स्पष्ट तथा सूक्ष्म होनी चाहिए।
4. सूचना लिखने वाले का नाम तथा हस्ताक्षर होने चाहिए।
5. सूचना में तारीख भी लिखी जानी चाहिए।

सूचना लेखन का नमुना

सूचना (Notice)
ABC Sr. Sec. School
XI तथा XII के लिए भ्रमण

4 मई 2015

सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थी परिषद् गर्मी की छुट्टियों के दौरान XI तथा XII की कक्षाओं के लिए एक सप्ताह के लिए गोवा जाने के लिए योजना बना रहा है। इसमें प्रत्येक छात्र भ्रमण के लिए 4000 रु खर्चा लगेगा। जो छात्र भ्रमण पर जाना चाहते हैं, वे अपने माता-पिता की आज्ञा लेकर 15 मई 2015 तक अपना नाम कार्यालय में दर्ज करवाए।

रमेश कुमार
(President)

◆◆◆

पत्र (Letter)

7. पत्र के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए उसके भेदों का विवेचन कीजिए।

उत्तर–पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव तथा विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि पत्र लेखन विचारों के आदान-प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। यही पत्र लेखन का उद्देश्य है। जो व्यक्ति पत्र लिखकर अपना संदेश, इच्छा या आवश्यकता उचित व्यक्ति तक जितनी सफलता के साथ पहुँचा देता है वह उतना ही कुशल पत्र लेखक कहा जाता है। पत्र लेखन को एक कला माना जाता है। पत्र से ही लेखक का व्यक्तित्व झलकता है। विशेषकर किसी के व्यक्तिगत पत्र को पढ़कर उसके अच्छे-बुरे स्वभाव अथवा उसकी मनोवृत्ति का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। एक विद्वान ने पत्र के बारे में लिखा है–"सुदूर स्थानों पर रहने वाले अपने परिचितों, मित्रों और सम्बन्धियों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए पत्र एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है। पत्र लिखकर ही हम आपस में अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। पत्र द्वारा ही अपने परिचितों को विशेष अवसर पर आने के लिए आमंत्रित करते हैं और पत्र के द्वारा ही अपने सगे-सम्बन्धियों को कष्ट अथवा विपत्ति की सूचना देते हैं। सामान्य जीवन के कुशल समाचार भी हम पत्र द्वारा प्रेषित करते हैं। इस प्रकार पत्र एक ऐसा दर्पण है जिससे लेखक के दृष्टिकोण तथा मानसिक विकास की झलक देखी जा सकती है।

पत्र एक ऐसी कला है, जिसका हमारे जीवन में प्रतिदिन उपयोग होता है। जहाँ बचपन से हम केवल अपने संबंधी या मित्र को पत्र लिखते हैं। बड़े होने पर उनका क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है अब हम कार्यालय, संस्था और व्यवसाय सम्बन्धी पत्र भी लिखने लगते हैं। बचपन के लिखे गए पत्रों में भावुकता का अंश अधिक होता है। धीरे-धीरे विचारों में प्रौढ़ता आने के साथ-साथ पत्रों की भाषा और शैली में निखार आने लगता है। अच्छा पत्र वही है, जिसे पढ़कर बात सरलतापूर्वक समझ में आ जाए।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

पत्रों के प्रकार

पत्र लिखना प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है। कभी हम अपने सम्बन्धियों को कुशलता का समाचार लिखते हैं तो कभी प्रधानाचार्य को आवेदन-पत्र। कभी अधिकारी को शिकायत पत्र लिखना पड़ता है, तो कभी व्यवसाय सम्बन्धी-पत्र तथा नववर्ष, त्योहार आदि पर शुभ कामनाओं के पत्र भेजे जाते हैं। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं, जब हमें पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न अवसरों पर विभिन्न लोगों को पत्र लिखने का ढंग या शैली भी अलग होती है। उस दृष्टि से हम पत्रों को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं–

1. अनौपारिक पत्र
2. औपचारिक पत्र।

1. अनौपचारिक पत्र–अनौपचारिकता का अर्थ है–बिना किसी दिखावे के बनावटीपन से दूर, स्वाभाविक या सहज व्यवहार। जिस प्रकार आप अपने सम्बन्धियों या मित्रों से सहजता से मिलते हैं, उसी प्रकार उन्हें पत्र लिखते समय भी स्वाभाविकता होनी चाहिए। एक अच्छे पत्र में सरलता, संक्षिप्तता, सहजता और प्रभावशीलता आदि गुण होते हैं। अनौपचारिक पत्रों के शुरू में हम सबसे ऊपर दायीं और अपना नाम लिखते हैं। यदि पत्र पाने वाला हमें अच्छी तरह से जानता है और हमारा पता भली-भांति मालूम है तो हम वहाँ केवल स्थान का नाम लिख देते हैं, या कुछ भी नहीं लिखते। उसके बाद पत्र लिखने की तारीख लिखते हैं।

'अभिवादन' हिन्दी के अनौपचारिक पत्रों की अपनी एक विशेषता है, जो अंग्रेजी पत्रों में नहीं होती। यह सम्बोधन और अभिवादन पत्र-लेखन व पत्र पाने वाले के सम्बन्ध के अनुसार होता है और उसी के अनुसार पत्र की समाप्ति पर लिखे जाने वाले शब्द लिखे जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखिए।

अनौपचारिक पत्रों के संबोधन, अभिवादन और समाप्ति

अनौपचारिक पत्रों के प्रकार–मुख्य रूप से पारिवारिक सम्बन्धियों तथा मित्रों को लिखे गए पत्र ही अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत-पत्र, निमंत्रण-पत्र, बधाई-पत्र तथा संवेदना-पत्र भी अनौपचारिक पत्र कहे जा सकते हैं।

संबंधियों-मित्रों को लिखे गए पत्र–अपने माता-पिता, भाई-बहन या अन्य सगे-सम्बन्धियों तथा मित्रों को लिखे गए सामान्य पत्रों को हम उन लोगों को अपनी कुशलता का समाचार भेजते हैं और उनका समाचार पूछते हैं। इन पत्रों की भाषा सरल तथा स्वाभाविक होती है। विषय-वस्तु के अन्तर्गत प्रायः घरेलू बातें होती हैं। लेखक किसी विशेष सूचना, घटना या स्थिति की जानकारी देता है या पूछता है।

अनौपचारिक या व्यक्तिगत-पत्र का उदाहरण

1. 138, जगत कालोनी,
   भिवानी-127021
2. 17.03.20........
3. प्रिय नूतन
4. बहुत-सा स्नेह
5. आज ही तुम्हारा पत्र मिला...........................
   (पत्र का मूल भाग)
   तुम्हारी दीदी
   रेखा

2. औपचारिक पत्र–औपचारिक का अर्थ है–सुव्यवस्थित। आमतौर पर औपचारिक-पत्र उन्हीं लोगों को लिखे जाते हैं, जिनसे हमारा पूर्व परिचय नहीं होता। यदि परिचय होता भी है तो भी स्थिति के कारण उसको महत्त्व नहीं दिया जाता। अतः सम्बन्धों की यह दूरी हमारे पत्रों की भाषा में भी दिखाई पड़ जाती है। औपचारिक पत्रों को लिखते समय तो और भी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। औपचारिक पत्रों के जितने भी भेद हैं, उनकी शैली थोड़ी-थोड़ी भिन्न होती है। फिर भी आरम्भ, संबोधन, विस्तार और समाप्ति नामक अंग तो यहाँ भी होते हैं। इन अंगों में आने वाली सामग्री अवश्य बदल जाती है। अगर हम इन अंगों की तुलना अनौपचारिक पत्र के अंगों से करें तो हमें पता चलेगा कि औपचारिक पत्रों के ऊपर दायीं और दिनांक होता है, लेकिन वहाँ पत्र भेजने वाले का पता नहीं होता। इसके स्थान पर पत्र का संदर्भ लिखा जाता है। इधर बायीं ओर जहाँ अनौपचारिक पत्र सम्बोधन और अभिवादन से शुरू हो जाता है, वहाँ औपचारिक पत्र में इसे पहले 'सेवा में' लिखकर पत्र प्राप्त करने वाले का पद, नाम व पूरा पता लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ पत्र का विषय भी होता है, जिसे अनौपचारिक पत्रों में लिखने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद सम्बोधन और पत्र का विस्तार होता है, जिसमें अनौपचारिक पत्रों के मुकाबले भाषा और शैली में बहुत अन्तर आ जाता है। अनौपचारिक पत्रों में जहाँ शैली अपनापन लिए होती है, वहाँ औपचारिक पत्रों में दूरी और रस्म-अदायगी का आभास होता है। पत्र की समाप्ति पर औपचारिक पत्रों में भवदीय जैसे रूखा शब्द लिखा जाता है और फिर प्रेषक के हस्ताक्षर और उसका पूरा नाम व पता होता है।

औपचारिक पत्र के अंग

सितम्बर 18, 2008

सेवा में
खेल-कूद सामग्री भण्डार,
शिवनगर,
बिलासपुर।

विषय : खेल-कूद की सामग्री के दोष।

महोदय,

निवेदन है कि आपने जो सामग्री हमारे क्लब के लिए भेजी थी, उसमें न तो सामग्री पूरी है और न ही आदेश के मुताबिक है। हम आपका बंडल वापिस भिजवा रहे हैं। आप इसकी जांच कर लें और आवश्यक सामग्री हमारे पास भेजें।

सधन्यवाद
(दुष्यन्त कुमार)
फ्रेन्डस, स्पोटर्स क्लब,
रामनगर, शिमला।

औपचारिक पत्रों के प्रकार–औपचारिक पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। समाज में विभिन्न लोगों से, कार्यालयों में या फिर कुछ व्यावसायिक संस्थानों से जब पत्राचार करते हैं, तो विषय के अनुरूप पत्र की भाषा-शैली में भिन्नता स्वाभाविक है। इसी आधार पर इन पत्रों के मुख्य रूप से चार भेद किए जा सकते हैं–

1. आवेदन-पत्र
2. व्यावसायिक-पत्र
3. निमंत्रण-पत्र
4. बधाई-पत्र

◆◆◆

6.7 चुने हुए पेपर, प्रश्न तथा उत्तरों का प्रस्तुतीकरण
(Presentation of Selected Papers, Questions and Answers)

8. चुने हुए पेपर, प्रश्न तथा उत्तरों के प्रस्तुतीकरण पर टिप्पणी लिखिए।
(Write a note on presentation of selected papers, question and answers.)

अथवा

प्रश्न पूछने का क्या महत्त्व है? प्रश्नों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अच्छे प्रश्नों की विशेषताओं की वर्णन कीजिए।
(What is the importance of questioning? Describe the types of questions. Describe the characteristics of good questions.)

अथवा

प्रश्न पूछने का क्या महत्त्व है? प्रश्न के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर–चुने हुए पेपर, प्रश्न तथा उत्तरों के प्रस्तुतीकरण का विशेष महत्त्व है। पेपर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से किसी विषय को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। चुने हुए पेपर विषय से सम्बन्धित होते हैं। पाठ्य सामग्री को सरल तथा स्पष्ट करने में प्रश्नों का विशेष महत्त्व है। शिक्षण की कुशलता तथा निपुणता (Efficiency of teaching) बहुत कुछ प्रश्नों के पूछने की कुशलता पर निर्भर करती है। प्रश्न पूछना भी एक कला है। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति निपुण नहीं होता है। इस कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए शिक्षक को कुछ आवश्यक बातों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। नवीन शिक्षकों, विशेषकर छात्राध्यापकों को तो इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये बात में हैं–

1. प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है?
2. प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं?
3. अच्छे प्रश्न की विशेष विशेषताएं कौन-कौन-सी हैं?
4. दोषपूर्ण प्रश्न कौन-कौन से होते हैं?
5. प्रश्नों को किस प्रकार से पूछा जाता है?

प्रश्न पूछने के उद्देश्य *(Aims of Questioning)*

1. बालकों को अभिप्रेरित करने के लिए जिससे उनका ध्यान मूल पाठ की ओर आकर्षित हो जाए।
2. बालकों में रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, जिससे शिक्षण कार्य सुचारु रूप से चलता रहे।
3. बालकों के पूर्व ज्ञान एवं मनोदशा की परीक्षा के लिए, जिससे अर्जित ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का वितरण किया जा सके।
4. बालकों के पूर्व ज्ञान को नवीन अनुभवों से जोड़ने के लिए।
5. बालकों के सहयोग से पाठ को विकसित करने के लिए जिससे वे मानसिक दृष्टि से क्रियाशील रहें तथा उनकी विचार कल्पना, चिन्तन, अवलोकन, निरीक्षण एवं विश्लेषण आदि सभी मानसिक शक्तियां विकसित हो जाएं।
6. बालकों की कठिनाइयों को जानने के लिए।
7. बालक की मानसिक उपलब्धियों को एक निश्चित दिशा तथा गति देने के लिए।
8. बालकों के बोध (Comprehension) का मूल्यांकन करने के लिए, जिससे यह पता चल जाए कि उन्होंने कितना अधिगम किया है और कितना नहीं तथा अधिगम न करने के क्या कारण हैं। इन कारणों को दूर करने के लिए शिक्षण-विधि में आवश्यक सुधार किया जा सके।
9. बालकों तथा शिक्षकों का मूल पाठ पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए, जिससे पाठ को व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जा सके।
10. बालकों की झिझक को दूर करके उनमें आत्म-विश्वास उत्पन्न करने के लिए, जिससे उनमें अभिव्यक्ति शक्ति विकसित हो जाए।
11. बालकों द्वारा सीखे हुए ज्ञान को दोहराने (Revision) एवं प्रयोग करने के लिए।

प्रश्नों के स्पष्ट विभेद या अन्तर *(Broad Divisions of Questions)*

मानसिक क्रिया के आधार पर प्रश्नों के दो वर्गीकरण प्रस्तुत किए जाते हैं। पहले वर्गीकरण के अनुसार रिस्क (Risk) महोदय ने प्रश्नों को दो वर्गों में विभाजित किया है–

1. स्मृत्यात्मक प्रश्न (Memory Questions) 2. विचारात्मक प्रश्न (Thought Question)

स्मृत्यात्मक प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनका उत्तर बालक अपनी-अपनी स्मृति के आधर पर देते हैं। ऐसे प्रश्नों का प्रयोग बालकों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने तथा उनके सीखे हुए ज्ञान की आवृत्ति (Revision) करने के लिए किया जाता है। ये प्रश्न प्रायः कैसा, कब तथा कौन और कितने आदि से आरंभ होते हैं जैसे–

चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया?

दूसरी ओर विचारात्मक प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनका उत्तर देने के लिए बालकों को कल्पना तथा तर्क आदि शक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे–

1. पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था?
2. भारत में परिवार नियोजन की क्यों आवश्यकता है?
3. देश की खाद्य समस्या का कैसे समाधान किया जा सकता है?

दूसरे वर्गीकरण के अनुसार प्रश्नों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है–

1. शिक्षात्मक प्रश्न (Training Questions)
2. परीक्षात्मक प्रश्न (Testing Questions)

शिक्षात्मक प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनकी सहायता से बालकों को कल्पना, विचार एवं तर्क के द्वारा परिणाम निकालने के लिए इस प्रकार से प्रेरित किया जाता है कि वे नवीन ज्ञान को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें, जैसे–

भारत में अधिक अनाज पैदा करने के लिए हमें क्या-क्या उपाय करने चाहिएं? परीक्षात्मक प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनके द्वारा बालकों के ज्ञान तथा स्मृति की परख होती है। ऐसे प्रश्नों द्वारा शिक्षक को इस बात का पता आसानी से लग जाता है कि उसका शिक्षण सफल हुआ अथवा नहीं। जैसे–

1. सातवीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई?
2. पानीपत की तीसरी लड़ाई किन-किन के बीच हुई?

विचार-विमर्श के अनुसार वर्गीकरण (Classification According to Discussion)– जो प्रश्न विचार-विमर्श द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, उनको दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है–

1. **विस्तृत प्रश्न**–इस प्रकार के प्रश्नों में प्रश्न का स्वरूप सामान्य होता है। परन्तु उत्तर इनका काफी विस्तृत होता है–जैसे–रामायण में राम का क्या स्वरूप है?
2. **प्रकरणात्मक प्रश्न**–इस प्रकार के प्रश्नों में प्रकरण या प्रसंग को महत्त्व दिया जाता है। जैसे–राम वन गमन के क्या कारण थे?

शिक्षण कार्यानुसार वर्गीकरण (Classification According to Teaching Function)–

1. **स्वाभाविक प्रश्न**–प्रश्न सामान्य सहज रूप में से सूचना हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं।
2. **औपचारिक प्रश्न**–इस प्रकार के प्रश्न जो कि मात्र औपचारिकता के लिए किए जाते हैं। प्रश्नोत्तर का प्रश्नकर्ता एवं उत्तरदाता या छात्र दोनों ही जानते या समझते हैं।

प्रश्नों के उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण (Classification According to the Puprose of Questions)–

1. **प्रत्यास्मरण (Recall) एवं अभिस्वीकारात्मक (Recognition)**–यह शक्तियों को विकसित करते हैं। इस वर्ग में प्रत्यास्मरण रूप प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न, बहुत निर्वचन प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न एवं वर्गीकरण के प्रश्नों का क्रम चलता है।
2. **विवेकात्मक प्रश्न (Reasoning questions)**–इसमें छात्रों की प्रतिभा एवं विवेक शक्ति का विकास करने वाले प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों को विवेकात्मक प्रश्न (Reasoning Questions) कहा जाता है।
3. जो प्रश्न समानता-असमानता के अंतर को स्पष्ट करते हैं। मूलतः इस प्रकार के प्रश्न तुलनात्मक प्रश्न माने गए हैं। वस्तुतः यह तुलना साहित्य में उपमा अलंकार की ही तरह है।
4. प्रश्न जो कि समस्या का समाधान एवं वाद-विवाद की समस्या का हल निकालते हैं।
5. विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक प्रश्न तथा निर्णयात्मक प्रश्न, निर्णयात्मक प्रश्न निर्णय करके समस्या का समाधान करते हैं।

स्टलिंग विश्वविद्यालय के अनुसार वर्गीकरण

1. **निम्न स्तर के प्रश्न (Low Order Questions)**–इस प्रकार के प्रश्न सामान्य प्रश्न कहलाते हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से प्रत्यास्मरण या परिसंख्यात्मक शक्ति का विकास करते हैं, इसमें बालक की स्मृति की परीक्षा की जाती है। बालक तथ्यों, परिभाषाओं को याद करते हैं।
2. **मध्यम स्तर के प्रश्न (Middle Order Questions)**–मध्यम स्तर के प्रश्नों में प्रायः बालक के पूर्वज्ञान में समाहित ज्ञान का परीक्षण किया जाता है, सामान्यतः प्रयोगात्मक विधि को प्राथमिकता दी जाती है, अर्जित ज्ञान को व्यावहारिक रूप से परीक्षित किया जाता है।
3. **उच्च स्तर के प्रश्न (High Order Questions)**–उच्च स्तर के प्रश्नों में प्रायः तर्क शक्ति का विकास करने वाले प्रश्न होते हैं, इन्हें सर्वथा नवीन ज्ञान की ओर ले जाया जाता है। इस स्तर पर कल्पना के माध्यम से प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। मौलिक प्रश्नों की व्यवस्था की जाती है। प्रश्नों को क्यों, क्या, कैसे के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

4. **अनुवर्ती प्रश्न (Follow up Questions)**–अनुवर्ती प्रश्न के निम्नलिखित तीन भेद हैं–

(क) **अनुवर्ती अनुबोध प्रश्न (Follow up Prompt Questions)**–छात्रों के समक्ष छोटे-छोटे लघु प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं। (खंडान्वय विधि की तरह) प्रायः प्रश्न का समाधान प्रश्न में ही किसी न किसी रूप में होता है। अध्यापक संकेत मात्र से ही प्रश्न का उत्तर पा जाता है।

(ख) **अनुवर्ती खोजपूर्ण प्रश्न (Follow-up Probe Questions)**–पूर्वज्ञान या अर्जित ज्ञान के साथ यह संबंध स्थापित करते हुए सर्वथा प्रश्न के उत्तर को पाने के लिए खोजपूर्ण प्रक्रिया को माध्यम बनाया जाता है।

(ग) **अनुवर्ती पुनर्निर्देशीय प्रश्न (Follow up Redirective Questions)**–अनुवर्ती पुनर्निर्देशीय प्रश्न के माध्यम से बालकों को विचार-विमर्श के लिए तैयार किया जाता है। उत्तर पाने के लिए प्रश्न को दो या तीन छात्रों से पूछा जाता है। सही समाधान के बाद समाधान की आवृत्ति करा दी जाती है या निर्देश देकर के पुनः प्रश्न के समाधान की व्यवस्था की जाती है।

पर्यावरण अध्ययन में में प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों के प्रकार
(Kinds of Questions used in Environmental Studies)

पर्यावरण अध्ययन में प्रयुक्त होने वाले प्रश्न निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं–

1. **प्रस्तावनात्मक प्रश्न (Introductory Questions)**–जो पाठ को आरंभ करने के लिए पूछे जाते हैं।
2. **विकासात्मक प्रश्न (Developing Questions)**–जिनका प्रयोग पाठ के विकासात्मक स्तर पर किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा बालकों के सहयोग से नवीन ज्ञान को तार्किक क्रम में विकसित किया जाता है।
3. **विचारात्मक प्रश्न (Thought Provoking Questions)**–ये वे प्रश्न होते हैं जिनकी सहायता से बालकों की कल्पना, तर्क तथा निर्णय आदि शक्तियों को विकसित करके उनके मस्तिष्क को जागृत, विचारशील तथा क्रियाशील बनाया जाता है। अध्यापकों को 'क्यों' तथा 'कैसे' आदि विचारात्मक प्रश्न पूछते रहना चाहिए।
4. **समस्या प्रश्न (Problem Questions)**–इस प्रकार के प्रश्नों के द्वारा पाठ के आरंभ या अंत अथवा दोनों स्तरों पर बालकों के समक्ष कोई ऐसी समस्या रखी जाती है जिसको सुलझाते हुए बालक अपने-अपने पूर्वज्ञान का प्रयोग करके नवीन ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं।
5. **तुलनात्मक प्रश्न (Comparison Questions)**–ये उन प्रश्नों को कहते हैं जिनके द्वारा तथ्यों अथवा घटनाओं की परस्पर तुलना की जाती है। ऐसे प्रश्नों का प्रयोग इतिहास, भूगोल तथा विज्ञान के पाठों में किया जाता है। ऐसे प्रश्नों का उपयोग सामान्यतया पाठ के मध्य में ही करना उचित है।
6. **बोध प्रश्न (Comprehension Questions)**–बोध प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनकी सहायता से शिक्षक को यह पता चल जाता है कि बालकों को पढ़ाई हुई विषय-सामग्री का ज्ञान हुआ कि नहीं। ऐसे प्रश्न प्रायः सोपान के अन्त में प्रयोग करने चाहिए।
7. **पुनरावृत्ति प्रश्न (Recapitulatory Questions)**–ये उन प्रश्नों को कहते हैं जिनके द्वारा पाठ के प्रमुख बिन्दुओं को दोहराया जाता है।

उत्तरों के आकार एवं प्रकार पर आधारित प्रश्न
(Questions Based on Size and Types of Answers)

1. **निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)**–ये वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर निबन्ध के रूप में दिया जाता है। ऐसे प्रश्नों का प्रयोग गृह-कार्य देने के लिए किया जाता है। आकार में ये लम्बे उत्तर मांगते हैं।
2. **लघु उत्तर (Short Answer Type)**–लघु-उत्तर प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनका उत्तर सूक्ष्म रूप में दिया जाता है। निबन्धात्मक प्रश्नों की तुलना में इन प्रश्नों का उत्तर अधिक स्पष्ट एवं निश्चित होता है, जैसे–
   भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है?
3. **वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)**–वस्तुनिष्ठ प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनके उत्तर सूक्ष्म एवं निश्चित होते हैं, जैसे सत्य-असत्य प्रश्न जैसे–
   भाखड़ा नंगल बांध गुजरात में बनाया गया है। सत्य/असत्य
   चण्डीगढ़ पंजाब की राजधानी है। सत्य/असत्य

अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

1. **उद्देश्य की प्राप्ति (Realization of Aim)**–प्रश्न ऐसे होने चाहिएं जिनकी सहायता से शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इस दृष्टि से शिक्षक का प्रश्न पूछने का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इससे कक्षा में जीवन भी बना रहेगा।
2. **भाषा (Language)**–प्रश्नों की भाषा सरल, शुद्ध तथा स्पष्ट होनी चाहिए जिससे कक्षा के सभी बालक उन्हें सफलतापूर्वक समझ जाएं। इसलिए प्रश्नों में कठिन तथा अस्पष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में शिक्षक को प्रश्न बनाते समय बालकों के बुद्धि स्तर एवं भाषा की सरलता तथा स्पष्टता को ध्यान में रखना चाहिए।
3. **नुकीले प्रश्न (Pointed Questions)**–प्रश्न इतने नुकीले तथा पैने होने चाहिए कि सभी बालक उनका उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएं। इस दृष्टि से प्रश्न न तो बहुत सरल होने चाहिए और न ही बहुत कठिन, अपितु उनकी रचना बालकों की योग्यता तथा उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए।
4. **विचार उत्तेजक (Thought Provoking)**–प्रश्न विचार-उत्तेजक होने चाहिए जिससे बालकों की मानसिक क्रियाएं सचेत एवं जागृत हो जाएं। दूसरे शब्दों में, प्रश्न ऐसे होने चाहिएं कि उनका उत्तर देने के लिए बालकों को अपनी स्मृति, विचार तथा तर्क आदि मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना पड़े। यदि ऐसा नहीं होगा तो बालक प्रश्नों का उत्तर यान्त्रिक रूप में देते रहेंगे।
5. **संक्षिप्त एवं प्रत्यक्ष प्रश्न (Brief and Direct Questions)**–प्रश्न संक्षिप्त तथा विषय-सम्बन्धित होने चाहिएं। दूसरे शब्दों में, प्रश्न इतने सरल तथा छोटे होने चाहिए कि उनका उत्तर छोटे-छोटे वाक्यों में दिया जा सके। इसका यह लाभ होगा कि बालक ऐसे प्रश्नों को ठीक प्रकार से समझ सकेंगे और उनका उत्तर सरलतापूर्वक दे सकेंगे।
6. **निश्चित उत्तर (Definite Answer)**–प्रश्नों का अर्थ निश्चित होना चाहिए, जिससे कक्षा के सभी बालक उनका ठीक-ठीक उत्तर दे सकें।

CIMETRIX SKILLING INDIA

7. **अच्छा वितरण (Proper Distribution)**–प्रश्नों को पाठ के प्रत्येक भाग से पूछना चाहिए। किसी भाग से कम तथा किसी भाग से अधिक प्रश्नों का पूछना किसी भी दशा में अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही प्रश्नों को समझने तथा उनका उत्तर देने के लिए कक्षा के सभी बालकों को समान अवसर मिलने चाहिए। केवल एक अथवा दो बालकों से ही निरन्तर प्रश्नों के पूछने का फल यह होता है कि कक्षा के शेष बालक पाठ के विकास में सहयोग नहीं देते। वे क्रियाहीन बैठे रहते हैं जो उचित नहीं है।
8. **क्रमबद्धता (Systematic)**–प्रश्न श्रेणीबद्ध एवं क्रमिक होने चाहिए। इससे पाठ का स्वाभाविक विकास होता है।
9. **आकार तथा कठिनाई स्तर में विभिन्नता (Variety in Form and Difficulty Level)**–प्रश्नों का आकार तथा कठिनाई स्तर विभिन्न प्रकार का होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो बालक हतोत्साहित हो जाएंगे और कक्षा में नीरसता छा जाएगी। अतः प्रश्नों की रचना में विभिन्नता होनी चाहिए।

◆◆◆

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA